खण्ड-400, अंक-4
बृहस्पतिवार, 4 माघ, शक संवत् 1912
(24 जनवरी, 1991 ई0)

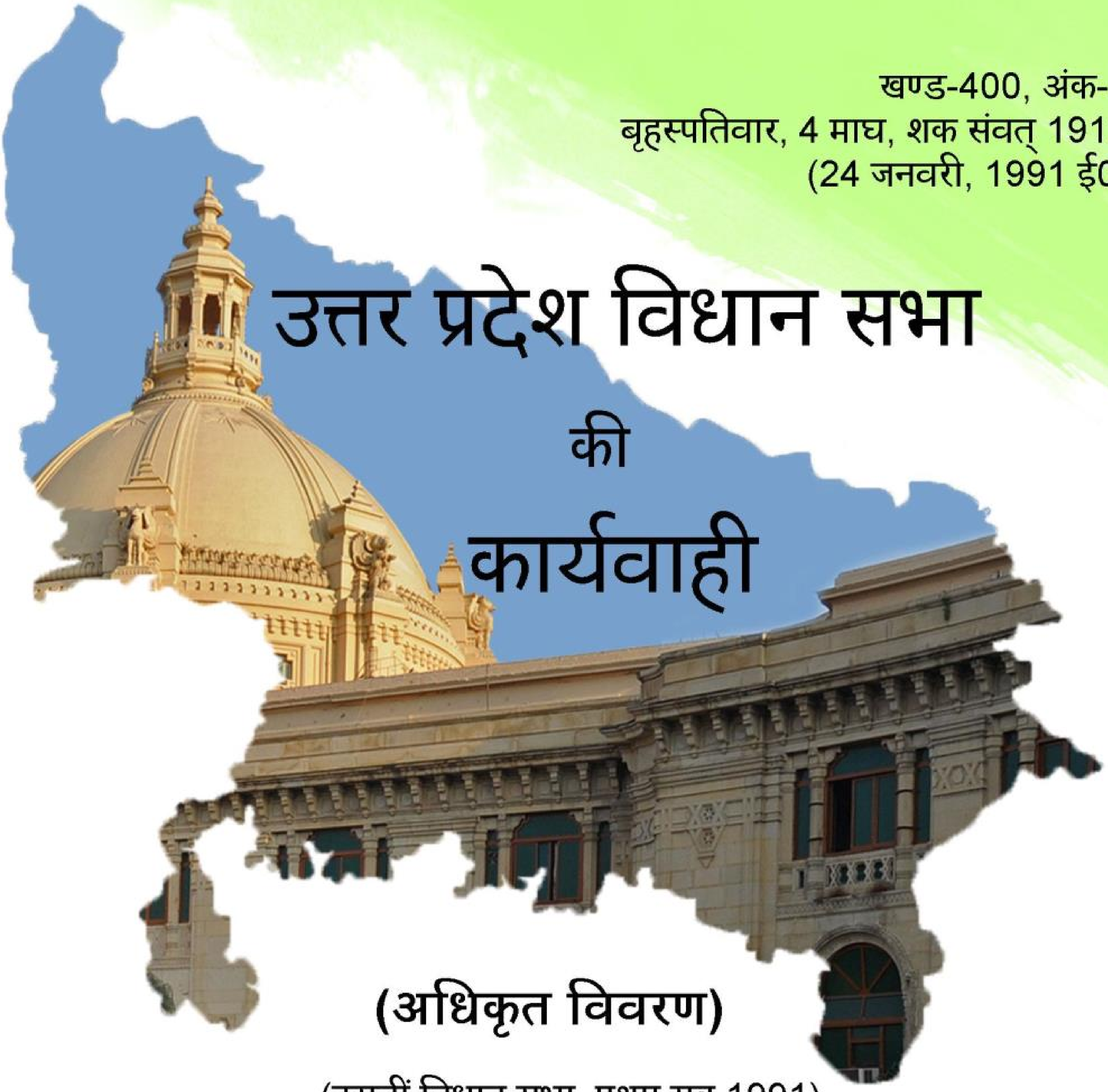

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 400 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	4-110
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्री राम मूर्ति अंचल, श्री रामपाल त्रिवेदी, श्री गोपीनाथ दीक्षित (इटावा), श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री देवीदत्त छिम्बाल, श्री चन्द्रिका प्रसाद, श्री जोरावर वर्मा, श्री शिव प्रसाद पंडिया, श्री विश्रामराय, श्री रामाशंकर लाल, श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	110-121
हिन्दी साहित्य के साहित्यकार डा0 राम कुमार वर्मा एवं पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी के निधन पर शोकोद्गार ..	121-126
नियम 311 व नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को लिए जाने के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय की सूचना ..	126-131
अल्पमत सरकार द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता के विषय में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत) ..	131
अल्पमत सरकार द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल नहीं हो सकते के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत) ..	131-146
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों को रासुका में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	146-150
नियम 301 की सूचनायें ..	151
जनपद फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	151
आगरा महानगर के कतिपय मुहल्लों में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	152
आगरा पश्चिमी क्षेत्र में शौचालयों व नाले की सफाई व खराब हैण्ड पम्पों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	152
दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, घोसी जनपद-मऊ में अधिकारियों की मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	152
जनपद बदायूं में कछला में गंगा का जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	153

जनपद फिरोजाबाद में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 153

सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने तथा गन्ना ढुलाई की दर बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 153-154

जनपद मऊ में गौरीशंकर घाट पर घाघरा नदी के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 154

जनपद हरदोई में मल्लावां क्षेत्र में मेंहदीघाट रोड के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 154-155

सहकारी समितियों की नियमावली प्राप्त करने में अनियमितता एवं धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 155

कानपुर महानगर क्षेत्र स्थित एन0टी0सी0 एवं बी0आई0सी0 प्रतिष्ठानों के कर्मियों को कर्फ्यू अवधि में वेतन भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 155-156

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खेड़ा बझोड़ा से बरेली तक परिवहन निगम की बसों को चलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 156

आगरा महानगर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 156-157

लखनऊ नगर महापालिका में सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 157

जनपद मेरठ में खाद्य विभाग द्वारा गेहूं कोटा अवमुक्त न कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 157-158

जनपद बांदा की नरैनी तहसील में अधूरी मसौनी लिफ्ट कैनाल को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 158

जनपद जौनपुर के शाहगंज थाने के ग्राम सिंघायी में एक परिवार के नौ सदस्यों पर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 158

जनपद प्रतापगढ़ के थाना बाघराय की पुलिस द्वारा ग्राम वेघन-गोपालपुर के हरिजन परिवार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 158-159

जनपद फैजाबाद के जलालपुर क्षेत्र में जल प्लावन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 159

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 159-160

संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 3817/सत्रह-सं-1-90-94 सं/81, दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल की सुविधायें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1990 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 160

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 160

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1991 .. 160-161

उत्तर प्रदेश दशम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) .. 161

उत्तर प्रदेश दशम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) .. 161

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा आदेश देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (पुरः स्थापित) .. 161

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 (पुरःस्थापित) .. 162

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर (संशोधन), विधेयक 1991 (पुरःस्थापित) .. 162

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधयेक, 1991 (पुरःस्थापित) .. 162-163

दिनांक 23 जनवरी, 1991 को सदन के स्थगन काल में श्री शारदा प्रताप शुक्ल स0वि0सभा के साथ श्री राजधारी स0 वि0सभा द्वारा अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना .. 163-164

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) .. 164-179

उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 (पारित) .. 179-189

भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 (पारित) .. 190-191

जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय को जलेसर रोड से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना .. 191

नत्थियां .. 192

विधान सभा
सचिवालय, पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 24 जनवरी, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कलियान सिंह दोहरे, श्री	फर्रूखाबाद
कृपाशंकर आर्य, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
धर्मवीर सिंह वालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
बलबीर सिंह, श्री	टिहरी गढ़वाल
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बाबू सिंह यादव, श्री	अलीगढ़
बालचन्द्र मिश्रा, श्री	कानपुर
भूधर नारायण मिश्र, श्री	कानपुर
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा
मास्टर कंवर पाल, श्री	सहारनपुर
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजा मो० अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
राम दुलारे सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम मूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
रामरति बिन्द, श्री	वाराणसी
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा
रिफाकत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
शतरूद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी० टी० आई०, श्री	मैनपुरी
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सी० बी० इनिस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री	फतेहपुर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा प्रदेश पुदुच्चेरी

दिनांक 24 जनवरी, 1991

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

(नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न)

(सदन के प्रारम्भ होने पर श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही "जय श्रीराम" का उद्घोष होने से व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, जो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् के लोग रासुका और आतंकवादी अधिनियम में बन्दी हैं, उनके विषय में नियम 311 की सूचना दी है, उस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, 11 वर्षीय हरिजन बालिका के साथ बलात्कार किया गया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकाल हो जाने दें, उसके उपरान्त आपकी बात सुन लूंगा। निधन के निर्देश हो जाने दें उसके बाद आपकी बात सुनता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

गुरूवार, दिनांक 24 जनवरी, 1991

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेजों की स्थापना

****1—श्री कुंवर सिंह नेगी--**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई के लिए निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेजों की स्थापना की अनुमति दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव)—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु क्या कोई मानक या शर्तें निर्धारित की गयी हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, जैसा इस प्रश्न में पूछा गया था कि क्या इस पर विचार हो रहा है, तो उसके उत्तर में कहा कि जी हां विचार हो रहा है। इसके चार मानक तय किये हैं जिसके आधार पर यह बात चल रही है। पहला यह कि जो भी संस्था या व्यक्ति प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलना चाहता हो, वह वित्तीय रूप से सक्षम हो। दूसरा यह कि वह कालेज किसी पिछडे क्षेत्र में खोला जाना चाहिये। तीसरा यह है कि कोई कैपीटेशन फीस उसमें नहीं ली जायेगी तथा चौथा यह कि जो प्रवेश दिया जायेगा वह सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि कोई सक्षम व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो वह मेडिकल कालेज की स्थापना कर सकते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा और उसका चयन करने के लिये मान लिया 50 व्यक्तियों ने दरखास्त दी, तो किस व्यक्ति का चयन करेंगे? क्या मानक होगा? दूसरा यह कि जो कैपीटेशन फीस के बारे में कहा कि नहीं लेने देंगे तो कहना चाहूंगा कि आप स्वयंसेवी संस्थाओं को रोक नहीं सकेंगे, तो इस सम्बन्ध में आपके क्या नियम होंगे और क्या निर्देश होंगे?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैंने शुरू में ही कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है, चार मानक जो निर्धारित किये हैं, वे उनको बता दिये थे। अभी तो यह विचार की ही स्टेज

हैं। जो शंकायें माननीय सदस्य ने उठायी हैं, वे निराधार हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप उनके सुझाव मांग लीजिये।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

यदि वे कोई सुझाव देना चाहेंगे तो उसका स्वागत करेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आलें इण्डिया मेडिकल काउन्सिल ने इस तरह के मेडिकल कालेजों को न चलाने का सुझाव दे रखा है,

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यह भी अवगत होगा कि बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर जो इस प्रकार के मेडिकल कालिजेज चला रहे हैं और इसी तरह से जो कालेजेज कर्नाटक में चल रहे हैं, उनमें कैपिटेशन फीस बंद करने के बावजूद भी जो अन्य फीस वह लोग ले रहे हैं वह इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे एक साधारण परिवार का छात्र दे ही नहीं सकता है, चाहे वह छात्र मेधावी ही क्यों न हो। इस प्रकार से ऐसे कालेजेज में बड़े परिवार के लोग ही प्रवेश पाते हैं तो इस तरह के कालेजेज खोलने के क्या औचित्य हैं?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर एम.सी.आई. जो है उसने कहा कि अब नये कालेज न खोले जाएं क्योंकि अब डाक्टर्स काफी मात्रा में हो गए हैं और उनमें बेकारी भी बहुत बढ़ रही है। लेकिन मान्यवर शासन का मत है कि डाक्टर सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वह डाक्टरी पास कर सिर्फ सरकारी अस्पतालों में आ जाए उसका संबंध तो सीधे सेवा से है, इसलिए यदि पापुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो डाक्टर्स की बहुत कमी है। इस आवश्यकता को देखते हुए शासन नये मेडिकल कालेजेज इतनी मात्रा में खोल नहीं सकता है क्योंकि एक मेडिकल कालेज खोलने में आजकल बहुत कास्ट आती है, इसलिए ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। आगरा मेडिकल कालेज की एक बात मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूँ कि उसके एक साईट को सिर्फ हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी लागत आज सिर्फ 56 करोड़ रूपया आ रही है।

कर्नाटक व दूसरी जगह इन कालेजेज में जो बुराईयां आम हैं, उनसे बचने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है और इनमें जो प्रवेश होंगे वह सी.पी.एम.टी. के आधार पर ही होंगे।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की निजी संस्थाओं को मेडिकल कालेजेज खोलने की इजाजत देंगे तो इस तरह से जो आपके मेडिकल कालेजेज हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा क्या इस बात की समीक्षा शासन द्वारा पूरी तरह से करा ली गयी है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जो हमारे मेडिकल कालेजेज चल रहे हैं उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वह जिस तरह से चल रहे हैं, सी.पी.एम.टी. द्वारा उसी तरह से चलते रहेंगे, यह तो उन लोंगो के लिए है जो दूसरे छात्र आने वाले हैं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत जोर-शोर से घोषित किया था कि हम दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करेंगे, जिसके 4 मानक उन्होंने बताये थे...

यह मेरी दृष्टि से अव्यावहारिक है, लेकिन क्या कोई विशेषज्ञों की समिति इस संबंध में गठित की गयी है जो कि इसकी छानबीन कर रही हो? क्या इससे दोहरी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा नहीं मिलेगा?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

दोहरी शिक्षा प्रणाली का अर्थ जो माननीय पंचानन राय जी समझते हैं वह मैं नहीं समझता। दोहरी शिक्षा प्रणाली का अर्थ यह है कि दो तरह के विद्यालय खोले जांय जिसमें दो तरह की फीस आदि हो। जैसे कि प्राईमरी शिक्षा चल रही है जो कि सरकार के द्वारा तथा निजी संस्थाओं के द्वारा चलायी जा रही है जहां कि 100 रू0 और 200 रू0 फीस लेते हैं। मैं इस संबंध में फिर कहना चाहूंगा कि अभी यह बात विचार के स्टेज पर है और जो निर्णय होगा वह आप लोगों के सामने आ जायेगा। इस संबंध में जो माननीय सदस्य अपने सुझाव देना चाहें, मैं उनका स्वागत करूंगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर मा0 अध्यक्ष द्वारा श्री कल्यान सिंह जी का नाम पुकारा गया।)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, यह मेरा प्रश्न है, कृपा करके मुझे एक और प्रश्न करने का मौका प्रदान करें।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की छूट दी जा रही है वह क्या केवल एलोपैथिक मेडिकल कालेज के लिये ही है या फिर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिये भी है? एक बात और कि जो सरकारी मेडिकल कालेज चल रहे हैं इनके और उनके पाठ्यक्रम में क्या साम्य रहेगा अथवा नहीं?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

हर तरह के कार्यक्रम के बारे में अभी विचार हो रहा है लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि यह मेडिकल कालेज एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दोनों पाठ्यक्रमों के लिये होंगे, इस संबंध में मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया जो कि इसके लिये रिकग्नाईज है, जो प्रस्ताव करेगी, वह किया जायेगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों में इस तरह के मेडिकल कालेज खोले जायेंगे और उनको प्राथमिकता दी जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों को जो निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलते हैं उनको क्या विशेष रियायतें आप देंगे? यदि उन पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल कालेज नहीं खोले जाते हैं जहां कि मेडिकल कालेज की आवश्यकता है तो क्या वहां पर सरकार मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेगी?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, इस संबंध में कोई प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया है कि ये मेडिकल कालेज वहीं खोले जायेंगे जिनको हम पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं, उनकी फाईनेन्शियल लाईबिलिटी को देख कर ही यह खोले जायेंगे।

(मा0 अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित प्रश्न सं0 2 के पुकारे जाने पर कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर प्रश्न पूछने की अनुमति की प्रत्याशा में खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई बात पूछने से रह गयी है तो आप माननीय मंत्री जी से कक्ष में सम्पर्क कर लें।

प्रदेश में मुकदमों के बढ़ते अनुपात में अदालतों का विस्तार

****2—श्री हृदय नारायण तथा श्री मुक्ति नाथ—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि "न्याय में देरी अन्याय है" के सिद्धान्त को देखते हुए मुकदमों की बढ़ती तादाद और अदालतों की संख्या में कमी से उत्पन्न स्थिति के निवारण हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या और उसकी रूपरेखा क्या है?

लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

जी हां।

वादकारियों को सुलभ, सस्ता, एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं:—

1— (1)राज्य के 4 जनपदों मेरठ, आगरा इलाहाबाद एवं बरेली में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है जो कि विवाह संबंध भरण पोषण एवं बच्चों की सरक्षता आदि के वादों को निस्तारित करेगी।

(2)पारिवारिक न्यायालय, झांसी के क्षेत्राधिकार में जनपद जालौन और ललितपुर को सम्मिलित कर दिया गया है।

2— वर्ष 1990-91 में प्रदेश की 8 तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना की गई है जो कि दीवानी एवं फौजदारी वादों का निस्तारण करेगी।

3— 12 लघुवादों न्यायालयों की स्थापना की गई है।

4— अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायालयों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

5— उ0 प्र0 सिविल विधि (संशोधन) अध्यादेश 1990 जारी किया गया है जिसके प्राविधान इस प्रकार है:—

(1)मुसिंफ का क्षेत्राधिकार 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रू0 किया गया है जो मा0 उच्च न्यायालय के विवेकानुसार अधिकतम 25 हजार रू0 किया जा सकेगा।

(2)जनपद न्यायाधीश को अपीलीय अधिकार 20 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रू0 किया गया है जो मा0 उच्च न्यायालय के विवेकानुसार अधिकतम 5 लाख रू0 किया जा सकेगा।

दिनांक 15-1-91 को उच्च न्यायालय में लंबित एक लाख तक मूल्य की सिविल अपील निस्तारणार्थ जिला जज को स्थानान्तरित हो जायेगी। जिससे उच्च न्यायालय का कार्यभार कम होगा।

(3)सिविल न्यायाधीश तथा मुंसिफ को प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 के अधीन लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 हजार तक की जा सकती है तथा धारा 15 की उपधारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अर्थात किराया बेदखली के संबंध में अधिकारिता 25 हजार रू0 तक की जा सकती है।

(4)जनपद न्यायाधीश का निगरानी के श्रवण का अधिकार 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय के विवेकानुसार अधिकतम 5 लाख रू0 किया जा सकता है।

(5)सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 39 नियम 2 (2) परन्तुक खंड "च" में शिक्षा संस्थाओं सोसाइटी के आन्तरिक मामलों में स्थगन आदेश देने पर रोक थी। उस रोक को समाप्त करने के लिये उक्त खण्ड "घ" समाप्त कर दिया गया है ताकि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों की संख्या कम हो सके।

श्री हृदय नारायण--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि न्याय में देरी अन्याय है, इस सिद्धान्त को मानते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वह बहुत लम्बा है। पांचवे अनुच्छेद के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे उप-अनुच्छेदों में न्यायालय को अधिकार दिये गये हैं और 4 जनपदों मेरठ, आगरा, इलाहाबाद और बरेली में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गयी है। यहां पर बहुत मुकदमे होते हैं। सैकड़ों की तादात में नहीं हजारों की संख्या में मुकदमे होते हैं, हाई कोर्ट में, जनपद न्यायालयों में और जो आर्डिनेंस जारी किया गया है उसके द्वारा छोटी अदालतों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है। क्या सरकार को जानकारी है कि छोटी अदालतों में इस से और मुकदमें बढ़ जायेंगे, पहले से ही यहां पर हजारों की संख्या में मुकदमें लम्बित हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अदालतों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह सही है कि वादों की संख्या को देखते हुये, न्यायालयों का अभाव है और न्याय में शीघ्रता के लिये ही इस वर्ष कुछ प्रयास किये गये हैं। नये न्यायालय खोलने के लिये वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी कमी है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि ज्यों ही संसाधन उपलब्ध होते जायें, न्यायालयों की संख्या बढ़ती जाये। न्यायालयों की संख्या बढ़ाने में न्यायालय के भवन, हवालात, मालखाना आदि चीजों की आवश्यकता होगी और इन सबके लिये वित्त की आवश्यकता होगी और यही इनकी स्थापना में बाधक है। राज्य सरकार के पास वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं और जैसे-जैसे वित्तीय साधनों की व्यवस्था होती जायेगी, अदालतों की संख्या बढ़ाई जायेगी, तो इस तरह के कुछ उपाय किये गये हैं। दीक्षित जी के सुझाव से मैं सहमत हूं कि अदालतों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिये, लेकिन वित्तीय साधनों के उपलब्ध न होने के कारण हम यह कर नहीं पा रहे है।

डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट ट्रान्सफर नहीं किये गये हैं। जो तहसीलें बड़ी हैं, उनको छोटा किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद में बीकापुर तहसील बड़ी तहसील है, इसलिये क्या इसको दो भागों में बाँटकर एक तहसील मिल्कीपुर में स्थापित की जायेगी?

श्री अध्यक्ष—

तहसील खोलने का काम तो राजस्व विभाग का है।

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

मैं तहसील स्तर पर मुंसिफ कोर्ट खोलने की बात कह रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जैसा बताया गया कि तहसील स्तर पर मुंसिफ अदालतों की स्थापना की जा रही है। कुछ मुंसिफ अदालतें इस वर्ष खोली गयी है। जैसे-जैसे संसाधन होंगे मुंसिफ अदालतों की स्थापना की जायेगी।

श्री मुक्तिनाथ—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अदालतों का अभाव है। मैं जानना चाहता हूं ऐसी कितनी अदालतों की आवश्यकता होगी और दूसरा सरकार की तरफ से व्यवस्था की गयी है परिवार न्यायालयों की लेकिन जो सी0आर0पी0सी0 और सी0पी0सी0 कोर्ट के अंतर्गत मुकदमें बड़ी संख्या में लम्बित है उन वादों को निर्णित करने के लिए ऐसे न्यायालयों की संख्या में बढोत्तरी करेगी और यह कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि न्यायालयों में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है और उसके लिये सरकार धीरे-धीरे प्रयास कर रही है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मुकदमें बहुत अधिक संख्या में पैंडिग हैं और अदालतों का अभाव है। तो मैं जानना चाहता हूं कि तहसील स्तर से लेकर कलैक्ट्रेट तक के सारे प्रशासनिक अधिकारी मुकदमों का फैसला करते हैं जिसके कारण उनको मौका नहीं मिल पाता है कि वह मुकदमों का निर्णय समय से कर सकें। तो तहसील स्तर और कलैक्ट्रेट तक के म्यूटेशन, और जमींदारी एबोलीशन एक्ट आदि के मुकदमों के लिये अलग से न्यायिक अधिकारी नियुक्त किये जायं इसकी व्यवस्था करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय नेता भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का भी उत्तर एक प्रकार से पहले दिया जा चुका है क्योंकि वह भी न्यायालयों से संबंधित है जिसका प्रयास किया जा रहा है। जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे न्यायालयों का विस्तार कर दिया जायेगा।

श्री शेख मुहम्मद सुलेमान—

मैं माननीय न्याय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश

की जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ की स्थापना की घोषणा करेंगे, क्या यह सरकार के विचाराधीन है जैसा आपने अपने चुनाव भाषणों में बार-बार कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की जायेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, कदाचित इस प्रश्न का संबंध इससे नहीं होगा (व्यवधान) यह प्रश्न खण्डपीठ से संबंधित नहीं है इसलिये इस संबंध में मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री हृदय नारायण--

मान्यवर, जैसा माननीय मुक्तिनाथ जी ने बताया और पूछा कि कितने अदालतों की कमी है और कितने जनपद स्तर पर कितने न्यायाधीशों की कमी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, वर्ष 90-91 में ही न्यायालयों के खोलने की प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयास किया गया और इसके लिये परिवार न्यायालयों तहसील स्तर पर मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना के उपाय किये गये (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण—

माननीय मंत्री जी विद्वान हैं लेकिन वह उत्तर को इधर उधर न घुमायें सीधा प्रश्न है संख्या के बारे में कितनी अदालतों की कमी है जिसको सरकार ने माना है दूसरा प्रश्न है कि माननीय उच्च न्यायालय और जिला स्तर के न्यायालयों में कितने स्थान रिक्त हैं और वह कब तक भर दिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी सूचना हो तो बता दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह हमने स्वीकार किया है कि न्यायालयों की बहुत आवश्यकता है जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे उसके अनुसार उनमें बढ़ोत्तरी की जायेगी और सरकार इसके लिये प्रयासरत है। लेकिन कितने न्यायालयों की आवश्यकता होगी इसकी सूचना नहीं है।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

डाक्टरों के प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

***1—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले माह जूनियर डाक्टरों की हड़ताल और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सीनियर डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल में दवा के अभाव में प्रदेश में कुल कितने मरीजों की मृत्यु हुई? उक्त हड़ताल के क्या कारण थे तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

पिछले वर्ष की हड़ताल में किसी रोगी की दवाओं के अभाव में मृत्यु की

सूचना नहीं प्राप्त हुई है। जूनियर डाक्टरों की हड़ताल मेडिकल कालेज कानपुर में डा0 कथूरिया दम्पत्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने के फलस्वरूप तथा सीनियर डाक्टरों की हड़ताल उनकी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में थी।

डा0 कथूरिया आत्महत्या काण्ड की सी0आई0डी0 तथा आयोग द्वारा जांच की जा रही है। सीनियर डाक्टरों की हड़ताल पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अधिकारियों एवं शासन स्तर पर हुई उच्च स्तरीय वार्ता पर समाप्त कर दी गई है।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर के पहले ही खंड में सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। आपका कहना है कि एक भी मृत्यु दवा के अभाव में नही हुई है जबकि पूरा प्रदेश जानता है, मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को कई बार कानपुर और लखनऊ मेडिकल कालेज के संबध में कह चुके हैं कि प्रदेश में 5 लोगों की मृत्यु हुई हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि मंत्री जी पुनः स्पष्ट करें कि वाराणसी में क्या दो लोगों की दवा और डाक्टर के अभाव में मृत्यु नहीं हुई हैं और इसी प्रकार लखनऊ मेडिकल कालेज में तीन मरीजों की क्या मृत्यु नहीं हुई हैं?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

मान्यवर, जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है वह बता दिया है। यदि मा0 सदस्य कोई स्पैस्फिक नाम बता दे तो उसकी जानकारी निश्चित रूप से दे देंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि प्रदेश में किसी व्यक्ति की दवा और डाक्टर के अभाव के कारण मृत्यु हुई है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हड़ताल के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आयी हैं उसमें मौत का क्या कारण दिया गया है?

श्री अध्यक्ष--

आप किसी विशेष व्यक्ति का नाम लें तो सम्भव है अन्यथा नहीं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उनके पास सूचना नही है कि वाराणसी और लखनऊ मेडिकल कालेज में 2 और 3 लोगों की मृत्यु हुई हैं, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा वह यह सूचना मंगाकर सदन को दें। इस प्रकार माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर अधूरा है, इसलिये मान्यवर, आप इसको स्थगित कर दें?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

मान्यवर, यहां केवल मृत्यु की बात नही कही जा रही है बल्कि एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेशव्यापी हड़ताल में दवाओं के अभाव में प्रदेश के अस्पतालों में कितने मरीजों की मृत्यु हुई, यह सवाल है जिसका उत्तर दिया गया। यदि मा0 सदस्य कोई, नाम बता दें कि फलां मरीज की मृत्यु दवा के अभाव में हुई है तो निश्चित रूप से उत्तर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

मान्यवर, इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहले में दवाओं के अभाव में कितनी मृत्यु हुई और इसमें आपने सदन को गुमराह किया है। इसलिये श्री वर्मा जी के इस प्रस्ताव से मैं सहमत हूं कि इस संबंध में मंत्री जी पता लगाकर, जैसा कहा है कि वाराणसी में दो और लखनऊ मेडिकल कालेज में तीन लोगों की मृत्यु दवाओं के और डाक्टरों के अभाव में हुई हैं कि नही, इसका जवाब आप दिला दें?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--

...तो इस पर यह अपना जवाब दें? दूसरी चीज यह है...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

दूसरा पार्ट यह है कि कथूरिया दम्पत्ति जो कानपुर में था, जिसने आत्महत्या की और जो प्रदेश का बहुचर्चित आत्महत्या काण्ड रहा है, और झांसी में और लखनऊ मेडिकल कालेजों में भी ऐसी ही कई पहले आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। जब यह आत्महत्याएं हुई तो प्रदेश में हड़ताल हुई और जब काफी विवाद और असन्तोष हुआ तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री जी वहां पर गए थे और उन्होंने हड़ताली छात्रों के बीच में कुछ आश्वासन दिए थे, तो वे आश्वासन क्या थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अध्यक्ष--

जिन्होंने आश्वासन दिया वह मंत्री जी तो अब आपके पास बैठे हुए हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

अब तो कोई और है।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

जब डाक्टरों छात्रों की उक्त हड़ताल चली तो उसे कम करने के लिए कुछ लोगों को प्रताड़ित और दंडित किया गया था, तो वह कार्यवाही क्या उन पर अब भी चल रही है या उसे अब वापस ले लिया गया है?

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव--

जहां तक उनकी हड़ताल का सवाल था, यह उनके समयबद्ध वेतनमान के बारे में हड़ताल थी, उसके बारे में कोई शासन का विरोध नहीं था, उसे सरकार ने मान लिया और उससे डाक्टर्स लोग सन्तुष्ट हैं और अब आगे कुछ करने की बात नहीं है।

(नत्थी (ग) ता० प्र० । लेने पर)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

मान्यवर, मेरे प्रश्न को क्या आप स्थगित करा रहे हैं? क्या आप इनके इस उत्तर से संतुष्ट है, जो आगे बढ़ गये हैं? उन्होंने क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया?

श्री अध्यक्ष—

आप संन्तुष्ट नहीं है तो मैं क्या करूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

इसका उत्तर क्या आया, आप ही इसे बता दें?

श्री अध्यक्ष—

न समझ में आया हो तो आप कार्यवाही में देख लीजिएगा। मैं क्या फिर वापस जाऊं, मैंने आगे के प्रश्न पर रविदास जी को बुला लिया है और मंत्री जी खड़े हो गये है। उत्तर तो उन्होंने दे दिया।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न को आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

हम इस पर देखकर बाद में विचार कर लेंगे। इस पर बाद में कार्यवाही हो जाएगी।

***2—श्री रामरति बिन्द— -**

(मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

(गुरूवार, दिनांक 24 जनवरी, 1991 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में मूल्य वृद्धि एवं मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि से उत्पन्न समस्यायें

*** 1—श्री रविदास मेहरोत्रा—**

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पिछले 4 माह में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों एवं मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)—

जी हां। मूल्य वृद्धि हुई है। यद्यपि विगत महीनों में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तथा खाड़ी संकट का प्रभाव भी मूल्य वृद्धि पर पड़ा है, फिर भी इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये है:

(1)— जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया।

(2)— खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु व्यापारियों/उत्पादकों की स्टाक सीमा घटाई गई और थोक विक्रेता से थोक विक्रेता को वनस्पति हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

(3)— दाल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु व्यापारियों/निर्माताओं की स्टाक सीमा घटाई गई।

(4)— जमाखोरी, कालाबाजारी व मुनाफाखोरी के विरूद्ध वर्ष 1990

गये 40,480 छापों के अन्तर्गत दोषी व्यापारियों, उत्पादकों, निर्माताओं आदि के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करके लगभग 8.12 करोड़ रूपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं पकड़ी गईं।

(5)— मूल्य स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की व्यवस्था की गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि के बारे में आपने उत्तर दिया है कि खाड़ी संकट का प्रभाव भी मूल्य वृद्धि पर पड़ा है, तो वह कैसे पड़ा है? खाद्य पदार्थ गेहूँ, चावल चीनी और घी आदि में कितनी मूल्यवृद्धि हुई है? जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको क्या सरकार कम कर देगी? अगर हां, तो कब तक कम कर देगी?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न में जानना चाहा है कि मूल्य वृद्धि और मूल्य सूचकांक को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, तो हम बताना चाहेंगे कि मूल्य वृद्धि और मूल्य सूचकांक को पूरी तरह से रोकना प्रदेश सरकार के काबू में नहीं है। यह केन्द्र सरकार का मामला होता है, लेकिन जिस सीमा तक हम अंकुश लगा सकते है उसके लिए प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें से एक है—

केन्द्र से गेहूँ का आवंटन पी0डी0एस0 सिस्टम से उपभोक्ताओं को देने के लिए अब तक जो पचास हजार मीट्रिक टन मिलता था उसको केन्द्र सरकार से एक लाख मीट्रिक टन करने के लिए अनुरोध किया गया है। दूसरी बात खाद्य तेलों की कमी को देखते हुए हमने केन्द्र सरकार से आयातित खाद्य तेल दो हजार मीट्रिक टन प्रति महीने उत्तर प्रदेश को आवंटन करने का अनुरोध किया है। इसी तरह से केन्द्र सरकार ने 80 हजार टन गेहूँ खुले बाजार में उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। यह फ्लोर मिल्स या प्राइवेट व्यापारियों के माध्यम से भी आयेगा तो निश्चित रूप से बाजार भाव पर प्रभाव पड़ेगा। चीनी की बात कही गई तो चीनी के बारे में भी अनुरोध किया गया है.....

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, उत्तर छोटा कराईए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

यह उत्तर छोटा करने के लिए कह रहे हैं। हम कोई बात रिपीट नहीं कर रहे हैं। पहली बार हमने स्वीकार किया है कि महंगाई बढ़ी है और उसके कारणों को बताया है जो करने जा रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से बताया। चीनी के बारे में भारत सरकार से लेवी की चीनी ज्यादा आवंटित कराने का अनुरोध किया है उसमें उन्होंने असमर्थता जाहिर की तो उनसे कहा है कि पी0डी0एस0 सिस्टम में राष्ट्रीय नीति द्वारा संशोधन किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से केवल उन्हीं लोगों को समान उपलब्ध कराया जाए जिनकी आर्थिक दशा खराब है। इसके लिए आर्थिक सीमा निर्धारित की जाए।

मान्यवर, इसके अलावा बहुत सारे कारण रहे हैं जिनसे इस प्रदेश में महंगाई बढ़ी है। साम्प्रदायिक दंगा भड़काया गया इस प्रदेश में जिससे रेलों और

ट्रकों के आवागमन पर असर पड़ा जिससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूवमेन्ट प्रभावित हुए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये, मेहरोत्रा जी के प्रश्न का उत्तर हो जाने दीजिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अभी पूरा उत्तर नहीं आया है और यह खड़े हो गये। पहले पूरा उत्तर सुनने की सामर्थ्य रखिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, पूरा उत्तर दिलवाइये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मेहरोत्रा जी, आप प्रश्न कीजिये।

(शोर)

श्री सत्य प्रकाश विकल—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि मंहगाई बढ़ी है और मूल्य वृद्धि हुई है। मैं उनके उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि यह सर्वविदित है पिछले 4 महीनों में लगभग 2 गुने मूल्य वृद्धि हुई है। तो क्या इस भीषण महंगाई में सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से गरीब लोगों को गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, घी, डालडा और अन्य जीवनोपयोगी चीजों को उपलब्ध करायेगी? सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार क्या कोई योजना बना रही है या ऐसे आदेश दिये गये हैं जिससे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को यह चीजें सस्ते दामों पर सुलभ हो सकें?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं उत्तर दे ही रहा था, लेकिन मुझे पूरा उत्तर नहीं देने दिया गया। आपने प्रश्न किया कि क्या कोई योजना बना रहे हैं, तो श्रीमन् सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये कौन-कौन सी चीजें उपलब्ध करायी जायं यह राष्ट्रीय नीति भारत सरकार तय करती है। हमने अनुरोध किया है कि अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सही मानों में गरीबों की सेवा करनी है तो एक आर्थिक रेखा खींची जाय और एक आर्थिक स्तर तक के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान उपलब्ध कराया जाय तभी गरीबों की सेवा हो सकेगी। आपने दूसरा सवाल किया कि 4 महीनों में जो महंगाई बढ़ी है इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये तो अभी मैंने बताया है कि यह काम किये गये हैं। अनेक कारणों से महंगाई बढ़ी है। आपने कार सेवा शुरू कर दी जिससे खाद्य पदार्थों के मूवमेंट पर असर पड़ा। साप्रंदायिक दंगे हुये, प्रदेश में जगह-जगह पर, जिससे भी खाद्यान्न के मूवमेंट पर असर पड़ा और परेशानी हुई।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे यह निवेदन है और माननीय सभी सदस्यों से भी निवेदन है कि प्रश्न करने में या उत्तर देने में कोई भाषण न दें, केवल प्रश्न हो वह भी सूक्ष्म हो और उत्तर हो, तो वह भी सूक्ष्म हो।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि गत एक वर्ष में महंगाई बढ़ी है, उसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र में जो (× × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

प्रमोद तिवारी जी, स्वयं तिवारी जी के कक्ष में चले जाये और वहां पर सब चीजें समझ लें, क्योंकि ये तो स्वंय सरकार चला रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से डीजल, चीनी, मिट्टी के तेल का आबंटन बढ़ाने के लिए आग्रह करेगी? इसलिए क्या सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करके, इन आवश्यक वस्तुओं के आवंटन में वृद्धि करेगी? (× × × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह जो भाषण आया है, इस पर हमारी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं देखकर हटा दूंगा।

(घोर व्यवधान)

(जनता दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष—

मैं आगाह कर रहा हूं कि यह व्यवहार आपका ठीक नहीं है।

(घोर व्यवधान)

जब मैं खड़ा हूं, तो आप लोग बैठ जायं।

(घोर व्यवधान)

नोट:- (※ ※ ※)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय रेवती रमण जी, मैं खड़ा हूं, आप कृपया बैठ जायं।

देखिये सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बड़ा सर्वमान्य नियम है कि यदि अध्यक्ष पीठ से अध्यक्ष या कोई अधिष्ठाता खड़े हों, तो अन्य माननीय सदस्य बैठ जायं, तभी तो मैं आपकी बात को सम्मान दे पाऊंगा।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस सदन में कुछ गरिमा रहनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, नियम के अन्तर्गत मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको बुला लिया है, उनको बोलने दीजिए।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, यह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं, आप अव्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है आप बैठ जायं। एक मिनट में बात समाप्त होनी है और आपने 4 मिनट खत्म कर दिये। आप नियम स्वयं तोड़कर बोलना चाहते हैं। रेवती रमण जी आप बोलिये बतायें क्या था?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह प्रमोद तिवारी जी जो कांग्रेस दल के सचेतक हैं यह कभी पढ़कर आते नहीं हैं। प्रश्न पूछा गया है पिछले चार महीने में महंगाई बढ़ी है.

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, 4 माह का प्रश्न है इसे आप देख लें, प्रश्न यही पूछा गया है। मान्यवर, यह सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। आप प्रश्न को देखिये, उसमें लिखा हुआ है कि 4 माह में महंगाई के बढ़ने के क्या कारण हैं? मान्यवर, बजाय इस सवाल को पूछने के इन्होंने आक्षेप लगाया है यह उचित नहीं था इसे कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपने सुना नहीं, मैंने उसी समय कहा था कि मैं इसे देख लूंगा।

(श्री जागेश्वर द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन् माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं एक तो यह है कि क्या पिछली केन्द्रीय सरकार को जो आवंटन है वह पक्षपात पूर्ण रवैये से प्रदेश के लिए कम रहा है उसका उत्तर मैं दूंगा "जी हां" उसके हिसाब से आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उत्तर प्रदेश को कम आवंटित की गयी है। उनका दूसरा प्रश्न था कि क्या केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है इसमें मेरा इतना उत्तर है कि जिस सरकार का व्यापार घाटा आठ हजार सात सौ करोड़ से अधिक रहा हो तो उसका तो स्वाभाविक है प्रभाव होगा कि महंगाई बढ़ेगी ही जिस सरकार की उद्योग नीति से सारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व बढ़ गया तो इसमें श्रीमन् महंगाई बढ़नी ही थी

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मा0 मंत्रीजी ने कहा कि मा0 विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार के समय में आवंटन न होने के कारण महंगाई बढ़ी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस माह में उत्तर प्रदेश में गन्ने का आवंटन नहीं हुआ, उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के कटाव को रोकने की कार्यवाही

※2—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिए क्या कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बनाने पर विचार करेगी?

सिचांई मंत्री (श्री बाबू राम यादव)—

जी हां।

आजमगढ़ जिले में रसूलपुर भईया, रोशनगंज, हैदराबाद एवं उर्दिहा ग्रामों के पास घाघरा नदी के कटाव को रोकने के हेतु एक परियोजना विचाराधीन है।

परियोजना बनाकर सचिव, राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् लखनऊ की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजी जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह सदन प्रारम्भ हुआ था, तो पहला सवाल इसी सम्बन्ध में था और एक साल से ज्यादा हो गया, 10 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कट गयी, एक हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गये और सरकार कहती है कि विचार करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में आजमगढ़ के कौन से गांव है जो घाघरा नदी के कटाव से प्रभावित हैं, कितने हेक्टेयर जमीन कट चुकी है और कितने लोग बेघर हो चुके हैं और इसकी रोकथाम के क्या-क्या उपाय आज तक सरकार ने किये हैं?

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक परियोजना बनाई गयी है। इसी दो फरवरी को बैठक हो रही है जिसमें कटाव के क्षेत्रों पर विचार किया जाना है। उसकी रिपोर्ट आते ही कार्यवाही कर दी जायेगी। मा0 सदस्य से कल बात हो गयी है और वे संतुष्ट थे।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आजमगढ़ जिले के कितने गांव घाघरा की कटान से कट गये, इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि इसी माह की 16 तारीख को कटाव देखने के लिये शासन के आदेशों से हम गये थे, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा मोटर बोट में पैट्रोल कम डाला गया। वहां पर तमाम गांव कट गये हैं, हजारों लोग बेघर हो गये हैं। वे लोग पिछड़े वर्गों के हैं और सरकार ने कुछ नहीं किया है। मेरा यह सरकार पर आरोप है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा सवाल सीधा है कि कौन-कौन से गांव कट गये हैं?

श्री अध्यक्ष—

कहां का प्रश्न है?

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैंने पूरक प्रश्न में सीधा सवाल पूछा है कि कितने हैक्टेयर जमीन कट चुकी है और कितने लोग बेघर हो गये हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न कहां है आपका?

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव से कौन-कौन से जिले प्रभावित हो रहे हैं। जब मान्यवर, सर्वेक्षण हुआ तो इसकी सूचना होनी चाहिए कि कौन-कौन से गांव आजमगढ़ जिले के प्रभावित हुए हैं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सिंचाई मंत्री जी यदि आपको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है तो कृपया बतायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जब भी हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो इसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है और हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(व्यवधान)

***3-श्री राजकिशोर सिंह—**

(9 वें शुक्र में ता0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ में व्याप्त अनियमितता की शिकायत

***4–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री दिनेश वर्मा, सदस्य जनता दल निकट आर्य समाज मन्दिर, लखीमपुर खीरी का पत्र दिनांक 27–7–90 परिवार कल्याण निदेशालय लखनऊ में व्याप्त अनियमितता के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)—

श्री मुमताज अली वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, जनता दल निकट आर्य समाज मंदिर लखीमपुर खीरी के पत्र दिनांक 27–7–90 परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इन्होंने स्वीकार किया है कि सम्बन्धित वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रश्न ही नहीं उठता कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जाँच अधिकारी कौन था, और जाँच रिर्पोट क्या है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, प्रश्न है कि श्री दिनेश वर्मा का शिकायती पत्र उस शिकायती पत्र में जो शिकायत थी वह जैसी साधारण शिकायत होती है, उस संदर्भ में थी और मुख्य रूप से मुमताज अली, वरिष्ठ लिपिक को उस महत्त्वपूर्ण पद से हटा दिया गया है, जिनके खिलाफ अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत थी।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, यह विदित ही है कि जो भी माननीय मंत्रियों के आदेश जाते हैं और न्यायालयों में महीनों–महीनों पड़े रहते हैं। और उनकी जाँच नहीं हो पाती है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जाँच हुई है। एक ही शिकायत थी बार–बार कहा है कि उनको हटा दिया गया है। यदि कोई और शिकायत हो तो उसको लिखकर दें या मेरे कक्ष में मुझसे मिल लें।

वर्ष 1990 में डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल के कारण मृतकों को मुआवजे की मांग

***5–श्री हरबन्श कपूर—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1990 में प्रदेश में

सरकारी चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं? क्या सरकार मृतक व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

चिकित्सकों की हड़ताल की अवधि में चिकित्सा सुविधा के अभाव में मृत्यु होने की सूचना नहीं है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरबन्श कपूर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया कि इसकी उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि यदि उन्हें मृत्यु की सूचना उपलब्ध करवा दी जाय तो क्या यह उस परिवार को मुआवजा देंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, अगर सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी, तो जांच करा लेगें।

श्री सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, इस तरह के कई मामले हैं, क्या उन सभी को मुआवजा दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक केस देंगे, तो उस पर जांच की जायेगी।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी के अन्तर्गत ब्लाक चित्रकूट के गांव परसौंजा में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रस्ताव

***6—श्री राम प्रसाद सिंह—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी तहसील एवं ब्लाक चित्रकूट अंतर्गत ग्राम परसौंजा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है परन्तु उसका भवन नहीं है? यदि हां, तो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसौंजा के भवन के लिए कितना रूपया कब से स्वीकृत है? उसका निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है और कब तक उसका निर्माण कराया जायेगा? यदि

नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

जी नहीं, कोई धन स्वीकृत नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण जिला सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्थानों के नामों का अनुमोदन एवं उनके लिए जिला योजना में धन की व्यवस्था कराये जाने पर ही शासकीय स्वीकृति देने पर विचार किया जाता है। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के अभाव में निर्माण की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम प्रसाद सिंह—

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 87–88 में इस स्वास्थ्य केन्द्र के लिये 3 लाख 86 हजार की धनराशि स्वीकृत हुई, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस संबंध में सरकार की नीति क्या है और कब इस स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य सरकार द्वारा करा दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जिज्ञासा अपने क्षेत्र के प्रति अच्छी है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूँ कि ग्राम परसौंजा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति वर्ष 88–89 में हुई है और स्वीकृति प्रदान होने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान से निर्माण कार्य हेतु धन आवंटित होता है। इस वर्ष जो प्रस्ताव वहाँ से आया, उसमें केवल एक चिकित्सालय के बनने का प्रस्ताव आया और उसकी धन स्वीकृति जारी कर दी गयी। अब चूँकि इस स्वास्थ्य केन्द्र के संबंध में वहाँ से कोई प्रस्ताव ही नही भेजा गया, इसलिये उसके संबंध में धन स्वीकृति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राज्य स्तर पर भी कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि अलग से कोई धन आवंटित कर दिया जाय। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अबकि जब जिला प्लान हो, तो उसमें इस स्वास्थ्य केन्द्र के संबंध में प्रस्ताव भिजवा दें, तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

***7–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—**

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

प्रदेश में क्षय रोगियों के मुफ्त इलाज की सुविधा

***8–श्री अनुग्रह नारायण सिंह—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी के कारण टी0 बी0 के रोगियों का पूर्ण इलाज मुफ्त कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब तक प्रारम्भ हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं। शासन द्वारा क्षय रोगियों के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था प्रदेश में पहले से ही उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रश्न नही उठता है, लेकिन प्रश्न उठता है क्योंकि क्षय रोगियों के बारे में हमारा प्रश्न है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि क्या गरीब क्षय रोगियों का इलाज सरकार मुफ्त कराने की कोई व्यवस्था करेगी, जिस पर माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि क्षय रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था पहले से ही प्रदेश में उपलब्ध है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस समय प्रदेश में कहाँ-2 यह सुविधाएं उपलब्ध हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर माननीय सदस्य स्वयं एक ऐसे स्थान से आते है जहाँ पर क्षय रोग की सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध है, वह इसको भली प्रकार से जानते भी हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्यों कुरेद रहे हैं। फिर भी मैं उनकी जिज्ञासा को देखते हुए बताए देता हूँ कि यह सुविधा प्रदेश में कई प्रकार से उपलब्ध है। एक तो केन्द्र दूसरे उप केन्द्र और तीसरे जिला स्तर पर चिकित्सालय। इन जगहों पर अधिकतर निःशुल्क सुविधा हर प्रकार की उपलब्ध है और कुछ ऐसी शैय्याएं (बेड्स) भी उपलब्ध हैं जिन पर कुछ शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार से 2,866 ऐसे बेड्स उपलब्ध हैं जिन पर क्षय रोगियों को भर्ती कर पूरी तरह से निदान उनका किया जाता है और 229 ऐसे बेड्स है, जिन पर कुछ धनराशि ली जाती है। इनके अतिरिक्त 56 जिला स्तर पर ऐसे चिकित्सालय हैं, जहाँ पर इस प्रकार के क्षय रोगियों के रोग के निदान के लिए हर प्रकार की सुविधाएं रहती हैं। जैसे खून टेस्ट करने, बलगम एक्सरे आदि टेस्ट कराए जाते हैं, उपकेन्द्र हैं जहां मरीजों का एक कार्ड बना दिया जाता है, जिन्हें बराबर एक माह की दवाएं दी जाती है और यदि कोई रोगी कभी किसी वजह से नहीं आता है तो ऐसे रोगियों के लिए भी व्यवस्था की गयी है स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो उन्हें जाकर बता आते हैं कि अपनी दवा जाकर ले आओ। यह तीन प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था है।

श्री रविकान्त गर्ग—

मान्यवर, जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि क्षय रोग की निःशुल्क व्यवस्था है, इस संबंध में मेरी निश्चित जानकारी है कि जिला स्तर पर जो चिकित्सालय हैं, उनमें आज कल भारी घोटाला व्याप्त है?

श्री अध्यक्ष—

यह घोटाला आज तो सभी जगह है। (शोर व हंसी)

श्री यदुनाथ सिंह—

(व्यवधान के मध्य) जैसा कि मान्यवर, आप कह रहे हैं कि आज हर जगह घोटाला है तो इसके लिए शासन क्या कर रहा है?

श्री अध्यक्ष—

(घोर व्यवधान के मध्य) इसके लिए हम और आप भी वांछित नहीं है हम और आप भी जिम्मेदार हैं। (हंसी)

श्री रविकान्त गर्ग—

मान्यवर, मुझे मेरी बात पूरी करने का अवसर कृपया दिलवा दें मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कृपया मथुरा व वृन्दावन में जो टी0 बी0 सेनीटोरियम हैं, उनमें क्या पूरी तरह से निःशुल्क इलाज व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे और दूसरे इनमें कुछ बेड्स की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करने जा रहे हैं और इनमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, उसको दूर कराने की कृपा करेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इसमें माननीय सदस्य ने जो कहा मथुरा व वृन्दावन के बारे में मैं स्वंय वहाँ गया हुआ था, वहाँ पर जो अस्पताल हैं, वह सरकारी नहीं है निजी हैं किसी ट्रस्ट के हैं, उसको किराये पर ले रखा हैं, उस समय वहाँ पर बेड्स के बढ़ाये जाने की बात आयी थी, जिसे मैंने भी महसूस किया था और उस पर हम विचार कर रहे हैं और जहाँ तक घोटाले व भ्रष्टाचार की बात कही गयी, उसको हम नहीं जानते हैं कि कहाँ यह सब हो रहा है, उसे आप स्पैसिफिक रूप से लिखकर दे दें? तो उसे हम दिखवा लेंगे।

श्री रविकान्त गर्ग—

वहाँ पर बेड्स के बढ़ाये जाने संबंधी निर्णय आप कब तक ले लेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

शीघ्र ही।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी थी कि प्रदेश में 56 जिले ऐसे हैं जहां जिला स्तरीय सुविधा हैं, तो जो शेष जिले बच गये हैं, उनमें इस वित्तीय वर्ष में कितने जिले ले लिये जायेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

7 जिले नये बनें हैं, अभी वहां मुख्यालय भी नहीं है और जिला अस्पताल भी नहीं हैं। जब जिला अस्पताल बन जायेगा तब व्यवस्था हो जायेगी। इस वित्तीय वर्ष में मैं नहीं बता सकता कि कितना हो जायेगा लेकिन आश्वासन देता हूं कि सरकार इस विषय में चिन्तित है और जब जिला अस्पताल बन जायेंगे, इसकी भी व्यवस्था करा दी जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह—

इनको देखकर ऐसा लगा कि ये काम करने वाले मन्त्री हैं, ऐसा लगा कि कुछ काम करेंगे। इसलिये आपसे उम्मीद की जा रही है कि टी0बी0 सैनीटोरियम रामनगर वाराणसी में है, वहां उसके होने से टी0बी0 फैल रही है, तो उसको मिर्जापुर या कहीं और बनवाने की कृपा करेंगे?

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जब प्रश्न करते हैं तो कायदा यह है कि माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। आप लोग शान्त रहें।

श्री यदुनाथ सिंह—

कदाचित माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाये। वाराणसी में रामनगर का जो सिविल अस्पताल का टी0बी सैनीटोरियम है, उससे पूरे रामनगर में टी0बी0 फैल गयी है, तो क्या उसको कहीं अन्यत्र मिर्जापुर में या प्रकृति की गोद में कही और भेजने की बात करेंगे ताकि लोगों को दिक्कत न हो?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य को इसकी चिन्ता नहीं है कि टी0बी0 के मरीज अच्छे हों। माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस रोग के हो जाने पर पहले लोग शरमाते थे, आज वह स्थिति नहीं है और चिकित्सकों ने इसको क्योरिबिल बना दिया है। आज आप उनके साथ जाकर बैठ भी सकते हैं। वहां से अस्पताल का हटाना सम्भव नहीं हो सकेगा। आग्रह करूंगा कि अगर कोई और सुझाव हो तो दें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–9 पुकारा गया किन्तु प्रश्नकर्ता सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने से उत्पन्न व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–10 पुकारा गया)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि टी0बी का रोग कीटाणुओं के अतिरिक्त आहार की कमी से भी होता है। अस्पताल में आप जिन रोगियों को भर्ती करते हैं, उनको क्या पूर्ण आहार देने की व्यवस्था है? क्या इस रोग की रोकथाम के लिये पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ायेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जब रोगी भर्ती किये जाते हैं तो व्यवस्था अपने आप होती है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न समाप्त हो गया है।

जनपद अलीगढ़ में तहसील सिकन्द्राराउ के मूंगा–मोती कारीगरों को सस्ते दर पर मिट्टी के तेल उपलब्ध कराये जाने की मांग

***9–श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह गांधी—**(अनुपस्थित)

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की सिकन्द्राराऊ तहसील में मूंगा–मोती बनाने वाले कारीगरों को सस्ते मूल्य (सब्सीडाइज्ड रेट) का मिट्टी का तेल कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने की नीति के अंतर्गत उपलब्ध कराने के क्रम में संयुक्त सचिव खाद्य द्वारा जिलाधिकारी को कारीगरों की संख्या तथा तेल की आवश्यक मात्रा आदि का सर्वेक्षण कराकर आख्या भेजने हेतु लिखा गया था? क्या जिलाधिकारी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो सस्ते मूल्य पर तेल देने के संबंध में शासनादेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जी नहीं। मामले में जिलाधिकारी, अलीगढ़ से केवल जाँच कराके

वस्तुस्थिति की आख्या मांगी गयी है।

जी हाँ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार सस्ते दर पर मूँगा मोती उद्योग को मिट्टी तेल दिये जाने का औचित्य नहीं बनता।

श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय, वाराणसी में हीमोडायलिसिस यूनिट हेतु टेक्नीशियन की व्यवस्था

***10-श्री दया शंकर—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय, वाराणसी में हीमोडायलिसिस यूनिट, टेक्नीशियन के अभाव में 28-4-90 से बन्द है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त डायलिसिस यूनिट में भर्ती रोगियों की चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(मा0 अध्यक्ष के द्वारा तारा0 प्रश्न संख्या 11 के पुकारे जाने पर)

श्री दया शंकर—

मान्यवर, मैं उपस्थित हूं, पहले मेरा प्रश्न संख्या 10 ले लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। पहले प्रश्न संख्या 10 का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री दयाशंकर—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय, वाराणसी में हीमोडायलिसिस यूनिट के टैक्नीशियन के अभाव में जो कि 28-4-90 से 26 दिनों तक यूनिट बन्द रहा और जिसके खराब हो जाने के कारण रोगियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा और रोगियों अन्यत्र चिकित्सालयों में ले जाने के लिये लोगों को बाध्य होना पड़ा और इस संबंध में कतिपय नियुक्तियों के लिये जो शासनादेश हुआ तो नियुक्तियां रद्द कर दी गयीं, ऐसा क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इस संबंध में जांच करायी गयी थी, जो कर्मचारी अनियमित रूप से नियुक्त हुए थे, उच्चाधिकारियों के बोर्ड ने उन्हें रद्द कर दिया यह बात सत्य है। इसकी फिर हाईकोर्ट में अपील भी हुई थी। यह सही है कि 26 दिनों तक टैक्नीशियन वहां पर नहीं था लेकिन वैकल्पिक डाईलिसिस की व्यवस्था वहां पर चल रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न संख्या 11 नहीं लिया जा सकता है क्योंकि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

नोट:-नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश में स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत लिए गये ऋण की माफी का प्रस्ताव

***11–श्री रमापति शास्त्री—**

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से किसानों का 10 हजार रूपये तक कर्ज माफ कर दिया गया है तो क्या उसी प्रकार स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत लिया गया रूपया भी माफ किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू किया जायेगा?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उचित दर की दुकानों से चाय, दालें, साबुन, दियासलाई आदि सामानों की उपलब्धता की मांग

***12–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—**

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों पर चाय, दालें, कपड़ा धोने एवं नहाने का साबुनें दियासलाई एवं बीड़ी उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

प्रदेश में कार्यरत उचित दर की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली अनुबंधित सामग्रियों के अतिरिक्त 19 गैर अनुबंधित सामग्रियां भी इन दुकानों से वितरित किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है, जिनमें चाय, सभी प्रकार की दालें, नहाने व कपड़ा धोने के साबुन भी सम्मिलित है। दियासलाई व बीड़ी इन दुकानों से बेचने की स्वीकृति नहीं दी गई है और न ही इन दुकानों से उनकी बिक्री की स्वीकृति का मामला विचाराधीन है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न के इस भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

जनपद पीलीभीत में टाटरगंज से लालबोझी तक शारदा नदी के किनारे तटबन्ध बनाने का प्रस्ताव

***13–श्री निरवेन्द्र कुमार—**

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शारदा नदी की बाढ़ से पीलीभीत जनपद के टाटरगंज से खीरी जनपद के निघासन क्षेत्र की जनता प्रतिवर्ष तबाही की चपेट में आ जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार टाटर गंज से लाल बोझी तक शारदा नदी के किनारे तटबन्ध बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां।

कटान रोकने के लिए शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो कि व्यापक सर्वेक्षण कर दीर्घ कालीन रणनीति तैयार करेगा।

प्रदेश में पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति में आरक्षित संवर्ग को सम्मिलित करने की मांग

***14–श्रीमती सिया दुलारी—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 एम0 एच0 एस0 सवंर्ग के पदोन्नति के पदों की 20 प्रतिशत रिक्तियों को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार खाली रखा गया हैं? क्या सरकार प्रोन्नतियों हेतु रखे गये कुल सेवा अवधि के दोहरे बंधन को समाप्त कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश सं0 15/25/73 (2)–रा/वि0 दि0 10–5–76 के अनुसार मापदण्ड शिथिल कर विशेष भर्ती कर प्रोन्नति के पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पदोन्नति के पदों को भरने के लिये मापदण्डों में शिथिलीकरण पर विचार किया गया किन्तु प्रोन्नति के मापदण्डों में शिथिलीकरण का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रदेश में विभिन्नि एजेन्सियों द्वारा संचालित गेहूँ क्रय केन्द्र को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य भुगतान कराने की मांग

***15–श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा संचालित गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों को शासन द्वारा घोषित गेहूं मूल्य दो सौ पन्द्रह रूपये प्रति कुन्टल न देकर मात्र दो सौ ग्यारह रूपया कुन्टल की दर से दिया गया है और चार रूपये प्रति कुन्टल के हिसाब से एफ0 सी0 आई0 से बोरे प्राप्त करने तथा अन्य मदों के खर्चो के नाम पर कटौती की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के किसानों को गेहूं का पूरा दो सौ पन्द्रह रूपये प्रति कुन्टल की दर से गेहूं मूल्य दिलाने के कारगर उपाय करेगी?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जी नहीं।

इसके उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की पंजीकृत कतिपय कांच एवं चूड़ी उद्योग ईकाइयों द्वारा रियायती दर के कोयले को काला बाजार में बेचने की शिकायत

***16–श्री रघुबर दयाल वर्मा—**

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी के तीन सौ पचास से अधिक उद्योग, नगर फिरोजाबाद में पंजीकृत है? क्या इन सब ईकाइयों को कोयला के एनेक्जर प्राप्त है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इन पंजीकृत इकाईयों में से 150 से अधिक इकाईयां केवल कागजों पर कार्यरत है और कोयला काला बाजारी में बेच देती है? यदि हां, तो क्या शासन इस संबंध में जांचोपरान्त कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

फिरोजाबाद नगर में कांच एवं चूड़ी की कुल 248 इकाईयां ही उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1990–91 विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश

***17–श्री बदन सिंह—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1990–91 में मई, 90 तक किन–किन फर्मों को किन–किन वस्तुओं का कुल कितने करोड़ रूपये के समान की आपूर्ति करने हेतु आदेश दिये गये हैं? क्या उक्त आदेश गत वर्ष के 2 माह की तुलना में अधिक है? यदि हां, तो कितना और उसका क्या औचित्य है?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

वित्तीय वर्ष 1990–91 में मई 90 तक रूपया 10,27,31,459=05 पै0 के आपूर्ति के आदेश दिये गए थे **विवरण संलग्न है।**

जी हाँ।

रू0 3,29,09,005=74 पै0 अधिक है, जिसका कारण 24 नए डिपोज का खुलना तथा वस्तुओं की आवश्यकता व उनके मूल्यों में वृद्धि है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 192 पर)

जनपद गोरखपुर, ब्लाक सहजनवां में भदरखी ताल में जल भराव से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु जल निकासी की मांग

***18–श्री मिठाई लाल शास्त्री—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, ब्लाक सहजनवां में बरसात के जल से भर जाने के कारण भदरखी ताल के कारण आसपास के सभी गांव प्रभावित होते है और किसान खरीफ की फसल उगा नहीं पाते हैं? क्या ऐसी स्थिति में जल निकास के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां।

कुल 250.00 एकड़ भूमि जो ताल की है उसमें खरीफ की फसल नहीं

उग पाती है।

कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ताल में दो ड्रेने पहले से ही जल निकासी के लिए निर्मित की जा चुकी है।

वर्ष 1990-91 में जनपद चमोली में भूमि सिंचन का लक्ष्य

***19-श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में जनपद चमोली में कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का विभागीय लक्ष्य है और इसके लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

श्री बाबूराम यादव—

वित्तीय वर्ष 1990-91 में जनपद चमोली में 1398 फसली वर्ष में 2970 हैक्टेयर सींच का विभागीय लक्ष्य है और इसके लिए 25.50 लाख की धनराशि नियम की गई है।

जनपद गाजियाबाद के सिम्भावली शुगर मिल एवं डिस्टीलरी से उत्पन्न प्रदूषण का नियन्त्रण

***20-श्री अख्तर—**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जिले में सिम्भावली शुगर मिल से जो राख गिरती है एवं शुगर मिल्स तथा सिम्भावली डिस्टीलरीज से हजारो लीटर रोजाना पानी निकलने से जो जल प्रदूषण हो रहा है,को रोकने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

जी हां। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु मेसर्स सिम्भावली शुगर मिल को निर्देश दिया गया जिसके अनुपालन में उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र स्थापित कर लिया गया है। उद्योग की डिस्टलरी यूनिट द्वारा बायोगैस पर आधारित प्राथमिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र का भी निर्माण किया जा रहा है।

द्वितीय चरण का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र निर्मित करने के लिए भी उद्योग को निर्देश दिये गये है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में निर्देश दिये गये है और जिसके अनुपालन में शुगर मिल में स्थापित 6 ब्यालरों में से तीन ब्यालरों पर डस्ट कलेक्टर एवं मल्टी साइक्लोन स्थापित कर लिये है तथा डिस्टलरी यूनिट में स्थापित तीन ब्यालरों में से एक ब्यालर पर साइक्लोन स्थापित कर लिया गया है।

पूर्व में दिये गये निर्देशों का समुचित अनुपालन न करने के कारण उद्योग के विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33 (1) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की गयी है। वाद इस उद्देश्य के लिये गठित विशेष न्यायालय , लखनऊ में विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद कानपुर देहात के ग्राम मकनपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव

1–श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या स्वास्थ्य मंत्री ने नब्बे ग्राम मकनपुर जनपद–कानपुर देहात की जनसभा में 30 शैय्याओं का अस्पताल खोलने की घोषणा जनवरी, 90 में की थी? यदि हां, तो अस्पताल कब तक खुल जायेगा?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ एवं मऊ में कार्यरत सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

2–श्री मोबीन अहमद आजमी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ एवं आजमगढ़ के सिंचाई खण्डों में ऐसे कितने अवर अभियंता हैं जो दस वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी इन सभी अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबूराम यादव—

जनपद–मऊ में दो अवर अभियन्ता तथा आजमगढ़ में एक अवर अभियन्ता एक ही जनपद में दस वर्षों से कार्यरत हैं। आगामी स्थानान्तरण सत्र में इन्हें स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया ग्राम भैसाड़ में लगे नलकूप से कतिपय किसानों को पानी न देने की नलकूप चालक के विरुद्ध शिकायत

3–श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक पोषित नलकूप ग्राम भैसाड़, विकास खण्ड हरैया जनपद आजमगढ़ से संबंधित प्रधान का पत्र तथा ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता को पत्र दिनांक 8–2–90 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बाबूराम यादव—

प्रकरण से सबंधित जानकारी ग्राम प्रधान से की गई, जिन्होंने ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराया।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण में जांचोपरान्त सम्बधित कूप चालक के विरूद्ध कुछ कृषकगणों को पानी न देने की शिकायत सही पायी गयी जिसके लिये कूप चालक को दण्डित कर दिया गया है।

जनपद महराजगंज (गोरखपुर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर के कर्मचारियों का दक्षता रोक पार करने की मांग

4—श्री अमर मणि त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र लक्ष्मीपुर, जनपद महराजगंज (गोरखपुर) के कर्मचारियों की दक्षता रोक विगत कई वर्षों से पारित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त कर्मचारियों के उत्पीडन के लिए सक्षम एवं सम्बद्ध अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कर्मचारी कौन-कौन है और कब तक उनकों दक्षता रोक पार करने की अनुमति दी जायेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

जो कर्मचारी दक्षता रोक पार करने की निर्धारित शर्तें पूर्ण करते थे उनकी दक्षता रोक पार कर दी गयी है परन्तु जो कर्मचारी निर्धारित शर्तें पूर्ण नहीं करते थे उनकी दक्षता रोक नहीं पार की गयी। ऐसे कर्मचारी निम्नलिखित है:—

1— श्री एन0 डी0 दूबे, गृह दर्शक
2— श्री जे0 एन0 मिश्रा "
3— श्री आर0 एस0 त्रिपाठी "
4— श्री जी0 सी0 मिश्रा "
5— श्री आर0 बी0 दास "
6— श्री एम0 एस0 खान "
7— श्री जोखन पाण्डेय "
8— श्री गिरजेश प्रसाद, एल0टी0
9— श्रीमती बच्ची सिंह ए0एन0एम0
10— श्री फूल सिंह, वार्ड ब्वाय
11— श्री सरवन्त सिंह, वैक्सीनेटर
12— श्री बलराम, वैक्सीनेटर
13— श्री आर0 आर0 प्रसाद, "

किसी कर्मचारी के उत्पीड़न अथवा किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के ग्राम श्रीपति खडन व जमुनिया के बीच पड़रौना ड्रेन पुल से सम्बन्धित ग्रामीण पथ का निर्माण

5—श्री श्याम नारायण तथा श्री अमर मणि त्रिपाठी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम श्रीपति खडन जमुनिया के बीच पड़रौना ड्रेन पर निर्मित पुल से सम्बन्धित ग्रामीण पथ को ठीक कराने के संबंध में जिलाधिकारी देवरिया को शासन द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? क्या मंत्री जी जिलाधिकारी, देवरिया से ग्रामीण पथ का निर्माण कराने की व्यवस्था करायेंगे?

श्री बाबूराम यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 1990 की असत्य अंकित होने की शिकायत

6–श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 जनवरी, 90 की जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक असत्य अंकित किये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29–3–90 मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22–1–1990 में लिये गये निर्णय के अनुसार उपकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन के लिये क्षेत्रीय विधायकगण से लिखित सहमति तीन दिनों के अन्दर मांगी गई थी किन्तु माननीय विधायक का पत्र दिनांक 27–1–90 निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने के कारण उसमें प्रस्तावित कार्यवाही नहीं की जा सकी।

7–श्री शारदा नन्द अंचल—

(मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

जनपद शाहजहांपुर के राजकीय चिकित्सालय से दिनांक 12 अप्रैल 90 को एक मृत व्यक्ति के शव गायब होने की शिकायत

8–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 12 अप्रैल, 90 को राजकीय चिकित्सालय, शाहजहांपुर में एक मरीज का स्वर्गवास हो गया था और उसका शव गायब हो गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जिला अस्पताल, शाहजहांपुर में दिनांक 12 अप्रैल 1990 को 2 मरीजों की मृत्यु हुई थी परन्तु उनमें से किसी का शव गायब नहीं हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर की कतिपय तालाबों/झीलों को गहरा कर सिंचन क्षमता बढ़ाने की मांग

9–श्री प्रागी लाल अहिरवार—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला झांसी तहसील मऊरानीपुर के कचनेव व पलरा पचवारा, मगरवारा, अरजार स्यावरी तालाबों का खदान करके बरसाती पानी रोकने की योजना बनायी जायेगी? जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

प्रश्नांकित कचनेव व पलरा, पचवारा, मगरवारा, अरजार, स्यावरी पुराने अच्छे बड़े तालाब/झील है। इन तालाबों का खुदान करके अतिरिक्त

बरसाती पानी रोकने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

ऐसे तालाबों को गहरा करके क्षमता बढ़ाना लाभ-लागत के दृष्टिकोण से न तो मितव्यायी है और न ही व्यावहारिक।

बागपत विधान सभा क्षेत्र में हिंडन नदी के किनारे बसे कतिपय ग्रामों के गिरते जलस्तर को रोकने की व्यवस्था

10-श्री साहब सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बागपत विधान सभा क्षेत्र में हिंडन नदी के किनारे बसे अमीनगर सराय, मऊ बालेनी आदि कई गांवों में पानी के गिरते जल स्तर को रोकने हेतु नदी के बालेनी पुल पर झाल बनवायेंगे या अन्य कोई उपाय करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

बागपत विधान सभा क्षेत्र के कथित ग्रामों में पानी के गिरत भूजल स्तर को रोकने हेतु हिण्डन नदी के बालेनी पुल पर झाल बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह क्षेत्र हिण्डन दोआब में है जहां पूर्वी यमुना नहर से पानी सींच हेतु दिया जाता है। पूर्वी यमुना नहर की क्षमता खरीफ में बढ़ाकर 4,000 क्यूसेक्स की जा रही है। यमुना नदी पर हथनी कुण्ड बैराज जो निर्माणाधीन है, के पूरा होने पर इस क्षेत्र में भी खरीफ में नहरों द्वारा बढ़ा पानी आयेगा जिससे भूजल में स्थिरता आयेगी।

हिण्डन नदी पर बालेनी पुल पर झाल बनाना आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। भविष्य में इस क्षेत्र में नहरों द्वारा बढ़ा पानी आने से भूजल में स्थिरता आयेगी।

जनपद मऊ के ब्लाक रतनपुरा में ढेचा स्थान पर रिंग बांध का निर्माण

11-श्री राम बचन धुसिया—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लाक में ढेंचा स्थान पर रिंग बांध के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां।

सर्वेक्षण किया जा रहा है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग के प्रवक्ता पदों का साक्षात्कार अकारण स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

12-श्रीमती सिया दुलारी—

क्या सरकार को मालूम है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञापन संख्या 2/88-89 विभागीय संख्या एस-8/16, दिनांक 6 अगस्त, 1988 को किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के लिए 3 पद लैक्चरर्स (प्रवक्ता)

मेडिसिन विभाग के लिए विज्ञापित किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त पदों में 2 पद सामान्य जाति और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था? क्या इस विज्ञापन में दिए लेक्चरर्स पदों के चयन के लिए 29, 30 सितम्बर, 1989 और 28-11-89 साक्षात्कार की तिथियाँ लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित की गयी थी और अकारण स्थगित कर दी गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

जी हां।

डा0 तिवर्सन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका में दिनांक 27 सितम्बर, 1989 को पारित स्थगन ओदश की सूचना दूरभाष पर आयोग के अधिवक्ता द्वारा आयोग को दी गयी। फलस्वरूप आयोग ने निर्धारित साक्षात्कार स्थगित कर दिया।

जनपद आगरा स्थित वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की खुदाई

13-श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में स्थित वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की इस वर्ष वर्षा काल से पूर्व तली तक खुदाई कर साफ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव--

पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण जनपद आगरा में स्थित वैस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन को इस वर्ष तली तक खुदाई कर साफ कराना सम्भव नहीं है।

14-श्री उमानाथ सिंह--

(करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित हो जाने के कारण निरस्त)

आगरा शहर स्थित सरोजनी नायडू अस्पताल के शव विच्छेदन कक्ष की स्थिति में सुधार

15-श्री बदन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में स्थित शव विच्छेदन कक्ष में लाशों को रखने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो शव विच्छेदन कक्ष की दशा सुधारने के लिए विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

शव विच्छेदन गृह में लाशों के रखने की व्यवस्था है।

शव विच्छेदन कक्ष की दशा सुधारने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

16-श्री शारदा नन्द अंचल--

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निकाला गया)

जनपद देवरिया में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किये जाने का विवरण

17-श्री स्वामी नाथ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में परिवार नियोजन/परिवार कल्याण कार्यक्रम किस वर्ष से लागू किया गया तथा जनपद-देवरिया में उक्त कार्यक्रम हेतु अब तक कितना धन व्यय किया गया है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष 1952 में लागू किया गया है। जनपद देवरिया में गत पांच वर्षों (1985-86 से 1989-90 तक) में कुल रू0 11,54,36,382=66 पै0 व्यय हुआ है।

जनपद मथुरा स्थित साड़ी उद्योग पर लगाये गये अघोषित प्रतिबन्ध को अविलम्ब हटाये जाने की मांग

18-श्री रविकान्त गर्ग--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में विकसित साड़ी उद्योग पर लगे अवैधानिक प्रतिबन्धों तथा जिला उद्योग प्रमाण-पत्र न दिये जाने के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनको तथा उद्योग निदेशक, उ0 प्र0 का कोई मांग पत्र दिनांक 3 मार्च 90 या उसके आसपास दिया गया था? यदि हां, तो उसमें मुख्य मांगे क्या है? इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्या लघु इकाईयों को रूग्ण होने से बचाने हेतु प्रतिबन्ध हटाने पर मंत्री जी विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मथुरा जनपद में विकसित साड़ी उद्योग पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र दिनांक 3 मार्च, 1990 उद्योग निदेशालय में प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी स्थित फजिहतवा नाले की खुदाई

19-श्री जय प्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत तहसील बांसी में फजिहतवा नाले की खुदाई कराकर चंवरताल में जल जमाव को समाप्त करने का आश्वासन विधान सभा में माननीय मंत्री जी ने 17 मई, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 के पूरक प्रश्न के उत्तर में दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबूराम यादव--

जी हां।

चंवरताल से पानी की निकासी हेतु 9 कि0मी के नीचे फजिहतवा नाले में

एक कट लगाकर एक ड्रेन का निर्माण कार्य, जिसकी लम्बाई 3 कि0मी0 है, कराया गया है। इसका आउट फाल बूढ़ी राप्ती में ककरही गौनहा बांध के कि0 मी0 1.8 पर वर्ष 1982 में रेगुलेटर निर्मित कराकर किया गया है। इस ड्रेन तथा रेगुलेटर के निर्मित हो जाने से फजिहतवा नाले का बरसाती पानी सुगमता से बूढ़ी राप्ती नदी में चला जाता है जिससे रबी की फसल की बुआई कृषकों द्वारा की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

20–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

श्री विजय कुमार खरे अधिशासी अभियन्ता लिफ्ट सिंचाई खण्ड–2 कानपुर के स्थानान्तरण की मांग

21–श्री दया शंकर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय कुमार खरे अधिशासी अभियन्ता का लिफ्ट सिंचाई खण्ड–2 कानपुर से स्थानान्तरण होने के बाद पुनः उसी खण्ड में मात्र एक (वर्ष 1989–90) में उनका स्थानान्तरण आदेश सात बार बदला गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या लिफ्ट सिंचाई खण्ड–2 कानपुर में श्री खरे 4 वर्षों तक योगदान कर चुके हैं तथा इस कार्यकाल में उनके ऊपर लगाये गये गम्भीर आरोपों की विभागीय जांच चल रही है? यदि हां, तो पुनः उनको उसी स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने का क्या कारण है? क्या श्री खरे विभागीय नियमों के आधार पर कई बार प्रतिबंधित स्थानों पर स्थानान्तरित किये गये और उन्होंने कभी भी योगदान नहीं किया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां। प्रशासनिक आधार पर श्री खरे का स्थानान्तरण लिफ्ट सिंचाई खण्ड–2 कानपुर में किया गया है। श्री खरे के विरूद्ध प्राप्त कतिपय शिकायती पत्रों पर विभागीय जांच के आदेश दिये गये हैं। प्रशासनिक आधार पर इन्हें पुनः उसी स्थान पर पद स्थापित किया गया है।

जी हां। यद्यपि श्री खरे ने अपरिहार्य कारणों से प्रतिबन्धित स्थानों पर योगदान नहीं किया तथापि नियमानुसार निर्धारित अवधि उन्हें यथा समय पूरी करनी होगी।

जनपद बांदा के केन केनाल प्रखण्ड के सहायक अभियन्ता सिंचाई द्वितीय खण्ड अतर्रा द्वारा फरवरी 1990 की प्रगति सम्बन्धी आख्या गलत भेजने की शिकायत

22–डा सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ए/292/सिंचाई/90, दिनांक 5 फरवरी, 1990 बांदा जनपद के केन केनाल प्रखण्ड के सहायक अभियन्ता सिंचाई द्वितीय उपखण्ड अतर्रा को, उप खण्ड में निर्माण कार्यों एवं उनकी प्रगति आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्र के संबंध में उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 15–2–90 के लिखित पत्र में तथ्यों को छिपाया गया है? यदि नहीं, तो क्या पत्र में लिखित समस्त सूचनाओं एवं कार्यों की जांच

प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में प्रदेश स्तर के किसी उच्च अधिकारी से करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

उपखण्ड में निर्माण कार्यों आदि की प्रगति से संबंधित मा0 विधायक का पत्र सं0-291/सिंचाई/90 दिनांक 5.2.90 सहायक अभियतां को प्राप्त हुआ जिसका उत्तर सहायक अभियंता द्वारा उनके पत्रांक शून्य, दिनांक शून्य द्वारा मा0 विधायक को दिया गया।

सहायक अभियंता द्वारा दिया गया उत्तर अपूर्ण प्रतीत होता है।

वर्ष 1989-90 में इस उपखण्ड में केवल अनुरक्षण मद के अन्तर्गत कार्य कराया गया। प्रखण्ड के कार्यों की जांच तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 2.5.90 से 5.5.90 तक की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

23-डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव स्थित कटिराव स्थान पर बने एन0एम0 की इमारत में हुई गड़बड़ी की शिकायत

24-श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान कटिरांव ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में एन0 एम0 की इमारत तथा इसके बगल में एक और इमारत को किस एजेन्सी के द्वारा बनवाया गया है? क्या यह सही है कि उसकी छत टूट कर गिरने वाली है? क्या पूरी छत वर्षों के पानी से चू रही है तथा उसमें प्रसूति का कमरा एक दम खराब है और लैट्रिन शीट टूटी हुई हैं? क्या सरकार इन दोनो इमारतों की जांच पी0डब्लू0डी0 के किसी इन्जीनियर से करायेगी और इसे पुनः बनवायेगी और इसको बनाने की लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम कठिराव में पूर्व से ही एक उप केन्द्र का भवन निर्मित था जिसे बाद में भारत जनसंख्या परियोजना (द्वितीय) के अन्तर्गत उच्चीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र में स्थापित कर भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 में कराया गया था।

उक्त उच्चीकृत उपकेन्द्र के भवन की छत से वर्षा का पानी टपकता है एवं प्रसूति कक्ष में भी टूट-फूट हो गयी है, लैट्रिन सीट भी टूट गयी है जिसकी मरम्मत हेतु कार्यवाही की जा रही है जो यथाशीघ्र पूर्ण हो जायेगी।

जनपद वाराणसी के रा0 एलोपैथिक अस्पताल वरही नेवादा की इमारत का कार्य पूर्ण कराने की मांग

25-श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 एलोपैथिक अस्पताल

वरही नेवादा ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी की इमारत सन् 89 के पूर्व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वाराणसी द्वारा बनायी गयी है? इस इमारत के दो कमरों का फर्श नहीं बनाया गया है और लेट्रिन तथा बाथरूम अधूरा छोड़ दिया गया है और इसकी छत इतनी रद्दी है कि वर्षा का पानी अन्दर ही गिरता है? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने 5-8-90 को सी0डी0ओ0 वाराणसी को मिल कर पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार किसी उच्च अभियंता से इसकी जांच करायेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है।

जी हां। दो कमरों एवं तीन बाथरूम के फर्श नहीं बनाये गये हैं लैट्रिन का कार्य भी अधूरा है! भवन हस्तगत करते समय उक्त कमियों को विभागीय निर्माण ईकाई को बता दिया गया था।

पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

पत्र उपलब्ध होने पर तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद लखीमपुर के ग्राम कोटरा में स्वीकृत राजबाहे की खुदाई की मांग

26-श्री छोटे लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कोटरा, परगना पसगवां, तह0 मोहमदी जनपद लखीमपुर खीरी में शासन ने सिंचाई हेतु हरदोई ब्रांच से एक राजबहा (माइनर) स्वीकृत किया है? यदि हां, तो उसकी खुदाई कब तक शुरू की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

शासन ने वर्णित रजवाहा स्वीकृत नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर में राजकीय नलकूप संख्या 164 ग्राम पीरपुर मजरा गुजरा, नालियों के निर्माण के लिये अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

27-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 164 ग्राम पीरपुर मजरा गुजरा ब्लाक परसेडी जिला सीतापुर में नालियां बनाने के लिए किन-किन काश्तकारों की जमीन अधिगृहीत की गई? क्या उन्हें उनकी भूमि का प्रतिकर दे दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दिया जायेगा?

श्री बाबू राम यादव—

राजकीय नलकूप सं0-164 सीतापुर समूह ग्राम पीरपुर मजरा गुजरा,

ब्लाक परसेंडी, जिला सीतापुर के नालियों के निर्माण हेतु 26 काश्तकारों की कुल 1,277 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई।

जी नहीं।

प्रतिकर के भुगतान हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव उपभूमि अध्यापित अधिकारी, सीतापुर को दिनांक 24.10.1990 को भेज दिया गया है।

भू-अर्जन विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सीतापुर द्वारा प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रदेश के आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन आदि के लम्बित प्रकरण के निस्तारण की मांग

28-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों के कितने सेवानिवृत्त शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन आदि के प्रकरण लम्बित हैं? उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली के ग्राम सिकन्दरपुर के किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

29-श्री फौजदार प्रसाद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के सिकन्दरपुर माइनर शारदा सहायक दक्षिणी खण्ड विकास खण्ड महराजगंज ग्राम सभा सिकन्दरपुर के 10 किसानों की जमीन सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में अध्याप्त की गयी थी? क्या ग्राम सभा सिकन्दरपुर के किसानों को अभी तक उक्त भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा दिलाये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव--

जी हां।

जी हां।

ग्राम सिकन्दरपुर के किसानों के प्रतिकर के भुगतान की राशि निर्धारित हो चुकी है और उसका भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

जनपद अल्मोड़ा में कतिपय नहरों के निर्माण की मांग

30-श्रीमती सरस्वती तिवारी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की बयाली (कूरी) नहर, आरा-खेत नहर, उन्यूडा नहर एवं अंडोली नहरों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया? उक्त नहरों के अभी तक पूर्ण निर्मित न होने का

क्या कारण है? क्या सरकार उक्त नहरों की प्रस्तावित सिंचन क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबूराम यादव—

जनपद अल्मोड़ा में बयाली (कूरी) एवं आरा खेत नहर के नाम से विभाग की कोई नहर न तो निर्मित है और न ही निर्माणाधीन है। उन्यूडा नहर वर्ष 1962-63 में निर्मित की गई तथा अण्डोली नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1984-85 में प्रारम्भ किया गया।

उन्यूडा नहर डेड रीच में भूस्खलन के कारण 0-30 कि0मी0 0 से 0-70 कि0मी0 तक क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप सिंचाई नहीं कर रही है। धन की उपलब्धता के अनुसार क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत शनैः शनैः कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

अण्डोली नहर के कि0मी0 1-925 से कि0मी0 1-970 के बीच का अवशेष निर्माण कार्य वर्ष 1990-91 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है परन्तु सम्बन्धित ग्राम के स्थानीय काश्तकार से विवाद के फलस्वरूप उक्त निर्माण कार्य अवरूद्ध है। विवाद सुलझ जाने पर प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर प्रस्तावित सिंचन क्षमता के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उ0 प्र0 आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय लखनऊ में कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की मांग

31.—श्री राय लक्ष्मी नारायन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय , लखनऊ, द्वारा कोई विभागीय कर्मचारी सेवा नियमावली बनाई गयी है? यदि नहीं तो अभी तक उक्त निदेशालय में विभागीय कर्मचारी सेवा नियमावली न बनाये जाने का क्या कारण है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित सेवा नियमावलियां बनायी गई है:—

(1)- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और युनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990

(2)- उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990

(3)- उत्तर प्रदेश नर्सिंग (राजपत्रित) सेवा (आयुर्वेद और यूनानी) नियमावली, 1990

(4)- उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी (निदेशालय और चिकित्सा महाविद्यालय) वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली, 1989

(5)- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979

(6)- आयुर्वेदिक एवं यूनानी कम्पाउडर्स सेवा नियमावली, 1963

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी को सेवा नियमावलियाँ बनाने का अधिकार नहीं है।

उ0 प्र0 आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में अनियमितता की शिकायत

32-श्री राय लक्ष्मी नारायन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय के अन्तर्गत शोध अधिकारी के पद के लिए क्या अर्हतायें निर्धारित हैं? क्या उक्त पद के लिये चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में कार्यरत शोध अधिकारी का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त अधिकारी द्वारा वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में क्या-क्या शोध कार्य किया गया? लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पद पर विधिवत् चयन कब तक कर दिया जायेगा? और विभागीय प्रोन्नति अधिकारी को कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में शोध अधिकारी के नि:संवर्गीय पद के लिए अधोलिखित अर्हताएं निर्धारित है:--

(1)- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि

(2)- नियोजन एवं सांख्यकीय सहायक के पद पर कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव

अधिमान्य

1-- निदेशालय में विभिन्न पदों पर कार्य करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव।

2-- नियोजन से सम्बन्धित कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियोजन एवं आय-व्ययक सम्बन्धी विभिन्न कार्य सम्पादित किये गये हैं।

उक्त पद आयोग की परिधि में नहीं है। अत: प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजों में शिक्षक के पदों का स्थायीकरण

33-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक कालेजों के शिक्षकों के पदों का स्थायीकरण करते समय आयुर्वेदिक कालेज वाराणसी के डिमान्स्ट्रेटर के 7 पद स्थायी नहीं किये गये थे? यदि हां, तो क्यों और वे कब

तक स्थायी कर दिये जायेंगे?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी हां।

मामला विचाराधीन है।

जनपद बदांयू एवं मुरादाबाद क्षेत्र में आने वाले बाढ़ उप खण्ड पंचम में कार्यरत सहायक/प्रवर अभियन्ताओं पर हेराफेरी का आरोप

34—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बदायूं मुरादाबाद क्षेत्र में आने वाले बाढ़ उपखण्ड पंचम में कार्यरत एक सहायक अभियंता एवं 3 प्रवर अभियन्ताओं के खिलाफ चन्दनपुर, हुसैनपुर बांध, कछला घाट एवं उसेहत बांध पर आगरा के पत्थर की फर्जी आपूर्ति के बारे में 88—89 व 89—90 में लगभग 10 लाख की गबन व हेराफेरी के आरोप हैं? यदि हां, तो क्या उस प्रकरण की जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट क्या है? दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री बाबू राम यादव—

बाढ़ खण्ड मुरादाबाद के अंतर्गत पंचम, उपखण्ड बदायूं में गंगा नदी के बायें तट पर निर्मित चन्दनपुर, हुसैनपुर बांध, कछला घाट पर कटाव निरोधक कार्य तथा उसैत बांध के रख—रखाव के कार्यों पर लगा है। बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु इस उपखण्ड में वर्ष 1988—89 में 3093.72 घन मीटर आगरा पत्थर मंगवाया गया जिसकी लागत रू0 7.96 लाख थी तथा वर्ष 1989—90 में 1408.29 घन मीटर पत्थर मंगवाया गया जिसकी लागत रू0 4.36 लाख थी।

पत्थर की कुल मात्रा 4502 घन मीटर थी जिसकी दो वर्षों में लागत रू0 12.32 लाख थी। यह पत्थर बांधो की सुरक्षा हेतु डैम्पनरों के बनाने में प्रयुक्त हुआ है। आगरा पत्थर की आपूर्ति के सम्बन्ध में रू0 10 लाख के गबन व हेराफेरी के आरोप का कोई मामला प्रकाश में नही आया है।

अतः किसी जांच कराने का प्रश्न ही नहीं है।

परिवार कल्याण निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ में कार्यरत ताहिर एवं तारिक लिपिकगण के स्थानान्तरण की मांग

35—श्री अतीक अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ में ए0एन0एम0 का अधिष्ठान कार्य निस्तारित करने वाले श्री तारिक एवं ताहिर लिपिकगण वहां दस वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत अविलम्ब उन्हें जनपद से बाहर स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त दोनों लिपिकों ने अपनी आय की अपेक्षा कई गुनी अधिक चल एवं अचल सम्पत्ति अपने एवं अपने परिवार के नाम अर्जित कर ली है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और समय—समय पर उनके द्वारा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत प्रस्तुत सम्पत्ति का ब्यौरा उपलब्ध

करायेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

शासन के विचाराधीन है। उक्त दोनों कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपलब्ध विवरण के अनुसार उनके द्वारा अपनी आय से अधिक चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित करने की पुष्टि नहीं होती है। नियमानुसार समय-समय पर उनकी सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

जनपद बस्ती के बभनान कस्बे में फर्जी बिक्री का आरोप

36-श्री ऐदल सिंह तथा श्री भोपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि कस्बा बभनान जिला-बस्ती में दिनांक 22 जुलाई, 1990 को फर्जी दवाओं का जखीरा पकड़ा गया है? यदि हां, तो इसमें कितने लोग शरीक पाये गये हैं? क्या सरकार दोषी लोगों को कड़े दण्ड दिये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

37-श्री हाजी मो0 हयात—

(2 रें शुक्र में अता0प्र0सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के पद पर चयनित अभ्यार्थियों की संख्या एवं नियुक्ति की जानकारी

38-श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 ने दिसम्बर, 1985 में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर कुल कितने अभ्यर्थियों का चयन किया था और उनमें से कितने व्यक्तियों को पद स्थापित किया जा चुका है? शेष बचे हुए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी तक पद स्थापित नहीं किया जा सका है? उनके नाम एवं ज्येष्ठता सूची में उनकी क्या स्थिति है?

श्री बाबूराम यादव—

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिसम्बर, 1985 में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर कुल 176 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और उनमें से अब तक 77 व्यक्तियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

अभी तक 99 व्यक्ति पद स्थापना हेतु शेष हैं, जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है। उनके नाम एवं चयन सूची में उनकी स्थिति का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 196 पर)

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री अरूण कुमार द्विवेदी ग्राम व पो0 परशादा, जनपद सीतापुर के देय अवशेषों का भुगतान

39–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 अरूण कुमार द्विवेदी, ग्रा0 व पो0 परशादा, जिला सीतापुर उ0 प्र0 के प्रार्थना–पत्र दिनांक 6–12–88, 3–5–89, 20–12–89, 21–6–89 जो उनके पति के देय धन के भुगतान के संबंध में है अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वितीय नलकूप खण्ड घूरामऊ बगला, सीतापुर को मिले है? यदि हां, तो क्या श्रीमती मुन्नी देवी को उनके पति स्व0 श्री अरूण कुमार द्विववेदी के देय के सभी भुगतान कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? भुगतान न करने में कौन–कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा शेष भुगतान कब तक कर दिए जायेंगे?

श्री बाबूराम यादव—

श्रीमती मुन्नी देवी के केवल दो प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए है। दिनांक, 6.12.88 का प्रार्थना–पत्र उपखण्ड में तथा दिनांक, 3.5.89 का प्रार्थना–पत्र नलकूप खण्ड में प्राप्त हुआ है। दिनांक, 1.9.88 से 25.9.88 तक के वेतन, 78 दिवस का बचा हुआ अवकाश नकदीकरण तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित एरियर की धनराशि का भुगतान उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के आधार पर उपखंडीय कार्यालय से किया जा चुका है तथा भविष्य निर्वाह निधि का अन्तिम भुगतान एवं लिंक डिपाजिट स्कीम के अंतर्गत भुगतान चेक सं0–091/224581 दिनांक, 21.11.90 द्वारा श्रीमती मुन्नी देवी को कर दिया गया है।

2— सामूहिक बीमा योजना की धनराशि के भुगतान हेतु प्रकरण दिनांक, 20.11.90 को संयुक्त निदेशक सामूहिक बीमा योजना को भेज दिया गया है तथा स्वीकृति प्राप्त होते ही उसका भुगतान कर दिया जायेगा। गेच्युटी के भुगतान का प्रकरण मुख्य लेखाधिकारी के विचाराधीन है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बदलापुर जनपद जौनपुर में कार्यरत कम्पाउंडर/फार्मेसिस्टों के स्थानान्तरण की मांग

40–श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बदलापुर, जनपद जौनपुर में कितने कम्पाउंडर/फार्मेसिस्ट कितने समय से उसी स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत है? क्या यह सही है कि श्री राकेश कुमार मिश्र उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कई वर्षों से कार्यरत है और उसी जनपद के रहने वाले हैं? यदि हां, तो श्री मिश्र को उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बने रहने का क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी उनको तत्काल वहां से हटाने की कार्यवाही करेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बदलापुर, जौनपुर में कुल दो फार्मासिस्ट श्री लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव तथा श्री राकेश प्रकाश मिश्र क्रमशः दिनांक 7–7–90 तथा 5–5–1988 से कार्यरत हैं।

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मझगवां जलाशय के टूटे वियर को बनवाने की मांग

41–श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के मझगवा जलाशय की कुल सिंचन क्षमता कितनी थी? वर्ष 80–81 की अपेक्षा वर्तमान में उसकी सिंचन क्षमता घटकर कितनी रह गई? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जलाशय में पानी भरने के लिए नाले पर बना वियर विगत पांच वर्षों से टूटा पड़ा है? यदि हां, तो क्या उसे बनवाने का प्रबन्ध कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबूराम यादव—

जी हां।

जनपद गोण्डा में मझगवां जलाशय के 2432 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में 1121 हेक्टेयर सींच प्रस्तावित है। बांध एवं नहरें पूर्व सिंचन क्षमता के अनुसार है। पानी की कमी होने के कारण गत पांच वर्ष की औसत सींच 425 हेक्टेयर हुई है।

जी हां।

जी नहीं।

क्षतिग्रस्त वियर के स्थान पर नया वियर बनाने की लागत अधिक होने के कारण इसको नही बनाया गया है। इसके 2432 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में से 1459 हेक्टेयर क्षेत्र को चित्तौडगढ़ जलाशय से पानी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग उ0 प्र0 गोरखपुर द्वारा कतिपय अधिशासी /मुख्य अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की जानकारी

42–श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश गोरखपुर ने दिनांक 30–3–90 को मुख्य अभियन्ता (पूर्वी) नहर एवं बाढ़, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कुछ अधिशासी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं को गण्डक संगठन से कहीं दूर स्थानान्तरण किए जाने के लिए लिखा था? यदि हां, तो क्यों? उन अधिकारियों का पदनाम क्या हैं?

श्री बाबूराम यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में ड्रेनों की सफाई हेतु आंवटित धनराशि एवं किया गया कार्य

43–श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में विभिन्न

ड्रेनों की सफाई के लिए शारदा सहायक खण्ड-32 को वित्तीय वर्ष 88-89 तथा 89-90 में राज्य सेक्टर से अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उसमें क्या-क्या कार्य कराया गया?

श्री बाबू राम यादव--

जनपद आजमगढ़ में विभिन्न ड्रेनों की सफाई के लिए शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ को वित्तीय वर्ष 1988-89 तथा 89-90 में राज्य सेक्टर से क्रमशः रूपया 7.45 लाख तथा रूपया 3.80 लाख की धनराशि आवंटित की गयी। वित्तीय वर्ष 1988-89 में 64 अदद ड्रेनों, कुल निर्मित लम्बाई 273.65 कि0मी0 व वर्ष 1989-90 में 43 अदद ड्रेनों, कुल निर्मित लम्बाई 234.05 कि0मी0 में आवश्यकतानुसार सफाई एवं बन्धों को काटने का कार्य कराया गया।

पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड कानपुर में कथित घोटाले की जांच

44-श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 24-1-1990 का श्री विद्या सिंह-दर्शनपुरवा, कानपुर का कोई शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जो श्री कृष्ण गोयल, अधिशासी अभियन्ता तथा श्री रवीन्द्र नाथ मिश्रा सहायक अभियन्ता द्वारा पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड कानपुर में किये गये घोटालों की जांच के संबंध में है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त मामले में किस अधिकारी से जांच करवाई और जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री बाबू राम यादव--

जी हां।

श्री विद्या सिंह, दर्शनपुरवा कानपुर का प्रश्नगत शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्री राम आसरे पासवान, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 25-1-90 के साथ भी प्राप्त हुआ था जिस पर प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग को जांच कराकर आख्या भेजने हेतु आदेश दिया जा चुका है। चूंकि आख्या प्राप्त नहीं हुई है अतएव अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता है।

सेण्ट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसिन के पाठ्यक्रम हेतु मानक का निर्धारण

45-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसिन के पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मानक के अनुसार पद, साज सज्जा भूमि भवन उपकरण आदि आयुर्वेदिक कालेजों को उपलब्ध कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कौंसिल द्वारा निर्धारित मानक अविलम्ब पूरा करा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

जी नहीं। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पद, साज-सज्जा, भूमि भवन, उपकरण आदि की व्यवस्था सेन्ट्रल कौंसिल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं की जा सकी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही मानकों के अनुसार उचित व्यवस्था करना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में पृथक आयुर्वेदिक यूनानी शिक्षा निदेशालय की स्थापना की मांग

46–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 10 आयुर्वेदिक एवं 2 यूनानी कालेजों में शिक्षा को समुन्नत करने हेतु पृथक आयुर्वेदिक यूनानी शिक्षा निदेशालय की स्थापना पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों जबकि 9 मेडिकल कालेजों के लिए पृथक शिक्षा निदेशालय हैं?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव

जी नहीं। आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

जिलापूर्ति कार्यालय मेरठ में वरिष्ठ सहायक/लेखाकारों के पद पर प्रोन्नति

47–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में जिला पूर्ति कार्यालय मेरठ में वरिष्ठ सहायक/लेखाकारों के कितने पद रिक्त थे? यदि पद रिक्त नहीं थे तो माह जून व जुलाई 1989 में इन पदों पर प्रोन्नतियां क्यों की गयी? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उस अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या जिला पूर्ति कार्यालय मेरठ में 1982 से कार्यरत वरिष्ठ सहायक/ लेखाकारों जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेशों के अधीन वर्ष 1987 से कार्यरत है को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या जिला शासकीय अधिवक्ता, मेरठ ने जिलापूर्ति कार्यालय मेरठ में जून व जुलाई 1989 में की गयी वरिष्ठ सहायक/लेखाकारों के पदों पर प्रोन्नतियों को समाप्त करने अथवा अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने की राय दी थी? यदि हां, तो इन्हें समाप्त अथवा अन्य जनपदों में स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

वर्ष 1989 में जिला पूर्ति कार्यालय, मेरठ में वरिष्ठ सहायक व लेखाकार का कोई भी पद रिक्त नहीं था बल्कि इन पदों पर वर्ष 1987 से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेशों के अंतर्गत छः वरिष्ठ सहायक व एक लेखाकार कार्यरत थे।

मण्डल स्तर पर वर्ष 1989 में गठित चयन समिति द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय मेरठ में वर्ष 1987 से स्थगन आदेश प्राप्त छः वरिष्ठ सहायक व एक लेखाकार का पद रिक्त मानते हुए मण्डल के अन्य जनपदों में कार्यरत ज्येष्ठ लिपिकों को उक्त पदों पर प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया था।

उक्त निर्णय के आधार पर जनपद मेरठ में छः वरिष्ठ सहायकों की प्रोन्नतियों में केवल 5 वरिष्ठ सहायक व एक लेखाकार, जिन्हें दूसरे जनपदों से प्रोन्नत कर जनपद मेरठ में तैनात किया गया था, स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक कार्यरत हो गये थे।

उक्त अनियमितता के लिए अपर खाद्य आयुक्त को निर्देश दिये गये है कि वे इस प्रकरण में छानबीन कर उत्तरदायित्व निर्धारित करें।

जी नहीं। वर्ष 1987 में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर्मचारियों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है।

जी हां। जनपद मेरठ के जिला पूर्ति कार्यालय में वर्ष 1989 में जिन कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया था उन प्रोन्नत कर्मचारियों में से ज्येष्ठता में कनिष्ठ को तब तक के लिये पदावनत कर दिया गया है जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त नहीं हो जाते।

श्री बी0 एन0 पाण्डेय, अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उ0प्र0 लखनऊ के निलम्बन की समाप्ति एवं तैनाती

48–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13–3–1989 (अपराह्न) से श्री बी0 एन0 पाण्डेय, अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ के निलम्बन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16–5–89 को समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो श्री पाण्डेय को निलम्बन काल से अब तक कहां पर और किस पद पर निदेशक, आयुर्वेद द्वारा रखा गया तथा क्या निलम्बन काल में जीवन निर्वाह भत्ता तथा प्रारम्भ से अब तक 15 मासों से वेतन का भुगतान उन्हें किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

निलम्बन समाप्ति पर डा0 पाण्डेय की अधीक्षक, आयुर्वेदिक फार्मेसी, पीलीभीत के पद पर तैनाती की गयी थी। दिनांक 4–10–89 के आदेश से उन्हें आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय से सम्बद्ध किया गया। दिनांक 25–8–1990 से डा0 पाण्डेय को पुनः अधीक्षक, आयुर्वेदिक फार्मेसी, पीलीभीत के पद पर तैनाती के आदेश दिये गये हैं।

निलम्बन काल के जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान लेने से डा0 पाण्डेय ने इन्कार कर दिया है। देय वेतन का भुगतान उन्हें किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनियमितता विषयक जांच की मांग

49–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मेडिकल कालेज में पिछले 3 वर्षों से स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनियमितता के संबंध में कितने चिकित्सा स्नातकों ने न्यायालयों में वाद दायर किया है? क्या न्यायालय के निर्णय के अंतिम/अन्तरिम आदेश पर भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है? क्या

पिछले 3 वर्षों में प्रवेश में हुई धांधली की जांच सरकार कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव

पिछले तीन वर्षों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में मेरठ मेडिकल कालेज में वर्ष, 1988 में 38, वर्ष 1989 में 17 एवं वर्ष 1990 में 36 वाद दायर किये गये थे।

माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम/अन्तरिम आदेशों के पालन में प्रवेश दिये गये हैं, लेकिन जिन वादों में प्रवेश नियमानुसार अनुमन्य नहीं है, उनमें विरोध की कार्यवाही की जा रही है, प्रवेश में कोई धांधली जांच हेतु प्रकाश में नहीं आई, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई खण्ड सीतापुर श्रीराम किशोर गुप्ता अधिशासी अभियन्ता द्वारा लिये गये अवकाश अवधि में अनियमित रूप से किये गये कार्य की जांच

50–श्री रायलक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–82 के उत्तर के सन्दर्भ में दिनांक 17–7–1990 को श्री शिव करन सिंह सदस्य, विधान सभा का सचिव सिंचाई विभाग उ0 प्र0 शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर शासन द्वारा बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी? शासन के नियमों की अवहेलना करने वाले अधिशासी अभियन्ता को अभी तक निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां।

श्री शिवकरन सिंह विधायक से प्राप्त पत्र दिनांक 17–7–1990 को आवश्यक कार्यवाही एवं जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा गया है। इस सम्बन्ध में अभी शासन को जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

अभी निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

51–श्री दीपचन्द्र सोनकर—

(मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

52–श्री हरिचरण यादव—

(2रे सोम में अता0 प्र0 सं0 198 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

चीफ शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया के अधीन धोबहा घाट के पुल के निर्माण की मांग

53–श्री कासिम अली—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया के अधीन धोबहा घाट के पुल के निर्माण हेतु कोई प्रोजेक्ट, 1985 में

स्वीकृत हुआ था? क्या उक्त पुल के निर्माण का अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता द्वारा करने पर उच्चाधिकारियों द्वारा निर्माण रूकवा दिया गया? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो पुल का निर्माण क्यों रूका पड़ा है?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां, वर्ष 1986 में। अमवाखास बांध पर दो स्पर यू-3:1 तथा यू-3:2 के निर्माण हेतु तकनीकी सलाहकार समिति की 79 वीं बैठक में एक योजना स्वीकृत हुई थी जिसमें इस पुल के निर्माण का भी प्राविधान था।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

धनाभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

सिंचाई विभाग उ0 प्र0 में अधीक्षण/मुख्य अभियन्ता के पद पर आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

54—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के पद पर आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के पद पर अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी का रिक्त पद पर कब तक भर दिया जायेगा?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं।

अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति हेतु चयन का मापदण्ड "श्रेष्ठता" निर्धारित है। प्रश्नगत पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन करने के लिए नियमानुसार उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में एकल पात्रता सूची बनाई जाती है। अतएव पात्रता परिधि में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी उपयुक्त संख्या में उपलब्ध होने तथा उन्हें श्रेष्ठता के मापदण्ड पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये जाने की दशा में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को भरा जाना सम्भव होगा।

विशेष चयन मापदण्ड के अनुसार अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

55—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के पत्र सं0-3766/40-1-89-13(67)89 दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के अनुपालन में शासनादेश सं0-22/43/1982कार्मिक-2, दिनांक 4 अक्तूबर, 1989 के अनुसार विशेष चयन कर अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता पद पर लम्बित आरक्षित कोटा जो 31-10-89 तक पूरा किया जाना था, क्यों नहीं पूरा किया गया? इसे कब तक विशेष चयन करके पूरा कर लिया जायेगा?

श्री बाबू राम यादव—

अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन

करने का मापदण्ड "श्रेष्ठता" निर्धारित है। नियमानुसार श्रेष्ठता के मापदण्ड पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर चयन करने के लिए एकल पात्रता सूची बनाई जाती है। चयन वर्ष 1988-89 तक अधीक्षण अभियन्ता के पदो पर वर्षवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में ज्येष्ठता क्रमानुसार बनाई गयी पात्रता सूची के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के केवल एक अधिकारी आते थे, जिन्हें तदर्थ प्रोन्नति हेतु चयनित किया गया। चूंकि पात्रता परिधि के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अन्य कोई अधिकारी नहीं आते थे। इसलिए दिनांक 31-10-89 तक आरक्षित कोटे को भरने के लिए विशेष चयन नहीं कराया गया। आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए एकल पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र अधिकारी उपलब्ध होने की दशा में ही यथा समय विशेष चयन कराना सम्भव होगा।

शासनादेश के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की मांग

56-श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-22/43/1982 कार्मिक-2, दिनांक 4 अक्तूबर 1989 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु विशेष चयन कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

प्रश्न में संदर्भित शासनादेश के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु एकल पात्रता सूची के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने की दशा में यथा समय विशेष चयन कराया जाना सम्भव होगा।

डा0 एस0 एन0 श्रीवास्तव, प्रवक्ता चर्म रोग विभाग, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के विरूद्ध श्री फौजदार प्रसाद विधायक के कथित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57-श्री बंशीधर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एस0 एन0 श्रीवास्तव प्रवक्ता, चर्म रोग विभाग के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के विरूद्ध उन्हें विधायक श्री फौजदार प्रसाद द्वारा माह फरवरी, 1990 में दिया गया शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

58-श्री मिठाई लाल शास्त्री—

(दूसरे बुध में अता0 प्र0 सं0 189 पर स्थानान्तरित)

जनपद अल्मोड़ा में सुरना विन्ता नहर के निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि, व्यय धन एवं अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान की जानकारी

59–श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत सुरना विन्ता नहर का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था? उक्त नहर पर कितना रूपया व्यय किया गया है? नहर के प्रस्तावित भूमि सिंचित न होने एवं नहर का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण न कराये जाने का क्या कारण है? उक्त नहर निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा ग्रामवासियों को न दिये जाने के लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री बाबू राम यादव—

अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड द्वारा हाट में सुरना (विन्ता) नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1983–84 में प्रारम्भ किया गया था। इस नहर पर रूपया 8–79 लाख अब तक व्यय किया जा चुका है।

नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत 3/90 तक 3–73 कि0मी0 लम्बाई में खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे सिंचाई हो रही है। वन भूमि में नहर का पक्का निर्माण कार्य वन विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण लम्बित है। इस नहर की अधिगृहीत ग्रामीण भूमि का मुआवजा रूपया 18,325–00 वर्ष 1988–89 में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा को भुगतान कर दिया गया है। नियमान्तर्गत भूमि मुआवजे का ग्रामवासियों को भुगतान किये जाने से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा में छाना नहर के रीमाडलिंग की मांग

60–श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वाराहाट में लगभग 35 वर्ष पूर्व निर्मित छाना नहर से मात्र आधी भूमि ही सिंचित होती है तथा उपरोक्त 35 वर्षों में कभी भी नहर के अंतिम छोर (टेल) में सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंचा? क्या सरकार उक्त नहर के टेल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर की रिमाडलिंग के लिये वांछित धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

इस परियोजना की सृजित सिंचन क्षमता 145 हेक्टेयर है तथा नहर से दोनों फसलों (रबी खरीफ) में अधिकतम सींच 244 हेक्टेयर वर्ष 1988–89 में हो चुकी है। वर्ष 1979 तक नहर की टेल तक पानी पहुँचा, जिस पर टेल भाग में 0.40 है0 भूमि सिंचित भी हुई थी। तत्पश्चात नहर अत्याधिक जीर्ण शीर्ण होने के कारण टेल भाग तक पानी नहीं पहुंच पाता है।

नहर के टेल भाग तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रिमाडलिंग के लिये धनराशि उपलब्ध कराने का प्रश्न प्रस्तावित योजना के परीक्षणोपरान्त ही उठेगा।

गण्डक नहर निर्माण खण्ड-6, देवरिया द्वारा नालों की फर्जी सफाई एवं रजही ग्राम के पास पुल के रैम्प के सुदृढ़ीकरण में घोटाले की जांच

61-श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक नहर निर्माण खण्ड-6, देवरिया के अधिकारियों द्वारा नालों की फर्जी सफाई दिखा कर लगभग 42 लाख रूपया निकाले जाने के संबंध में तथा तुर्रा नाले पर रजही ग्राम के पास पुल के रैम्प के सुदृढ़ीकरण के कार्य में किये गये घोटाले से संबंधित प्रश्नकर्ता ने अधीक्षण अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण मण्डल गोरखपुर को अलग-अलग दो पत्र दिनांक 4-6-90 को दिया है क्या उक्त पत्र के देने के बाद भी बिना सफाई कराये अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा भुगतान हेतु अधिशासी अभियन्ता को बिल प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच तकनीकी प्रकोष्ठ से कराने की कृपा करेगी?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां।

शिकायती पत्र प्राप्त होने के बाद तुर्रा व फरेन नाले की सफाई से सम्बन्धित कोई भी बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा नहीं प्रेषित किया गया है। तुर्रा नाले पर ग्राम रजही के पास रैम्प के सुदृढ़ीकरण के कार्य का भुगतान रू0-58,590/- का माह 10/90 में टी.ए.सी. जांच के बाद किया गया है।

नालों की सफाई के संबंध में भुगतान की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता। रजही ग्राम के निकट पुल के रैम्प के कार्य की जांच तकनीकी निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा माह 9/90 में कर ली गयी है। टी.ए.सी. की जाँचोपरान्त रू0-874.00 की रिकवरी के आदेश दिए गए थे जो ठेकेदार के बिल से कर ली गई है। अतः पुनः टी.ए.सी. से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद जौनपुर के ग्राम सभा गौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

62-श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक 5000 (पांच हजार) आबादी वाले ग्रामों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या ग्राम सभा गौरा एवं आस-पास गांवो को मिलाकर जिसकी आबादी पांच हजार से अधिक है में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एलोपैथ) ग्राम गौरा में खोलने पर शासन विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बदलापुर में उपलब्ध सरकारी दवाओं को बेचने का आरोप

63–श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद जौनपुर के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र बदलापुर में उपलब्ध सरकारी दवाइयां, आस–पास के बाजारों में बेची जा रही हैं जिसके कारण वहां के भर्ती मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र, बदलापुर जनपद जौनपुर में उपलब्ध सरकारी दवाइयां बाजार में नहीं बेची जा रही हैं। भर्ती मरीजों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्साधिकारियों की मण्डल से बाहर स्थानान्तरण नीति की जानकारी

64–श्री खुर्शीद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में ऐसे कितने चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं जिनकी सेवा में वाराणसी मण्डल में 12 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वे पुनः पूर्व नियुक्ति स्थल पर कार्यरत हैं? मण्डल के बाहर स्थानान्तरण की नीति क्या है? क्या उक्त मण्डल से ऐसे कुछ चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है? क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

मण्डल के बाहर स्थानान्तरण करने की नीति 12 वर्ष या उससे अधिक की है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के रजबहा बिलग्राम के अन्तर्गत कतिपय माइनरों की सफाई

65–श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजबहा बिलग्राम के अन्तर्गत आने वाले माइनरों जैसे रडेना, मोना, सदरपुर तथा बिधौरी की सफाई की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई और उक्त माइनरों से संबंधित ग्रामों के काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर क्या संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है और कब तक? क्या इसके फलस्वरूप सिंचाई के अभाव में सम्बन्धित ग्रामों की फसलों के उत्पादन में कमी आई है? यदि हां, तो सरकार उसके निराकरण के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

श्री बाबूराम यादव—

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रश्नगत माइनरों की सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। फलस्वरूप किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी कोई जानकारी नही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ड्रेनेज खण्ड बस्ती (द्वितीय) पम्प नहर मुखलिसपुर नहर पर कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

66–श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड बस्ती द्वितीय पम्प नहर मुखलिसपुर नहर पर विगत 10 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

ड्रेनेज खण्ड (द्वितीय) बस्ती के अन्तर्गत पम्प नहर मुखलिसपुर नहर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में रेडियोथैरेपी विभाग में रेडियोलाजिस्ट के रिक्त पद भरे जाने की मांग

67–श्री जयराज गौतम तथा श्री राम मूर्ति सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के रेडियोथैरेपी विभाग में "होलबाडी" सी0 टी0 स्केन के लिए रीडर का एक पद शासन द्वारा सृजित किया गया है? यदि हां, तो क्या केवल होलबाडी सी0 टी0 स्केन के लिए इस पद का औचित्य मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर बनता है? यदि नहीं, तो इस पद को सृजित किये जाने के क्या कारण हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मेडिकल कालेज के रेडियोथैरेपी विभाग में स्वीकृत तीन "रेडियो लाजिस्ट" के पद विगत 4 वर्षों से खाली पड़े हैं? यदि हां, तो इन पदों को भरे बिना रीडर होलबाडी सी0 टी0 स्कैन के पद के सृजन की क्या आवश्यकता थी?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

वर्तमान में कोई पद सृजित नहीं है।

दो पद भरे हुए हैं केवल दो पद रिक्त हैं।

सदर अस्पताल उरई, जालौन में जनरेटर व्यवस्था

68–श्री चैन सुख भारती—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल उरई,

जिला-जालौन में बिजली आपूर्ति बाधित होने की दशा में जनरेटर की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सदर अस्पताल उरई में एक जनरेटर की व्यवस्था हेतु स्वीकृत मार्च, 1989 में दी जा चुकी है। जनरेटर कक्ष का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। जनरेटर लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में औसतन प्रतिरोगी औषधि पर होने वाले व्यय एवं जिला अस्पताल, जालौन को आवंटित धन की जानकारी

69-श्री चैनसुख भारती—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औसतन प्रति रोगी औषधि पर होने वाला व्यय क्या है तथा जनपद जालौन में जिला चिकित्सालय को इस क्रम में वर्ष 1989-90 में औषधियों के लिये कितना धन आवंटित किया गया था? क्या सरकार जनहित में इसका बजट बढ़ाने पर विचार करेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्रदेश में औसतन प्रति रोगी औषधि पर होने वाला व्यय रू0 9.08 है। वर्ष 1989-90 में एलोपैथी औषधि हेतु कुल रूपये 7,80,000/- जिला चिकित्सालय, जालौन हेतु आवंटित किया गया था।

वर्ष 1990-91 में औषधि मद में उक्त चिकित्सालय को पूर्व वर्ष के समक्ष रू0 10,000=00 की धनराशि बढ़ा कर दी गई है।

लखनऊ जनपद के काकोरी रजबहा की टूटी पुलिया की मरम्मत

70-श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमालनगर विकास खण्ड-मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के निकट काकोरी रजबहा माइनर की पुलिया टूटी पड़ी है? क्या सरकार उक्त पुलिया की मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

इस खण्ड के अन्तर्गत काकोरी रजबहा के मील 14-1-122 पर वी0आर0वी0 के पैरापिट क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत कराने की कार्यवाही की जा रही है। मरम्मत का कार्य माह जनवरी 1991 के अन्तिम सप्ताह तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न अस्पतालों में रिक्त चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति की जानकारी

71-श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विभिन्न अस्पतालों में कुल कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं तथा इन स्थानों को भरने के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्या 1990 के अन्त तक इन रिक्त स्थानों

की पूर्ति हो जायेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न अस्पतालों में एलोपैथिक चिकित्सकों के 30 पुरूष एवं 10 महिला चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त थे। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश स्तर पर पुरूष एवं महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न अस्पतालों में उक्त रिक्त पदों के विरूद्ध वर्ष 1990 के अन्त तक 19 पुरूष एवं 8 महिला चिकित्सकों की नियुक्ति किया जाना सम्भव हो सका है तथा 11 पुरूष एवं 2 महिला चिकित्साधिकारियों की रिक्ति अभी भी विद्यमान है।

ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में आयोजित (स्नातकोत्तर) परीक्षा फल न घोषित किये जाने का कारण

72–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में दिनांक 15–11–89 को जो एम0 डी0 (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित हुई थी, उसका परीक्षाफल सात माह बीतने पर घोषित न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार तत्काल परिणाम घोषित कराकर सत्र शून्य होने से बचाने का कदम उठायेगी?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

परीक्षाफल अगस्त, 1990 में घोषित किया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय के0 जी0 के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद के अंशकालिक प्रवक्ताओं को पूर्णकालिक बनाये जाने की मांग

73–डा0 दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के एक चिकित्सालय मुरादाबाद में 11–12–81 (प्रान्तीयकरण) के पूर्व से कार्यरत अंशकालीन प्रवक्ताओं को पूर्ण कालीन बनाए जाने के आदेश शासनादेश संख्या 8502 सक–9/पांच 81–1003/80 लखनऊ के तहत हुए थे? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के 3 प्रवक्ता डा0 एस0 एस0 यादव, के0 सी0 मेहरोत्रा एवं डा0 आर0 वी0 जौहरी जो कि इस श्रेणी में आते हैं, को अभी तक पूर्णकालिक न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी उक्त तीनों अंशकालीन प्रवक्ताओं को पूर्ण कालिक करने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

शासनादेश संख्या–8502 सेक 9/पांच–81–1083/80 दिनांक 11–12–81 में राजकीय के.जी.के. होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में दिनांक 11–12–81 के पूर्व से कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ताओं को पूर्णकालिक बनाये जाने के आदेश नहीं दिये गये हैं। प्रवक्ता का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में होने के कारण प्रश्न में उल्लिखित तीनों अंशकालिक प्रवक्ताओं को पूर्णकालिक

बनाया जाना संभव नहीं है।

जनपद झांसी के मऊरानीपुर में कतिपय झीलों/तालाबों की खुदाई कराने की मांग

74-श्री प्रागी लाल अहिरवार—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला झांसी की तहसील मऊरानीपुर में चतुर्थ मण्डल सिंचाई कार्य झांसी के अन्तर्गत सपरार प्रखण्ड में कचनेव पचकारा, स्यावरी झीलों एवं पलरा मगरवारा व अरजार तालाबों की और खुदाई करके सिंचाई हेतु बरसाती पानी रोकने की योजना बनायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

प्रश्नांकित कचनेव व पलरा, पचवारा मगरवारा, अरजार, स्यावरी पुराने अच्छे बड़े तालाब/झील हैं। इन तालाबों को खुदाई करके अतिरिक्त बरसाती पानी रोकने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

ऐसे तालाबों को गहरा करके क्षमता बढ़ाना लाभ-लागत के दृष्टिकोण से न तो मितव्ययतापूर्ण है और न ही व्यावहारिक।

पुलिस अस्पताल सीतापुर से सेवानिवृत्त स्टाफ नर्स (पुरूष) श्री रामपाल शुक्ल के पेंशन भुगतान की कार्यवाही

75-श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामपाल शुक्ल जो स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत रहते हुये दिनांक 16-8-67 को पुलिस अस्पताल सीतापुर से सेवा निवृत्त हुये थे, को पेंशन दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और श्री शुक्ल को पेंशन का भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

श्री राम पाल शुक्ला, स्टाफ नर्स (पुरूष) के पद से दिनांक 16-8-67 को नहीं बल्कि वर्ष 1959 में सेवा निवृत्त हुये थे।

श्री रामपाल शुक्ला द्वारा स्वयं सेवा पुस्तिका पेंशन पेपर तैयार कराने हेतु ले जाने और वापस न दिये जाने के कारण पेंशन पेपर तैयार न हो सकने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1959 से कार्यरत इस मामले में समस्त जिम्मेदार स्टाफ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पेंशन शीघ्र दिलाये जाने हेतु सम्बन्धित पेंशन अधिकारी से मिलकर पेंशन पेपर तैयार कराकर पेंशन का भुगतान तत्काल किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

कार्यवाहक चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय गाजीपुर के विरूद्ध शिकायती पत्र पर जांच

76–श्री खुर्शीद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता सहित सामूहिक रूप से अन्य विधायकों का शिकायती पत्र दिनांक 7–3–90 जो तत्कालीन कार्यवाहक सी0 एम0 एस0 जिला चिकित्सालय गाजीपुर डा0 पी0 सी0 तिवारी के विरूद्ध था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं? उल्लिखित शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी है? और जांच रिपोर्ट क्या है? दोषी कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

मुख्य शिकायतें निम्नलिखित हैं:—

(1)– जिला चिकित्सालय, गाजीपुर के ज्येष्ठतम एस0एम0ओ0 डा0 आर0सी0 विश्वकर्मा को चार्ज न सौंपा जाना।

(2)– तीन फार्मेसिस्टों का स्थानान्तरण निरस्त होने के साल भर बाद भी कार्य व वेतन से वंचित रखना।

(3)– फार्मेसिस्ट एच0एन0सिंह के सरकारी आवास से समस्त घरेलू सामान गायब कर आवास से बेदखल करना।

(4)– कर्मचारियों का उत्पीड़न।

उल्लिखित शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक (कार्मिक) द्वारा कराई जा रही है, जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

77–श्री खुर्शीद अहमद—

(मा0 सदस्य ने वापस लिया)

जनपद जौनपुर के ग्राम–गौरा भेलूपुर में नलकूप लगाये जाने की कार्यवाही

78–श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जो ग्राम–गौरा–भेलूपुर वि0 ख0 बदलापुर तहसील बदलापुर जनपद जौनपुर में एक नलकूप लगाए जाने से सम्बन्धित था, दिनांक 28–6–90 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बाबूराम यादव—

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में निर्मित नलकूप का पानी खारा होने के कारण अन्वेषणात्मक छिद्रण केन्द्री भूगर्भ जल परिषद द्वारा कराने की कार्यवाही की जा रही है।

उ0 प्र0 स्वास्थ्य विभाग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त पुरूष नर्सों की नियुक्ति विषयक जानकारी की मांग

79–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुरूष नर्सों को छः माह का विशेष प्रशिक्षण मार्च/अप्रैल, 1991 में पूरा होने पर पूरे बैंचों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

वरिष्ठताक्रम में नम्बर आने पर तथा रिक्तियों की दशा में यथासमय नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।

सहायक अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–4 लखनऊ पर अनियमितता का आरोप

80–श्री कृष्ण किंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–4 लखनऊ तथा उनके अधीनस्थ कुछ अवर अभियन्ताओं के पास सिंचाई विभाग के अतिथि गृहों तथा सिंचाई भवन के नजारत (देखभाल) के खर्च का चार्ज है? यदि हां, तो क्या सहायक अभियन्ता द्वारा बिजली के सभी सामानों की खरीद अनियमित रूप से अरोरा इलेक्ट्रिक हुसैनगंज, लखनऊ तथा अन्य सामग्रियों की खरीद कुछ अन्य दुकानों से की जा रही है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा टाइपराइटरों की मरम्मत में वर्ष 1985 से कितना रूपया व्यय किया गया है? क्या इसके लिए कोई टेण्डर आमंत्रित किया गया था? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को दंडित करने पर विचार करेगी?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां।

इन अतिथि गृहों तथा सिंचाई भवन हेतु आवश्यकतानुसार आकस्मिकता में बिजली के सामानों की खरीद मेसर्स अरोरा इलेक्ट्रिक हाउस हुसैनगंज, लखनऊ तथा अन्य फर्मों से नियमानुसार की जाती है। यह फर्म उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

इस उपखण्ड द्वारा वर्ष 1985 से वर्ष 88–89 तक टाइपराइटरों की मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 88–89 तथा 90–91 में अब तक रू0 4482–75 टाइपराइटरों की मरम्मत पर व्यय किया गया है। इसके लिये कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया बल्कि मरम्मत का कार्य नियमानुसार कोटेशन प्राप्त करके कराया गया। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

डा0 शिवराज सिंह, निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें पर वित्तीय अनियमितता का आरोप एवं निलम्बन की समाप्ति

81–श्री केदार नाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 शिवराज सिंह, निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश को विभिन्न अधिकारियों में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अवैध कार्यों में दोषी पाया था और शासन ने इन्हें

निलम्बित कर दिया था? यदि हां, तो पूरा मामला क्या है? क्या डा0 शिवराज सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय से अपने निलंबन के विरूद्ध स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया था जो बाद में न्यायालय द्वारा वापस ले लिया गया और शासन ने न्यायालय में इनके विरूद्ध जवाबी शपथ-पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवाद भी किया था? क्या शासन ने निलम्बन वापस लेकर उन्हें पुनः निदेशक के पद पर दिनांक 10-8-90 को नियुक्त कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां। डा0 शिवराज सिंह, निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में दिनांक 23-12-1989 को निलम्बित किया गया था जो उस समय कार्यवाहक व्यवस्था में निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें के पद का कार्य भी देख रहे थे। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उनके निलम्बन आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। शासन की ओर से कोई जवाबी शपथ पत्र दायर कर प्रतिवाद नहीं किया। डा0 शिवराज सिंह के निलम्बन की अवधि 6 माह से अधिक हो जाने पर विचारोपरान्त शासन द्वारा दिनांक 10-8-90 को उनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया।

शासनादेश गायब करने के आरोप में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सम्बन्धित कर्मचारी को चेतावनी

82-श्री केदार नाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 13 जून, 1990 जो 14 जून, 1990 को ही निदेशालय के श्री मिश्री लाल नामक कर्मचारी को उपलब्ध कराया गया और जिसका संबंध श्री बृज बहादुर सिंह, आशुलिपिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र गोरखपुर का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के अधीन किये जाने के संबंध में था, निदेशालय के कुछ कर्मचारियों ने गायब कर दिया था? यदि हां, तो मामला क्या है और इस संबंध में कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

शासनादेश गायब करने के आरोप में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के संबंधित कर्मचारी को भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी दे दी गयी है।

83-श्री नरेश चन्द्र उत्तम—

(मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

जिला अस्पताल, गाजीपुर के डा0 पी0 सी0 तिवारी पर शासनादेश का उल्लंघन करने का आरोप

84-श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल गाजीपुर के सी0 एम0 एस0 डा0 एस0 एन0 राय की दिनांक 31-4-89 को सेवानिवृत्ति पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा0 आर0 सी0 विश्वकर्मा को स्थायी नियमों के अनुसार कार्यभार दिया गया? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में

कनिष्ठतम वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा0 पी0 सी0 तिवारी द्वारा जबरिया उक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया गया? क्या इस बारे में शासन ने डा0 पी0 सी0 तिवारी के वरिष्ठतम चिकित्साधिकारी डा0 आर0 सी0 विश्वकर्मा को कार्यभार सौंपने हेतु आदेश दिया था, किन्तु डा0 तिवारी ने उक्त आदेश को नहीं माना? यदि हां, तो सरकार ने उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा0 पी0 सी0 तिवारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जिला अस्पताल, गाजीपुर के सी0एम0एस0 डा0 एस0 एन0 राय की दिनांक 31-4-89 को सेवानिवृत्ति पर, जिला अस्पताल, गाजीपुर में कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी को सी0एम0एस0 जिला अस्पताल, गाजीपुर के पद पर अग्रिम व्यवस्था होने तक कार्य-भार दिलाने हेतु शासन से निर्देश दिया गया था।

जी नहीं। सेवा निवृत्त डा0 एस0एन0 राय ने स्वयं डा0 पी0 सी0 तिवारी को अपने पद का कार्यभार सौंपा था।

उपर्युक्त सूचना को दृष्टिगत रखते हुए डा0 पी0 सी0 तिवारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। फिर भी उन्हें जनपद गाजीपुर से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड उत्तर प्रदेश के विरूद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

85-श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-3-90 प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड उत्तर प्रदेश के विरूद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

86-श्री पंचानन राय—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर व वाराणसी में कतिपय सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

87-श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर तथा वाराणसी में ऐसे कौन-कौन सहायक अभियन्ता हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत हैं? कौन-कौन सहायक अभियन्ता 4 साल से अधिक समय से एक ही जनपद में कार्यरत हैं? कौन-कौन सहायक अभियन्ता 16 साल की सेवायें पूरी करने वाले हैं परन्तु 6 साल प्रतिबन्धित अवधि पूरा नहीं किये हैं?

क्या शासनादेशों के तहत उन सभी का स्थानान्तरण इस वर्ष किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

वर्तमान में सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर में श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता ऐसे हैं, जो 3 वर्ष से अधिक समय से (दिनांक 18-7-86 से) सिंचाई निर्माण खण्ड, राबर्ट्सगंज में कार्यरत हैं। सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी में कोई भी सहायक अभियंता नहीं है जो एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हो।

सिंचाई कार्य मंडल, मिर्जापुर के अन्तर्गत सिंचाई निर्माण खण्ड, राबर्ट्सगंज में श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता 4 वर्ष से अधिक अवधि से (दिनांक 18-7-86 से) कार्यरत हैं। राबर्ट्सगंज अब नवसृजित सोनभद्र जनपद में आ गया है।

सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी में ऐसा कोई सहायक अभियंता नहीं है, जो 4 वर्ष से अधिक समय से एक जनपद में कार्यरत हो।

निम्नलिखित सहायक अभियंता 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं या 30 जून, 1991 तक 16 साल की सेवा पूरी करेंगे परन्तु प्रतिबंधित स्थान की अवधि पूर्ण नहीं किये हैं:—

सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर

1- श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

2- श्री कृष्ण कान्त श्रीवास्तव

सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी

1- श्री शक्ति नाथ पाण्डेय,

2- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह

3- श्री राजेन्द्र प्रताप राय

4- श्री अमर बहादुर सिंह

5- श्री आर० के० पाण्डेय

6- श्री दया राम।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद में भूगर्भ जल स्तर उठाने हेतु बन्धियों का निर्माण

88-श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा जनपद में लगातार भूगर्भ जल

स्तर गिर रहा है? यदि हां, तो क्या इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी बन्धियों का निर्माण सिंचाई विभाग से कराये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो जनपद बांदा के कर्वी एवं मऊ तहसीलों में कब तक उक्त व्यवस्था कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां, उक्त जनपद के भूगर्भ जल स्तर में कुछ गिरावट हुई है। बांदा जनपद में सिंचाई विभाग की 32 बन्धियां हैं जिनमें से 24 बन्धियां कर्वी व मऊ तहसीलों में हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं तहसीलों में गुन्टा बांध बरदहा बांध व पन्हाई टैंक निर्माणाधीन है, जिनसे भूगर्भ जल स्तर उठाने में सहायता मिलेगी।

अन्य बन्धियों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सिंचाई विभाग द्वारा विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा कार्यालय लिपिक श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी के सम्बन्ध में श्रीमती राजगनी पत्नी राम प्रसाद वाटरमैन, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चित्रकूट जनपद बांदा के पत्र के साथ प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

89-डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के द्वितीय गुरूवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-47 के उत्तर के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए आरोपित अधिकारी एवं कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जांच रिर्पोट प्राप्त होने पर ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

90-डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

(दि0 23-1-91 को अता0प्र0 सं0 195 द्वारा उत्तरित)

अधिशासी अभियन्ताओं को प्रतिबंधित पदों पर न रहने विषयक उ0 प्र0 अभियन्ता संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही की जानकारी

91-श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के अभियन्ता संघ ने शासन को कोई ज्ञापन 1 जनवरी, से 30 अप्रैल, 1990 के मध्य में दिया था जिसमें 69 अधिशासी अभियन्ताओं को कभी प्रतिबन्धित पदों पर न रहने का उल्लेख है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां, उत्तर प्रदेश अभियन्ता संघ ने एक पत्र दिनांक 5-4-90 को प्रेषित किया था, जिसके साथ दो सूचियां संलग्न थीं, उक्त सूचियों में उल्लिखित

सिविल संवर्ग के 44 तथा यांत्रिक संवर्ग के 35 अभियन्ताओं में सिविल संवर्ग के 4 नाम समान थे तथा एक श्री वी0एन0 श्रीवास्तव नाम के कोई अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) विभाग में कार्यरत नहीं थे।

सिविल संवर्ग के 40 अधिशासी अभियंताओं में से 8 प्रतिबन्धित सेवा पूरी कर चुके हैं, 16 को प्रतिबन्धित स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है और एक सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा 2 निलम्बित हैं। शेष 13 को कार्यहित में अभी प्रतिबन्धित स्थानों पर पद स्थापित नहीं किया गया है।

यांत्रिक संवर्ग के 34 अधिशासी अभियन्ताओं में से केवल 21 प्रतिबन्धित स्थानों पर तैनात नहीं रहे हैं। इनमें से 10 को प्रतिबन्धित स्थानों पर तैनात कर दिया गया है और शेष 11 को कार्यहित में तथा वर्तमान स्थान पर अभी इनका निर्धारित समय पूरा न होने के कारण प्रतिबन्धित स्थानों पर पदस्थापित नहीं किया जा सका है।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के कैंट स्केन विभाग में बिना कार्य किये शेयर मनी में कथित घोटाले की जांच

92–श्री गोमती यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तथा मुख्य मंत्री जी को दिनांक 19–7–90 को श्री राम बचन तथा सुरेन्द्र विक्रम विधायकों का कोई पत्र जिसमें के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के कैंट स्केन विभाग में बिना कार्य किये शेयर मनी के रूप में 1,75,000 रूपये (एक लाख पचहत्तर हजार रूपये) नाजायज तौर से लिए गए हैं और जिसके संबंध में ए0 जी0 इलाहाबाद ने अपनी आडिट रिपोर्ट में सम्पूर्ण धन को राजकीय कोषागार में जमा करने के लिए लिखा था, प्राप्त हुआ है? क्या वह धन राजकीय कोषागार में जमा हो चुका है? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित लोगों के वेतन से वसूली का आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी हां।

प्रकरण की जांच की जा रही है, जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिलापूर्ति कार्यालय मेरठ में 6 वरिष्ठ सहायक व एक लेखाकार के पद पर स्थगन आदेश के बावजूद नियुक्ति एवं देय वेतन का भुगतान

93–डो0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलापूर्ति कार्यालय मेरठ में 6 वरिष्ठ सहायक व एक लेखाकार माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर कार्यरत होने के बावजूद तत्कालीन सहायक खाद्य आयुक्त व उनके वरिष्ठ सहायक ने इन पदों को रिक्त मानते हुए पांच वरिष्ठ सहायकों व एक लेखाकार को माह जुलाई, 1990 में पदोन्नत कर तैनात किया था? क्या जिले में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी तैनात हो जाने के कारण इन पांच वरिष्ठ सहायक व एक लेखाकार को एक वर्ष से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है? यदि हां, तो डी0 जी0 सी0 (सिविल) मेरठ की राय के बावजूद उक्त पदोन्नति एवं तैनाती का क्या आधार है? क्या इसके लिए दोषी अधिकारी के

खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कब तक कराया जायेगा?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मण्डल स्तर पर वर्ष, 1989 में गठित की गयी चयन समिति द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय मेरठ में वर्ष 1987 से माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त छः वरिष्ठ सहायक व एक लेखाकार का पद रिक्त मानते हुए मण्डल के अन्य जनपदों में कार्यरत ज्येष्ठ लिपिकों को उक्त पदों पर प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त छः वरिष्ठ सहायकों में से एक पूर्व से ही वरिष्ठ सहायक के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के अन्तर्गत मेरठ में कार्यरत था। इस प्रकार वहां छः वरिष्ठ सहायकों की प्रोन्नतियों में केवल पांच वरिष्ठ सहायक व एक लेखाकार, जिन्हें दूसरे जनपदों से प्रोन्नत कर जुलाई, 1989 में जनपद मेरठ में तैनात किया गया था, स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक कार्यरत हो गये थे।

स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती हो जाने के कारण इनकी जुलाई, 1989 से जुलाई, 1990 तक वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका। डी0जी0सी0 की राय के परिप्रेक्ष्य में मण्डलायुक्त मेरठ ने अपने आदेश दिनांक 28-7-90 द्वारा मण्डल स्तर पर ऐसे प्रोन्नत कर्मचारियों को तब तक के लिये प्रत्यावर्तित कर अन्य जनपदों में तैनात कर दिया है जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त नहीं हो जाते।

अपर खाद्य आयुक्त को निर्देश दिये गये हैं कि वे इस प्रकरण में छानबीन करके उत्तरदायित्व निर्धारित करें तथा जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है उन्हें शीघ्र वेतन दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

94—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

(2रें सोम में अता0प्र0सं0 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

राजकीय नलकूप संख्या-22 हसनगंज, ग्राम-खपराघाट हेतु अध्यापित भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दिये जाने की मांग

95—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-170 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब 1981 में नलकूप का निर्माण हुआ तो अभी तक भूमि का धारा-6 (1) के अंतर्गत प्रकाशन न होने में विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या धारा-6 (1) के अंतर्गत भूमि का प्रकाशन कर संबंधित ग्रामवासियों को भूमि का मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन उत्तरदायी है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बाबू राम यादव—

राजकीय नलकूप संख्या-22 हसनगंज ग्राम-खपराघाट का छिद्रण दिसम्बर 1981 में हुआ था। नलकूप निर्माण खण्ड में राजस्व अधिष्ठान के अभाव में भूमि प्रकरण अप्रैल 1986 में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी को भेजा जा सका। इसके भूमि अर्जन हेतु धारा-6 (1) की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रकरण दिनांक 12.10.89 को निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा

जा चुका है।

जी नहीं।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उन्नाव को कृषकों के भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु रू0 25,000.00 मात्र की धनराशि अप्रैल 1989 में उपलब्ध करायी जा चुकी है। गजट में प्रकाशन के बाद एवार्ड घोषित कर प्रतिकर का भुगतान करना सम्भव हो सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग के अभियन्त्रण अनुभागों में तैनात इंजीनियरिंग में समान तकनीकी योग्यता वाले उपनिदेशकों का स्थानान्तरण एवं इलेक्ट्रिकल व ट्रांसपोर्ट सेल यूनिटों के दूषित सेवा नियमों में परिवर्तन

96–श्री राजकिशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990 के तृतीय सत्र में सरकार द्वारा की गयी सूचनाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अभियंत्रण अनुभागों के 10–12 वर्षों से बिना स्थानान्तरण के लगातार एक ही पदों पर तैनात चले आ रहे हैं इंजीनियरिंग में समान तकनीकी योग्यता वाले उप निदेशकों को स्थानान्तरित करने एवं वर्ष 1981 व 1983 में कथित इलेक्ट्रिकल सेल व ट्रांसपोर्ट सेल यूनिटों के लिए बनाये गये दूषित सेवा नियमों को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विधायक राम कुमार यादव का कोई पत्र दिनांक 29–6–90 मुख्य मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या–क्या निर्णय लिए एवं क्या कार्यवाही की है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र के मुख्य बिन्दु निम्न हैं:—

1– श्री एन0 के0 गुप्ता, उप निदेशक (प्राविधिक) के विरूद्ध जांच।

2– श्री एन0 के गुप्ता, उप निदेशक (प्राविधिक) का स्थानान्तरण।

3– स्वास्थ्य विभाग के परिवहन एवं विद्युत सेल की अलग–अलग सेवानियमावली को एकीकृत सेवा नियमावली/कैडर बनाना।

4– उप निदेशक (विद्युत) की संयुक्त निदेशक (विद्युत) के पद पर प्रोन्नति।

उक्त बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:—

1– श्री एन0 के0 गुप्ता, उप निदेशक (प्राविधिक) के विरूद्ध जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

2– स्वास्थ्य विभाग के परिवहन एंव विद्युत सेल की अलग–अलग सेवा नियमावली शासन द्वारा वर्ष 1981 एवं 1983 में प्रख्यापित हो चुकी है।

3– श्री वी0 के0 सिंह, उप निदेशक विद्युत को संयुक्त निदेशक विद्युत के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है।

जनपद उन्नाव के पुरवा तहसील में बसहा ड्रेन बनाये जाने की मांग

97–श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के पुरवा ब्लाक के अंतर्गत ग्राम कसरौर से ग्राम नूपतपुर तक बसहा ड्रेन बनाया जाना शासन ने स्वीकृत किया था? यदि हां, तो अब तक बसहा ड्रेन क्यों नहीं बनवायी गयी? उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती पम्प नहर मुखलिसपुर मुख्य नहर पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर भुगतान की जांच

98–श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती पम्प नहर मुखतीरनपुर मुख्य नहर पर मस्टर रोल पर श्री विन्ध्याचल के नाम से विगत 4 साल से पैसा निकाला जा रहा है जबकि श्री विन्ध्याचल को कार्य और पैसे के संबंध में कोई जानकारी नहीं है? क्या सरकार उपर्युक्त मामले की जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं?

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती पम्प नहर मुखलिसपुर मुख्य नहर के कार्यक्षेत्र में अप्रैल, 1986 से दिसम्बर 1990 तक विभिन्न अवधि में श्री विन्ध्याचल नाम के सात व्यक्ति, जिनके वल्दियत अलग–अलग हैं, मस्टर रोल पर रखे गये थे।

सात व्यक्तियों में से पांच व्यक्तियों ने पूछताछ करने पर कार्य करने तथा भुगतान प्राप्त करने की पुष्टि की है शेष दो व्यक्ति श्री विन्ध्याचल पुत्र श्री भरोसा एवं विन्ध्याचल पुत्र छोटक से भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि वर्तमान में यह लोग कहीं और चले गये हैं।

मामले की जांच अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती द्वारा करा ली गयी है। किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है।

99–100–श्री पंचानन राय—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में टौंस नदी पर बांध के निर्माण की मांग

101–श्री पंचानन राय—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे गुरूवार के लिए निर्धारित

अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संदर्भित परियोजना बना दी गयी है? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है तथा उसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां, परियोजना सचिव राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दे दी गई है।

वेर्माखास मुहम्मदाबाद बांध की प्रस्तावित योजना में टोन्स नदी के बायें किनारे 14.5 कि0मी0 लम्बे बांध का निर्माण प्रस्तावित है। योजना की लागत 115.04 लाख रू0 है।परीक्षणोपरान्त योजना अगली मुख्य अभियन्ता समिति के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। मुख्य अभियन्ता समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष स्वीकृत हेतु रखा जायेगा। इस प्रक्रिया में 6 माह का समय लगने की सम्भावना है।

केराकत राजबाहा में वाराणसी क्षेत्र की कतिपय माइनर क्षेत्रों की सिंचाई, गलत कार्यों एवं फर्जी भुगतान की जांच

102-श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केराकत राजबाहा में वाराणसी क्षेत्र की दिनदासपुर, माइनर-चोलापुर, माइनर, गड़खड़ा माइनर शिवपुर माइनर, दानगंज माइनर के क्षेत्र की सिंचाई व गलत कार्यों तथा लाखों रू0 के फर्जी भुगतान के बारे में प्रश्नकर्ता ने नागरिकों के दो प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के साथ 9-1-90 को उन्हें दिया था? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी? जांच का नतीजा क्या रहा? कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां।

जांच की कार्यवाही प्रगति में है। जांच पूर्ण होने पर यथा वांछित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य सहायक के विरूद्ध कतिपय आरोपों की जांच

103-श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 13 अगस्त, 1990 को उन्हें विधायक श्री किशन सिंह तड़ागी के पत्र के साथ कस्बा दोस्तपुर तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी दी गयी है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अखण्ड नगर जनपद सुल्तानपुर

के स्वास्थ्य सहायक श्री अवध बिहारी के विरूद्ध कतिपय आरोप लगाये गये हैं जिनकी जाँच मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर से करायी जा रही है।

जनपद बरेली में ग्राम बल्लिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

104–कुंवर सर्वराज सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बल्लिया, तहसील आलमपुर जाफराबाद, जनपद बरेली में जनता की चिकित्सा सुविधा को ध्यान में रखते हुए 40 शैय्याओं का चिकित्सालय खोलने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

वर्तमान में ग्राम बल्लिया में 4 शैय्याओं का नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक को उच्चीकृत कर 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला सेक्टर योजना है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से नामों का अनुमोदन प्राप्त होने एवं उसके लिये जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने पर शासन स्तर पर स्वीकृतियां निर्गत किये जाने पर विचार किया जाता है। उपरोक्तानुसार जिले से प्रस्ताव के अभाव में विचार नहीं किया गया है।

जनपद गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्र बांसगांव अंतर्गत खजनी में प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्थापित करने की मांग

105–श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव अन्तर्गत खजनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है? यदि हां, तो उसका भवन न बनाये जाने का क्या कारण है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में राप्ती एवं गौरा नदी से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बचाव कार्य के सम्बन्ध में

106–श्री मुक्तिनाथ—

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि रूद्रपुर विकास क्षेत्र जिला देवरिया में राप्ती व गौरा नदी के जल से तेज कटाव हुआ है? यदि हां, तो उस क्षेत्र में कटाव से गांवो को बचाने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री बाबू राम यादव—

वर्ष 1990 की बाढ़ के दौरान रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र जिला–देवरिया में राप्ती व गुर्रा नदियों से कहीं–कही सामान्य कटाव हुआ है। कटाव से प्रभावित ग्रामों में से निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 1990–91 में बचाव कार्य

कराए गये हैं अथवा प्रस्तावित हैं:—

1— गाजन डहरौली ग्राम में डैम्पनरों तथा पिचिंग का कार्य कराया गया है।

2— नगवां गांव में एक स्टड बनाया गया है तथा दो स्टड बनाने का प्रताव है।

3— ग्राम पिड़रा में रिंग बांध का निर्माण कराया गया है।

4— ग्राम जगल माझा व करनपुर में रिंग बांध तथा बेडवार का निर्माण कराया गया है।

5— नकइल ग्राम में पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है।

6— पुलिया ग्राम में तीन बेडवार बनाए गये हैं।

7— ग्राम सूचौली की आबादी को अन्यत्र बसाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त केवटलिया नरायनपुर तथा मेड़ी ग्रामों में कटाव निरोधक योजनाएं बनाई गई हैं।

जिला चिकित्सालय गाजीपुर में स्वीकृत लिपिक पदों पर नियुक्ति

107—श्री खुरशीद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में लिपिकों के स्वीकृत 4 पदों के विपरीत 6 लिपिक कार्यरत हैं? क्या दो अतिरिक्त लिपिकों की नियुक्तियां अवैधानिक ढंग से की गयी है? यदि हां, तो उनका वेतन किस मद से आहरित किया जा रहा है तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जिला चिकित्सालय गाजीपुर में स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत कुल 6 पद (4 लिपिक तथा 2 पद स्टोरकीपर कम क्लर्क) स्वीकृत है, जिनके समक्ष 6 लिपिक संवर्गीय कर्मचारी ही कार्यरत हैं। किसी लिपिक की नियुक्ति अवैधानिक ढंग से नहीं की गई है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रूखाबाद में बनाये गये राजकीय नलकूपों की नालियों के निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में

108—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980—1983 के बीच ग्राम पिथनापुर एवं ग्राम जैनापुर विकास खण्ड राजेपुर जनपद फर्रूखाबाद में राजकीय नलकूप बनाये गये? क्या उनकी नालियों का निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है? इस विलम्ब का क्या कारण है तथा इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? कृषकों के हित में इस कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां, राजकीय नलकूप संख्या—184 फर्रूखाबाद ग्रुप ग्राम पिथनापुर में

तथा नलकूप संख्या-186 फर्रूखाबाद ग्रुप ग्राम जैनापुर में बना है।

राजकीय नलकूप संख्या-186 फर्रूखाबाद ग्राम जैनापुर में पाइप लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा राजकीय नलकूप संख्या-184 फर्रूखाबाद ग्राम पिथनापुर में पाइप लाइन का निर्माण किया जाना अवशेष है। ग्राम पिथनापुर में पक्की गूल बनाया जाना प्रस्तावित था। ग्राम में चकबन्दी न होने के कारण पक्की गूल का कार्य नहीं किया जा सका था। कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

पक्की गूल के स्थान पर 1.6 कि.मी. पी.बी.सी. पाइप लाइन इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जालौन के ग्राम आटा में आन्त्रशोथ/हैजा से मृत व्यक्तियों की संख्या, जांच एवं मृतकों को आर्थिक सहायता

109-श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन, तहसील-कालपी के ग्राम आटा में दिनांक 11-6-90 से 15-6-90 के मध्य हैजा/आन्त्रशोथ बीमारी से कितने लोगों की जानें गयीं? क्या लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक तथा कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मरने वालों के परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गयी? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या बीमारी के कारणों का पता लगाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जनपद जालौन-तहसील कालपी के ग्राम आटा में प्रश्नगत अवधि में हैजा/आन्त्रशोथ बीमारी से 7 लोगों की मृत्यु हुई। कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के लिये तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित तीन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निलम्बित करके विभागीय जांच की जा रही है। विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

संक्रामक रोग प्रसार का कारण जल आपूर्ति की पाइप लाइन में लीकेज के कारण आपूर्ति किये गये पेय जल का प्रदूषण पाया गया।

जनपद गढ़वाल में मोटाढांग (दुर्गापुरी) में नलकूप बनाने हेतु अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

110-श्री भारत सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में मोटाढांग (दुर्गापुरी) में नलकूप बनाने के लिए विभाग ने कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है? उसके लिए कितने रूपये का मुआवजा देय है और यह मुआवजा कब तक किसानों को भुगतान किया जाएगा?

श्री बाबू राम यादव—

जनपद गढ़वाल के ग्राम मोटाढांग (दुर्गापुरी) में नलकूप बनाने के लिए

0.129 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। भूमि अर्जन से संबंधित विज्ञप्तियां जारी होने के उपरान्त प्रतिकर का निर्धारण एवं भुगतान किया जायेगा।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के विभागाध्यक्षों की मनमानी एवं रेडियोलाजी विभाग में रीडर के पद पर नियुक्ति विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

111-श्री राम बचन यादव—

क्या शिक्षा चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के विभागाध्यक्षों की मनमानी तथा रेडियोलाजी विभाग में रीडर की नियुक्ति के संबंध में श्री अरूण सिंह "मुन्ना" उप नेता कांग्रेस विधान दल का कोई पत्र दिनांक 3-7-90 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब तक रीडर की नियुक्ति कर दी जायेगी?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी हां।

के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के विभागाध्यक्षों की मनमानी तथा रेडियोलाजी विभाग में रीडर की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री अरूण सिंह "मुन्ना" उप नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल का पत्र दिनांक 3-7-90 नहीं बल्कि दिनांक 13 जुलाई, 1990 का प्राप्त हुआ है। उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990, 21 दिसम्बर, 1990 में प्रख्यापित की जा चुकी है। उक्त नियमावली के तहत राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न विशिष्टता में नियमित नियुक्त प्रवक्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के उपरान्त ही रीडर-इन-रेडियोलाजी के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जनपद कानपुर देहात के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ककवन में कार्यरत उसी गांव के स्वास्थ्य निरीक्षक के स्थानान्तरण की मांग

112-श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ककवन, जनपद कानपुर देहात से संबंधित कौन स्वास्थ्य निरीक्षक उसी स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित गांव के निवासी है? वे कब से वहां पर कार्यरत हैं और उन्हें स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित और गांव बछना निवासी लैब टेक्नीशियन का स्थानान्तरण उक्त नीति के तहत कर दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ककवन जनपद कानपुर देहात में श्री एम.पी. सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर दिनांक 1-7-1978 से कार्यरत हैं तथा उसी स्वास्थ्य केन्द्र में स्थित ग्राम के निवासी हैं। श्री एम.पी. सिंह को अन्यत्र स्थानान्तरण करने हेतु संयुक्त निदेशक (मलेरिया) को शासन द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर ग्राम बछना के निवासी श्री पी.एन. सिंह, कार्यरत लैब टेक्निशियन को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु भी संयुक्त निदेशक (मलेरिया) को शासन द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चिरई गांव अन्तर्गत जाल्हूपुर बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक की नियुक्ति

113–श्री अमर नाथ यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत चिरईगांव विकास क्षेत्र में जाल्हूपुर बाजार में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है? क्या उस स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी चिकित्सक की नियुक्ति की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र चिरईगांव के अन्तर्गत ग्राम–छितौनी में स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वहां पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम जाल्हूपुर बाजार में पहले से कार्यरत उच्चीकृत उपकेन्द्र के भवन में स्थापित कर चलाया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय जमीन फरेन्दा के किराये का भुगतान

114–श्री पंचानन राय—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरूवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–72 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन का कितना भाग भवनोति द्वारा नहीं दिया गया है? इसे प्राप्त करने के लिए भवनपति को क्या कोई लिखित सूचना दी गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

भवन का 848 वर्गफुट क्षेत्र का कब्जा भवनपति द्वारा नहीं दिया गया है।

जी हां।

भवनपति द्वारा दिये गये नक्शे के अनुसार 1280 वर्गफुट का किराया शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कब्जे में वास्तव में एक कमरा व एक कोठरी है जिसका क्षेत्रफल 432 वर्गफुट है। मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 28–5–90 द्वारा भवनपति को लिखित सूचना दी है कि जितना भवन अस्पताल के कब्जे में है उसका एग्रीमेन्ट कर दें तथा नक्शे में दर्शाये गये पूर्ण भाग का कब्जा दे दें जिससे किराये के भुगतान

की कार्यवाही की जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

115–श्री पंचानन राय––

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद आजमगढ़ में चन्दहा ड्रेन पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

116–श्री पंचानन राय––

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरूवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–94 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निर्माण हेतु डिजाइन तथा ड्राइंग का काम कब प्रारम्भ किया गया तथा कब पूरा हुआ? इस पुल का वास्तविक निर्माण कब प्रारम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री बाबू राम यादव––

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरूवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–94 के उत्तर के संदर्भ में सूचित करना है कि पन्दहा–ड्रेन पर पुलिया निर्माण हेतु माह जुलाई 1990 से डिजाइन तथा ड्राइंग का कार्य प्रारम्भ किया गया और दिनांक 30–9–90 को पूरा हुआ। यह ड्राइंग सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 7–11–90 को अनुमोदित हो चुकी है। यह कार्य जनवरी 1991 में प्रारम्भ करके जून 1991 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

भूतपूर्व पूर्ति निरीक्षक चौपटिया, लखनऊ के श्री अव्वल सिंह वर्त्वाल, के अवशेष देयों का भुगतान एवं उनके आश्रित को सेवा में लेने की मांग

117–श्री कुंवर सिंह नेगी––

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अव्वल सिंह वर्त्वाल, पूर्ति निरीक्षक पद पर चौपटिया क्षेत्र, लखनऊ में सेवारत थे, जहां से वे दिनांक 1–12–73 से लापता है? क्या उनके अवशेष वेतन, जी0 पी0 एफ0 ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नियमानुसार उनके आश्रितों को कर दिया गया है तथा उनके निकटतम आश्रित को पेंशन एवं नौकरी पर लिये जाने का लाभ दे दिया गया है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? इसमें विलम्ब के क्या कारण है? कब तक मृतक के आश्रितों को अवशेष भुगतान एवं अन्य देय लाभ प्रदान कर दिए जायेंगे?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

श्री अव्वल सिंह वर्त्वाल, पूर्ति निरीक्षक क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय, चौक, लखनऊ में सेवारत थे जो दिनांक 1–12–73 से लापता हैं। श्री वर्त्वाल का कोई अवशेष वेतन देय नहीं है। उनके आश्रित को जी0 पी0 एफ0, पेंशन, ग्रेच्युटी की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रपत्र भेज दिये गये हैं।

स्वर्गीय वर्त्वाल के आश्रित को सेवायोजन प्रदान करना सम्भव नहीं है

क्योंकि श्री वर्त्वाल 1 दिसम्बर, 1973 से लापता हुये हैं जबकि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 21 दिसम्बर, 1973 में प्रवृत्त हुयी है।

इस मामले में विलम्ब का कारण यह था कि श्री वर्त्वाल के लापता होने की तिथि से 7 वर्ष के उपरान्त इन्हें मृत माना गया एवं तत्पश्चात (स्वर्गीय) वर्त्वाल की पत्नी द्वारा पेंशन प्रपत्र एवं ग्रेच्युटी तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया। उक्त दावों को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को संदर्भित करने पर उन्होंने कतिपय आपत्ति के साथ उसे वापस कर दिया था। पुनः यह संदर्भ महालेखाकार को भेजा गया है जो उनके विचाराधीन है। महालेखाकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

स्टेट मेडिकल फैकल्टी उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष 1989 में विज्ञापित एक्स-रे प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का विवरण

118-श्री ओम प्रकाश गुप्ता--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी उ0 प्र0 द्वारा अगस्त, 1989 में एक्स-रे प्रशिक्षण में भर्ती हेतु मांगे गये आवेदन पत्रों में कितने अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति) के हैं? उक्त परीक्षा कब तक आयोजित कर दी जायेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

प्राप्त कुल 5557 आवेदन पत्रों में से 2026 अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के हैं। पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण शासन द्वारा अभी परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में ए0सी0सी0 सीमेन्ट के दामों में अन्य सीमेन्टों के अपेक्षा अधिक मूल्य होने की शिकायत

119-श्री शिव प्रताप शुक्ल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि कानपुर लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, सीतापुर, बरेली, फैजाबाद एवं गोरखपुर में दि ए0 सी0 सी0 लि0 के सीमेन्ट का मूल्य अन्य कम्पनियों की अपेक्षा अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

प्राप्त सूचनानुसार कानपुर, लखनऊ व बरेली में दी ए0सी0सी0लि0 के सीमेंट की अन्य कम्पनियों की अपेक्षा अधिक मूल्यों पर बिक्री नहीं की गयी है।

इलाहाबाद, वाराणसी, सीतापुर, फैजाबाद तथा गोरखपुर में दी ए0 सी0 सी0 लि0 के सीमेंट का मूल्य कुछ कम्पनियों से एक रूपये से चार रूपये तक अधिक रहा और कुछ कम्पनियों से कम अथवा समान रहा।

सीमेन्ट का स्वतन्त्र व्यापार है और निर्माताओं/व्यापारियों द्वारा इसके मूल्य, मांग और आपूर्ति के सिद्धान्त स्वतः निर्धारित होते हैं। चूंकि शासन का सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। प्रदेश सरकार ने इस ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है व भारत सरकार से इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

120–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

(करण सं0 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित होने के कारण निरस्त)

विधान सभा क्षेत्र अमेठी में लगे सरकारी नलकूपों की स्थिति की जानकारी

121–श्री हरिचरण यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमेठी में कुल कितने राजकीय नलकूप लगे हैं? उनमें से कितने बेकार पड़े हैं कितने चालू हालत में है और कितने विद्युत कनेक्शन न होने के कारण चालू नहीं हो पाये हैं?

श्री बाबू राम यादव—

विधान सभा अमेठी क्षेत्र में कुल 100 राजकीय नलकूप अब तक लगे। कुल 13 नलकूप बंद हैं। इनमें से 9 नलकूल का परित्याग प्रस्तावित है, 3 नलकूप का पुनः निर्माण होना है, तथा एक नलकूप जो अस्थायी तौर से खराब हो गया था, को इसी माह ठीक कराकर चालू किया जा रहा है। 87 नलकूप चालू हालत में हैं।

शून्य।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी अन्तर्गत ग्राम धानापुर स्थित डा0 ओंकार सिंह एवं डा0 नरेश सिंह द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र के द्वारा निजी मेडिकल प्रैक्टिस करने के विरूद्ध जांच की मांग

122–श्री ज्वाला प्रसाद यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम धानापुर वि0 ख0 आराजी लाईन वाराणसी में डा0 ओंकार सिंह व डा0 नरेश सिंह एम0बी0बी0ए0, बी0ए0एम0एम0 का फर्जी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर गरीब जनता के धन को मनमाने ढंग से लूट रहे हैं तथा उनके इलाज से कई मरीजों की वर्ष 1988–89 में मृत्यु भी हो चुकी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त चिकित्सकों की डिग्रियों की जांच कराकर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

ग्राम धानापुर विकास खण्ड आराजी लाइन, जनपद वाराणसी में प्रश्नगत चिकित्सकों का प्रमाण–पत्र फर्जी होने तथा गरीब जनता से मनमाने ढंग से धन लूटने व 1988–89 में उनके इलाज से कई रोगियों की मृत्यु की कोई सूचना

उपलब्ध नहीं है।

चिकित्सकों के डिग्रियों के फर्जी होने की जांच एवं कार्यवाही का कार्य गृह (पुलिस) विभाग द्वारा किया जाता है।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, पीलीभीत में किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत

123–श्री रियाज अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला संयुक्त चिकित्सालय पीलीभीत में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 1–4–90 से 1–6–90 तक प्रश्नकर्ता के कुल कितने शिकायती–पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

कुल दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं।

शिकायतों की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी से कराकर आख्या शासन को भेजने हेतु निदेशक प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुख्यालय पीलीभीत स्थित संयुक्त चिकित्सालय से सम्बन्धित विवरण की जानकारी

124–श्री रियाज अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के मुख्यालय पर बने संयुक्त चिकित्सालय कुल कितनी शैय्या का है? क्या इतने बड़े चिकित्सालय में डाक्टर, फार्मेसिस्ट, नर्स, वार्ड ब्वाय, चौकीदार इत्यादि स्टाफ की पूर्ति करा दी गई है? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ति करा दी जायेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जनपद पीलीभीत स्थित संयुक्त चिकित्सालय कुल 200 शैय्याओं का है।

चिकित्सालय में कुल स्टाफ की स्वीकृति व कार्यरत स्टाफ की स्थिति निम्नवत् है:—

	पद नाम	स्वीकृति	कार्यरत स्टाफ	रिक्त विवरण
1.	डाक्टर	26	19	7
2.	फार्मेसिस्ट	11	10	1
3.	नर्सेस संवर्ग	22	20	2
4.	चतुर्थ श्रेणी	55	54	1

उक्त स्वीकृति मानकों के आधार पर कम है। संसाधन उपलब्ध होने की

दशा में तथा जिला योजना में इस हेतु आवश्यक प्राविधान हो जाने के पश्चात् पदों के स्वीकृति की कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

जनपद बदायूं स्थित नये लघु उद्यमियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी

125–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बदायूं जनपद में नये लघु उद्मियों को शासन द्वारा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो क्या–क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

नये उद्योगों की स्थापना के लिये उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श दिया जाता है। उन्हें अवस्थापना एवं वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

126–डा0 दिनेश जौहरी—

(2रें सोम में अता0 प्र0 सं0 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

वाराणसी महानगर एवं पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में ईंधन गैस की रिफिलिंग की सुचारू आपूर्ति हेतु वाराणसी में प्लान्ट लगाये जाने का प्रस्ताव

127–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी महानगर तथा आस–पास के क्षेत्रों में ईंधन गैस की सुचारू आपूर्ति हेतु वाराणसी में रिफिलिंग प्लान्ट लगाये जाने की कोई योजना शासन की विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या रिफिलिंग प्लान्ट में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सेवा में लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वाराणसी को प्राप्त होने वाले सिलेन्डरों की संख्या में कोई कटौती की गयी है? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है? क्या वाराणसी में ईंधन गैस सिलेन्डरों की कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

उत्तर प्रदेश शासन के विचाराधीन कोई योजना नहीं है। वाराणसी जनपद में भारतीय तेल निगम, जो भारत सरकार के नियन्त्रण में है, के द्वारा एल0 पी0 जी0 बाटलिंग प्लान्ट का निर्माण किया जा रहा है।

घरेलू गैस की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा की जाती है जो भारत सरकार के ही नियन्त्रण में हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सामान्यतः नहीं की जाती है।

शारदा सहायक खण्ड दक्षिणी रायबरेली के भू0पू0 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री शिव बहादुर यादव आत्मज श्री चतुरी निवासी ग्रा0 पहाड़ीपुरमजरे जिला–रायबरेली की पेंशन का भुगतान

128–श्री हरिचरण यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव बहादुर यादव आत्मज श्री चतुरी नि0 ग्राम पहाड़ीपुर मजरे बहाई जि0 रायबरेली जो 15 वर्ष पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्म0 के रूप में शारदा सहायक खण्ड दक्षिणी रायबरेली से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की पेंशन स्वीकृत होकर मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सेवा निवृत्त कर्म0 की पेंशन कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगी?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं।

श्री शिव बहादुर यादव सेवा निवृत्त नहीं हुये हैं। श्री यादव सेवा से दिनांक 31.8.75 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इनकी सेवा निवृत्ति का प्रकरण विचाराधीन है।

श्री सुरेश चन्द्र वैश्य भू0पू0 मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र बलिया के अवशेष देयों का भुगतान

129–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश चन्द्र वैश्य निवासी मेरठ जो कि जिला उद्योग केन्द्र बलिया के मैनेजर पद से 30–11–85 को सेवा निवृत्त हुये, को नियमानुसार समस्त देय का भुगतान (हाऊसरेंट, अर्जित अवकाश, वेतन एरियर, पेंशन ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0, सामूहिक बीमा आदि) कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री सुरेश चन्द्र वैश्य, प्रबन्धक (विपणन) जिला उद्योग केन्द्र, बलिया के पद से अधिवर्षता आयु पूरी कर दिनांक 30.11.85 को सेवा निवृत्त हुये थे। श्री वैश्य को दिनांक 3.4.81 से 31.7.85 तक का बकाया वेतन रू0 60,614.50 पै0 26.10.85 को तथा माह अक्टूबर, 74 से अप्रैल, 1981 तक का बकाया वेतन रू0 76,176.40 पै0 28.6.88 को भुगतान किया जा चुका है।

श्री वैश्य ने हाऊसरेन्ट, अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान, पेंशन ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0, सामूहिक बीमा आदि भुगतान किये जाने हेतु मा0 लोक सेवा अधिकरण में एक निर्देश याचिका दाखिल की थी। मा0 अधिकरण ने उनकी याचिका निरस्त करते हुये दिनांक 19.4.88 को अपने अन्तिम निर्णय में श्री वैश्य के उक्त देयों का भुगतान न किये जाने के आदेश पारित किया है। श्री वैश्य ने इस निर्णय के विरूद्ध पुनर्विचार (रिव्यू) प्रार्थना–पत्र मा0 अधिकरण में दाखिल किया है जो अभी लम्बित है। मा0 अधिकरण के निर्णय के बाद ही उनके उक्त देयों के भुगतान की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

गाजियाबाद शहर के स्थायी झोपड़पट्टी निवासियों को राशन कार्डों का जारी किया जाना

130–श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद नगर में लगभग 25,000 लोग जो झोपड़–पट्टी में स्थायी रूप से विभिन्न स्थानों पर रहने वालों, लगभग 25,000 लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक इन लोगों के राशन कार्ड बनाने के मामले में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जी हां। गाजियाबाद नगर के अन्दर झोपड़ पट्टी में रहने वाले लगभग 25,000 व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं।

नगर में झोपड़–पट्टी रेलवे विभाग, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय तथा अन्य निजी स्वामित्व वाली भूमि पर अस्थायी रूप से निर्मित होने के कारण इनमें रहने वालों को राशन कार्ड जारी करना सम्भव नहीं हो सका।

प्रदेश के औषधि निरीक्षकों का वेतनमान केन्द्र के औषधि निरीक्षकों के समतुल्य करने की मांग

131–श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र में ड्रग इंस्पेक्टर्स (औषधि निरीक्षक) का वेतनमान क्या है? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में उक्त पद धारक को दिया जाने वाला वेतनमान कम है? यदि हां, तो इस विसंगति के कारण क्या है? शासन द्वारा इस विसंगति को दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

केन्द्र में औषधि निरीक्षक का वेतनमान रू0 2000–60–2300–द.रो. –75–3200–100–3500 है।

जी हां।

तथाकथित विसंगति की विषयवस्तु अभी विचाराधीन है। प्रकरण गठित समिति के समक्ष विचाराधीन है।

प्रदेश में विगत तीन वर्षों में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो प्रबन्धक के पदों पर की गयी पदोन्नति की जानकारी

132–श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987–88, 88–89 एवं 89–90 में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में डिपो प्रबन्धक पद पर प्रोन्नत किए गये कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने की

तारीख क्या है?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

विवरण निम्नलिखित है:—

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति तिथि	प्रबन्धक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4
	वर्ष 1987-88		
1-	श्री सूर्य मणि यादव	27-1-87	10-2-87
2-	श्री बाबू लाल त्रिपाठी	10-3-87	20-6-87
	वर्ष 1988-89		
	शून्य		
	वर्ष 1989-90		
1-	श्री दयाराम सिंह	5-10-89	5-10-89
2-	श्री मनीराम	13- 7-89	13- 8-89
3-	श्री नरेन्द्र पाण्डेय	5-10-89	5-10-89
4-	श्री सतीश कुमार	5-10-89	5-10-89

विवेकानन्द पालीक्लीनिक, लखनऊ में ओ0पी0डी0 पर्चे एवं आपरेशन फीस बढ़ाये जाने की शिकायत

133-श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विवेकानन्द पालीक्लीनिक लखनऊ में 1 अप्रैल, 1989 से ओ0पी0डी0 पर्चा 3 रूपये के स्थान पर 4 रूपये, आपरेशन फीस 100 रूपये के स्थान पर 250 रूपये किया गया है? यदि हां, तो उक्त वृद्धि का क्या औचित्य है? क्या उक्त वृद्धि के पहले किसी प्रकार की अनुमति सरकार से ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

विवेकानन्द पालीक्लीनिक लखनऊ का प्रबन्ध रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संस्था रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम द्वारा होता है। प्रश्नगत वृद्धि संस्था द्वारा लेखन सामग्री, दवाओं, एनेस्थेटिक ड्रग आपरेशन कक्ष, साज-सज्जा एवं आपरेशन सामग्री के मूल्य में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप किया गया है।

जी नहीं। चूँकि उक्त संस्था स्वैच्छिक है अतः शुल्क वृद्धि में शासन की

अनुमति आवश्यक नहीं है।

वाराणसी में स्वास्थ्य विभागान्तर्गत क्षेत्रीय परिवहन कार्यशाला में शासन द्वारा 14-12-89 को लिए गये निर्णयों को लागू किया जाना

134-श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी क्षेत्रीय कार्यशाला में सीनियर फोरमैन की तैनाती एवं परिवहन कार्यशालाओं के सुधार के संबंध में शासन द्वारा 14-12-89 को लिए गए निर्णयों के अनुपालन हेतु जनपद-वाराणसी के विधायक श्री मूलचन्द्र व अन्य का पत्र दिनांक 30-3-90 व 19-5-90 निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य भवन को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र के मु[illegible] मुख्य बिन्दु क्या हैं? और उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1988 से जून 1990 तक की गयी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का विवरण

135-श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1988 से जून 1990 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

जनपद रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1988 से जून, 1990 तक में 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी।

जनपद आजमगढ़ में सरायमीर के निकट ग्राम सेरवां में चिकित्सालय निर्माण की मांग

136-श्री दयाराम भास्कर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा सरायमीर में चल रहे चिकित्सालय के संबंध में दिनांक 15-7-90 व 14-8-90 को स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य मंत्री, मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ को सरायमीर के निकट ग्राम सेरवां में चिकित्सालय निर्माण हेतु पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं भवन निर्माण जिला सेक्टर की योजनायें हैं। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्थानों के नामों का अनुमोदन

प्राप्त होने एवं उनके लिये जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने पर ही शासन स्तर पर स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार किया जाता है। तद्नुसार प्रस्ताव भेजने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुर द्वारा में तुमरिया बांध से निकलने वाली नहरों के टूटने की शिकायत

137–श्री मोहम्मद उल्ला खां—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तुमरिया बांध से निकलने वाली नहरें जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में प्रायः टूटती रहती है तथा किसानों को पानी नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो उक्त नहरों को टूटने से बचाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

तुमरिया बांध से निकलने वाली नहरें जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में कृषकों द्वारा अवैध कटिंग एवं जहां बैंक कमजोर है वहां टूटने के कारण कभी–कभी कृषकों को कहीं–कहीं नहरों पर पानी मिलने में असुविधा होती है।

अधिकतर मामलों में नहरों को बिना बन्द किये ही ठीक कर लिया जाता है। नहरों को टूटने से बचाने हेतु यथा सम्भव बैंको को सुदृढ़ कराने का प्रयास किया जाता है। विभागीय पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाती है तथा जिला प्रशासन/पुलिस की सहायता हेतु भी प्रयास किए जाते हैं।

जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में रामगंगा एवं ढेला नदियों द्वारा प्रतिवर्ष कटाव से उत्पन्न समस्या

138–श्री मोहम्मद उल्ला खां—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम बलिया, चन्दुपुरा, महदूद, मोलाबाइन, गकखरपुर, मुस्तदापुर, शेखुपुर, रोशनपुर इत्यादि में राम गंगा तथा ढेला नदी द्वारा हर वर्ष पानी के कटाव से उक्त क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त हो जाता है? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री बाबू राम यादव—

जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के रामगंगा नदी के किनारे पर बसे ग्राम चन्दुपुरा, महदूद, मोलाबाइन, गकखरपुर, मुस्तफापुर में पहले से ही कटाव निरोधक कार्य बने हुए हैं जिनसे रामगंगा नदी की बाढ़ के प्रकोप से बचाव होता है। ढेला नदी द्वारा बाढ़ ग्रस्त बलिया, शेखुपुर व रोशनपुर की समस्या के सम्बंध में सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त ही किसी योजना के सम्बंध में विचार किया जाना सम्भव होगा।

श्री डा0 डी0 एस0 श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि का दिया जाना एवं श्री रवीन्द्र कुमार दुबे, स्वास्थ्य निरीक्षक के सेवा पुस्तिका के सत्यापन का औचित्य

139–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–98 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि किस वर्ष दी गई और उन्हें कब सूचित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या श्री रवीन्द्र कुमार दुबे, स्वास्थ्य निरीक्षक जुलाई, 1985 से 29–9–86 तक चिनहट में तैनात थे? यदि नहीं, तो वहां से उनकी सेवा के सत्यापन का क्या औचित्य है? क्या श्री दुबे की सेवा पुस्तिका गायब किए जाने के लिए जिम्मेदार दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि एवं दण्ड दिनांक 20 अप्रैल, 1982 के आदेश द्वारा दिया गया तथा उक्त आदेश द्वारा ही उन्हें सूचित कर दिया गया।

श्री रवीन्द्र कुमार दुबे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में माह जुलाई, 1985 से पूर्व तैनात थे। दिनांक 29–6–1985 के आदेश द्वारा श्री दुबे का स्थानान्तरण उन्नाव जनपद के लिये किया गया। माह जुलाई, 1985 से 29–9–1986 तक श्री दुबे सेवा से अनुपस्थित रहे। इसी संदर्भ में स्थिति का सत्यापन विभिन्न स्थानों से कराया जा रहा था जिसमें चिनहट शामिल था।

श्री दुबे की नयी सेवा पुस्तिका बना दी गयी है तथा सेवा पुस्तिका खो जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है।

सिंचाई कार्यमण्डल, मिर्जापुर एवं वाराणसी के कतिपय सहायक अभियन्ताओं का तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी स्थानान्तरण न करने की शिकायत

140–श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर तथा वाराणसी में ऐसे कौन–कौन सहायक अभियन्ता हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर ही कार्यरत हैं? कौन–कौन सहायक अभियन्ता 4 साल से अधिक समय से एक जनपद में कार्यरत हैं? कौन–कौन सहायक अभियन्ता 16 साल की सेवायें पूरी करने वाले हैं परन्तु प्रतिबन्धित स्थान की अवधि पूरी नहीं किये हैं? क्या शासनादेशों के तहत उन सभी का स्थानान्तरण इस वर्ष किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

वर्तमान में सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर में श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय (दिनांक 18–7–86 से) सिंचाई निर्माण खण्ड राबर्ट्सगंज में कार्यरत हैं। सिंचाई कार्य मण्डल वाराणसी में कोई भी सहायक अभियन्ता नहीं है, जो एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हो।

सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर के अंतर्गत सिंचाई निर्माण खण्ड, राबर्ट्सगंज में श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, सहायक अभियंता 4 वर्ष से अधिक अवधि से (दिनांक 18-7-86 से) कार्यरत हैं। राबर्ट्सगंज अब नवसृजित सोनभद्र जनपद में आ गया है।

सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी में ऐसा कोई सहायक अभियंता नहीं है, जो 4 वर्ष से अधिक समय से एक जनपद में कार्यरत हो।

निम्नलिखित सहायक अभियंता 16 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या 30 जून, 1991 तक 16 साल की सेवा पूरी करेंगे परन्तु प्रतिबंधित स्थान की अवधि पूर्ण नहीं किए हैं:—

सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर

1- श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

2- श्री कृष्ण कान्त श्रीवास्तव

सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी

1- श्री शक्ति नाथ पाण्डेय

2- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह

3- श्री राजेन्द्र प्रताप राय

4- श्री अमर बहादुर सिंह

5- श्री आर0 के0 पाण्डेय

6- श्री दया राम

आगामी स्थानान्तरण सत्र में इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सहायक परिवहन अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु सीनियर फोरमैन हेतु पात्रता

141-श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि सहायक परिवहन अभियन्ताओं के पदों पर विभाग में कार्यरत कुछ सीनियर फोरमैनों की प्रोन्नति हेतु गत दो वर्षों में निदेशालय से शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव गत दो वर्षों में कब-कब प्राप्त हुए थे? क्या उन पर निर्णय ले लिया गया है? यदि हां, तो क्या? प्रश्नगत प्रोन्नति की पात्रता हेतु वर्तमान सेवा नियमावली में क्या-क्या तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता निर्धारित है? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि विभागीय अनुभव के अतिरिक्त सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रमाण-पत्रों के आधार पर सम्बन्धित सीनियर फोरमैनों की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यतायें क्या-क्या हैं? क्या निर्धारित वांछित योग्यतायें एवं संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त योग्यतायें नियमानुसार एक समान तथा बराबर स्तर की

हैं? यदि नहीं, तो प्रस्तावों के भेजने का आधार क्या है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हाँ।

सीनियर फोरमैन से सहायक परिवहन अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु महानिदेशालय के दिनांक 24-11-88 एवं दिनांक 3-1-89 के पत्र प्राप्त हुए थे।

उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य परिवहन अभियन्त्रण सेवा नियमावली 1981 में सहायक परिवहन अभियन्ता के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्राविधान है, न कि सीनियर फोरमैन से पदोन्नति द्वारा। इसलिए निदेशालय के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता सोन वाराणसी के अधीन विगत दस वर्षों से कार्यरत कतिपय अवर अभियन्ताओं का प्रतिबन्धित स्थानों पर स्थानान्तरण

142-श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता सोन वाराणसी के अधीन ऐसे कौन-कौन सहायक अभियन्ता हैं जो प्रथम 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने वाले हैं लेकिन अब तक प्रतिबन्धित स्थानों पर नहीं रहे हैं? ऐसा क्यों? क्या इन्हें इस साल हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी के कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई सहायक अभियन्ता नहीं है, जो प्रथम 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने वाला हो और अब तक प्रतिबन्धित स्थान पर न रहा हो।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व विधायक डा0 संजय सिंह की विगत वर्षों में विदेश में हुई चिकित्सा पर व्यय एवं अन्य को भी तत्सम्बन्धी सुविधा दिये जाने की मांग

143-श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व विधायक की हैसियत से डा0 संजय सिंह को उपचार हेतु सरकारी खर्चे से वित्तीय वर्ष 1989-90 में विदेश भेजा गया था? इस पर कुल कितना सरकारी धन व्यय हुआ? क्या सरकार अन्य विधायकों/राजनेताओं को भी जिन्हें उपचार की आवश्यकता है विदेश भिजवाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिला चिकित्सालय स्थित पैथोलाजी विभाग के एड्स लैब केमिस्ट को रिस्क एलाउन्स दिये जाने की मांग

144–श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला चिकित्सालय के पैथोलाजी विभाग में एड्स लैब से सम्बन्धित केमिस्ट एवं अन्य जांचकर्ताओं को रिस्क एलाउंस दिए जाने का प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं।

पैथोलाजी विभाग एड्स लैब में कार्यरत कैमिस्ट एवं जांच कर्ताओं का एड्स से प्रभावित होने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

145–श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

(2 रे शुक्र में अता0प्र0सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री हौसला प्रसाद, सेक्शन मिस्त्री, उपखण्ड प्रथम, बाराबंकी नलकूप खण्ड द्वितीय, फैजाबाद के वेतन का निर्धारण

146–श्री शिव करन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हौसला प्रसाद, सेक्शन मिस्त्री, उपखण्ड प्रथम, बाराबंकी नलकूप खण्ड द्वितीय, फैजाबाद 1954 से सिंचाई विभाग में कार्यरत है और उनका अभी तक वेतन निर्धारण नहीं हुआ है? क्या सरकार नियमानुसार उक्त कर्मचारी को वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

श्री हौसला प्रसाद सिंचाई विभाग में नलकूप चालक के पद पर दिनांक 8–5–55 से कार्यरत थे। इन्हें दिनांक 1–8–83 से सेक्शन मिस्त्री के पद पर प्रोन्नत किया गया है। इनका वेतन निर्धारण किया जा चुका है तथा इन्हें देय अवशेष धनराशि का शीघ्र भुगतान किये जाने के आदेश भी अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, फैजाबाद को दे दिये गये हैं।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर में स्थित पी0 एच0 सी0 बेवाना में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

147–श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड अकबरपुर, जिला फैजाबाद की पी0 एच0 सी0 बेवाना में किन–किन पदों पर नियुक्तियां की गयी है ये नियुक्तियां कब–कब की गई है? क्या यह सही है कि उक्त पी0 एच0 सी0 के सभी कर्मचारी अकबरपुर पी0 एच0 सी0 में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से किसके आदेश से और क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

विकास खण्ड अकबरपुर जिला फैजाबाद की पी0एच0सी0 बेवाना में निम्न

पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं:—

1- चिकित्साधिकारी
2- स्वास्थ्य शिक्षा सूचनाधिकारी
3- कम्प्यूटर
4- फार्मेसिस्ट
5- चौकीदार
6- वार्ड ब्वाय
7- ए0एन0एम0
8- एल0टी0
9- स्वास्थ्य सहायक
10- स्वच्छक
11- वैक्सीनेटर
12- बी0एच0डब्लू0
13- दाई
14- वरिष्ठ लिपिक

नियुक्तियां वर्ष 1974 से 1990 के मध्य की गयी है।

जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया, इलाहाबाद में सृजित शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की मांग

148-श्री अमर नाथ यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया, इलाहाबाद में शिक्षकों के कुल कितने पद हैं? उनमें से कितने रिक्त हैं तथा कब से? कब तक उक्त कालेज में सम्पूर्ण शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां कर ली जायेंगी?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हण्डिया, इलाहाबाद में प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक के पद को छोड़कर शिक्षकों के कुल 18 पद हैं। उनमें से सात पद फरवरी 1988 से रिक्त हैं।

अभ्यर्थियों के चयन हेतु शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को अधिचायन भेजे जा चुके हैं। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रांतर्गत कतिपय ड्रेनों के सफाई का प्रस्ताव

149-श्री सुन्दर लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत चिलूला गोमिताल, रकसहा, सोनिकपुर, पेचारूबा, इन्होंना, फिरोजाबाद, कोलहदालिक, शिवनाम, सोनिकपुर, बहुता शिवगढ़ आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई का निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन

में विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां। जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत चिलुला, गोमियाताल, रक्सहा, सोनिकपुर, पिचारूबा, इन्हौना, फिरोजाबाद, कोलहदालिक, शिवनाम, बहुता, शिवगढ़ ड्रेनों की खुदाई स्वीकृत लम्बछिन्नक के अनुसार पूर्व में कराई जा चुकी है। चिलुला, रक्सहा, सोनिकपुर, पिचारूवा, इन्हौना, शिवनाम, बहुता ड्रेनों की सफाई गत वर्षा से पूर्व कराई जा चुकी है। गोमियाताल, फिरोजाबाद, कोलहदालिक, शिवगढ़ ड्रेनों की सफाई आगामी वर्षाकाल से पूर्व प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विकासखण्ड पूरे डलई के ग्राम चिर्रा खजूरी गांव को घाघरा नदी के कटाव से बचाने हेतु पक्के ठोकर बनवाने में की गयी अनियमितता की शिकायत

150—श्री सुन्दर लाल तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0पू0 विधायक श्री अशर्फी लाल यादव ने दिनांक 4 जनवरी, 90 को उनको सम्बोधित अपना एक पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया था जिसमें जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड पूरे डलई के गांव चिर्रा खजूरी में गांवों को घाघरा नदी के कटाव से बचाने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग द्वारा पक्की ठोकरों के निर्माण में लगभग 40 लाख रूपये के गबन का आरोप लगाया था और उसकी जांच तकनीकी सेल से कराये जाने की मांग की गयी थी? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

माननीय भूतपूर्व विधायक श्री अशर्फी लाल यादव का पत्र दिनांक 4.1.90 शासन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। अतः उक्त पत्र की प्रति उनसे प्राप्त कर ली गई है तथा प्रश्नगत प्रकरण में तकनीकी जांच सेल द्वारा जांच करवाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कानपुर देहात के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ककवन में कार्यरत कतिपय फार्मेसिस्टों का अपने गृह तहसील में ही तैनाती के सम्बन्ध में शिकायत

151—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ककवन जनपद कानपुर देहात में फार्मेसिस्टों के कितने पद हैं और कितने फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं? कार्यरत फार्मेसिस्टों के नाम व उनके गृह जनपद तथा उनकी गृह तहसील क्या है? इसी संदर्भ में क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि बिल्हौर में कार्यरत फार्मेसिस्ट में से ऐसा कौन फार्मेसिस्ट है जो तहसील बिल्हौर के ही एक गांव का निवासी है? उक्त फार्मेसिस्ट कुल कितने वर्ष से इसी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर

व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ककवन में कार्यरत रह चुका हैं और कई बार दूसरी तहसील के स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित होने पर थोड़े समय के उपरान्त ही तहसील बिल्हौर के किसी न किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित होकर पुनः आ जाता है? इसका क्या कारण है और उसे कब तक किसी अन्य तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्हौर में फार्मेसिस्ट का एक पद है। ककवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है अपितु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है जहां फार्मेसिस्ट का एक पद सृजित है।

उक्त दोनों केन्द्रों पर एक-एक फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं। कार्यरत फार्मेसिस्ट का गृह पता निम्न प्रकार है:—

1- श्री जगजीवन लाल तिवारी, गृह जनपद-कानपुर देहात,
गृह तहसील-रसूलाबाद।

2- श्री हरिशचन्द्र शुक्ला, गृह जनपद-कानपुर देहात,
गृह तहसील-बिल्हौर।

श्री हरिशचन्द्र शुक्ला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर में 2 वर्ष 8 माह 6 दिन कार्यरत रहे तथा अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ककवन में 4 वर्ष 5 माह 16 दिन से कार्यरत हैं।

उक्त केन्द्रों पर इनका स्थानान्तरण स्थानीय व्यवस्था के आधार पर किया गया था। वार्षिक स्थानान्तरण के समय उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर भी नियमानुसार विचार किया जायेगा।

जनपद कानपुर देहात में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर के विगत वर्ष के मरीजों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क जमा न करने सम्बन्धी शिकायत

152-श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में 1 जनवरी, 1989 से 25 अगस्त, 1990 तक प्रतिदिन मरीज के पंजीकरण शुल्क के रूप में कितना धन एकत्र हुआ है? क्या एकत्र किया गया धन नियमानुसार प्रतिमाह कोषागार में जमा किया गया है? यदि हां, तो किस तिथि में तथा कितना? यदि नहीं, तो इसका दायित्व किस पर है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इस अवधि में कुल रू0 5187.80 पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।

जी नहीं।

प्रतिमाह जमा नहीं किया गया। वर्ष की पूरी धनराशि रू0 5187.80 दिनांक 31 मार्च, 1990 को भारतीय स्टेट बैंक की राजकीय शाखा, कानपुर देहात में एक मुश्त जमा कर दिया गया।

नियमानुसार धन को प्रतिमाह न जमा करने के लिए दायित्व निर्धारित करने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात को निर्देशित किया जा रहा है।

श्री देवीदत्त सेमवाल भू0पू0 अधीक्षण अभियन्ता लिफ्ट सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा 1 जून 1974 से 20 जून 1974 की अवधि में दिये गये ठेके के भुगतान की कार्यवाही

153–श्री अमर नाथ यादव—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1974 ई0 से 20 जून, 1974 ई0 तक लिफ्ट सिंचाई विभाग, वाराणसी के तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता श्री देवीदत्त सेमवाल द्वारा कितने ठेकेदारों को आपूर्ति आदेश दिये गये थे? क्या सभी ठेकेदारों का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न होने का क्या कारण है? क्या शासन उनके भुगतान कराने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

श्री देवी दत्त सेमवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 22–5–74 पूर्वान्ह में लिफ्ट सिंचाई मंडल, वाराणसी का कार्यभार सौंप दिया गया था। अतः 1 जून, 74 से 20 जून, 74 तक की प्रश्नगत अवधि में उनके द्वारा किसी ठेकेदार को कोई आपूर्ति आदेश दिए जाने का प्रश्न ही नहीं होता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सीताराम, निरीक्षण अधिकारी (भण्डार), परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ के अवशेष देयों का भुगतान

154–श्री श्रीराम चौहान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत श्री सीताराम निरीक्षण अधिकारी (भण्डार) को माह जनवरी फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 1989 का अवकाश वेतन तथा ड्यूटी वेतन का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया? इतनी लम्बी अवधि तक एक अल्पवेतन भोगी कर्मचारी का वेतन रोके जाने का क्या औचित्य है एवं इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्रश्नगत मामले में मुकदमें के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ। वेतन भुगतान कराने के आदेश पारित कर दिये गये हैं।

श्री रामजी प्रसाद गुप्ता, आशुलिपिक, मण्डलीय, निदेशालय गोरखपुर के विरुद्ध आरोपित भ्रष्टाचार की जांच

155–श्री श्रीराम चौहान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक मण्डलीय

गोरखपुर के पत्र दिनांक 15 मई, 1986 द्वारा श्री रामजी प्रसाद गुप्ता, आशुलिपिक के विरूद्ध सर्तकता विभाग द्वारा जांच कराई जाने की संस्तुति की गई थी? यदि हां, तो क्या जांच कराई गयी? उसका क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अपर निदेशक के उक्त पत्र के अनुसार श्री रामजी प्रसाद गुप्ता को मण्डल के बाहर स्थानान्तरित किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

मण्डलीय अपर निदेशक, गोरखपुर को संस्तुति पर कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 पास बुक खुलवाये जाने की मांग

156–श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 पास बुक बन गई है? यदि हां, तो क्या अब तक पूरी प्रविष्टियां कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी हां।

जी हां, प्रविष्टियां कर ली गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के आयुर्वेद चिकित्सालय के जीर्णोद्धार की कार्यवाही

157–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जनपद बरेली के आयुर्वेद चिकित्सालय जो लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना है के जर्जर भवन की मरम्मत कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जनपद बरेली के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के रख–रखाव/मरम्मत के लिये वर्ष 1989–90 में 14,000/= की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

श्री रामध्यान राम यादव, अवर अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–2 पिपरी सोनभद्र के अवशेष देयों का भुगतान

158–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम ध्यान राम

यादव, अवर अभियन्ता कनहर निर्माण खण्ड-2 पिपरी सोनभद्र का वेतन दिनांक 1-8-1985 से 2-6-1986 तक का माननीय उच्च न्यायालय के रिट सं0-162/87 में पारित आदेश दिनांक 11-1-89 के बावजूद नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

याचिका सं0-162/87 में दिनांक 11-1-89 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया था कि यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिवादीगण एक माह के अन्दर वादी का प्रकरण तय कर देंगे तथा अनुमन्य देयों का भुगतान कर देंगे। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार श्री राम ध्यान राम यादव को देय 13-4-85 से 31-7-85 तक का चिकित्सा अवकाश तथा दिनांक 1-8-85 से 2-6-86 तक का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर अवशेष देयकों का भुगतान कर दिया गया है।

कानपुर शहर के नहर विभाग की फालतू भूमि, सिंचाई राज्य कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति कानपुर को आवंटित करने की मांग

159-श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-3-90 का पत्र जिसके साथ संलग्न सिंचाई राज्य कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति कानपुर का प्रार्थना पत्र जिसमें कानपुर शहर की नहर विभाग की फालतू भूमि को समिति के नाम आवंटित करने की प्रार्थना की गई थी, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया?

श्री बाबू राम यादव—

जी हाँ।

यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जनपद शाहजहाँपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुन्दरनगर में चिकित्सक की नियुक्ति

160-श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुन्दरनगर में कोई डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो क्या सुन्दर नगर में एक डाक्टर की नियुक्ति की व्यवस्था सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं। एक चिकित्साधिकारी कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कानपुर देहात के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर में विगत वित्तीय वर्ष में की गयी खरीदारी में अनियमितता का आरोप

161-श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के उपयोग हेतु मार्च सन् 1989 से मार्च, 1990 तक कौन-कौन सामानों की खरीदारी की गई है और इस समय उनमें से कौन-कौन सामान सामुदायिक केन्द्र में उपलब्ध है तथा जो सामान उपलब्ध नहीं है, वह कहां है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के उपयोग के लिये मार्च, 1989 से मार्च, 1990 तक खरीदे गये सामानों की सूची संलग्न है। क्रय किये गये सामान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भण्डार में भौतिक रूप से उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 200 पर)

जनपद कानपुर देहात के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर में कार्यरत चिकित्सकों के कार्यावधि का विवरण

162-श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में इस समय कौन-कौन डाक्टर हैं तथा उनमें से बिल्हौर में रात्रि के समय कौन-कौन डाक्टर उपलब्ध रहते हैं?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर में वर्तमान समय में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं।

1- डा0 आर0 के0 तिवारी
2- डा0 ए0 के0 शुक्ला
3- डा0 सुनील कात्याल
4- डा0 बी0 के0 दुबे
5- डा0 एस0 एन0 बाजपेयी
6- डा0 पवन आनन्द
7- डा0 जी0 के0 मिश्रा
8- डा0 एस0 सी0 श्रीवास्तव
9- डा0 नीरजा दुबे
10- डा0 रितु कत्याल
11- डा0 ए0 के0 बंसल (दन्त चिकित्सक)

दन्त चिकित्सक को छोड़कर अन्य सभी चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता बिल्हौर में रात्रि के समय में रहती है।

ग्राम सिकन्दरपुर पट्टी विकास खण्ड मूढ़ापाड़ा, जिला मुरादाबाद पर पीचिंग की मांग

163–श्री मो0 रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे गुरूवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0–106 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टी0 ए0 सी0 द्वारा अस्वीकृत योजना की आवश्यकता को देखते हुए पुनः प्रस्ताव स्वीकृति हेतु टी0ए0 सी0 को भेजा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या स्वीकृत धनराशि 82.51 लाख रूपये का इस्तेमाल कर लिया गया? क्या उक्त योजना रामगंगा नदी द्वारा बहुत से कटाव से बचाने हेतु ही बनाई गयी थी? यदि हां, तो अब उन गांव को कटाव से बचाये जाने की क्या योजना है?

श्री बाबू राम यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला अस्पताल गाजीपुर के कतिपय फार्मेसिस्टों के बकाये वेतन का भुगतान

164–श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल गाजीपुर में कौन–कौन से फार्मेसिस्ट हैं जिनका एक माह से लेकर 27 माह तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? वेतन भुगतान न किये जाने का कारण क्या है तथा उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद पाण्डये—

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के ब्लाक पिंडरान्तर्गत गांव मंगारी में लगे राजकीय नलकूप के गिरते जलस्तर को देखते हुए रीबोरिंग कराये जाने की मांग

165–श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव मंगारी ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के राजकीय नलकूप में पानी 6 इंच से भी कम हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर रीबोरिंग कराने की आज्ञा प्रदान करेगी?

श्री बाबू राम यादव—

जी हाँ।

जाँचोपरान्त नलकूप के पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

जनपद बरेली के क्षेत्राधिकारी आयुर्वेद एवं यूनानी की प्रोन्नति मार्च, 1987 में एक साथ दो पदों पर होने की शिकायत एवं उसके जांच की मांग

166–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1987 में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी आयुर्वेद एवं यूनानी जनपद बरेली की प्रोन्नति नियुक्ति समिति द्वारा आयु0 एवं यूनानी अपर निदेशक प्रशासक योजना एवं आयु0 एवं यूनानी उप निदेशक प्रशासन योजना के दो पदों पर की गयी थी? यदि हां, तो क्या कार्मिक के नियमानुसार एक ही व्यक्ति की प्रोन्नति दो पदों पर की जा सकती है? यदि हां, तो इस अवैधानिक कार्य की जिम्मेदारी किसकी है और इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दोनों पदों का रिक्त होने का समय 31 अक्टूबर, 1989 था तो पूर्व में ही पदों में प्रोन्नति करने का क्या औचित्य था?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हाँ।

चयन समिति द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बरेली को वर्ष 1987 में उप निदेशक, प्रशासन के पद हेतु एवं अपर निदेशक, प्रशासन एवं योजना के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति की गयी थी।

उक्त दोनों पदों पर डा0 सिंह की एक साथ नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं की गयी थी। दोनों रिक्तियां एक ही चयन वर्ष में हुई और डा0 सिंह दोनों पदों के लिए पात्र थे, अतः चयन समिति ने उन्हें दोनों पदों पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किया था। चयन समिति में कार्मिक विभाग का भी एक अधिकारी था। व्यक्ति विशेष संस्तुति हेतु उत्तरदायी नहीं था।

जी नहीं। उप निदेशक प्रशासन का पद दिनांक 1.2.1987 को तथा अपर निदेशक, प्रशासन एवं योजना का पद 1.11.1987 को रिक्त हुआ था।

डा0 के0 सी0 कपूर भू0पू0 अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 के अवशेष देयों का भुगतान

167–श्री अमर नाथ यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर के0 सी0 कपूर अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश का देहांत 2 फरवरी, 1988 को सेवाकाल में ही हो गया है? यदि हां, तो अब तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अनुकम्पा आदि की धनराशि उनके परिवार को न मिलने के का क्या कारण है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां।

डा0 के0 सी0 कपूर, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का देहान्त 2 फरवरी, 1988 को सेवा काल में ही हो गया था।

डा0 के0 सी0 कपूर की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उनके

विरूद्ध सर्तकता अधिष्ठान की जांच में पाई गयी वित्तीय अनियमितताओं को समाप्त करते हुए उनके समस्त देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु शासन से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, उ0 प्र0 को निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हंडिया, इलाहाबाद के अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था

168–श्री अमर नाथ यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हंडिया इलाहाबाद में अध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र/छात्राओं के रहने की आवासीय व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त कालेज में आवासीय व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी नहीं।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया इलाहाबाद में अध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र/छात्राओं के लिए आवासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

जी हाँ। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में उक्त कालेज हेतु आवासीय भवनों के निर्माण के लिये विचार किया जा रहा है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी में बर्न यूनिट की स्थापना एवं कार्य विवरण

169–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिव प्रसाद गुप्त राजकीय अस्पताल वाराणसी में जले हुए मरीजों के सुचारू उपचार के लिए कोई बर्न यूनिट है? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां बर्न यूनिट की स्थापना करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अस्पताल में जनवरी, 90 से अब तक जले हुए कितने मरीज भर्ती किए गए उनमें से कितने अन्यत्र स्थानान्तरित किए गए और कितने मर गये?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनवरी, 1990 से अब तक 229 मरीज भर्ती किये गये, जिनमें से 7 मरीज अन्यत्र स्थानान्तरित किये गये तथा 94 मरीजों की मृत्यु हो गई।

प्रदेश में सिंचाई विभाग के अवर एवं अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण नियमानुसार कतिपय वर्षों के लिए प्रतिबन्धित स्थानों पर करने की मांग

170–श्री कल्यान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं और अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता को प्रथम 10 वर्ष तथा 16 वर्षों तक की नौकरी के दौरान क्रमशः 3 वर्ष और 6 वर्ष तक निर्बन्धित स्थानों पर सेवा करना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग के स्थानान्तरण आदेश सं0–3682, 3683, 3684 दिनांक 2 जून, 1990 के अंतर्गत निर्बन्धित स्थानों की निर्धारित कार्यावधि पूरी न करने वाले अधिशासी अभियन्ताओं को अनुरक्षण और निर्माण खण्डों में शासन की नीति के विपरीत स्थानान्तरित किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या स्थानान्तरण की शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उन्हें तत्काल निर्बन्धित स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हाँ। बर्ष 1990 में सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी सामान्य नीति शासनादेश संख्या–1985/27–1–90 3/90 दिनांक 6–4–90 द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है† सहायक अभियन्ताओं के लिए 16 वर्ष के सेवाकाल में 6 वर्ष तथा अधिशासी अभियन्ताओं को सेवा के प्रथम 6 वर्षों में न्यूनतम 3 वर्ष तक प्रतिबन्धित पदों पर कार्य करना आवश्यक है।

कार्यालय ज्ञाप सं0 3682, 3683, 3684 दिनांक 2 जून 1990 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों में केवल 12 अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं, जिन्होंने प्रतिबन्धित स्थानों पर निर्धारित सेवा पूरी नहीं की है। इनकी तैनाती प्रतिबन्धित स्थानों पर शनैःशनैः की जायेगी।

प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति का सिंचाई विभाग के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पालन न करने की शिकायत

171–श्री कल्यान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति वर्ष 1990–91 दिनांक 6 अप्रैल, 1990 के प्रस्तर–3 में वर्णित है कि जो अधिकारी या कर्मचारी किसी मण्डल अथवा खंड में समकक्ष पद पर अथवा वर्तमान पद से भिन्न किसी पद पर एक बार कार्य कर चुके हों उन्हें पुनः उसी स्थान पर या समकक्ष पद पर अथवा किसी अन्य पद पर 5 वर्ष की अवधि के भीतर तैनात नहीं किया जायेगा? यदि हां, तो इस घोषित नीति के विरूद्ध श्री जय कुमार जैन, अधिशासी अभियन्ता जो 2 वर्ष पूर्व लोअर खण्ड यमुना नहर, मुजफ्फरनगर में कार्यरत थे, को पुनः 3 वर्ष के भीतर उसी स्थान पर तैनात किए जाने का क्या कारण है? इसके लिए कौन दोषी है तथा

छापी नहीं गयी।

उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बाबू राम यादव—

जी हाँ।

श्री जय कुमार जैन 8-87 से 8-88 तक प्रभारी सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यरत थे। प्रशासनिक आधार पर 3 वर्ष की अवधि के भीतर इन्हें पुनः लोअर खण्ड यमुना नहर, मुजफ्फरनगर में पद स्थापित किया गया है।

कोई दोषी नहीं है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहूं अन्तर्गत ग्राम-पूरे जीवन में लगे राजकीय नलकूप को चालू कराने की मांग

172-श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पूरे जीवन, जीवनडीह पो0 भवानीगंज ता0 मड़ियाहूं जिला जौनपुर में एक नलकूप की बोरिंग की गयी है? इसको अब तक न चलाने का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त ट्यूबेल को जल्द से जल्द चलाने की व्यवस्था करेगी?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां। राजकीय नलकूप सं0-89 एम0जी0 रीबोर कर माह अगस्त, 1990 में ऊर्जीकत कर चालू करा दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई विभाग यांत्रिक खण्ड, मिर्जापुर के कतिपय अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण शासनादेश के अनुसार न किए जाने की शिकायत

173-श्री कल्यान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग यांत्रिक खण्ड मिर्जापुर में कुछ अवर अभियन्ता एक ही खण्ड में 10 वर्ष से कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तत्काल स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि श्री सईदुल्ला, अवर अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड मिर्जापुर का स्थानान्तरण होने के बाद भी उन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और उन्हें कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

सिंचाई विभाग के यांत्रिक खण्ड, मिर्जापुर में कोई भी अवर अभियन्ता विगत दस वर्षों से कार्यरत नहीं है। श्री सईदुल्ला अवर अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा चार्ज न देने के कारण उन्हें दिनांक 30-4-90 के अपरान्ह से कार्यमुक्त मान लिया गया है।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ स्थित डेन्टल कालेज एण्ड हॉस्पीटल हेतु अलग से प्रधानाचार्य की नियुक्ति का प्रस्ताव

174–श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के अधीन चलने वाले डेन्टल कालेज एण्ड हास्पीटल के लिए अलग से स्वतंत्र प्रधानाचार्य एवं अलग से स्वतंत्र प्रशासन की व्यवस्था करने के संबंध में मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 27–4–90 का कोई ज्ञापन शासन को डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया पत्रांक डी0 ई0 2–89/720, दिनांक 6–6–89 के पत्र की प्रतिलिपि सहित प्राप्त हुआ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? इसमें अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी हाँ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के कतिपय ग्रामों में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

175–श्री सुन्दर लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र फतेहगंज, कान्हीपुर, सुकुलपुर, चौबीसी, सराय पांडे, खानपुर मिलवल, मेझार, तेजवापुर टीकरमन, खेहटन आदि स्थानों पर राजकीय चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय चिकित्सालय स्थापित किये जाने की शासन की कोई योजना नहीं है किन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य जिला सेक्टर की योजना है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने एवं धन की व्यवस्था कराये जाने पर ही शासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जाता है। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष में जनपद बाराबंकी में सफदरगंज, सेठमऊ, सदरूद्दीनपुर (विकास खण्ड–हरख, मसौली) तथा फतेहगंज एवं टीकारमन (हैदरगढ़ क्षेत्र) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी है।

176–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में प्रशिक्षित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सरकारी सेवा में नियुक्ति का विवरण

177–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कितने

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 31 मार्च, 1990 तक प्रशिक्षित किया जा चुका है? प्रशिक्षित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में कितनों को सरकारी सेवा में लगाया जा चुका है और कितने व्यक्ति अभी तक सरकारी सेवा में नहीं लगाये गये हैं और क्यों? उन्हें कब तक सरकारी सेवा में लगा लिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

740 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

478 को सेवा में ले लिया गया है। शेष को पदों के सृजन न होने तथा रिक्त पदों की सूचना जिलों से प्राप्त न होने के कारण सेवा में नहीं लिया जा सका है।

रिक्त पदों की सूचना आने तथा वांछित नये पदों के सृजन होने के पूर्व इन्हें सेवा में लिया जाना संभव नहीं है।

डा0 के0 सी0 कपूर, भू0पू0 अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 के अवशेष देयों का भुगतान

178–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक्टर के0 सी0 कपूर अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश का देहान्त 2 फरवरी, 1988 को उनकी सेवाकाल की अवधि में हो गया था? यदि हां, तो अब तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अनुकम्पा आदि का उनके परिवार को भुगतान न मिलने का क्या कारण है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हाँ। डा0 के0 सी0 कपूर तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर मण्डल का देहान्त 2 फरवरी, 1988 को सेवा काल में ही हो गया था।

डा0 के0 सी0 कपूर की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के पश्चात उनके विरूद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जाँच में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं को समाप्त करते हुए उनके समस्त देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु शासन से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, उ0 प्र0 को निर्देश जारी कर दिया गया है।

179–श्री अमर नाथ यादव—

(2 रे शुक्र के अता0 प्र0 सं0 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चोलापुर में चन्द्रावती लिफ्ट कैनाल की खुदाई हेतु अध्याप्ति भूमि के मुआवजे का भुगतान

180–श्री अमर नाथ यादव—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के चोलापुर विकास खण्ड में चन्द्रावती लिफ्ट कैनाल की खुदाई में कितने किसानों की कितनी एकड़ भूमि अध्याप्ति की गयी है और कितने किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है? यदि मुआवजा सभी किसानों को नहीं दिया गया, तो कब तक दे दिया

जायेगा?

श्री बाबू राम यादव—

चन्द्रावती पम्प कैनाल के निर्माण में 37.09 एकड़ भूमि ली गयी है। उक्त 37.09 एकड़ भूमि में से 18.68 एकड़ भूमि चकबंदी विभाग, द्वारा छोड़ दी गयी है, जिसका मुआवजा देय नहीं है।

ग्राम धरहरा तथा मोलननापुर में क्रमशः 13.19 तथा 5.22 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रकरण बनाकर प्रेषित किया जा रहा है तथा भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित विज्ञप्तियां जारी होने के बाद प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

श्री जगरनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड बलिया के विरूद्ध आरोप एवं उसके जांच की मांग

181—श्रीमती विजय लक्ष्मी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया के बाढ़ खण्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री जगरनाथ प्रसाद श्रीवास्तव के विरूद्ध प्रश्नकर्ता का आरोप पत्र दिनांक 10-6-90 को उन्हें प्राप्त हुआ है? क्या मंत्री जी उन्हें हटाकर जांच कराने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

प्रकरण से संबंधित शिकायती पत्र दिनांक 1-5-90, 18-8-90 तथा 24-9-90 प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त शिकायती पत्रों की जाँच कर आख्या देने हेतु प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, लखनऊ को आदेशित किया गया है। आख्या अभी प्रतीक्षित है।

जिला चिकित्सालय गाजीपुर में स्वीकृत फार्मेसिस्टों के पदों से अधिक फार्मेसिस्टों की नियुक्ति एवं उसके जांच की मांग

182—श्री खुर्शीद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में फार्मेसिस्टों के स्वीकृत 7 पदों के विपरीत दो वर्षों से 8 फार्मेसिस्ट कार्यरत है? क्या इनमें से ऐसा भी कोई फार्मेसिस्ट है जिसका स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वैध ठहराये जाने के बाद उसको बार-बार स्थानान्तरण आदेश प्राप्त कराकर कार्यभार मुक्त न कर अब तक मुख्य औषधि भण्डार में रखा गया है? यदि हां, तो उस फार्मेसिस्ट का वेतन किस मद से आहरित किया जा रहा है तथा इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में फार्मेसिस्ट के 7 पद स्वीकृत हैं। उक्त चिकित्सालय में 25-8-87 से दिनांक 20-2-89 तक 8 फार्मेसिस्ट कार्यरत थे। वर्तमान में अब कुल 6 फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त सी0एम0एस0 जिला चिकित्सालय गाजीपुर, डा0 एस0 एन0 राय द्वारा अपने सेवानिवृत्ति से पूर्व शासनादेश के विरूद्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की गयी नियुक्तियों का निरस्तीकरण

183–श्री खुर्शीद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एस0एन0 राय, सी0 एम0 एस0 जिला चिकित्सालय, गाजीपुर के कार्यकाल में उनकी सेवा निवृत्ति के दिनांक 30 अप्रैल, 89 से पूर्व उनके द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कितनी नियुक्तियां की गयी है? क्या यह सही है कि नियुक्तियों में चयन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है और शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के उपरान्त भी उक्त नियुक्तियां की गयी है जिन्हें अपर निदेशक, वाराणसी के पत्राचार के बाद भी निरस्त नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उन सभी नियुक्तियों को निरस्त करने तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हाँ।

डा0 एस0 एन0 राय तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, गाजीपुर द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी के 3 पदों पर नियुक्तियां की गई।

नियुक्तियों की जांच करायी जा रही है। जाँच आख्या प्राप्त होने पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

प्रदेश के स्वास्थ्य निरीक्षकों का वेतनमान केन्द्र के समतुल्य किये जाने की मांग

184–श्री खुर्शीद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के स्वास्थ्य निरीक्षकों का वेतनमान केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य निरीक्षकों के वेतनमान के बराबर है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त निरीक्षकों को केन्द्र सरकार के बराबर वेतनमान देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

समता समिति की संस्तुतियों में इस संवर्ग को दिए गए वेतनमानों में संबंधित संघ ने विसंगति बतायी है। अतः मामला विसंगति समिति को संदर्भित किया गया है। विसंगति समिति की संस्तुतियों के प्राप्त होने के पूर्व इस मामले में निर्णय लेना संभव नहीं है।

राजकीय तकमीलुत्तिव कालेज लखनऊ में गत अप्रैल में हुई मारपीट में प्रधानाचार्य का हाथ होना एवं उनके पद पर हुई नियुक्ति की जानकारी

185–श्री खुर्शीद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय तकमीलुत्तिव

कालेज, लखनऊ में गत अप्रैल, 1 मई 1989 में अध्यापकों के विरूद्ध हुए छात्र आन्दोलन के पीछे स्वयं प्रधानाचार्य का हाथ होने एवं आंदोलनकारी छात्रों को हर प्रकार का सहयोग देने से सम्बन्धित मामलों में निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं उ0प्र0 द्वारा कोई जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष रहा और इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई? क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय तकमीलुत्तिव कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य पद हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त भी वहां तदर्थ व्यवस्था बनी हुई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी हाँ।

जाँच में राजकीय तकमिलुत्तिव कालेज, लखनऊ में शिक्षकों की आपसी गुटबन्दी का होना एवं प्रधानाचार्य को अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का समुचित रूप से निर्वाह न करने के लिए उत्तरदायी पाया गया है। जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य के पद हेतु एक अभ्यर्थी का चयन किया गया था जिसकी नियुक्ति राजकीय यूनानी कालेज, इलाहाबाद में की गयी है। दूसरे पद हेतु लोक सेवा आयोग में अधियाचन लम्बित होने के कारण तदर्थ व्यवस्था बनी हुई है।

डा0 लक्ष्मण सिंह पी0एम0एस0 के सेवानिवृत्ति तिथि एवं जन्मतिथि का सत्यापन

186–श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 लक्ष्मण सिंह पी0 एम0 एस0 ज्येष्ठ क्रमांक–565 की सेवा निवृत्ति की तिथि क्या है और क्या शासनादेश सं0–6694 सेक–3/पांच–6 (1)/80 दिनांक 8 जनवरी, 1990 द्वारा वांछित सेवा पुस्तिका से डा0 सिंह की जन्मतिथि की पुष्टि एक सप्ताह के अन्दर करा ली गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो निर्धारित समय में पुष्टि न कराने के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

डा0 लक्ष्मण सिंह पी0एम0एस0 की सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जुलाई, 1990 थी।

सेवा निवृत्ति की तिथि के पूर्व ही डा0 सिंह, की सेवा पुस्तिका से जन्म तिथि की पुष्टि करा ली गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता अनुसचवीय अधिष्ठान के अन्तर्गत शासनादेशानुसार रोस्टर बनाया जाना

187–श्री दयाराम भास्कर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0–15/28

73-स0एकी0 दिनांक 26-2-76 के अनुसार प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता अनुसचवीय अधिष्ठान के अन्तर्गत रोस्टर बनाया गया है? यदि नहीं बनाया गया है तो क्या शासनादेश की अवहेलना करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त शासनादेश का अनुपालन शीघ्र कराया जायेगा?

श्री बाबू राम यादव—

जी हाँ।

शासनादेश का पूर्णतया पालन किया जा रहा है।

जनपद हमीरपुर में महिला एवं पुरूष चिकित्साधिकारियों की कमी को पूरा किया जाना

188-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हमीरपुर में महिला एवं पुरूष चिकित्साधिकारियों का अभाव है? यदि हां, तो क्या चिकित्साधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है? यदि हां, तो यह कमी कब तक पूरी कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हाँ, सरकार द्वारा किये गये उपायों के फलस्वरूप ही वर्ष 90 में जनपद हमीरपुर में 37 पुरूष तथा 11 महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति सम्भव हो सकी है। वर्तमान में 28 पुरूष एवं 6 महिला चिकित्सा अधिकारियों की कमी को पूरा करने का प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद हमीरपुर मुख्यालय में नवनिर्मित संयुक्त चिकित्सालय जनता के उपयोगार्थ खोला जाना

189-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के मुख्यालय में नव-निर्मित जिला संयुक्त चिकित्सालय को जनता के लिए कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? क्या जिला संयुक्त चिकित्सालय का नाम बुन्देलखण्ड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी दीवान शत्रुहन सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक कार्य के रूप में परिणित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जनपद हमीरपुर के मुख्यालय में निर्माणाधीन 200 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। भवन बनकर तैयार हो जाने पर चिकित्सालय को जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जी हाँ।

समुचित संसाधन उपलब्ध होने पर तथा भवन बनकर तैयार होने की

स्थिति में ही कार्य के रूप में परिणित किये जाने पर समुचित रूप से विचार किया जायेगा।

स्व0 श्री अरूण कुमार द्विवेदी, भू0 पू0 नलकूप चालक द्वितीय नलकूप खण्ड, सीतापुर को अदेयता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

190-श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्रांक 591 दि0 15-4-89 के माध्यम से सहायक अभियन्ता द्वितीय नलकूप खण्ड सीतापुर को अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड घूरामऊ बगला सीतापुर द्वारा स्व0 श्री अरूण कुमार द्विवेदी नलकूप चालक का अदेयता प्रमाण-पत्र देने हेतु पत्र भेजा था? यदि हां, तो अदेयता प्रमाणपत्र किन कारणों से जारी नहीं किया गया? सहायक अभियन्ता द्वितीय नलकूप खण्ड सीतापुर कार्यालय द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र न भेजने में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी है? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? उक्त का अदेयता प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिया जायेगा?

श्री बाबू राम यादव—

जी हाँ।

स्व0 श्री अरूण कुमार द्विवेदी को अदेयता प्रमाण-पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 1990 को जारी कर दिया गया है।

परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा मेरठ के कतिपय महिला स्वास्थ्य सहायकों का निजी अनुरोध के बिना स्थानान्तरण करने सम्बन्धी जांच की मांग

191-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा 4-5-90 को महिला स्वास्थ्य सहायकों के स्थानान्तरण आदेश में मेरठ से एटा शाहजहांपुर रायबरेली आदि तबादले इस उल्लेख के साथ किये गये थे कि ऐसा उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है परन्तु वास्तविकता यह है कि किसी का कोई अनुरोध नहीं था, तब यह आदेश कैसे जारी हुआ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं। परिवार कल्याण निदेशालय के आदेश दिनांक 4-5-90 द्वारा किसी भी महिला स्वास्थ्य सहायक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में रा0 नलकूप सं0 82 बी0 जी0 गोपाल पट्टी, रेवड़ापरसपुर के गूल निर्माण हेतु ली गयी जमीन के मुआवजे की मांग

192-श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री तृतीय सत्र 1990 के पहले गुरूवार के लिये निर्धारित

अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि रा0 नलकूप सं0 82 वी.जी. गोपाल पट्टी, रेवड़ापरसपुर वाराणसी के किसानों की जमीन 8.329 एकड़ गूल बनाने के लिये कब एक्वायर की गयी? क्या यह सही है कि 3/4 वर्ष पहले ही जमीन ले ली गयी और गूलों का निर्माण आज तक नहीं किया गया और किसानों के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री बाबू राम यादव—

वर्ष 1987 में मात्र 0.206 एकड़ भूमि एक्वायर की गयी थी।

गूलों का निर्माण किया जा चुका है। किसानों के मुआवजे का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा दिनांक 26.7.90 को किया जा चुका है।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम कानपुर द्वारा विगत वर्षों में रिटेल शाप बन्द कर दिये जाने की दशा में जनता धोती की बिक्री का औचित्य

193—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ बिप्पी तिवारी—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम कानपुर द्वारा माह जून, 1986 से मार्च, 1990 तक रिटेलशाप की दुकानें जो ग्रामीण अंचल के लिए चल रही थी उन्हें निरस्त किया गया था? यदि हां, तो उक्त बंद की अवधि में जनता धोती के उत्पादन का क्या प्रयोग किया गया तथा जनता धोती की बिक्री धनराशि निगम द्वारा कितनी अर्जित की गयी? अर्जित धनराशि बैंक में कब जमा की गई और कब निकाली गयी? नियमतः जनता धोती रिटेलशाप के अन्तर्गत ही बिक्री के लिए उपलब्ध होती है जो शोरूप में सेल नहीं की जा सकती और न ही इस बीच शोरूम में सेल की गयी है? क्या मार्च 1990 में कुछ लोगों को रिटेलशाप का नवीनीकरण किया गया है और कुछ लोगों को रिटेलशाप का नवीनीकरण नहीं हुआ है? समस्त नवीनीकरण न किए जाने का मुख्य कारण क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जनता धोती का विक्रय सार्वजनिक प्रणाली हथकरघा निगम के निजी बिक्री केन्द्रों (शोरूम) तथा शासन द्वारा अनुमोदित कुछ अन्य संस्थाओं के माध्यम से किया गया है।

रिटेलशाप के नवीनीकरण से हथकरघा निगम का कोई संबंध नहीं है।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम कठिरांव स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन के निर्माण में की गयी अनियमितता की शिकायत

194–श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय कठिरांव ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी की इमारत तथा डाक्टर के लिये रहने की इमारत को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वाराणसी ने बनाया है? क्या यह सही है कि इसका वार्जा तथा छत लटक गयी है और छत इतनी रद्दी है कि सारा वर्षा का पानी अन्दर गिरता है और इसके दरवाजे भी टूटे हुये रद्दी लकड़ी के हैं? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को 4–8–90 को व्यक्तिगत रूप से प्रश्नकर्ता का पत्र जांच कर कार्यवाही करने हेतु मिला है? यदि हां, तो क्या जांच शुरू की गयी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वाराणसी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जी हाँ।

जी हां।

जानकारी प्राप्त की जा रही है।

प्रदेश के रेशम निदेशालय के पदों पर हथकरघा निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अवैधानिक नियुक्ति

195–श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि रेशम निदेशालय में जो पद लोक सेवा आयोग से भरे जाने आवश्यक थे क्या उन पर हथकरघा निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नियुक्ति किया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री मुलायम सिंह यादव—

रेशम निदेशालय के गठन के बाद लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले कोई पद नहीं भरे गए। रेशम निदेशालय से सम्बद्ध सभी स्टाफ उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम से हस्तांतरित कर्मचारियों/अधिकारियों को अस्थायी रूप से समायोजित किया गया है।

(12 बजकर 20 मिनट)

विधान सभा के भू0 पू0 सदस्यों श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्री राममूर्ति अंचल, श्री रामपाल त्रिवेदी, श्री गोपी नाथ दीक्षित (इटावा), श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री देवीदत्त किम्बाल, श्री चन्द्रिका प्रसाद, श्री जोरावर वर्मा, श्री शिव प्रसाद पंडिया, श्री विश्रामराय, श्री रमाशंकर लाल , श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*** मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन को दुखद समाचार देते हुए महान

अफसोस हो रहा है जिनमें हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे देश के निर्माण में विशेष योगदान देने वाली श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित अब हमारे बीच से उठ गयी हैं।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महत्त्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि वे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की बहिन थीं या फिर पंडित मोती लाल नेहरू की पुत्री थी, उनकी महानता वह स्वयं थी, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता, और उनकी विद्वता ही उनकी महानता का कारण थी जिसका प्रमाण है कि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं। वह केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष ही न रह कर रूस की भी राजदूत रहीं और विभिन्न कई देशों की राजदूत रहीं। उन्होंने अपने जीवन में आजादी की लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण परिवार में उत्पन्न होकर देश की सेवा की जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सुख-सुविधाओं को त्याग कर देश की सेवा को ही प्राथमिकता दिया और शुरू से ही उन्होंने देश की सेवा में अपने कार्य को प्रारम्भ किया। श्रीमती पण्डित सन् 1936 में सर्वप्रथम इलाहाबाद नगरपालिका बोर्ड की सदस्य बनीं। सन् 1937 में श्री गोविन्द बल्लभ पन्त मंत्रिमण्डल में वे प्रथम महिला मंत्री बनी। वे सन् 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रहीं और अभी 1 दिसम्बर, 1990 को उनका निधन हुआ और उनके अन्तिम दैहिक संस्कार में मुझे भी उनके अन्तिम दर्शन हुए, मुझे भी उनके अन्तिम दर्शन करने का मौका मिला।

श्रीमती पण्डित ने जो देश की सेवायें की है वे कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। हम अपने दल की तरफ से, सदन की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि उनके संबंधियों को और उनके समर्थकों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। हमारे सदन की जिन्होंने बड़ी सेवा की है, भूतपूर्व विधायक श्री राम मूर्ति अंचल जी हैं। वह कई संस्थाओं के सदस्य रहे। इनका जन्म जनपद शाहजहांपुर में हुआ था, वह आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने बहुत सेवा की है, वह भुलाई नहीं जा सकती है और हमारे लिये तथा हमारे साथियों के लिये, जो सामाजिक जीवन में रहकर सेवा कर रहे हैं, उनके लिये प्रेरणादायक थी। उनके निधन पर हम संवेदनायें व्यक्त करते हैं और आपसे प्रार्थना है कि उनके परिवार तक हमारी संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा करें।

इसी तरह से इसी सदन के सदस्य श्री रामपाल त्रिवेदी, जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वह छोटे परिवार से उठकर अपनी मेहनत और परिश्रम से न केवल लखनऊ के बल्कि उत्तरप्रदेश में एक स्थान बना लिया था। वह जिला परिषद् लखनऊ के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन पर हमारी संवेदनायें आप उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री गोपी नाथ दीक्षित जी का जन्म इटावा जनपद में हुआ था। वह 1952 में चुनकर यहां पर आये थे। वह बड़े अहम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने 1940 में सत्याग्रह में हिस्सा लिया और 1941 में डिफेंस आफ इंडिया एक्ट में धारा 129 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। इस प्रकार से उन्होंने देश की आजादी में विशेष भूमिका अदा की। उनके निधन पर मेरी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद जी अग्रवाल 1937 में जनपद सीतापुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे। वह बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है और जनपद सीतापुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना स्थान बना लिया था। वह हमारे बीच से उठ गये। हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक आप पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय देवी दत्त छिम्बाल राम नगर काशीपुर जिला नैनीताल क्षेत्र से 1962 में विधान सभा में चुनकर आये थे और वह जनपद नैनीताल के कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने इस सदन में बड़ी सेवा की है और सदन के बाहर भी समाज में सेवा की है। उनकी सेवा से हमें आज प्रेरणा लेनी चाहिये। उनके निधन से हम दुखी हैं और आपसे प्रार्थना है कि मेरी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय चन्द्रिका प्रसाद जी 1957 में चुनकर इस विधान सभा में आये थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उनका निधन हो गया। उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक आप पहुंचाने की कृपा करें।

माननीय जोरावर वर्मा जी 1952 में और 1967 में चुनकर इस विधान सभा में आये थे। संविद सरकार में वह उप मंत्री भी रहे। उनके साथ मुझे रहने का अवसर मिला। उनके साथ सदन में काम करने का अवसर मिला। वह हमीरपुर के रहने वाले थे और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वह हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। आप से प्रार्थना है कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री शिवप्रसाद पांडिया रायबरेली के रहने वाले थे। वह 1969 के चुनाव में इस विधान सभा में आये थे। वह बड़े ईमानदार व्यक्ति थे और राजनीति के प्रेरणाश्रोत थे। हमने एक स्वतंत्रता सेनानी और कर्मठ कार्यकर्ता खो दिया है। वह हमारे बीच नहीं रहे। हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्व0 राम शंकर जी संपादक भी रहे और 46 में विधान सभा सदस्य भी रहे। इनके निधन से बस्ती जनपद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है।

स्व0 श्री बालेश्वर जी सर्वप्रथम 1957 में विधान सभा के सदस्य चुने गये। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और इन्होंने काफी जमीन भूमिदान यज्ञ में समर्पित की थी बस्ती जनपद के एक कुशल राजनीतिज्ञ हमारे बीच से उठ गये।

मान्यवर, यह सभी विभूतियां जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया उन्होंने इस सदन में और सदन के बाहर समाज में कई प्रकार से सेवा की। शिक्षा के प्रसार और ऊंच-नीच के भेदभाव को मिटाने में काफी तकलीफें सहीं। इन सभी के प्रति हमारी श्रृदांजलि अर्पित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन स्वर्गीय सदस्यों के परिवार और संबंधियों तक हमारी संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार:—

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों के निधन के लिये माननीय नेता सदन ने संवदेना व्यक्त की है मैं उनसे अपने और अपने दल को संबद्ध करता हूं,

(व्यवधान) (क्या यह नेता विरोधी दल हैं की आवाज आई) मान्यवर, 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में जो नक्षत्र उदय हुआ था वह 1990 के दिसम्बर में अस्त हो गया। स्व0 पं0 विजयलक्ष्मी जी के साथ ही साथ एक महान युग का भी अंत हो गया। आदरणीया विजयलक्ष्मी जी का जन्म बहुत से प्रथम कार्यों के लिये हुआ था। उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने भारत को गौरव दिलाया। विश्व में प्रथम महिला के रूप में उन्होंने हमारी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में गौरव दिलाया। मान्यवर, कुछ लोग जन्म लेते हैं और अपने जन्म को पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग जन्म लेते हैं और जिनका हर कदम आने वाली पीढ़ी के लिये प्रेरणा स्त्रोत होता है। सौभाग्य से आदरणीया विजयलक्ष्मी जी का जन्म नेहरू परिवार में, जिसका सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहा, उनका सारा जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित रहा और देश की आजादी में समर्पित रहा। आदरणीया विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना जीवन नगर पालिका सदस्य से शुरू किया और सदन की प्रथम महिला सदस्य बनी, वह प्रथम महिला मंत्री भी थी, वह प्रथम महिला राज्यपाल बनी और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। मैं यही कहूंगा कि उनके निधन से एक महान युग का अंत हो गया मैं अपने और अपने दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार और जिनके साथ वह जुड़ी रही उन लाखो लोगों और राजीव गांधी को संवेदना आप पहुंचाने की कृपा करें।

स्व0 श्री राममूर्ति अंचल जी का निधन 24 मार्च 1990 को हुआ। वह 1962 में सामान्य निर्वाचन में शाहजहांपुर से निर्वाचित हुये थे। वह कांग्रेस के समर्पित और कर्मठ सिपाही थे। वह यू0 पी0 गुड़ खाण्डसारी एसोसियेशन के प्रधान तथा यू0 पी0 रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सभापति रहे और उन्होंने हमेशा मजदूरों के हितों के लिये आवाज उठाई और मजदूरों के हित में अपना सारा जीवन समर्पित किया जिसका हमारे देश को गौरव हैं। उनके निधन से विशेषकर शाहजहांपुर और हमारे प्रदेश को महान क्षति हुई हैं। मैं और मेरा दल उनके निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है।

श्री रामपाल त्रिवेदी के निधन के साथ ही लखनऊ और विशेष रूप से प्रदेश एक ऐसे समाजसेवी व्यक्ति से अलग हुआ जिसकी रिक्तिता को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। मान्यवर, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह लखनऊ से कांग्रेस से 1957, 1962, 1967, 1969, और 1974 पांच बार अपनी लोकप्रियता के कारण वह विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। जिला परिषद् अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लखनऊ की महान सेवा की जबकि उनका जन्म 7 फरवरी, 1906 को मान्डले (वर्मा) में हुआ था। लेकिन उनके जीवन का बड़ा भाग भारत में बीता और भारत में आने के बाद, आजादी की लड़ाई में योगदान देने के बाद, उन्होंने अपना सारा जीवन भारतवर्ष की सेवा में अर्पित किया। मैं और मेरा दल उनके प्रति अपनी संवेदनायें अर्पित करता है और मान्यवर, आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी भावनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, श्री गोपी नाथ दीक्षित जनपद इटावा से 1952 में चुनकर आये थे। उनके निधन से इटावा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है। मैं और मेरा दल उनके प्रति शोक संवेदनायें व्यक्त करता है और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनायें उनके परिवार तक आप पहुंचा दें।

मान्यवर, श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल उर्फ जगन बाबू का निधन एक लम्बी बीमारी के बाद 11 नवम्बर, 1990 को हुआ था। वह सर्वप्रथम 1937 के सामान्य निर्वाचन में प्रदेश विधान सभा में जनपद सीतापुर पूर्व से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे उनका जीवन सदैव किसानों के लिये समर्पित रहा और किसानों के हितों की लड़ाई में अपना योगदान दिया।

मान्यवर, श्री देवी दत्त छिम्बाल का निधन 20 नवम्बर, 1990 को हो गया। उनके निधन से जनपद नैनीताल ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है। वह अपने जीवन में जनपद नैनीताल का जनप्रतिनिधित्व करते रहे साथ ही उन्होंने नगरपालिका के सदस्य के रूप में भी अपना योगदान दिया था। वह नगर पालिका रामनगर के वर्ष 1971 से 1977 तक अध्यक्ष रहे जिससे उनके कार्यों को वहां आज भी सराहा जाता है।

मान्यवर, श्री चन्द्रिका प्रसाद का जन्म 1906 में हुआ था और उनका निधन 3 दिसम्बर, 1990 को हुआ। वह पहली बार 1957 में सामान्य निर्वाचन कांग्रेस के टिकट पर क्षेत्र बछरांवा जनपद रायबरेली से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। वह रायबरेली के ही नही बल्कि आसपास के जनपदों में वह कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से जो रिक्तता आयी है उसे पूरा कर पाना संभव नहीं है।

मान्यवर, श्री जोरावर वर्मा दिनांक 11 दिसम्बर, 1990 को हमारे बीच में नहीं रहे। उनका जन्म 1 अक्टूबर, 1920 को हुआ था। वह 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र महोबा जनपद हमीरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा में चुनकर आये थे। जीवनभर उन्होंने यहां लोगों की आवाज उठायी थी। और उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में विशेष योगदान दिया था। सहकारिता आंदोलन में कृषि के लिये उन्होंने विशेष योगदान दिया जिससे उनको भुलाया नहीं जा सकता है।

श्री शिवप्रसाद पाण्डिया का निधन 13 दिसम्बर, 1990 को हो गया। उनका जन्म पहली नवम्बर, 1916 को ग्राम सलीमपुर जनपद रायबरेली में हुआ था। वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कर्मठ राजनीतिज्ञ थे। वह सर्वप्रथम 1969 के मध्यावधि निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र सलोन, रायबरेली से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनकर यहां आये थे। वह समाजवादी विचारधारा के प्रखर वक्ता थे।

मान्यवर, श्री विश्राम राय का निधन 19 दिसम्बर, 1990 को हुआ था। उनका जन्म 1913 में ग्राम बीबीपुर जनपद आजमगढ़ में हुआ था। वह सर्वप्रथम वर्ष 1953 के उप चुनाव में सगड़ी आजमगढ़ से प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनकर यहां आये थे। उनके निधन से प्रदेश ने और विशेषकर पूर्वांचल ने एक योग्य एवं कर्मठ राजनीतिज्ञ को खो दिया जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। वह समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे थे। उनको करीब से जो जानते हैं उन्होंने पाया होगा कि वह अपनी ईमानदारी और कर्मठता के लिये बहुत ही मशहूर और लोकप्रिय थे। जहां भी वह रहे सदैव अपने क्षेत्र और प्रदेश की आवाज को चारो तरफ बुलंद करते रहे।

श्री राय के निधन से हमने एक योग्य और कर्मठ राजनीतिज्ञ खो दिया है।

श्री रमाशंकर लाल, जिनका जन्म जनपद बस्ती में हुआ था, का निधन इसी 3 जनवरी, 91 को हुआ है। उनके निधन से भी हमने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया। वह कांग्रेस के एक निष्ठावान सिपाही थे और कांग्रेस के टिकट पर चुने गये थे। वह समाजसेवी के साथ-साथ पत्रकार भी थे और उन्होंने पंचमुख पत्रिका का सम्पादन बड़ी कुशलतापूर्वक किया था।

इसी तरह हमारे श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह जी का निधन भी 8 जनवरी, 91 को हो गया है। आपका जन्म 15 अप्रैल, 1923 में बस्ती जनपद में हुआ था। वह जनपद बस्ती से निर्वाचित होकर इस विधान सभा में आये थे। उनके निधन से एक महान् राजनीतिज्ञ और समाजसेवी हमारे बीच से उठ गया है। यह अपनी समाजसेवा के साथ भूदानी भी थे। और उन्होंने अपनी 50 एकड़ जमीन भूदान में देकर विनोबा जी के भूदान यज्ञ को सफल बनाया था। इन सबके निधन से राजनैतिक और सामाजिक जीवन में जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है, मैं माननीय मुख्य मंत्री के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप उनके संतप्त परिवार तक हमारी भावनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित उन शख्सियतों में से थी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई तो लड़ी ही, लेकिन स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की दूसरी आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। ऐसी शख्सियतें बहुत कम होती हैं, कि जब भी कोई अन्याय हो तो वह उसके विरूद्ध अपनी आवाज बुलन्द करें। अन्याय के विरूद्ध आवाज बुलन्द करने वालों में उनका नाम अग्रणी रहा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाली आजादी की लड़ाई में तो उन्होंने अपना पुरजोर योगदान दिया है और वह उसमें जल भी गई, साथ ही जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली दूसरी लड़ाई में भी उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया और सक्रिय रूप से भाग लिया। वह इस विधान सभा की दो बार सदस्य रहीं। इतना ही नहीं उनका योगदान केवल इस प्रदेश में ही न होकर पूरे देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है। उन्होंने विभिन्न हैसियतों से अलग-अलग जगह काम किया है। वह रूस की अम्बेसडर भी रही और अमेरिका की भी अम्बेसडर रहीं। साथ ही वह तमाम पश्चिमी योरूपीय देशों की भी वह अम्बेसडर रहीं है। सबसे बड़ा इस देश के लिए उन्होंने जो योगदान किया, वह संयुक्त राष्ट्र संघ (यू0एन0ओ0) की प्रेसीडेन्ट रही हैं। इस पद पर वह भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, और इस रूप में उन्होंने भारत का नाम और सम्मान बढ़ाया था। इस पद को सुशोभित कर उन्होंने पूरे भारत को गौरव प्रदान किया। आज उनके निधन के साथ-साथ एक प्रखर बुद्धि का और निडर महिला का देहान्त हो गया है, जिसकी इस देश को बहुत दिनों तक याद आती रहेगी। हम उनकी कमी हमेशा महसूस करते रहेंगे।

मान्यवर, इसके साथ-साथ श्री राममूर्ति अंचल जी जो थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया है। मान्यवर, वह शाहजहांपुर जनपद के थे और वहीं 24 मार्च, 1990 को उनका निधन हो गया। उनका जन्म जनपद शाहजहांपुर में 14 फरवरी, 1920 में हुआ था तथा 1962 में अपने जनपद से सामान्य निर्वाचन में चुनकर प्रथम बार इस विधान में आए थे और यहां उन्होंने अपने जनपद और प्रदेश की सेवा की। उसके बाद दुबारा 1969 में भी सामान्य निर्वाचन में जीतकर वह इस विधान सभा में आए थे। जहां तक उनकी सेवा की बात है,

---

*— वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंचल जी ने अपने जनपद शाहजहांपुर और इस प्रदेश में दोनों जगह अपनी सेवाएं दीं। आज पूरी विधान सभा और प्रदेश को उनकी कमी खलती रहेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन शोक संतप्त परिवारों तक आप मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से संवेदनाएं भेजने का कष्ट करें। मान्यवर, गोपीनाथ दीक्षित इटावा के रहने वाले थे और 1952 के आम चुनाव में वहां से जीतकर आए थे। गोपीनाथ दीक्षित जी ने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका अदा की थी। उसके बाद सामान्य चुनाव हुए और यह विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान सभा में इन्होंने अपना योगदान किया। श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल सीतापुर के रहने वाले थे। 1946 में यह विधान सभा के सदस्य चुने गये। मान्यवर, इन्होंने सीतापुर जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य किए और इस विधान सभा में भी उनका योगदान रहा। मान्यवर, श्री गोपीनाथ दीक्षित जी और श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जी के शोक संतप्त परिवार को मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें भिजवाने का कष्ट करें।

मान्यवर, देवीदत्त छिम्बाल जो विधान सभा के सदस्य रहे हैं यह 1962 में नैनीताल के काशीपुर क्षेत्र से चुनकर विधान सभा में आए और अपना योगदान दिया। उनके दिवंगत होने से उनके परिवार को जो शोक हुआ है मैं चाहूँगा कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

मान्यवर, चन्द्रिका प्रसाद 1957 के सामान्य निर्वाचन में चुनकर आए वह बछरावां से आम चुनाव जीते थे। उन्होंने इस विधान सभा में भी अपना योगदान दिया वह समाजवादी विचारधारा के थे। वह दलितों के लिए निरंतर इस विधान सभा में सवाल उठाते रहते थे और उनके लिए लड़ते रहे। उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें भिजवाने की कृपा करें।

श्रीमन् श्री जोरावर वर्मा, हमीरपुर के रहने वाले थे। 1952 में ये चुनाव जीतकर आए थे। इन्होंने विधान सभा में एक राजनीतिज्ञ के रूप में एक विधायक के रूप में अपनी भूमिका अदा की। इनके दिवंगत होने से हमीरपुर जनपद को, राजनीतिक क्षेत्र में हानि हुई है। उन्होंने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें भिजवाने का कष्ट करें।

मान्यवर, श्री शिव प्रसाद पाण्डिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर रायबरेली से चुनकर आए थे। अपने कर्तव्यों का जिस कुशलता से उन्होंने निर्वहन किया उसको याद रखा जायेगा। उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें भिजवाने का कष्ट करें।

श्री विश्राम राय जी समाजवादी रूप में जन्में और समाजवादी रूप में ही उनका अन्त हुआ। वह आजमगढ़ से चुनकर इस विधान सभा में आए। इस विधान सभा के वे तीन बार सदस्य रहे। विधान परिषद् के भी वह सदस्य रहे। उनका जीवन हमेशा राजनीतिज्ञों को प्रेरणा देता रहेगा। उनको आजमगढ़ का गाँधी कहा जाता था। सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तीनों क्षेत्रों में जो योगदान उन्होंने दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें भिजवाने का कष्ट

करें।

श्री रामशंकर लाल जी बस्ती जिले से आते थे। 1946 के सामान्य निर्वाचन में वह उत्तर प्रदेश की विधान सभा में चुनकर आए थे। वह बस्ती में लोकल दैनिक पत्रिका निकालते थे। बस्ती के लोग उनकी सेवा को आज भी याद करते हैं।

मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से शोक संवेदना संदेश भेजने का कष्ट करें।

मान्यवर, बालेश्वर प्रसाद सिंह जी का निधन 8 जनवरी, 1991 को हुआ वह 67 वर्ष के थे। वह बस्ती जिले के रहने वाले थे। 1957 के सामान्य निर्वाचन में वह चुनकर आये थे। उसके बाद वह डुमरियागंज, बस्ती से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने गये। उनकी सेवाओं को बस्ती के लोग हमेशा याद करेंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से शोक संवेदना संदेश भेजने की कृपा करें।

*** श्री कल्यान सिंह—**

मान्यवर, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्री राममूर्ति अंचल, श्री राम पाल त्रिवेदी, श्री गोपीनाथ दीक्षित, श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री देवीदत्त छिम्बाल, श्री चन्द्रिका प्रसाद, श्री जोरावर वर्मा, श्री शिव प्रसाद पांडिया, श्री विश्राम राय, श्री रामशंकर लाल, श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय प्रमोद जी तिवारी, माननीय नेता (जनता दल) ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ और अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

जहां तक मान्यवर, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी पंडित के निधन का प्रश्न है वह हमेशा अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहीं और उनका समूचा जीवन राष्ट्र के लिये समर्पित रहा। अन्य जो हमारे माननीय सदस्यों का निधन हुआ है वह समाज में अपना स्थान रखते थे और अपने-अपने जनपदों, अंचलों में नेतृत्व करते थे। उनके उठ जाने से जो रिक्तिता पैदा हुयी है उसको भर पाना कठिन काम है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

*** श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—**

मान्यवर, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित देहरादून, श्री राममूर्ति अंचल शाहजहांपुर, श्री रामपाल त्रिवेदी लखनऊ, श्री गोपीनाथ दीक्षित, इटावा, श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, सीतापुर, श्री देवीदत्त छिम्बाल, नैनीताल, श्री चन्द्रिका प्रसाद, रायबरेली, श्री जोरावर वर्मा, हमीरपुर, श्री शिव प्रसाद पांडिया, रायबरेली, श्री विश्राम राय, आजमगढ़, श्री रामशंकर लाल, बस्ती, और श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह, बस्ती, आज हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे इसका बेहद दुख है। इन सभी लोगों ने पूरे प्रदेश की महान सेवा की है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज-ए-अकीदत पेश करता हूँ। मेरा माननीय अध्यक्ष जी से यह अनुरोध है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से शोक संवेदना संदेश भेज दें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्री राममूर्ति अंचल, श्री रामपाल त्रिवेदी, श्री गोपीनाथ दीक्षित, श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री देवीदत्त छिम्बाल, श्री चन्द्रिका प्रसाद, श्री जोरावर वर्मा, श्री शिव प्रसाद पांडिया, श्री विश्राम राय, श्री रामशंकर लाल, श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह, इन सभी के निधन से मुझे और मेरे दल के माननीय सदस्यों को हार्दिक दुख है। इन लोगों के बारे में जो शोकोद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने, माननीय कल्याण सिंह जी ने, शेख सुलेमान जी ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारा शोक संवदेना संदेश उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, स्वर्गीय राममूर्ति अंचल, स्वर्गीय श्री रामपाल त्रिवेदी, स्वर्गीय श्री गोपीनाथ दीक्षित, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, स्वर्गीय श्री देवी दत्त छिम्बाल, स्वर्गीय श्री चन्द्रिका प्रसाद, स्वर्गीय श्री जोरावर वर्मा, स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद पांडिया, स्वर्गीय श्री विश्राम राय, स्वर्गीय श्री रामशंकर लाल, स्वर्गीय श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह के बारे में नेता सदन और विपक्षी दल के अन्य नेताओं ने विस्तृत रूप में उनके जीवन के बारे में और उनके कृत्यों के बारे में यहां पर विचार व्यक्त किये, मैं और मेरा दल उनकी भावनाओं के प्रति आबद्ध है और इन दिवंगत नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

मान्यवर, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित असाधारण महिलाओं में से थीं, अद्भुत प्रतिभा की महिला थी। उन्हें जो भारत सरकार की तरफ से विदेश का कार्यभार सौंपा गया था, उन्होंने उसका कुशलता पूर्वक निर्वहन किया और भारत का गौरव बढ़ाया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित इस प्रदेश के पहले मंत्रि मण्डल में शरीक थीं, जिसके मुख्य मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त जी थे। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के पद पर भी आसीन रहीं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला प्रेसीडेन्ट, अमेरिका, मैक्सिको, आयरलैंड एवं स्पेन में भारतीय राजदूत और इंग्लैंड में भारत की उच्चायुक्त के रूप में भी उन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। वे सन् 1962 से सन् 1964 तक महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रहीं। वे ह्युमन राइट्स कमीशन की प्रतिनिधि एवं माउंटबेटन मेमोरियल ट्रस्ट की ट्रस्टी भी रहीं। श्रीमती पंडित ने अपने अनुभव और यादों को अनेक प्रकाशनों के रूप में जनता को समर्पित किया। स्वर्गीय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित एवं अन्य महानुभावों ने अपने-अपने क्षेत्र में सराहनीय काम किये, जिनके निधन से एक रिक्तता पैदा हुई है, जिसकी पूर्ति करना कठिन है। मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, अन्य दलों के सम्मानित नेतागण तथा सभी

सदस्यगण, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके संबंध में आप सबने विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी उनको अच्छी तरह से जनता रहा। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने स्वतंत्रता आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल गयीं। श्रीमती पंडित सन् 1936 में सर्वप्रथम इलाहाबाद नगरपालिका बोर्ड के सदस्य बनीं। सन् 1937 में श्री गोविन्द बल्लभ पंत मंत्रिमण्डल में वे प्रथम महिला मंत्री बनी। सन् 1940 से सन् 1942 तक श्रीमती पंडित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष भी रहीं।

वे सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के पद पर भी आसीन रहीं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला प्रेसीडिटं, अमेरिका, मैक्सिको, आयरलैंड एवं स्पेन में भारतीय राजदूत और इंग्लैंड में भारत की उच्चायुक्त के रूप में भी उन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। वे सन् 1962 से सन् 1964 तक महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रहीं। वे ह्युमन राइट्स कमीशन की प्रतिनिधि एवं माउंटबेटन मेमोरियल ट्रस्ट की ट्रस्टी भी रहीं। श्रीमती पंडित ने अपने अनुभव और यादों को अनेक प्रकाशनों के रूप में जनता को समर्पित किया।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी खो दिया।

स्वर्गीय श्री राम मूर्ति अंचल जिला कांग्रेस कमेटी व प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अखिल भारतीय शिक्षा समिति के मंत्री रहे। वे यू0 पी0 गुड़ खाण्डसारी एसोसियेशन के प्रधान तथा यू0 पी0 रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सभापति रहे। वे विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री अंचल ने अनेक शिक्षा संस्थाओं में अवैतनिक रूप से कार्य किया तथा मजदूरों एवं किसानों के उत्थान में योगदान किया। वे एक अच्छे लेखक और सम्पादक थे। राज्यपाल द्वारा हिन्दी समिति की तरफ से उनके प्रकाशनों पर पुरस्कार दिया गया। भ्रमण, लेखन तथा चित्रकला में उनकी विशेष रूचि थी।

जनपद शाहजहांपुर ने श्री रामूर्ति अंचल के निधन से एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री राम पाल त्रिवेदी सन् 1948 से 1960 तक जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वे आई0 टी0 आई0 लखनऊ के चेयरमैन रहे। श्री त्रिवेदी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे कई बार जेल भी गये। श्री त्रिवेदी जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग बर्मा में व्यतीत किया था। इमारतें बनवाने तथा बागवानी में विशेष रूचि थी। कृषि तथा शिक्षा एवं पर्यटन आदि उनको प्रिय था। श्री रामपाल त्रिवेदी के निधन से जनपद लखनऊ ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कर्मठ राजनीतिज्ञ खो दिया।

श्री गोपीनाथ दीक्षित महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने सन् 1930 के "नमक आन्दोलन" में सक्रिय भूमिका निभाई। सन् 1932 के कांग्रेस आन्दोलन में भाग लिया और जेल गये। उन्होंने सन् 1940 में गांधी जी द्वारा चलाये गये व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। सन् 1941 में "डिफेन्स आफ इण्डिया एक्ट" में धारा 129 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। श्री दीक्षित ओजस्वी वक्ता होने के साथ-साथ लिखने पढ़ने में माहिर थे। सन् 1942 के आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण कई बार इटावा, आगरा, फैजाबाद व नैनी के सेट्रल जेलों में बन्द रहे। वे एक उच्चकोटि के वकील भी थे। श्री गोपीनाथ दीक्षित के निधन से जनपद इटावा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया।

श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल अपने युवाकाल से ही राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। खिलाफ आन्दोलन, सिविल डिसओवीडिएन्स मूवमेन्ट तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में वे बंदी बनाये गये। पंडित गोविंद बल्लभ पंत एवं रफी अहमद किदवई के नेतृत्व में साइमन कमीशन के बहिष्कार आन्दोलन में भी भाग लिया। उन्होंने जिला बोर्ड में किसानों के हितों की रक्षा की प्रमुख भूमिका निभाई। अध्ययन में उनकी विशेष रूचि थी तथा उर्दू भाषा का उनको अच्छा ज्ञान था। वे अद्वितीय राजनैतिक वक्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल के निधन से जनपद सीतापुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, समाजसेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी खो दिया।

श्री देवीदत्त छिम्बाल अपने युवाकाल से ही राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वे वर्ष 1971 से 1977 तक अध्यक्ष नगर पालिका रामनगर के पद पर आसीन रहे। वे वन व्यवसाय संघ के अध्यक्ष तथा आर्य समाज के उपप्रधान रहे। वे कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति थे। संगीत खेल तथा अध्ययन में उनकी विशेष रूचि थी। श्री देवीदत्त छिम्बाल के निधन से जनपद नैनीताल ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री चन्द्रिका प्रसाद टाउन एरिया, बछरांवा के चेयरमैन रहे। वे जिला बोर्ड, रायबरेली के सदस्य तथा श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, बछरांवा के प्रबन्धक रहे। श्री प्रसाद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे श्री चन्द्रिका प्रसाद महान स्वतंत्रता सेनानी थे। असहयोग आन्दोलन के दौरान पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता आन्दोलन में लग गये। सन् 1930 से 1934 तक तथा 1938, 1940 और 1942 में नौ बार पकड़े गये। और लगभग सात वर्षों तक जेल में रहे। वह साधु का सा जीवन व्यतीत करते और बिना नमक का भोजन करते थे। श्री चन्द्रिका प्रसाद के निधन से जनपद रायबरेली ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री जोरावर वर्मा जी संयुक्त विधायक दल सरकार में उपमंत्री रहे। वे श्री गांधी विद्यालय, राठ के वाइस प्रिंसिपल रहे। श्री वर्मा अन्य कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक एवं प्रबन्धक भी थे। आपका व्यवसाय कृषि एवं वकालत था। कोआपरेटिव सोसाइटीज में आपको विशेष रूचि थी। श्री जोरावर वर्मा के निधन से जनपद हमीरपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है।

श्री शिव प्रसाद पाण्डिया ने विद्यार्थी जीवन से ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था, फलस्वरूप उन्हें वर्ष 1941 एवं 1942 में जेल जाना पड़ा था। वे एक जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री तथा राज्य कार्य समिति के सदस्य रहे। पठन-पाठन में उनकी रूचि थी। श्री शिव प्रसाद पांण्डिया के निधन से जनपद रायबरेली ने एक स्वतंत्रता सेनानी तथा कर्मठ कार्यकर्ता खो दिया।

श्री विश्राम राय अपनी ईमानदारी एवं सज्जनता के लिए प्रदेश में लोकप्रिय रहे। ईमानदारी एवं कर्मठता के कारण ही इन्हें जिले का गांधी कहा जाता था। वे सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रान्ति दल एवं जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे। संगठन की क्षमता आपमें अभूतपूर्व थी। शिक्षा एवं खेती में आपकी विशेष रूचि थी। श्री विश्राम राय के निधन से प्रदेश ने एक योग्य एवं कर्मठ राजनीतिज्ञ खो दिया।

श्री रामशंकर लाल पंचमुख पात्रिका के सम्पादक रहे। वे सन्त कबीर

समिति मगहर के अध्यक्ष तथा सन्त कबीर हायर सेकेन्ड्री स्कूल मगहर के संस्थापक रहे। उन्होंने नमक आन्दोलन में भाग लिया। उन्होंने भारत-छोड़ो आन्दोलन में भी भाग लिया और जेल गये। वे जिला कांग्रेस कमेटी बस्ती के अध्यक्ष तथा आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। श्री राम शंकर लाल के निधन से जनपद बस्ती ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया।

श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह ने स्वतंत्रता आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री सिंह ने भूदान आन्दोलन में 50 एकड़ जमीन दान में दी उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूदौली एवं दिलेश्वरी इन्टर कालेज की स्थापना की। वे गन्ना समिति वाल्टर गंज के अध्यक्ष तथा जिला परिषद् के सदस्य रहे। श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह के निधन से जनपद बस्ती ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मैं जो विचार आप सबने व्यक्त किये हैं व अपनी संवेदना व विचार जैसा आपने व्यक्त किया है, उनके परिवार तक भेज दूँगा। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी मा0 सदस्य दो मिनट के लिए मौन खड़े हुये)

हिन्दी साहित्य के साहित्यकार डा0 राम कुमार वर्मा एवं पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, हिन्दी जगत के देदीप्यमान नक्षत्र, सरस्वती के वरद पुत्र, महान कवि और नाटककार डा0 राम कुमार वर्मा का निधन हमारे हिन्दी साहित्य के लिये अपूर्णीय क्षति है। डा0 राम कुमार वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर रहते हुए भी हिन्दी साहित्य की महान सेवा की है। उन्होंने कई अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। उनके 4 प्रमुख ग्रन्थ हैं (1) अजलि, (2) रूपराशि, (3) अभिशाप और (4) चित्रलोक । उनके ये ग्रन्थ स्मरणीय रहेंगे। लोक कथाओं का सबसे ज्यादा प्रकाशन वर्माजी ने किया है। आज हमारे हिन्दी साहित्य के जगत में इतने बड़े महान साहित्यकार, नाटककार और कवि हमारे बीच से उठ गये। इससे हमारे सारे सदन को दुखः है। आपसे प्रार्थना है कि उनके परिवार और संबंधितयों तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी पंक्ति में हिन्दी साहित्य की महान विभूति पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी का निधन 18 अगस्त को हो गया। इनका जन्म, अध्यक्ष महोदय, इटावा में ही हुआ था। ये उच्च शिक्षाविद् रहे। मध्य प्रदेश सरकार में ये शिक्षा संचालक और पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे। ये शिक्षा जगत में प्रधानाचार्य के रूप में रहकर हिन्दी की सेवा करते रहे। ये भारत सरकार में शिक्षा संचालक रहे। वे आकाशवाणी में डिप्टी डायरेक्टर रहे और 5 साल तक उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष अधिकारी के रूप में हिन्दी की सेवा करते रहे। उन्होंने विदेश यात्राएं भी कीं। उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में काव्य रचनाएं की हैं। आज हमारे बीच से इतने बड़े महान साहित्यकार चले गये, इससे हमको महान दुख है। हम इस सदन के माध्यम से उनके परिवार और संबंधियों को ये संवेदनाएं भेजने के लिये आपसे प्रार्थना करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, वर्ष 1990 का वर्ष साहित्य जगत के लिए बहुत ही क्रूरतम

वर्ष रहा है। वर्ष 1990 में जहां हिन्दी जगत के जनमानस हंस नागर जी को हमसे छीना था और अभी हम उस आघात से संभल भी नहीं पाये थे कि पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी जी को भी इस संसार से उठा लिया। मान्यवर, पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी एक महान हिन्दी सेवी एवं उच्च शिक्षा विद् थे। वे भैय्या जी के नाम से जाने जाते थे। उनमें जो सबसे बड़ा गुण था वह यह था कि उन्होंने जो भी हिन्दी साहित्य रचा हो वह हिन्दी जगत का अद्वितीय साहित्य था और उन्होंने कभी भी हिन्दी विषय पर समझौता नहीं किया और न ही उसके उत्थान के लिये समझौता किया। मान्यवर, मैं उनकी एक और उपलब्धि की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जहाँ पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी ने हिन्दी साहित्य की सेवा की वहीं उनके पास, उनके सानिध्य में मुझे भी रहने का अवसर मिला है। दारागंज (इलाहाबाद) में जहां उनका आवास था। वहां बड़ी-बड़ी लम्बी साभाएं हुआ करती थीं और उनके सानिध्य में बहुत से ऐसे हस्ताक्षर हुए हैं जो आगे चलकर एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में साहित्य में गिने जाते हैं। उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय ने डी0लिट् की उपाधि एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन में "साहित्य वाचस्पति" की उपाधि से विभूषित भी किया है। उन्हें वर्ष 1984 में पदम् भूषण से भी विभूषित किया गया था। जनवरी, 1990 में उन्हें जनता भारत-भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मान्यवर, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि वर्ष 1990 एक क्रूरतम वर्ष रहा है और इस कड़ी में डा0 रामकुमार वर्मा की क्षति भी एक अपूर्णनीय क्षति रही है। डा0 राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व था। उन्होंने 11 वर्ष की आयु से ही स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में अपने आपको समर्पित कर दिया था। उन्होंने जो हिन्दी साहित्य को लोकप्रिय बनाने की सेवा की है वह हिन्दी जगत में सदैव अमर रहेगी। जब श्रीलंका में जातीय आधार पर नफरत की ज्वाला भड़क रही थी तो उस समय उन्होंने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए जो कदम उठाये उसके लिए हम लोग उनके सदा ऋणी रहेंगे। डा0 राम कुमार वर्मा जी का व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व था। उनके जीवन में एक ही अभिलाषा थी कि मैं हिन्दी साहित्य की आखिरी सांस तक सेवा करूं। उन्होंने कहा था कि यदि मैं कवि न बन पाता, यदि मैं नाटककार न बन पाता तो मैं भारत माता का सैनिक बन जाता और उसकी सेवा करता। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से अपनी संवेदनाएं एवं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि हिन्दी के इस पुजारी की स्मृतियां में एक स्मृति चिह्न बनाया जाय। जहां से हिन्दी के प्रचार-प्रसार का संदेश गूंजता रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

ठीक है हम इस पर विचार कर लेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, श्री रामकुमार वर्मा जी, जिनका साहित्यिक पठन-पाठन इलाहाबाद से शुरू हुआ और इलाहाबाद में ही अंत हो गया, उनके प्रारम्भिक जीवन की शुरूआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रवक्ता के रूप में हुयी थी और वही पर वह हेड आफ डिपार्टमेंट भी हुये। उसके बाद से लेकर और अब तक के बीच के अंतराल में उन्होंने हिन्दी जगत की जो सेवा की है, उसका आंकलन

करने पर उनका एक ऐसा विशेष स्थान बनता है, जो बहुत कम लोगों को हिन्दी जगत में प्राप्त हुआ है। मान्यवर, स्व0 महादेवी वर्मा, स्वर्गीय निराला जी की पंक्ति में वह आते हैं। उन्होंने हिन्दी जगत में एकांकी नाटक और छायावादी कविताओं का जो सृजन किया है तथा बुन्देली गीतों का जो काव्य संकलन किया है, वह हमेशा-हमेशा के लिये लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। मान्यवर, श्री रामकुमार वर्मा जी छायावाद में स्वर्गीया महादेवी वर्मा जी के बराबर की श्रेणी में आते हैं। उनके एकांकी नाटकों और छायावादी रचनाओं का जो महत्त्व है, उसे आंका जाना सहज में उतना आसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति के निधन से पूरे हिन्दी जगत की अपूर्णनीय क्षति हुयी है और उसकी पूर्ति होना सहज में आसान नहीं होगा।

मान्यवर, श्री नारायण चतुर्वेदी, हिन्दी जगत के प्रख्यात लेखक थे और जिन्होंने हिन्दी को नई दिशा दी तथा हिन्दी के प्रचार व प्रसार हेतु विभिन्न पदों को ग्रहण करके, उन पदों के माध्यम से तथा अपनी लेखनी के माध्यम से हिन्दी जगत के साहित्य का जो सृजन उन्होंने किया, उसे हिन्दी जगत हमेशा-हमेशा गोरवान्वित रहेगा। उनको बहुत से सम्मानों से विभूषित किया गया। वह अंत तक हमेशा लेखन और पाठन में व्यस्त रहे और हमेशा उन्होंने हिन्दी जगत को, समाज को कुछ दिया ही, लेकिन कुछ प्राप्त करने की कभी कोई कोशिश नहीं की। मान्यवर, इन दोनों विभूतियों के निधन से आज पूरे देश में और हिन्दी जगत के साहित्य में जो कमी आई है रिक्तिता आई है, उसकी सहज में पूर्ति होना असंभव सा है। मान्यवर, इन दोनों व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों को मैं अपनी ओर से व अपने दल की ओर से संवेदना देता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि कृपया उनके शोक संतप्त परिवारों तक इसे पहुंचाने की आप कृपा करें।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, पं0 श्री नारायण चतुर्वेदी और डाक्टर रामकुमार जी वर्मा के रूप में हिन्दी जगत से दो बहुमुखी प्रतिभायें, दो महान विभूतियां हमारे बीच से उठ गयी, इसका हमें गहरा दुख है। इन दोनों विभूतियों ने राष्ट्र की और राष्ट्रभाषा हिन्दी की अनुकरणीय सराहनीय सेवा की। दोनों ही विभूतियों ने हिन्दी साहित्य को सम्पन्न बनाया। हिन्दी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकृत रूप से अपनी लेखनी चलाई। इन्होंने हिन्दी साहित्य में अपनी लेखनी के माध्यम से जो मार्ग देश को दिखाया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिये प्रेरणा का श्रोत बनेगा। इन दोनों महान पुरूषों के उठ जाने से जो रिक्तिता पैदा हुई है, उसकी पूर्ति होना असंभव है। मान्यवर मैं अपनी और से व अपने दल की ओर से इन दोनों ही विभूतियों के चरणों में बड़े आदर के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी और से तथा अपने दल की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरे दल की संवेदनाओं को शोकाकुल परिवारों तक पहुँचाने की कृपा करें।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री नारायण चतुर्वेदी, डा0 राम कुमार वर्मा, महान साहित्यकार, महान समाजसेवी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको अपनी ओर से व अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें भिजवाने का कष्ट करें।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, डा0 रामकुमार वर्मा और पं0 श्री नारायण चतुर्वेदी जी के निधन से न केवल हिन्दी जगत की बल्कि सम्पूर्ण साहित्य जगत की महान क्षति हुई है। उनके निधन से मैं और मेरा दल सभी दुखी हैं। उनके बारे में जो विचार माननीय नेता सदन और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार जन तक भिजवाने का कृपा करें।

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, पं0 श्रीनारायण चतुर्वेदी जी और डा0 राम कुमार वर्मा जो हिन्दी साहित्य के महान विद्वान थे, जिन्होंने कविता और नाटक के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, वे आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इन दोनों विद्वानों के निधन से हिन्दी साहित्य जगत की बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसका पूरा होना संभव नहीं है। डा0 रामकुमार वर्मा ने सोवियत यूनियन में दो वर्ष तक हिन्दी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन का कार्य किया। उन्होंने भारत और सोवियत यूनियन के सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभायी मान्यवर इन दोनों साहित्यकारों को, जो हमारे बीच आज नहीं हैं, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवारजनों तक इनके और जो शुभचिंतक है उन तक हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, अन्य दलों के सम्मानित नेतागण, सम्मानित सदस्यगण, प्रसिद्ध हिन्दी कवि एवं नाटककार डा0 राम कुमार वर्मा का निधन दिनांक 5 अक्टूबर, 1990 को इलाहाबाद में हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे।

डा0 रामकुमार वर्मा का जन्म सन् 1905 में मध्यप्रदेश के सागर नामक नगर में हुआ था। डा0 रामकुमार वर्मा ने सन् 1929 में एम0ए0 करने के पश्चात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग में प्रवक्ता के पद पर काम किया।

उनके व्यक्तित्व के निखार का श्रेय उनकी माँ थी। बुन्देलों के लोक-गीतों ने अनजाने ही उनके मन में काव्य और रंगात्मकता के बीज बो दिये। शैशव के ये संस्कार ही आगे चलकर वर्मा जी के साहित्यिक जीवन की प्रेरणा बने। डा0 वर्मा के छायावादी और में चार कविता संग्रह छपे, उनके नाम हैं— "अजलि" "रूपराशि", "अभिशाप", और "चित्रलोक",।

छायावादी कविता के साथ ही डा0 वर्मा प्रगतिवादी कवि भी थे। प्रगतिवादी दौर के उनके कविता संग्रहों के नाम है–चंद्रकिरण और संकेत। इसके अलावा डा0 वर्मा ने "जौहर" और एकलव्य" नामक प्रबंधात्मक काव्य भी लिखे।

कविता के अलावा एकांकी के क्षेत्र में डा0 रामकुमार वर्मा का योगदान उल्लेखनीय हैं। उनका एकांकी "बादल की मृत्यु", में नाटक के आधुनिक तत्वों की प्रधानता है। बाद में ही उन्होंने लगातार एकांकी लिखे। इनमें से ज्यादातर एकांकियों में यथार्थ से अधिक भावुकता है। सृजनात्मक कार्मों के अलावा उन्होंने हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा।

डा0 रामकुमार वर्मा जी एक छायावादी एवं प्रगतिवादी कवि होने के साथ ही साथ निशानेबाजी, घुड़सवारी एवं पहलवानी के बेहद शौकीन थे। स्वयं डा0 वर्मा ने एक भेटंवर्ता में कहा था— "यदि साहित्य का आकर्षण मुझे अपनी ओर न खींच लेता तो या तो मैं सैनिक बनता या देश का एक अच्छा पहलवान प्रसिद्ध होता"।

सन् 1957 में हिन्दी के प्रोफेसर होकर डा0 रामकुमार वर्मा मास्को गये और वहाँ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पठन–पाठन के लिये विभाग गठित करने तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करने के सन्दर्भ में लगभग दो वर्ष तक कार्य किया। भारत तथा सोवियत यूनियन के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने तथा हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र मे विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उन्हें "पदमभूषण" के अलंकरण से सम्मानित किया। सन् 1960 में सैंतीस लम्बे वर्षों तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिन्दी का अध्यापन कर उन्होंने हिन्दी विभाग के अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण किया। अपने कार्यकाल में भारत सरकार की ओर से हिन्दी प्रोफेसर के रूप में श्रीलंका भी भेजे गये और हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के अध्यक्ष के रूप में लखनऊ भी आये। किन्तु जैसे उड़ि जहाज की पंछी फिर जहाज पै आवें– वे फिर–फिर प्रयाग के साहित्यिक वातावरण में लौट आते रहें।

डा0 राम कुमार वर्मा के निधन से हिन्दी जगत ने एक उच्च कोटि का कवि, नाटककार एवं साहित्यकार खो दिया।

पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी का निधन दिनांक 18 अगस्त, 1990 को लखनऊ में हो गया। वे लगभग 97 वर्ष के थे।

पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी का जन्म सन् 1893 में जनपद इटावा में हुआ था। श्रीनारायण चतुर्वेदी जो उच्च शिक्षाविद् थे। कानपुर विश्वविद्यालय ने आपको मानद डी0लिट् की उपाधि एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने "साहित्य वाचस्पति" की उपाधि से विभूषित किया। उन्हें वर्ष 1984 में पद्मभूषण से भी विभूषित किया गया था। जनवरी, 1990 में उन्हें जनता भारत–भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन एक सामान्य अध्यापक से शुरू किया और वे कान्यकुब्ज इण्टर कालेज के प्रथम प्रिंसिपल नियुक्त हुए। तत्पश्चात् वे सरकारी सेवा में चले गये। ये चार वर्षों तक मध्य भारत के शिक्षा संचालक और पुरातत्व विभाग के निदेशक के पद पर रहे। वे दो वर्षों तक आकाशवाणी के मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर और पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश सरकार में हिन्दी के विशेष अधिकारी रहे। श्री चतुर्वेदी जी लीग आफ नेशन्स की एजुकेशन एक्सपर्ट कमेटी (जिनेवा) के दो वर्षों तक सदस्य रहे। साथ ही अनेक सरकारी हिन्दी समितियों तथा अन्य हिन्दी संस्थाओं के सदस्य रहे। श्री चतुर्वेदी जी ने अंग्रेजी में दो और हिन्दी में गद्य और पद्य की लगभग एक दर्जन पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें तीन हास्य और व्यंग्य की भी हैं।

श्री चतुर्वेदी जी बहुमुखी प्रतिभा और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे साहित्य मनीषी एवं सरस्वती के अनन्यतम साधक थे। वे अच्छे लेखक एवं सम्पादक थे।

पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी जी के निधन से हिन्दी साहित्य की अपूरणीय क्षति हुई है।

जैसे कि माननीय नेताओं ने अपनी संवेदना के भाव यहां व्यक्त किये हैं उसी अनुरूप मैं उनके शोक संतप्त परिवारजन तक आपकी भावनायें भेज दूंगा। अब आपसे निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें।

(सभी मा0 सदस्य दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

नियम 311 व नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को लिए जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की सूचना

*** श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—**

मान्यवर, मुझे सुन लें। यह दवा नहीं मिट्टी है इसमें भरी है। मान्यवर, यह शीशी देखने का कष्ट करें।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, 311 की सूचना ले लें।

श्री अध्यक्ष—

आप लोक अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

*** श्री मुईद अहमद—**

मान्यवर, 311 में सूचना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग पहले मेरी बात सुन लें।

आप सबको मालूम है, तीन दिन तक सदन में कुछ अव्यवस्था रही, जिससे सदन नहीं चल सका। कल सभी नेताओं की कृपा से कुछ निर्णय हुआ और उन निर्णय के अनुरूप ही कुछ बात भी निर्धारित हुई थी कि इस प्रकार मुझे कल कार्य करना है। तो मैंने उसमें यह किया कि कल जो मुझे सूचनायें 311 और 300 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, उनको भी मैंने निरस्त न करके, आज लिया जाय और आज जो आयी हैं वह तो है हीं। मुख्य रूप से दो विषय थे, जिन विषय पर जैसा कि निर्णय हुआ था मुझे सुनना है श्री रेवती रमण सिंह और श्री कल्यान सिंह जी को। इस कारण निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य अभी खड़े हो गये थे यदि उनकी सूचना मेरे पास हैं तो मैं उनको निस्तारित करूंगा और उसके बाद रेवती रमण सिंह जी को बुलाना है और फिर कल्यान सिंह जी को बुलाना है।

(व्यवधान)

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, 301 का क्या हुआ है?

श्री अध्यक्ष—

इसके उपरान्त, पहले मुझे आप लोगों को बुलाना है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, लोक महत्त्व के विषयों को क्या नहीं सुनेंगे, प्रतापगढ़ में 13 आदमियों की हत्या हुई है?

श्री अध्यक्ष—

जैसा निर्णय हुआ था, उसी के अनुरूप चलना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अगर आपकी इच्छा हो तो नियम 301 को भी समाप्त कर दूं।

※ श्री रघुबर दयाल वर्मा—

प्रतापगढ़ की घटना पर मैंने भी नियम 311 दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कह रहा हूं कि जो निर्णय हुआ था उसी अनुरूप सदन को चलायें।

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ जिससे किसी की भी बोली हुई बात समझ में नही आयी। इसी मध्य सर्वश्री समीउल्ला, राम लखन वर्मा, चैनसुख भारती तथा श्रीमती रामेश्वरी आदि कतिपय विधायकगण सदन के "फ्लोर" पर आ गये।)

※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(सदन के "फ्लोर" में आये हुए सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये किन्तु अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

अगर आपकी बात एक साथ बोलने के कारण कार्यवाही में नहीं आ पा रही है, तो आपके कहने से लाभ क्या है।

(पुनः घोर व्यवधान होते रहने पर)

नियम 311 में यह है कि जब मेरी अनुमति हो तथी आप बोलेंगे। जो सूचनायें हैं मैं उन्हें पढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं कल की सूचनायें ले रहा हूं।

कल दिनांक 23-1-91 को नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें आयीं, उनमें पहली सूचना श्री मुईद अहमद की अनेकों स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में है। इसकी अनुमति इसलिये नहीं देता हूं कि राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर विचार करते समय इस पर भी विचार हो जायेगा।

(श्री मुईद अहमद के खड़े होने से व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

यह बहुत महत्त्वपूर्ण है, हर जगह अव्यवस्था फैल गयी है, इतने महत्त्वपूर्ण सवाल पर भी नही सुनेंगे तो कैसे होगा.....

(श्री मुईद अहमद के बोलते रहने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा एवं श्री चन्द्रशेखर सिंह की अल्पमत सरकार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इस सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की यमुना नदी में नाव उलटने से 10 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल नहीं हो सकते, इस सम्बन्ध में है।

पाचंवी सूचना श्री कल्यान सिंह, श्री सत्य प्रकाश विकल, डा0 दिनेश जौहरी, श्री सुन्दरलाल दीक्षित की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रासुका में बन्दी किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री इम्तियाज मो0 खां, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी तथा श्री प्रमोद तिवारी की बुलन्दशहर में दिनांक 15-12-90 को हुए दंगे के सम्बन्ध में है। इसकी भी अनुमति नहीं देता हूं।

(श्री मुईद अहमद के बोलते रहने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष का उक्त कथन अत्यन्त कठिनाई से सुना जा सका)

इसी प्रकार से नियम 300 के अन्तर्गत श्री रविदास मेहरोत्रा की कि नेता विरोधी दल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन नहीं प्रस्तुत किया है, दूसरी

श्री शेख सुलेमान की–जनपद बिजनौर में दंगे के दौरान पी.ए.सी. द्वारा निर्दोष अल्पसंख्यक समुदाय की हत्या, तीसरी श्री पंचानन राय की–आजमगढ़ को कमिश्नरी नहीं बनाया गया है तथा चौथी सूचना श्री ब्रहमशंकर तिवारी की कुशीनगर, कसया को जनपद नहीं बनाया जाना। इस मामलों में चूंकि प्रक्रिया नियमावली तथा संविधान के उल्लेख का कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसलिए इन सबको मैं निरस्त करता हूं।

आज जो मुझे नियम 311 की सूचनाएं दी गयी हैं जिनमें श्री रघुबर दयाल वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के थाना कुण्डा में 13 व्यक्तियों को मुठभेड़ के नाम पर मार दिया जाना, दूसरी सर्वश्री अमरनाथ यादव व रविकान्त गर्ग की–श्री नारायण दत्त तिवारी प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे। तीसरी श्री श्याम देव राय चौधरी की–20 जनवरी को वाराणसी में सरस्वती पूजा पर रोक लगाई गई। चौथी सर्वश्री कल्यान सिंह, की–भा.ज.पार्टी के विधायकों को रासुका में बन्दी। पांचवी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी सत्य प्रकाश विकल और श्री डा. दिनेश जौहरी की–11 वर्षीय हरिजन लड़की के साथ बलात्कार की। छठी सूचना श्री किशन गोपाल की–आगरा की पुलिस द्वारा हीरोईन व कट्टे रखकर लोगों को झूठा फंसाया जाना व एन.एस.ए. लगाना और इसी प्रकार से सातंवी सूचना श्री रामलखन वर्मा की–प्रतापगढ़ में 13 व्यक्तियों की निर्मम हत्या। सर्वश्री कल्यान सिंह, सत्य प्रकाश विकल तथा डा. दिनेश जौहरी की जो सूचना है–भारतीय जनपद पार्टी के विधायकों को रासुका में बन्दी करने संबंधी तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा जी की सूचना–जनपद प्रतापगढ़ के थाना कुण्डा में 13 व्यक्तियों को मुठभेड़ के नाम पर मार दिया जाना के बारे में मैं निर्देश देता हूं कि सरकार इसके लिए वक्तव्य दे।

(घोर व्यवधान)

इसी तरह से जो आज नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं दी गयी हैं जिनमें पहली सूचना श्री मोबीन अहमद–बुनकरों को अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा गलत विद्युत बिलों का आना। दूसरी सूचना श्री मूल चन्द्र व श्री यदुनाथ सिंह की–श्री नारायण दत्त तिवारी नेता, विरोधी दल नहीं हो सकते। चूंकि यह दोनों मामले प्रक्रिया नियमावली तथा संविधान के उल्लघन में नहीं आते हैं, अतः नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की–नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर एक माह के अन्दर नहीं आता।.....(शोर के दौरान)....इस संबंध में शासन को निर्देशित किया जाता है कि समय से उत्तर दें।.....(घोर व्यवधान).....

श्री मुईद अहमद—

(श्री मुईद अहमद व एक साथ कई अन्य मा. सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)... यह हमारा वाला मामला मान्यवर बहुत ही गम्भीर है, यदि आप नहीं सुनेंगे तो सुचारू रूप से सदन नहीं चल पायेगा। (घोर व्यवधान).....(तदुपरांत एक साथ कई सदस्य जिनमें सर्वश्री मुईद अहमद, श्री इम्तियाज हुसैन, ईश्वर शरण विद्यार्थी तथा डा. बृज भूषण मणि त्रिपाठी आदि सदन के फ्लोर पर आ गये) तथा बाद में श्री प्रमोद कुमार के प्रयास से अपने स्थानों पर वापस चले गये) पूरे प्रदेश का गम्भीर मामला है, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

*** डा. बृजभूषण मणि त्रिपाठी—**

मान्यवर, जब तक इस गम्भीर मसले पर आप बुलवाएंगे नहीं तब तक हाऊस चलने नहीं दिया जायेगा।

श्री इम्तियाज हुसैन—

मान्यवर, यह अल्पसंख्यकों से संबंधित बहुत बड़ा और गम्भीर मामला है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, इसी मसले पर सदन में चर्चा करवाइए, तभी सदन चलने दिया जायेगा।.....(घोर व्यवधान)

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के सर्वश्री राम लखन वर्मा, चैनसुख भारती, समीउल्ला आदि सदस्य प्रतापगढ़ हत्याकाण्ड पर चर्चा की मांग करते हुए पुनः सदन के फ्लोर पर आ गये तदुपरान्त श्री अध्यक्ष के समझाने पर अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रेवती रमण सिंह जी, यदि आपको बोलना है तो बोलें। माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी की और अन्य माननीय सदस्यों की सूचना के बारे में मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है सरकार को वक्तव्य देने के लिये। माननीय विद्यार्थी जी ने जो मामला उठाया है उसे वे राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते समय प्राथमिकता के आधार पर कह सकते हैं। आप लोगों ने ही निर्णय किया था कि नियम 56 नहीं लिया जायेगा यह निर्णय हो गया और आज आप इसे नियम 311 के अन्तर्गत कैसे उठा रहे हैं?

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस होगी, उस पर सारे विचार आ जायेंगे और अगर उसके बाद भी आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो साम्प्रदायिकता पर अलग से बहस करने का विचार है, तो उसे भी करा लेंगे।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये, निर्णय हो गया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी, दादा—

मान्यवर, लोगों को संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं कि वे अपने नियम, पूजन आदि करेंगे और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे उससे उनको वंचित किया गया है। मान्यवर, वाराणसी पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को सरस्वती पूजा करने से रोका गया है इस संबंध में जो पुलिस के द्वारा निरंकुशता बरती जा रही है और लोगों के जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर सदन में विचार किया जाय।

अल्पमत सरकार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता के विषय में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने और माननीय चन्द्रशेखर जी ने जो 311 में दिया है मान्यवर, उसमें मुझे यह कहना है कि आपको याद होगा कि जब पिछली बार विधान सभा चल रही थी तो उस विधान सभा में उस समय एक प्रतिपक्ष के नेता माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि हम इस सरकार को केवल एक दिन का समर्थन दे रहे हैं। उनका समर्थन इस सरकार को केवल एक ही दिन का था जैसा कि उन्होंने कहा था।

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

(डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी सदन के फ्लोर में आकर बोलने लगे कि पहले आप मेरे नोटिस को सुन लीजिये, यह आपकी ही व्यवस्था थी। पुलिस की गोली से आदमी मर गये हैं, यह फैजाबाद जनपद की बात है।)
(श्री इम्तियाज खां भी सदन के कूप में आ गये और कहने लगे कि ऐसे सदन नहीं चलेगा जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(श्री केदार नाथ सिंह "नारायण दत्त तिवारी सदन में आओ" के नारे लगाने लगे जिससे सदन में शोर होने लगा और इसी शोर के दौरान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी।

तत्पश्चात 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(2.15 बजे सदन की बैठक पुनः आरम्भ होने पर)

अल्पमत सरकार द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तथा श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल नहीं हो सकते के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, समय निर्धारित कर दें 311 के संबंध में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

311 की सूचनाओं को निरस्त कर दिया है लेकिन आपकी बात सुन ली जायेगी। माननीय रेवती रमण सिंह जी आप बोलें (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव के (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रमोद तिवारी जी अपने दल वालों से कहे वहां जो निर्णय होता है उसे यहां नहीं मानते हैं (व्यवधान) जब एक बात तय हो गयी उसका पालन कराईये (व्यवधान) अन्यथा यह सदन कैसे चलेगा?

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी 311 में मैंने, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने और माननीय चन्द्र शेखर सिंह जी ने आपको लिख कर दिया है (व्यवधान) इनको समझा दीजिये।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

ऐसा बोलिये जो समझ में आये।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आप कोशिश करेंगे तो समझ जायेंगे। मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने यह कहा था कि हम जो समर्थन दे रहे हैं वर्तमान सरकार को वह एक दिन के लिये दे रहे हैं। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। आपने जो निर्णय किया प्रतिपक्ष के बारे में उसमें स्पष्ट लिखा है कि विधान सभा में 121 सदस्य सरकार के पक्ष में हैं और बाकी सभी विपक्ष की ओर हैं, सबको विपक्ष की तरफ मानकर निर्णय दिया था तो उस निर्णय के अनुसार मेरा आग्रह है कि वर्तमान सरकार आज अल्पमत में हो गयी है और जब सरकार अल्पमत में हो गयी है तो उसे सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखने का कोई औचित्य नहीं है (व्यवधान) अगर बहुमत में है तो बतायें तो मैं कह रहा था कि यह सरकार अल्पमत में है और इसलिये हम लोगों ने विरोध प्रकट किया पिछले दो दिनों से। आज तक कांग्रेस के लोगों ने यह कहीं नहीं कहा है कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

दूसरा पहलू भी है कि अगर यह मान लिया जाय कि यह सरकार का सदन में समर्थन करते हैं...

...तो फिर इनका कोई दायित्व नहीं रह जाता है कि विपक्ष की कुर्सी पर बैठें। मेरा आग्रह है कि इनकी कुर्सी उधर आप हस्तांतरित कर दें और नेता विरोधी पक्ष का यह दायित्व निर्वहन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने यह कहा था कि हम सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे और यह पहली बार इस विधान सभा के इतिहास में हुआ कि नेता प्रतिपक्ष ने धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपना संशोधन नहीं प्रस्तुत किया।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

रखा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आप नेता प्रतिपक्ष नही है।

मान्यवर, इतना ही नही सभी पार्टियों के लोग यहां बैठे हैं, विरोध पक्ष के किन्हीं लोगों को नेता प्रतिपक्ष से बुलाकर मंत्रणा नही किया, उनसे राय

नही किया, उनसे मुद्दों पर कोई फैसला नही किया कि इस सदन में किन मुद्दों पर विरोध पक्ष के कौन-कौन सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखेंगे और कौन-कौन से सदस्य अपना संशोधन रखेंगे। मान्यवर, यह एक ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है कि आज विधान सभा में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सहयोगी दल है और कौन प्रतिपक्ष है, और यही हम लोगों की मांग है और यहां यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, जब तक यह साबित नहीं हो जाता है तब तक यह अराजकता की स्थिति इस सदन में न चलवायें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

मान्यवर, जो आपने निर्णय दिया था उस पर कृपया विशेष परिस्थितियों में जो आज की स्थिति है जिसमें यह अपनी भूमिका भी नहीं निभा रहे हैं और सहयोग की बात कहते हैं, यह ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में यह विधान सभा सुचारू रूप से कैसे चल सकती है? जबकि हम लोग सभी चाहते हैं कि विधान सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चले लेकिन जिस तरह की भूमिका अदा की गयी है और की जा रही है उसमें विधान सभा की कार्यवाही चलाना मुश्किल होगा। इसलिये आग्रह है कि इस पर श्री वर्मा जी और श्री चन्द्र शेखर को सुनने के बाद जब आप निर्णय दें तो जो बिन्दु हमने उठाये हैं उनका ध्यान रखें। मान्यवर, एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि कभी-कभी लोकसभा में या विशेष परिस्थिति पैदा होने पर एक साथ वोट कर सकते हैं लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से जैसे पंजाब के सवाल पर या और कोई ऐसा सवाल हो उस पर समर्थन कर दिया जाये इसका मतलब यह नहीं है कि श्री राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर हम संशोधन नहीं रखेंगे और हम यहां पर कटौती के प्रस्ताव पर संशोधन नहीं रखेंगे और सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, व्हिप इश्यू नहीं करेंगे। यह कैसे हो सकता है? दोनों बातें कैसे संभव हैं? मान्यवर, एक ही बात संभव हो सकती है कि या तो यह सरकार को सहयोगी दल के रूप में काम करें या यह संभव हो सकता है कि प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिये जैसा श्री प्रमोद कुमार ने लिखकर दिया था कि हम सब प्रतिपक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, इसलिये उनका यहां निर्वहन होना चाहिए। (व्यवधान)

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी आप भी कक्ष में बैठे थे। (व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले बात तो समाप्त हो जाने दें। मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि मेरे कक्ष में सभी सम्मानित नेतागण कल बैठे थे...।

...और मेरे कक्ष में यह निर्णय हुआ था कि जो विवादग्रस्त मसला है, उस पर आपके नेता रेवती रमण सिंह जी सदन में अपने विचार रखेंगे, वह विषय को सदन में रखेंगे और उसके बाद कल्याण सिंह जी उसे रखेंगे, और यह हुआ था कि जो सम्बद्ध या प्रभावित होगा वह दल बोलेगा और सत्ता पक्ष उस पर अपना पक्ष रखेगा...(व्यवधान)

*** श्री पंचानन राय—**

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी बात तो सुनें। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं।...(व्यवधान)... इस तरह तब तो यह भी बोलेंगे। मैं उनको तो रोक रहा हूँ और आप बोलेंगे।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इनके यहां तो नेता पद का झगड़ा है। इसको पहले आप यहां तय करा दीजिए कि नेता कौन है। नहीं तो यही स्थिति आपके सामने आती रहेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह तय हुआ था कि 311 की सूचनाएं निरस्त होगी और जो विषय होगा, उस पर रेवती रमण सिंह बोलेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मैंने आपसे वहां भी यह कहा था कि आपको मौका लगे तो आप हमें भी मौका दे दें। इस पर आपने कहा था कि आपको भी सुन लेंगे। लेकिन यदि आप हमें नहीं सुनना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

आपने कहा था कि पार्टी नेता बोलेंगे और वर्मा जी कह रहे हैं कि यह भी बोलेंगे, तो जो आपने पीठ से घोषित किया था, उसके विरूद्ध यह कह रहे हैं, आपको यह असत्य घोषित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बेसब्री का कारण क्या हैं कि आप जो फिर खड़े हो जाते हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

आप आदेश दें तो मैं बोलूं, नहीं मैं आपका आदेश शिरोधार्य करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप कल्याण सिंह जी को बोलने दें, जैसा तय हुआ है, वैसा ही होगा।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय सदन के सामने विचाराधीन है। इस अवसर पर मेरी तो अपेक्षा यह थी कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी भी सदन में उपस्थित होते, और वह इस पर अपना पक्ष रखते। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, वह संसदीय ज्ञान व परम्पराओं के प्रकाण्ड पंडित रहे हैं। उनकी कमी हमें तो खल रही है। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि क्या सरकार अल्पमत की सरकार है। और दूसरा पक्ष यह है कि क्या कांग्रेस–नेता नारायण दत्त तिवारी प्रतिपक्ष के मान्य नेता हैं। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब 20 नवम्बर की इस सदन में विश्वास मत प्रस्तुत किया गया था माननीय मुख्य मंत्री की ओर से, कांग्रेस दल का अपना फैसला था, उन्होंने सरकार को अपना समर्थन दिया। समर्थन देना और न देना उनके अधिकार क्षेत्र का प्रश्न हैं। कोई जोर जबरदस्ती उस फैसले को नहीं बदलवा सकता है।

लेकिन जब जनता दल के माननीय रेवती रमण सिंह जी ने और अन्य साथियों ने प्रतिपक्ष के नेता के पद का दावा पेश किया, तो उस पर कांग्रेस की ओर से भी कुछ तर्क दिये गये, और उसके परिप्रेक्ष्य में आपने अपना निर्णय इस पर दिया। आपने उसमें उनके तर्कों का समावेश किया था, और उनकी ओर से तक यह दिया गया था कि हमारा तो समर्थन सिर्फ एक दिन के लिए था। तो यह एक दिन के लिए स्वाभाविक रूप से था, और उसके बाद तो यह सरकार अल्पमत में आ जाती है। लेकिन उसके पश्चात् फिर मामला आगे बढ़ा। कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया सरकार से अपना समर्थन न वापस लेने का। लेकिन यह मामला फिर अटक गया और केन्द्र ने मना कर दिया इनकी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के लिए। उसने कहा समर्थन वापस न लिया जाए।

(व्यवधान)

लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी कार्यकारिणी उनका केन्द्रीय संसदीय अधिकरण क्या फैसला लेता है, उसके बारे में यह सदनन कोई मान्यता नहीं ले सकता है। इसलिए जब आपके लिखित पत्र में लिख दिया कि 20 तारीख को, 20 नवम्बर को समर्थन था,, तो हम कांग्रेस का स्पष्टीकरण चाहेंगे, प्रदेश की जनता चाहेगी, यह सदन चाहेगा कि क्या आप 20 तारीख वाले फैसले पर अडिग हैं? आप इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं यदि आपने अपने फैसले में कोई तब्दीली की है तो उसकी घोषणा आपको इस सदन में करनी चाहिए। अगर आज भी वह अपना समर्थन दे रहे हैं, सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे हैं तो यह अल्पमत की सरकार नहीं रहती है यह बहुमत की सरकार बन जाती है ऐसी स्थिति में माननीय नारायण दत्त तिवारी प्रतिपक्ष के दावेदार नहीं रहते उनका दावा समाप्त हो जाता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। हम यह नहीं कहते कि समर्थन नहीं करना चाहिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि सरकार का समर्थन कर दिया जाता है जैसे पंजाब का मसला है, बंगाल का मसला है, हमने भी केन्द्र सरकार में समर्थन किया था एक विशेष मसले पर, ——(व्यवधान)

यदि किसी विशेष मसले पर समर्थन किया जाता है तो वह सहयोगी दल नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं कि अगर कोई दल फैसला कर लेता है सरकार का समर्थन करने का, तब फिर वह दल विपक्षी दल नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर विश्वास का मत ऐसा ही मुद्दा है। विश्वास मत प्राप्त करने को सरकार ने प्रस्ताव पक्ष पेश किया और कांग्रेस ने उनका साथ दिया, उस दिन उनकी विपक्षी भूमिका समाप्त हो गई। अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो जाए उसमें कोई दल सरकार का समर्थन कर दे, तो विपक्ष की भूमिका समाप्त हो गई लेकिन मान्यवर, अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव चल रहा है परिपाटी यह रही है कि धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तो उसमें विपक्ष की ओर से संशोधन पेश किया गया है, लेकिन अभी तक विपक्ष के माननीय नेता ने कोई संशोधन पेश नहीं किया है, तो यह दुविधा पूर्ण स्थिति समाप्त होनी चाहिए। हम चाहते हैं आपके माध्यम से सदन यह जानना चाहता है प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आज की तारीख की कांग्रेस की स्टैन्ड क्या है? वह इस सरकार के सहयोगी दल के रूप में बैठे हैं वह घोषणा

करें, हम ऐतराज नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है यह घोषणा नहीं है तो प्रतिपक्ष की कुर्सी पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जैसे व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए——

(व्यवधान)

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि हर दल का व्यक्ति उनका सम्मान करता है उनका अपना अलग व्यक्तित्व है। पद के साथ उनके व्यक्तित्व की गरिमा को न लें, उनकी अपनी अलग एक गरिमा है——

(व्यवधान)

मुझे लगता है कि उनकी आत्मा भी गवाही नहीं दे रही है कि ऐसी स्थिति में जनता में जाकर क्या कहेंगे? माननीय तिवारी जी को इस दुविधा से मुक्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस यहां पर स्पष्ट कर दे अगर वह सहयोगी दल है, तो वह प्रतिपक्ष की कुर्सी को छोड़े और अगर वह सहयोगी दल नहीं है तो माननीय मुलायम सिंह कुर्सी छोड़ें एक को तो अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बहस हो रही है। आपके निर्णय के बाद कि नेता विरोध पक्ष की कुर्सी पर कौन बैठे, कुछ घटनायें घटित हो गयी। कांग्रेस ने अंडरटेकिंग दी कि वह प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करेगी। माननीय नेता विरोधी दल ने अभिभाषण के पूर्व विरोधी दल के नेताओं की बैठक नहीं बुलायी। संशोधन का प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया है। सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिये संशोधन का प्रस्ताव दिया जाता है जो नहीं दिया गया है। बजट सेशन शुरू हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष माननीय तिवारी जी इस सदन में नही आ रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वह आयें लेकिन उनका न आना यह जाहिर करता है कि वर्तमान में जो नेता विरोधी दल हैं माननीय तिवारी जी वह इस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने केन्द्र में समर्थन दिया, माननीय राजीव गांधी वहां हट गये, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अडवानी जी आ गये। शिवशंकर जी ने राज्य सभा में कुर्सी छोड़ दी। अखबारों से यह पता चला कि यहां का फैसला यहीं पर होना है।

माननीय तिवारी जी यह पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं यह मेरी समझ में नही आता है। कांग्रेस समर्थन सरकार को देना चाहती है दे, आपका दिल जो चाहता है कीजिये लेकिन उधर भी बैठियेगा और सरकार को भी समर्थन दीजियेगा, यह दोनों बातें समझ में नही आती है? हम लोगों के अलावा सदन के बाहर भी संसदीय परंपराओं, संविधान के, लोकतंत्र के जानकार लोग हैं। वे छींटाकशी कर रहे हैं सारे राजनीतिक दलों के ऊपर कि यह कौन सी बात है कि आप समर्थन भी कर रहे हैं और विरोध पक्ष की कुर्सी पर भी बैठे हैं। जब आपके कांग्रेस दल के हाई कमान ने कर दिया है तो उसी का अनुकरण आप कीजिये। आपके निर्णय के पूर्व ही मैं चाहूंगा कि माननीय तिवारी जी, कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अपनी बुद्धि से अपने विवेक से इस पद को छोड़ें और विधान सभा के इतिहास में, जो हमारा एक शानदार इतिहास रहा है उसको कायम रखें। इन शब्द के साथ मैं चाहूंगा कि आपका निर्णय इस प्रकार का होना चाहिये।

श्री राजकिशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा चल रही है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं गंभीर है। आपने एक निर्णय दिया था जिस पृष्ठभूमि में दिया था उस पृष्ठभूमि में वह बहुत सही था। लेकिन आज परिस्थितियां भिन्न बन गयीं हैं। आज लगता है कि कांग्रेस दल में कोई नेता नहीं है, ऐसी हालत हो गयी है जैसी एक विधवा की होती है। अभी मैं कुछ देर पहले बाहर देख रहा था, कांग्रेस विधायक दल के डिप्टी लीडर अरूण कुमार सिंह मुन्ना घूम रहे थे। उनको अधिकृत किया गया है कि तिवारी जी के बाद वह उप नेता हैं। माननीय तिवारी जी के न आने का मतलब तो यही हो सकता है कि अब वह यहां की कुर्सी, प्रतिपक्ष के नेता का पद ग्रहण करना नहीं चाहते हैं।

कारण चाहे जो भी हों, मेरा कहना है कि कम से कम दर्शन तो देना चाहिये और हम लोगों को पता चलना चाहिये कि वह विरोधी दल के नेता हैं लेकिन वह एकदम से गायब हैं। यह जाहिर करता है कि उनके मन में कुछ और है। वह यह पद छोड़ना चाहते हैं तो यह बात स्पष्ट रूप से आनी चाहिये। माननीय तिवारी जी की तरफ से या उप नेता की तरफ से कोई भी संशोधन का प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नहीं आया है। किसी एक सज्जन ने दिया है। मुझे संदेह है कि उनके उस पर हस्ताक्षर हैं या नहीं है किसने दिया है, कैसे दिया है।

श्री शिव करन सिंह—

मैंने स्वयं लिख कर दिया है, मेरे हस्ताक्षर हैं।

...न तो माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी ने अधिकृत किया और न उनके उप नेता ने और न सदस्यों ने अधिकृत किया है, तो जहां तक संशोधन की बात है, उसका कोई महत्त्व नहीं है, इसलिए यह साफ होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार चले, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। अगर कांग्रेस दल सरकार को समर्थन कर रही है, तो उसे ऐलान करना चाहिए। एक संग दो होय न भुवालू, हंसब, ठेठाब, फुलाउब गालू। कि हम प्रतिपक्ष के नेता भी बने रहेंगे और सरकार को समर्थन भी करेंगे। माननीय नारायण दत्त तिवारी को तो अब कोई लालच रह नहीं गयी है। वह लिख कर दें दें कि हम समर्थन करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं...

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब सभी दलों के नेता बोल रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस दल का कौन नेता है?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है, जब बैठक हमारे कक्ष में हुई थी, तो उसमें मुख्य सचेतक श्री प्रमोद तिवारी जी वहां पर उपस्थित थे, उनके सामने बात हुई थी।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

इसमें क्या माननीय प्रमोद तिवारी जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि कांग्रेस दल सरकार का समर्थन कर रही है या नहीं?

※ श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी क्या नेता विरोधी दल की हैसियत से बोल रहे हैं या किस हैसियत से बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कहीं कही पर तर्क होते हैं, कहीं कहीं पर कुतर्क होते हैं। आज तक की दुनिया के संसदीय इतिहास में सारी पुस्तकें आप देख लें कौल शकधर देख लें, सदस्या संख्या सत्ता दल के बाद जिसके पास अधिक रहेगी, उसी दल का नेता विरोधी दल रहेगा। कांग्रेस दल द्वितीय दल के रूप में विपक्ष का दायित्व निर्वहन करेगा। अब वह विरोधी दल के रूप में दायित्व का निर्वहन कैसे होगा, यह हमें उनसे नहीं जानना हैं, जिन्हें सत्ता में पांच वर्ष के लिये भेजा गया था, उन्होंने राजनैतिक लिप्साओं के लिये दल भी तोड़ दिया। मैं विरोधी दल के रूप में स्पष्ट घोषणा करना चाहता हूं कि कांग्रेस विरोधी दल है और विरोधी दल रहेगा।

(घोर व्यवधान)

इसलिये हम स्पष्ट विपक्ष के रूप में रहेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद कुमार—

विरोधी दल का यह दायित्व नहीं है कि सरकार का वह हमेशा विरोध ही करता रहे। हम गुण और दोष के आधार पर जैसा उचित समझेंगे, वैसा करेंगे। जब-जब साम्प्रदायिक ताकतें देशद्रोही ताकतों से हाथ मिलायेगी, तब तक कांग्रेस जिम्मेदार राष्ट्रीय दल के रूप में साम्प्रदायिकता से लड़ने वालों का सहयोग करता रहेगा।

यही नहीं मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा समर्थन कोई ऐसा समर्थन नहीं है जो अंध समर्थन हो, हमारा समर्थन गुण और दोष पर आधारित समर्थन है और मुद्दों पर आधारित है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये परम्पराओं की बात करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। (व्यवधान) मान्यवर, सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद।

(घोर व्यवधान)

※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, ये परम्पराओं की बात करते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास में यहां महामहिम राज्यपाल के साथ जो कदम उठाया गया है उससे क्या उत्तर प्रदेश की गरिमा बढ़ी है या कौन सी परम्परा का निर्वाह हुआ है, कुंवर साहब मान्यवर, जिस दल में आज आप हैं इसी दल के आपके नेता पंजाब पर जब विधेयक लाये थे तो उन्होंने कांग्रेस से सहयोग मांगा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, आप इधर मुंह करके बोलिये।

(जनता दल की ओर से "नारायण दत्त तिवारी सदन में आवो" के नारे लगाये गये)

(श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री अध्यक्ष—

बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है, आप बैठे।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक श्री नारायण दत्त तिवारी का प्रश्न है कि उन्होंने संशोधन क्यों नहीं रखा तो मैं वह नियम की वह किताब दिखाना चाहता हूं कानून की, जिसमें यह दायित्व नेता विरोधी दल पर कि राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन सिर्फ नेता विरोधी दल ही रख सकता है? नहीं है मान्यवर, मैं वह नियम आपको बताना चाहता हूँ कि संशोधन तो कोई मात्र सदस्य रख सकता है नेता विरोधी दल को संशोधन रखना आवश्यक नहीं है यह नियमों में लिखा है मैं यह पुस्तक आपके विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की 19 (5) धारा है. इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं (पुस्तक दिखायी)। अगर वह कोई नहीं रख सकता है तो मेरे दल की तरफ से रख दिया गया है। मान्यवर, हमारी कार्यकारिणी संसदीय दल में क्या हुआ इसकी जानकारी विरोधी दल के कुछ लोग ज्यादा रख रहे हैं। यह एक शुभ संकेत है कि वह हमारी ओर आकर्षित हो रहें है।

मान्यवर, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल 105 वर्षों से लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता का इतिहास लिख रहा है। जिस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तो उन्होंने पंजाब के मामले में हमारे नेता से सहयोग मांगा और हमने सहयोग दिया इस समय यह बात किसी के कहने से गलत साबित नहीं हो जायेगी यह तो संसद में साबित हो चुकी है। मान्यवर, देश की जनता जानती है कि कोई एक ऐसा अवसर नहीं आया है बल्कि 425 अवसरों पर तमाम संसदीय अक्सर ऐसे आये हैं जब सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष का सहयोग मांगा है और 425 अवसरों पर सत्तारूढ़ दल को विपक्ष ने सहयोग दिया है लेकिन इससे उसका विपक्षी स्वरूप समाप्त नहीं हुआ। जब पिछली बार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने समर्थन के लिए विश्वासमत प्राप्त किया था उस समय कांग्रेस दल के लोगों ने समर्थन दिया था शायद इन्हें इतिहास नहीं मालूम है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक नेता की बात है जो इन्होंने कहा तो, एक तो मैं कहना

चाहता हूं कि कांग्रेस में कार्यकर्ता होते हैं नेता तो सिर्फ उधर होते हैं जो कुर्सी से चिपके बैठे हुए हैं, उधर के ही नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो सिर्फ एक हैं और वह नेता तो देश के नेता हैं उनका नाम हैं श्री राजीव गांधी।

...यहां के नेता हैं, विधान सभा में, जिनका नाम है नारायण दत्त तिवारी। हम कह सकते हैं कि संसदीय इतिहास का ज्ञात और लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने वाला नारायण दत्त तिवारी के बराबर भारत में और दूसरा नहीं होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, राय दूंगा नेता, जनता दल को कि अगर कुर्सी की जरूरत है तो श्री नारायण दत्त तिवारी ने चार बार मुख्य मंत्री का दायित्व निभाया है और चार बार विरोधी दल का दायित्व निभाया है।

यहां पर हम संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिये प्रयास कर रहे हैं, कुर्सी के लिये नहीं। इनकी कुर्सी दो माह पहले विश्वासघात करने के बाद चली गयी और इसीलिये न रात को सो पाते है न दिन में जाग पाते हैं। हमारा उनके साथ न शासन चलाने में कोई सहयोग है न इसके साथ कोई कार्यक्रम है, न हमारे साथ इनको कोई सिद्धांत मिलता है, लेकिन कार्यक्रम और सिद्धांत जनता दल के एक हैं। लेकिन, जब कभी साम्प्रदायिक ताकतें राष्ट्रद्रोही ताकतों से हाथ मिलाएंगी, देश की रक्षा के लिये हम सरकार को सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर) वर्मा जी, आप कम से कम जो हमारे कक्ष में निर्णय हुआ, उसको निर्वहन करें। आपके नेता बोल चुके हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

श्रीमन् क्या आपसे निवदेन भी नहीं कर सकते। निवेदन की तो छूट रहेगी। मुझे निवेदन करने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष—

यह दो वर्मा जी का मसला है, बेनी प्रसाद वर्मा और रघुबर दयाल वर्मा, वर्मा जी बैठ जायं।

लोक निर्माण, आबकारी एंव संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, हमारे सभी विद्वान नेताओं ने संसदीय परम्पराओं की दुहाई दी। हम, हमारी सरकार और हमारा दल इस बात में पूरी आस्था रखता है कि संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिये और सदन में तो इसकी झलक मिलनी ही नहीं चाहिये। श्रीमन् आपने अपने विद्वतापूर्ण निर्णय में श्री नारायण दत्त तिवारी को नेता प्रतिपक्ष माना है। श्रीमन् हम सब लोग नियमावली और परम्पराओं से यहां पर चलते हैं और यही अपेक्षा हमसे जनता भी करती है। श्रीमन् आप नियमावली पढ़ लें। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 314 में स्पष्ट दिया है कि किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। यहां पर यदि कोई भूल हो गयी हो तो उसके सुधार के लिये हमेशा समय रहता है। लेकिन यह कौन सी परम्परा है कि अध्यक्ष के निर्णय को बदलवाने के लिये सदन की कार्यवाही न चलने दी जाय। इसकी एक भी मिसाल

लोक सभा या हाऊस आफ कामन्स में नहीं है। अध्यक्ष के निर्णय को बदलवाने के लिये दो दिन कार्यवाही नहीं चलने दी, यही लोग अब संसदीय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। भूल हो सकती है, हम लोग भी भूल कर सकते हैं।

...उन रास्तों से भूल का सुधार किया जाता है। अगर हम परम्पराओं की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं तो यह माननीय अध्यक्ष की मर्यादा के विपरीत है कि अध्यक्ष पर दबाव डाला जाय, सदन की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न किया जाय। कहीं पर कोई मिसाल हो उसे दिखा दें कि कहीं कोई स्वस्थ मिसाल हो कि अध्यक्ष के निर्णय को बदलने के लिये जोर-जबरदस्ती हाउस में की जाय। ऐसी मिसाल कहीं आपको नहीं मिलेगी। जैसा मैंने पहले कहा यहां पर सबको अपनी बात कहने का हक है। आप सबकी बात हमने ध्यानपूर्वक सुनी, तब आप हमारी बात भी ध्यानपूर्वक सुनें। बीच में न टोके। हमारी बात सुनने से आपको कोई अपच नहीं होगा, ज्ञान ही आपका बढ़ेगा। अगर यहां कोई यह कहता है कि वह पूर्ण है, विद्वान है तो यह उसकी भूल है, एक दूसरे की बातों को सुनने से ज्ञान में वृद्धि होती है और सबको इसको महसूस करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष की मर्यादा के विपरीत उप पर द्रबाव डालने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिये, निर्णय बदलने के लिये उन पर दबाव नहीं डालना चाहिये।

जहां तक नेता विरोधी दल को मान्यता देने का प्रश्न है तो हमारी नियमावली में ही प्राविधान है, मैं जो बात कहूँगा अलग से कोई बात नहीं कहूँगा आपको जवाबी भाषण नहीं दूंगा, जो कुछ कहूँगा उसकी मिसाल दूंगा। आप देखने का कष्ट करें स्पष्ट प्राविधान है-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (ज) में यह परिभाषा है कि— "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य सभा के उस सदस्य से है जिसे अध्यक्ष द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।" विरोधी दल या नेता विरोधी दल की कोई परिभाषा नियमावली में नहीं दी गई है। श्रीमन् माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये करण 209 में संसदीय दलों की मान्यता के लिये प्राविधान है। सदन की गणपूर्ति के लिये जितनी संख्या आवश्यक हो उतने सदस्यों वाला दल संसदीय दल की मान्यता प्राप्त करता है। सत्ता पक्ष के बाद जो सबसे बड़ा दल होता है, उसके दल के नेता को परम्परानुसार नेता विरोधी दल की मान्यता दी जाती है। बाकी सभी अन्य दलों को विपक्षी दल माना जाता है, अगर सरकार में शामिल न हों जब शामिल हो जाते हैं तो उनकी मान्यता समाप्त हो जाती है। "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" कौल और शकधर की पुस्तक में इस संबंध में कहा गया है, इसी पुस्तक को हम प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ उद्धरण यहां देना चाहूंगा। उसके पृष्ठ 126-127 में उल्लिखित है, उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है "विरोधी पक्ष का नेता महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है.. उसे सरकार बनाने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहना चाहिये अतः उसे अपनी कथनी और करनी में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और राष्ट्रीय हित के सवाल पर उससे उतनी ही जिम्मेदारी से कार्य करने की आशा की जाती है जितनी प्रधानमंत्री से।... माननीय कुंवर रेतवी रमण सिंह जी से यह बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा। इसी कौल और शकधर की पुस्तक में और भी उद्धरण हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेरल्ड मैकमिलन ने विरोधी पक्ष के नेता की स्थिति तथा जिम्मेदारियों के बारे में कहा है कि खतरे के समय यद्यपि वह सरकार का आलोचक रहता है लेकिन उसके साथ ही उसे उस सरकार का साथ देना बल्कि

समर्थन करना पड़ता है जिसका वह विरोध करता है। उसे अपनी यह दोहरी जिम्मेदारी सच्चे दिल से निभानी पड़ती है। यद्यपि वह विरोधी पक्ष का नेता होता है।

एक सदस्य—

इलेक्शन का खतरा है, इसलिये यह सब हो रहा है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इस समय खाड़ी युद्ध चल रहा है, उससे भारत की अर्थ नीति, आर्थिक स्थिति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। ऐसी स्थिति में क्या चुनाव होना आवश्यक है? अगर अकेला हमारा दल बहुमत में नहीं है तो चुनाव कराने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? नेता विरोधी दल माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कांग्रेस पार्टी ने, इस आर्थिक संकट को जनता न झेले, इसके लिये सरकार चलाने में जो समर्थन दिया है, यह कौन सा राष्ट्र के साथ विश्वासघात है? मैं तो कहता हूं कि उन्होंने राष्ट्र भक्ति की भावना से काम किया है। (कांग्रेस (आई) दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) इस संकट की स्थिति में सहयोग से चुनाव की स्थिति नहीं आ रही है।

...जहां तक नैतिकता का सवाल है, सब लोग जानते है कि चुनाव हुआ था पिछले साल। जनता दल बहुमत में आयी थी। मैं मान्यवर, पूछना चाहूंगा कुंवर रेवती रमण सिंह जी से कि क्या आपने मुलायम सिंह यादव के नाम से अपने क्षेत्र में वोट नहीं मांगे थे। यही नैतिकता है कि जिसके नाम से आपने वोट मांगे उसके साथ धोखा करके उसकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने बहुमत नहीं हासिल किया है लेकिन आज देश को आर्थिक सकंट से बचाने के लिए देश में अतिरिक्त चुनाव से जो बोझ पड़ेगा उसको बचाने के लिए वह सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जिसे कल आपने भेजा था। मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने आज अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। आज आपने जो नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में विद्वतापूर्ण निर्णय दिया मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक नेता विरोधी दल के संबंध में आपने जो निर्णय दिया है उसके सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक, माननीय श्री प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी (आई) ने जो कहा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी नेता, जनता दल को बहुत बड़ी चिन्ता है कि हमारी सरकार अल्पमत में है। मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर हमारी सरकार अल्पमत में है तो यह क्यों परेशान हो रहे हैं। विधान सभा चल रही है और आप कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। मैं माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी से यह कहना चाहूंगा कि जब आप हमारी सरकार में थे तो उससे कहीं अधिक बहुमत इस समय हमारी सरकार को है। मान्यवर, मुझे याद है कि 22 सितम्बर को मद्रास के अन्दर हमने कह दिया था और 22 अक्टूबर को भी हमने कहा था कि जिनके नेतृत्व में आप आस्था रखते हों उसके साथ रहें। हमारे सामने दो विकल्प थे—एक तो देश को बचाने का या फिर दिल्ली की सरकार को बचाने का। तो हमने देश को बचाया, दिल्ली की

सरकार को नहीं। इस बात को अगर किसी ने समझा है तो वह है कांग्रेस पार्टी। आज आप किसे नेता मानते हो? चौधरी चरण सिंह को ? और उनको नेता मानते हो और उन्हीं का अपमान भी करते हो। जिस समय हम सत्ता में आये, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे उसी दिन हमने कह दिया था कि चाहे यह सरकार रहे या न रहे हम सिद्धान्तों के साथ हमेशा रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाये। मान्यवर, राजयपाल महोदय के पास कौन जाता है, वे कौन लोग है जो उनके यहां जाकर धरना देते हैं। आज कुंवर रेवती रमण सिंह जी जनता के बीच बेनकाब हो गये हैं।

...आपको तो एक दिन में ही अडवाणी जी का नेतृत्व स्वीकार करके वहां बैठ जाना चाहिये। आप दोनों का एक ही लक्ष्य है, माननीय कल्यान सिंह कहते हैं, मुलायम सिंह हटाओ और माननीय रेवती रमण सिंह भी कहते हैं, मुलायम सिंह हटाओ। मान्यवर, माननीय कल्यान सिंह जी की बात पहले तो मेरी समझ में आती थी, लेकिन आज मेरी समझ में उनकी बात भी नहीं आई, पता नहीं इनको कन्फ्यूजन किस बात का है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप मस्जिद तोड़ना चाहते हो और मेरा कहना यह है कि जब तक न्यायालय का फैसला इस संबंध में नहीं हो जाता मस्जिद को तोड़ने नहीं दिया जायेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर—घोर व्यवधान)

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लोग मस्जिद तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनके आदमी उसके गुम्बद पर चढ़ गये और तोड़ने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे, और अब इनके लिये कोई बात नहीं है। मान्यवर, यह लोग गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ अयोध्या में मस्जिद और मंदिर के नाम पर खड़े विवाद में समर्थन के लिये भी तैयार हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि मेरी सरकार रहे या न रहे, हम साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ कोई समझौता करने के लिये कतई तैयार नहीं हैं।

गैर कांग्रेसवाद की बात और कोई कहता, तो ठीक भी था, लेकिन माननीय रघुबर दयाल वर्मा, माननीय चन्द्रशेखर जी कहते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता। आज गैर कांग्रेसवाद का कोई सिद्धांत नहीं है, पहले रणनीति थी कि कांग्रेस को हम सब मिलकर हटायें, लेकिन अब साम्प्रदायिक शाक्तियों के खात्मे के लिये हम सबको एक हो जाना चाहिये और आपको भी हमारे साथ एक हो जाना चाहिये। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह और राजकिशोर सिंह, जो पहले भी साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे, बाद में भी लड़ते रहें, उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय नारायन दत्त तिवारी जी को नेता विरोधी दल के रूप में यहा घोषित कर दिया और उन्होंने साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिये हमको समर्थन दिया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन हमारा सिद्धान्तों से कोई समझौता नहीं है। आज माननीय नारायन दत्त तिवारी जी हमारा रचनात्मक विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने तो दो दिन सदन को चलने ही नहीं दिया। इनका रचनात्मक विरोध है, जहां गलती है, वहां बताते हैं, लेकिन आप लोगों का तो बस यही काम है कि वहां से दौड़ लगाई और यहां आकर बैठ गये। पढ़ना लिखना है नहीं, न उससे कोई मतलब है, अगर पढ़

लिखकर आते, तो यहां बोलते कि हम बहुमत में हैं, या अल्पमत में हैं। मैं माननीय कुंवर साहब से और अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि यह सरकार इसी तरह पूरे 4 साल तक चलेगी।

मान्यवर, आज जो आपने निर्णय दिया है, जो पहले निर्णय दिया है, उस निर्णय को चुनौती देना ही सबसे बड़ा असवैधानिक काम है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं सभी सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज सवाल सरकार का नहीं हैं, आज आप चुनौती नहीं मानते हो खाड़ी के युद्ध को? क्या उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर ही पड़ेगा? ऐसा नहीं है भारत पर भी असर पड़ेगा। आज सवाल एक सम्प्रदाय का नहीं है, हर सम्प्रदाय के लोगों का सवाल है। सारे सम्प्रदाय के लोग संकट में है और इस अवसर पर हमने उनको सहयोगी दल माना। आपको भी मान लें लेकिन आज आप साम्प्रदायिक शक्तियों के दबाव में आकर समझौता करने के लिये तैयार नहीं हो।

एक सदस्य (भा0ज0पा0)—

नेता विरोधी दल भी खाड़ी में चले गये क्या?

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह तो पता चलेगा कि खाड़ी में कौन जायेगा। चुनाव बता देगा नतीजा। विधान परिषद् का भी चुनाव हुआ था हमारी गलती से एक जीत गया। हम अब भी कह रहे हैं जनता दल के लोगों से कि पश्चाताप करो, इनके चक्कर में मत पड़ो। यह सरकार बहुमत में है और कांग्रेस ने जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के अन्तर्गत रहकर इस सरकार को समर्थन दिया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैं श्री प्रमोद तिवारी जी की बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले माननीय मुख्यमंत्री और श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, जो बड़े काबिल मंत्री हैं, उन्होंने जो बाते कही हैं.....

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

—मान्यवर, उन्होंने कहा कि

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, ये हमारी बात को सुनने के लिये तैयार ही नहीं हैं। जो इन्होंने अभी कुतर्क दिया है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जब चुनाव हुए थे, माननीय वर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह चुनाव पूरे

हिन्दुस्तान में जनता दल के नाम से लड़े गये थे, वह चुनाव जनता दल के नाम से हुए थे।

(डा0 बृज भूषण मणि के द्वारा व्यवधान)

मान्यवर, वह चुनाव जो हुए थे वह जनता दल के नाम से हुए थे और मैं आपको यह भी याद कराना चाहता हूं कि उस समय आपने यह भी कहा था कि कांग्रेस के खिलाफ जनमत आपको प्राप्त हुआ है और जनता ने आपको वोट दिया है। और आज उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर और उसकी बैसाखी लेकर चलने के लिये जनता ने आपको वोट नहीं दिया था। आज आपको कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और आपको उनकी मदद करनी पड़ती है तो अब आप जैसे आदमी को यह बात नहीं कहनी चाहिये कि हमारी सरकार मजबूत हो गयी है। जबकि सत्य तो यह है कि कांग्रेस की बैसाखी पर आपकी सरकार चल रही है, यह बैसाखी कितने दिन तक चलेगी?

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, एक बात माननीय प्रमोद तिवारी के बारे में कह दूं कि ये तो न "ही" में हैं और न "शी" में हैं। आखिर ये हैं क्या? यह सदन में बतायें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, ये चले आवें या किसी अपने आदमी को भेज दें मैं बतला दूंगा कि मैं क्या हूं "ही" या "शी"।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आपकी क्या इच्छा है?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस समय आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

(सत्ता पक्ष की ओर इशारा करके) मान्यवर, पहले इनको व्यवस्थित तो कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलिये, ये व्यवस्थित हो जायेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि अभी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा श्री प्रमोद तिवारी ने तीन प्रश्न छोड़े हैं

जिन पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न क्या हैं, पहले यह तो बतायें?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

उस में आपकी व्यवस्था चाहता हूं, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। माननीय नेतागणों ने हमारे सम्मुख एक प्रश्न यहां पर रखा हमारे इस निर्णय के उपरान्त, कोई ऐसी स्थिति क्या हुई है जो हमने निर्णय दिया था इस सदन में कि माननीय नारायण दत्त तिवारी नेता विरोधी दल हैं, उसमें कोई परिवर्तन किया जाय। ऐसी कोई बात इस समय तक हमारे सामने नहीं रखी गयी। आपने कहा कि जो राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत हुआ उसमें श्री नारायण दत्त तिवारी ने संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया। इस संबंध में जो कुछ भी माननीय सदस्यगणों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपना निर्णय देता हूं कि केवल इस बात से कि उन्होंने संशोधन नहीं रखा, यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे मैं अपने पूर्व के निर्णय को बदलूं। इस समय भी माननीय नारायण दत्त तिवारी नेता विरोधी दल हैं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने दल एवं समुदाय के साथ सदन का बहिष्कार किया और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में मेजे थपथपाई।)

(घोर व्यवधान के बीच.....नारायण दत्त तिवारी जिंदाबाद.....के नारे बार-बार कई सदस्य एक साथ लगाते रहे।)

एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जिसे मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह कहा जाए कि आप लोग सदन को सुचारू रूप से चलाने में(जैसा कि तय हुआ था)सहयोग नहीं कर रहें, गलत न होगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि सदन और एक चौराहे में कोई अन्तर रखना ही नहीं चाहते हैं। .....(शोर एवं व्यवधान के दौरान).....अब मैं 301 को लेता हूं।.....(ठीक इसी वक्त श्री कल्यान सिंह के खड़े होने पर).....मा. कल्यान सिंह जी माफ कीजिएगा मुझे याद ही नहीं रहा कि आप का नाम भी उसमें है बोलने के लिए, आप कहिए.....(शोर).....

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों को रासुका में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, यह गैंगस्टर ऐक्ट (रासुका) के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया था कि अपराधियों के खिलाफ, समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ तथा नामी गिरामी बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, लेकिन मान्यवर आज हो क्या रहा है इस सरकार के रहते हुए पूरे प्रदेश के अन्दर एक प्रकार से

आपातकाल स्थिति लागू है, जिसके तहत नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है।.....

एक सदस्य—

यह आप लोगों के द्वारा कराए गये दंगो का ही नतीजा है।....(व्यवधान).....

श्री कल्यान सिंह—

दंगे हम लोग नहीं करवाते है, यह अभी पता चल जायेगा।...(व्यवधान) तो मान्यवर मैं कहना चाह रहा था कि आज हमारे विधायकों पर बेबुनियाद अपराधों को लगाकर "रासुका" के तहत जेलों में डाला जा रहा है।

एक सदस्य—

जो बोया है, वही सामने आयेगा।- ऐसी भयावह स्थिति आप ही लोगों ने पैदा की है।.....(शोर).....

श्री अध्यक्ष—

शान्ति बनाए रखें। मा. कल्यान सिंह जी. कल जैसा कि तय हुआ था उसके अनुसार मैं मा. मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा रहा हूँ ताकि आपका भाषण हो रहा है, वह आ जाएं। और आ भी गये मा0 मुख्य मंत्री जी।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, अभी इससे पूर्व जो मैंने बातें मा. मुख्य मंत्री जी के अनुपस्थित में कही है, फिर से कह दूँ कि यह रासुका गैंगस्टर ऐक्ट का प्राविधान इसलिए किया गया था कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही, समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ तथा इसी प्रकार से नामी-गिरामी बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज बड़े दुखः के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार ने (रासुका) (गैंगस्टर ऐक्ट) का खुला दुरूपयोग किया है।.....

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

....मेरा आरोप है कि उत्पीड़न हो रहा है राजनैतिक उद्देश्य के कारण और बदले की भावना के कारण। प्रदेश में कानून का राज्य नहीं है, जंगल का राज्य है और नागरिक स्वतंत्रता का हनन कर दिया गया है। यहां विधान सभा चल रही है और भाजपा के विधायकों पर रासुका लगा है और वह यहां पर भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनको जेल में बन्द कर दिया गया है। अलीगढ़ के विधायक श्री नवमान बन्द हैं, कानपुर के विधायक श्री बाल चन्द्र मिश्र बन्द हैं और आगरा के विधायक श्री हरद्वारदुबे के विरूद्ध पुलिस वारन्ट लिये घूम रही है और यहां पर सदन चल रहा है। वह लोग यहां पर भाग नहीं ले पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैन जेलों में बन्द हैं और निर्वाचित सभासद जेलों में बन्द हैं। मेरे पास सूची है। अलीगढ़ में कृष्ण कुमार नवमान, विधायक और उनके लड़के सत्य प्रकाश नवमान जेल में बन्द हैं। कानपुर के बाल चन्द्र मिश्र, विधायक, देवेन्द्र सभ्रवाल, सभासद नीरज चतुर्वेदी, सभासद जेलों में बन्द हैं।

इनके अतिरिक्त 8 लोग और जेलों में बन्द हैं। आगरा के हरद्वार दुबे की बात हमने कह दी, उनके विरूद्ध पुलिस वारन्ट लिये घूम रही है। संतोष चौरसिया, अध्यक्ष छावनी मंडल, सुभाष भारती, सभासद, लक्ष्मी दत्त, जीवनदत्त, विनोद शर्मा, संतोष शर्मा, धनी राम, पप्पू शिवाजी, मन्ने, मुदराज, शंकर लाल, पूरन सिंह, वंशीधर गोला को जेल में बन्द किया गया है और इनके अतिरिक्त 8 और लोगों को बन्द करने की तैयारियां कर ली गयी हैं। उनके भी मैं नाम बता देना चाहता हूं। केशो मेहरा, सभासद, वेद भूषण मेहरोत्रा, सभासद, पुरूषोत्तम खन्डेलवाल महामंत्री आगरा महानगर, गणेश चन्द्र, सभासद, सतीश शर्मा, सभासद, हरिओम नगर प्रचारक, मुकेश गुप्ता, सभासद और मुन्ना लाल बहोल, सभासद। रामपुर के प्रमोद जौहरी, चेयरमैन नगरपालिका विलासपुर, राजेश कुमार जौहरी, जिला महामंत्री जनता युवा मोर्चा जेल में बंद हैं। रामपुर में अनिल वशिष्ठ, सुनील वशिष्ठ, मन्नू वशिष्ठ, सुन्दर लाल और संजय के विरूद्ध 302 का मुकदमा कायम कर दिया गया है। यह घटना है 9 जनवरी की। यह लोग 9 जनवरी को रामपुर से अयोध्या के लिये जा रहे थे मान्यवर, इसी प्रकार से बस्ती में श्री वीरेन्द्र जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के जय प्रकाश दुबे को रासुका में बन्द किया गया है। मान्यवर, कानून का राज्य चलेगा, या जंगल का राज्य चलेगा। मैं कहता हूं कि आप आरोप लगायें और उनको गिरफ्तार करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने रासुका लगा दिया, जिसकी कोई अपील नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है। अदालत का दरवाजा खुला है, हम अपना पक्ष वहां पर रख सकते हैं, लेकिन आपने रासुका लगा दिया और हम अपना पक्ष न्यायालय में भी नहीं रख सकते हैं। मेरी गुजारिश है जो लोग बन्द हैं, उनको तत्काल छोड़ने की घोषणा आप करें और इसी आशय की मैंने नोटिस नियम 311 के अन्तर्गत दिया था।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता भाजपा कल्यान सिंह जी ने बहुत जोश में अपने विचार रखे। यह सर्वविदित है, पूरा प्रदेश जानता है कि प्रदेश की शांति समाप्त करने के लिये कुछ शक्तियों ने भरपूर तौर पर अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि मानों उनके दल के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। सांप्रदायिक शक्तियां इतनी आगे बढ़ गयी थी कि प्रदेश के सामने ही नहीं देश के सामने खतरा पैदा हो गया था और इन शक्तियों को दबाने के लिये सरकार के सामने कड़ाई से कार्यवाही करने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। न केवल उन्होंने जो नाम गिनाये उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी बल्कि सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे वह कोई भी हो किसी भी दल या संप्रदाय का हो उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है, चाहे वह समाजवादी जनदा दल का क्यों न हों जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कार्यवाही करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह इस सवाल को गंभीरता से लें जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा है कि इस देश को सांप्रदायिक शक्तियों ने तोड़ा है तो वह दिन फिर न देखना पड़े क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियां वही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। जहां तक रासुका का सवाल है सरकार की तरफ से भाजपा या किसी दल के खिलाफ यह कार्यवाही नहीं की गयी है। विधायकों के संबंध में जो कार्यवाही की गयी तो जो जिला प्रशासन को निर्देश थे

कि शांति व्यवस्था बनाये रखी जाय उसको बनाये रखने के लिये कोशिश की गयी चाहे उसमें किसी दल के लोग हों, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, पहले भी ऐसी कार्यवाही की गयी हैं, आपको पता है आपने तो मामुली नाम गिनाये माननीय अटल बिहारी बाजपेयी, माननीय अडवानी जी और माननीय शंकराचार्य जी को भी जेल भेजा गया, आपको भी भेजा गया। जहां शांति भंग करने की कोशिश की गयी वहां यह किया जायेगा। लेकिन यह बदले की भावना से नहीं किया गया (व्यवधान) अब सवाल आता है आप कहते हैं कि निर्दोश लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरे सदन को, नेता भाजपा को कि जो उन्होंने सूची पढ़कर बताई जब जिला प्रशासन और सरकार समझती है कि उनसे शांति भंग का कोई खतरा नहीं है तो हम उस पर विचार कर लेंगे, आपकी सूची अभी गयी है पढ़ कर भी सुना दी है। लेकिन किसी भी दल को, किसी भी संप्रदाय को सांप्रदायिकता नहीं भड़काने दी जायेगी अगर कोई इस बात की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जो निर्दोश है उन पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं वह हमें मिलकर नाम बता दें चाहे विधान सभा में बता दें या लिखकर दे दें। कोई भी किसी भी दल का निर्दोश होगा तो हम फिर से विचार करने के लिये तैयार हैं और आपसे एक ही निवेदन है कि वोट के नाम पर राम नाम करते बहुत दिन हो गये अब वोट के नाम पर रामनाम करना छोड़ दें। (व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मेरा सुझाव है बहुत पाप कर लिये अब राम नाम लेकर पुण्य का काम कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

राम का नाम तो हम सब लोग लेते हैं (व्यवधान) जनता दल वालों का साथ छोड़े यह तो वहीं लोग हैं जो गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं। (व्यवधान) कांग्रेस (आई) वाले तो समर्थन करते हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

इनका (बी0जे0पी0) साथ राजस्थान में आप ही दे रहे हैं। हम नहीं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार साम्प्रदायिकता के आधार पर ही गयी है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, अपनी सफाई दें, इनकी सफाई न दें। इनकी किताब तो हमारे पास है। एक भी राष्ट्रीय नेता से कहा है और मेरी बात गलत है तो खंडन करें। हम आपको (जनता दल) चाय नहीं पिलाते और उनको (बी0जे0पी0) भोजन और मिठाई खिलाते हैं।

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

यह भोजन भी करेंगे। (व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

इन लोगों ने साम्प्रदायिक दंगे भड़काया है, इसलिये जो दोषी हैं उनके

खिलाफ कार्यवाही करें। (व्यवधान)। इनकी हिम्मत नहीं है कि दंगों में जो जानें गयी हैं जिनके कारण गयी हैं उनको इनका साथ देने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप में दर्द है तो प्रदेश को जिन लोगों ने सत्ता में बैठे लोगों ने दंगे में डाला है आप में हिम्मत है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी व्यवस्था देनी पड़ेगी कि जो यहां पर बैठते हैं और नेता बी0जे0पी0 जो संसदीय (व्यवधान) परम्पराओं के ज्ञाता हैं वह अभी से हरे राम हरे राम कह रहे हैं। क्या यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल है। ज्यादातर लोग अंत समय में हरे राम हरे राम कहते हैं। लगता है कि इनका अंत समय आ गया है। यह जब-जब हमारे साथ लड़े हैं तो जीते हैं अन्यथा हारे हैं। (व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह—

मुख्य मंत्री जी विधान सभा को भंग करके चुनाव करा लें तो पता चल जायेगा कि कौन कितने गहरे पानी में है। हम तो (व्यवधान) सभी का साथ देते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, एक बार समय आया था तो श्री कैलाश नाथ और श्री गुप्ता जी से हमने कहा था तो विधान सभा में 5-6 सीटें ले आये थे। इन्होंने कहा था हम 16 सीटें लेंगे तो एक ही सीट धोखे से मिल गयी थी। जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

※ श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नेता बी0जे0पी0 ने चुनौती दिया है तो विधान सभा भंग कराकर या इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लें जिससे वास्तविकता सामने आ जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं कि न तो मैं किसी को चुनौती देता हूं और न किसी की चुनौती स्वीकार करता हूं। लेकिन हम चुनौती के सामने झुकते भी नहीं हैं, न कभी झुकेंगे। चुनौती देना आपका ही काम है। (व्यवधान) हमारा कहना यह है कि हम विचार करेंगे जो लोग भी जेलों में बन्द हैं। अब एक ही निवेदन फिर आपसे करूंगा, करना चाहता हूं पूरे सदन के माध्यम से कि प्रदेश में सद्भावना बनाये रखने की सबकी जिम्मेदारी है, और सरकार की तरफ से जो है, वह उसको पूरा कर रही है। तथा किसी एक सम्प्रदाय या पार्टी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं, बदले की भावना से सरकार की ओर से कोई कार्यवाई नहीं की गई हैं। हम विचार करेंगे, किसी भी सम्प्रदाय के जो लोग जेलों में बन्द हैं, यदि वह निर्दोष हैं तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी मेरा भी आपसे यहां एक निवेदन है, जो माननीय सदस्य इस विधान सभा के सदस्य हैं, उन पर आप अविलम्ब पुनर्विचार कर लें।

※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं लेता हूं। दिनांक 23 की 7 और 24 की 12 सूचनाएं स्वीकार हो गई हैं। इन दोनों दिन जो सूचनाएं एक ही थी उनको 23 से हटा दिया गया है। दिनांक 24 की 12 सूचनाएं सर्वश्री सुभाष यादव, धर्मज्ञ मिश्र, श्रीमती विजय लक्ष्मी, राजकिशोर सिंह, सुरेन्द्र विक्रम सिंह, सत्यप्रकाश विकल, फौजदार प्रसाद, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, कुंवर सर्वराज सिंह, ऊदल और राम लखन वर्मा की क्रमवार हैं।

मैं अनुपस्थित सदस्यों के बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, और कुछ माननीय सदस्य चले गये हैं। इसलिए मैं ये सारी सूचनाएं शासन के पास कार्रवाई के लिए भेज रहा हूं।

(घोर व्यवधान) (अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

मैंने सब सूचनाएं ले ली हैं, जितनी भी थीं, स्वीकार कर ली गई हैं। अब आप लोग बैठिये। सूचनाएं इस प्रकार है——

(अनेक सदस्य सर्वश्री रघुबर दयाल वर्मा, रविदास मेहरोत्रा, शेख मोहम्मद सुलेमान आदि अपने स्थान पर खड़े हुए बोलते रहे।)

जनपद फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

(माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की उपेक्षा और दुर्नीति फिरोजाबाद नगर और ग्रामीण अंचल में विद्युत की आंख मिचौली के कारण सम्पूर्ण कांच चूड़ी का कारोबार चौपट हो गया है तथा कृषि फसलें विद्युत की आंख मिचौली के कारण सूख रही हैं।

हजारों मजदूर बिजली की चमक देखने को कारखानों के बाहर घंटो खड़े रहते हैं, नारेबाजी करते हैं लेकिन उन्हें बिजली की चमक नहीं दिखाई देती है और काम न लगने पर भूखे घर लौटने को विवश होते हैं और किसान भी नलकूप पर फवड़ा लिये खड़ा रहता है लेकिन बिजली की चमक के अभाव में नलकूप बन्द पड़ा रहा हैं। जिससे उसकी फसल सूख रही हैं। इतना ही नहीं नगर और देहात में पेयजल की निर्मित नलकूपों की बिजली नहीं मिलने पर पेयजल का संकट आये दिन बना रहता है जिससे आये दिन जन प्रदर्शन और घिराव होते हैं जिससे कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो जाता है और नगर अंधकार में डूबा रहता है। जनमानस हिल उठा है। लोगों में रोष है। छात्र सड़क जाम करते रहते हैं।

अस्तु लोक महत्त्व के इस प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करते हुए 14 घंटे की बिजली आपूर्ति की मांग करता हूं।)

नोट:— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा महानगर के कतिपय मुहल्लों में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरद्वार दुबे—

(पिछले 10 वर्षों से आगरा महानगर के कक्ष संख्या 19, 20, 22, 23, 24, 25 जिस नाई की मण्डी छीपीटोला, नामनेर, बालूगंज का क्षेत्र कहा जाता है की जनता को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। सामान्य तौर पर हैण्ड पाईप में 150 फीट तक का पानी खारा प्राप्त होता है। स्थानीय अधिकारियों तथा शासन स्तर तक इन क्षेत्र की जनता को पानी (पीने का) उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जनता ने अनेकों प्रकार के आन्दोलन किये परन्तु अभी तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई है। नाई की मण्डी तथा नामनेर क्षेत्र में ओवर हैड टैंक निर्माण करके क्षेत्र की जनता को पानी की सुविधा भी नगर विकास मंत्रालय में पिछले एक वर्ष से विचाराधीन है। परन्तु अभी तक स्पष्ट लक्षण नहीं दिख रहे हैं इस कारण क्षेत्र की पीड़ित जनता को पीने का पानी न मिलने के कारण पुनः आन्दोलित होने को उत्सुक है तथा यदि जनता इस कारण सड़क पर आती है तो कभी भी कोई गम्भीर घटना घट सकती है।

अतः इस भयावह स्थिति को देखते हुए इस सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जल निगम विभाग आगरा को त्वरित कार्यवाही करने का वक्तव्य शासन से निर्गत कराने की व्यवस्था करें।)

आगरा पश्चिमी क्षेत्र में शौचालयों व नाले की सफाई व खराब हैण्ड पम्पों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन गोपाल—

(महोदय, आगरा पश्चिम अनुसूचित क्षेत्र गन्दगी के कारण नरक बना है। शौचालयों व नालों की सफाई नहीं होती शौचालयों का मलबा बाहर बहता है। शीट टूटी पड़ी है। चारो तरफ गन्दगी का प्रकोप है। मुख्य नगर अधिकारी श्रीमती वीना उपाध्याय को लिखित उप नगर प्रमुख द्वारा व शासन को अवगत कराने पर आज तक कार्य नहीं हुआ। टूटे हैण्ड पम्प आज तक ठीक नहीं हुए अधिकांश मात्रा में खराब हैं। प्रकाश नगर पचवारी वाली बस्ती व राजनगर का हैण्ड पम्प 1 साल से अधूरा पड़ा है। तुरन्त व्यवस्था बनाने का कष्ट करें।)

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 घोसी, जनपद मऊ में अधिकारियों की मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय—

(मान्यवर, दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 घोसी जनपद मऊ में अधिकारियों की मनमानी के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा उसकी लूट हो रही है। जहां एक तरफ मिल में लाखों रूपये का गोलमाल है वहीं ठेकेदारों की साजिश से क्रम केन्द्रों पर गन्ना एक-एक सप्ताह तक तोला ही नहीं जा रहा है इस कारण किसानों को ट्रेक्टर की ट्राली का अधिक किराया देना पड़ रहा है।

नये क्रय केन्द्रों की स्थापना में भारी मनमानी है। उच्चाधिकारियों के

नोटः— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। गन्ना आयुक्त ने दिनांक 30 नवम्बर को ग्राम भुवनाबुजुर्ग तथा आराजी देवारा करखिया में दो नये क्रय केन्द्र खोलने का आदेश दिया किन्तु उन्हें जानबूझकर नहीं खोला गया।

जन प्रतिनिधियों के साथ सामान्य शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ उच्चाधिकारियों के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है वहीं विधायकों के पत्रों की न तो प्राप्ति स्वीकार की जा रही है और न उन पर की गयी कार्यवाही की सूचना ही दी जाती है।)

जनपद बदायूँ में कछला में गंगा का जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—**

(मान्यवर, बदायूं जनपद में कछला में बह रही गंगा गत 2 माह से पुनः प्रदूषित हो रही है उसका हाल रंगीन होता जा रहा है आज यात्री तथा गंगा प्रेमी जनता उसे पीने एवं उसमें स्नान करने से टिपकिया रही है। कहा यह जाता है कि मुरादाबाद जनपद में स्थित गजरौला में वाया फैक्ट्री का कचरा महावा में मिलता है जो महावा को गंदा करता है और महावा गंगा में आकर मिलती है जिसके कारण गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है तथा उसका रंग लाल होता जा रहा है। जिसके कारण गंगा प्रेमी जनता में तीव्र रोष उत्पन्न हो रहा है, प्रदेश सरकार इसके कारणों की जांच शीघ्र कराये, यदि गजरौला की वाया फैक्ट्री के कचरे के कारण जल प्रदूषित हो रहा है तो इसको तत्काल रोका जाये। यदि अन्य कोई कारण हैं, तो उसकी जांच कराकर गंगा के जल को शुद्ध कराया जाये।)

जनपद फिरोजाबाद में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान मौर्य—

(मान्यवर, अविलंबनीय लोक महत्त्व का विषय है कि फिरोजाबाद जिले में कत्ल, डकैती, लूट, राहजनी, बलात्कार चोरी आदि की अपराधियों द्वारा की जा रही वारदातों के कारण जन-जीवन पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है और ग्रामीण जनता में भय तथा आतंक के कारण हाहाकार मचा हुआ है और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना यह सब देख रहा है।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय पर माननीय सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने तथा इस हालत के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूँ।)

सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने तथा गन्ना ढुलाई की दर बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री संत श्रीराम—**

(मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश में गन्ना मिलों तक गन्ने की ढुलाई दो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रूपये प्रति कुंटल निर्धारित किये जाने तथा दि सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर द्वारा गन्ना किसानों को तारापुर, तारून हैदरगंज, चौरे बाजार, गोसाईगंज समेत अनेक क्रय केन्द्रों पर गन्ने का भुगतान न किये जाने से किसानों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।बड़े पैमाने पर मसौधा गन्ना सोसायटी पर परचियां ब्लैक हो रही हैं। सचिव गायब रहता है।

के0 एम0 शुगर मिल मसौधा फैजाबाद क्षेत्र का गन्ना न लेकर चोर बाजारी करके अन्य जनपदों से गन्ना खरीद कर रही है, जिससे गन्ना मिल मसौधा के आरक्षित क्षेत्रों के किसानों को समय से गन्ना न बेच पाने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। क्रय केन्द्रों पर कम तौल करना तथा परचियों में व्यापक हेराफेरी की गंभीर शिकायतें हैं। सभी गन्ना किसानों के सट्टे में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किया जाना चाहिये।

इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं गन्ना किसानों पर हो रहे शोषण को समाप्त करने तथा गन्ने का भुगतान तुरंत कराने की मांग करता हूं।)

जनपद मऊ में गौरीशंकर घाट पर घाघरा नदी के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री सुबास—**

(माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मऊ जनपद से सम्बन्धित घाघरा नदी द्वारा पिछले बरसात के समय गौरीशंकर घाट, बीबीपुर में हुए बड़े पैमाने पर कटाव की ओर माननीय सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गौरी शंकर घाट पर हुयी कटान से वागिचा, कुर्ता तथा दोहरी घाट टाऊन एरिया के कई घर नदी की धार में चले गये नदी की धार राष्ट्रीय मार्ग के किनारे पहुंच गयी, बीबीपुर गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन कट कर नदी की धार गांव में बह रही है। नदी के कटाव को नहीं रोकने की व्यवस्था तत्काल की गयी तो आने वाले दिन में दोहरी घाट टाउन एरिया राष्ट्रीय मार्ग तथा 25 गांव नदी की धार में हो जायेगा।

अतः इस लोक महत्त्व के मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुऐ अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।)

जनपद हरदोई में मल्लावां क्षेत्र में मेहंदी घाट रोड के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना है कि लोक निर्माण विभाग स्वीकृत सीतापुर मेंहदीघाट रोड का निर्माण जो 8 कि0मी0 अवशेष है इसी मार्ग पर ग्राम नई बस्ती के पास एक ढिघरी तालाब बीचोबीच में पड़ता है। अधूरे मार्ग के पूरा निर्माण न होने से क्षेत्र की जनता को इस बात का बड़ा आक्रोश है। इस रोड के जुड़ जाने से सीतापुर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गंगापुल से सीधा सम्पर्क फर्रूखाबाद, कानपुर, इटावा आदि जनपदों का मिलता है। इसी गंगा पर पहुंच मार्ग मिलाने के लिए ग्राम राघवपुर से गंगापुल तक मात्र 4 किलोमीटर सड़क अवशेष है। जिसकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले वर्ष हो चुकी है। जिसके न बनने से क्षेत्रीय जनता बड़ी बेचैन है। साथ ही माधोगंज से ग्राम सइया होते हुए शुक्लापुर तक सड़क के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। इस सड़क पर 4 कि0मी0 तक खड़न्जा लग चुका है। 4 कि0मी0 और सड़क बनवाकर जनता के आवागमन का लाभ पहुंचाने की कृपा करें। तथा ग्राम गौरा से फत्तेपुर चौगवा होते हुए तिरवा कुल्ली तक गंगा पहुंच मार्ग तक सड़क का निर्माण कराया जाये। तथा माधौगंज नहर पुल से ग्राम गौवतरा होते हुए कुरसठ नगर टाउन एरिया तक सड़क का निर्माण कराया जाय जिससे यातायात आवागमन हेतु टाउन एरिया कुरसठ एवं टाउन एरिया कुरसठ तक सड़क का निर्माण कराया जाय। साथ ही अकड़रिया नाला पर ग्राम नसीरपुर व लालपुर भूडा पर पुल का निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है। और उकिन घाट पर ग्राम साहपुर गंवार के सामने गंगा नदी पर पीपों का पुल बनाने की व्यवस्था अति आवश्यक है।

हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और आवागमन की बड़ी गम्भीर समस्या है। जिससे जनता को महान कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त मार्गों को स्वीकार करते हुए पूरा कराया जाय।)

सहकारी समितियों की नियमावली प्राप्त करने में अनियमितता एवं धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

(माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सहकारी समितियों की नियमावली प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। नियमावली प्राप्त करने के लिए चालान फार्म कार्यालय ने देकर कचहरी से चालान फार्म प्राप्त करना पड़ता है। फिर उस व्यक्ति को सहकारी भवन आकर चालान पर इसका "हेड" लिखवाना पड़ता है। और इसके बाद स्टेट बैंक जाकर चालान जमा कर फिर सहकारी भवन आने पर नियमावली प्राप्त होती है। इस प्रकार समय पैसा दोनों का अपव्यय होता है। और वह व्यक्ति परेशान हो जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सहकारी समितियों की "नियमावली" प्राप्त करने हेतु अति सुलभ प्रक्रिया अपनायी जाये जिससे जनता की परेशानियां कम हो सके।)

कानपुर महानगर स्थित एन0 टी0 सी0 एवं बी0 आई0 सी0 प्रतिष्ठानों के कर्मियों को कर्फ्यू अवधि में वेतन भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकिशोर सिंह—

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद एन0 टी0 सी0, बी0 आई0 सी0 कानपुर के कर्मचारियों को सेवायोजकों ने 10 दिसम्बर, 90 को घोषित कर्फ्यू अवधि का वेतन भुगतान

नोट:— ( )यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं किया है और इस अवधि के वेतन के लिए कानूनों के विपरीत सवैतनिक अवकाश में समायोजित करके सशर्त वेतन भुगतान का नोटिस लगाया है। जबकि ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टर प्राईजेज भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश हैं और इसलिए अक्टूबर–नवम्बर 90 की कर्फ्यू अवधि का वेतन कर्मचारियों को बिना शर्त भुगतान किया जा चुका है। श्रमिकों में काफी असन्तोष व्याप्त है। सेवायोजक अपने भ्रष्टाचार को छिपाने हेतु श्रमिक अशान्ति चाहते हैं इसीलिए यह उकसावापूर्ण कदम उठाया है लगभग एक लाख श्रमिक प्रभावित है, स्थिति काफी चिन्तनीय एवं विस्फोटक है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदन की संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि कानपुर के एन0टी0सी0 एवं बी0 आई0 सी0 के सूती–ऊनी कारखानों, प्रतिष्ठानों समेत अन्य प्रतिष्ठानों के श्रमिकों एवं कर्मचारियों को 10 दिसम्बर 90 से घोषित कर्फ्यू अवधि का वेतन तत्काल बिना शर्त भुगतान कराया जायें और सवैतनिक अवकाश या अन्य अवकाश में समायोजन की नोटिस रद्द की जायें।)

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खेड़ा बझेड़ा से बरेली तक परिवहन निगम की बसों को चलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर बरेली शाहजहांपुर के बीच टाउन एरिया फतेहगंज पूर्वी है। यहीं से एक लोक निर्माण विभाग की सड़क ग्राम गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहांपुर को जाती है। इस सड़क पर प्राइवेट बसें चलती हैं। ग्रामीण प्राइवेट बसों से फतेहगंज पूर्वी तो पहुंच जाते हैं। लेकिन फतेहगंज पूर्वी में परिवहन निगम का बस स्टाप न होने से शाहजहांपुर व बरेली जाने वाले ग्रामीणों के हित में रोडवेज की एक बस खेड़ा बझेड़ा से शाहजहांपुर तथा एक बस खेड़ा बझेड़ा से बरेली तक चलाने का कष्ट करें। बस चलने से दो लोक सभा क्षेत्र आंवला व शाहजहांपुर के ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। मेरी जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण भी कर गये हैं।

अतः परिवहन विभाग की बस शीघ्र चलाने का कष्ट करें।)

आगरा महानगर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री सत्य प्रकाश विकल—**

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि आगरा महानगर पेयजल की गम्भीर समस्या से ग्रस्त है और इस शीत काल में भी नगर की जनता को शुद्ध पेयजल आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो पाना कठिन हो रहा है। तात्कालिक दृष्टि से इसका एक मात्र समाधान हैंड पम्प लगाया जाना है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव नें समस्या की गम्भीरता का अनुभव करते हुए 4 अप्रैल 90 को आगरा में 600 हैंड पम्प इंडिया मार्क–2 के लगाये जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि इनका लगना एक सप्ताह में ही शुरू हो जायेगा और इसके लिये आदेश व धन भेज दिया जायेगा। नौ महीने से

नोटः— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी ज्यादा समय बीत चुका है परन्तु खेद है कि इस घोषणा पर कोई अमल नहीं हो सका है। अब जबकि दो महीने बाद ग्रीष्म काल आने के कारण पेयजल के भीषण संकट की आशंका से जनता त्रस्त है उस समय यह अत्यावश्यक है कि यह 600 हैंड पम्प तत्काल लगाये जायें।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्त्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि वह अविलम्ब आगरा महानगर में 600 हैंड पम्प लगाये जाने हेतु आवश्यक आदेश निर्गत कर वांछित धन उपलब्ध कराते हुए हैंड पम्प लगाये जाने का कार्य पूरा करें।)

लखनऊ नगर महापालिका में सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री फौजदार प्रसाद—**

(माननीय अध्यक्ष महोदय, लखनऊ नगर महापालिका के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सफाई मजदूरों का लगातार उत्पीड़न, शोषण के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण शासनादेशों की, की जा रही अवहेलना के विरुद्ध उ0प्र0 सफाई मजदूर स्वतंत्र मोर्चा तथा उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 26.12.90 से निरन्तर धरना व 14.1.91 से लगातार भूख हड़ताल के उपरान्त 16.1.91 से नगर लखनऊ की सफाई का कार्य मांगों के समर्थन में ठप्प हो जाने से नगर की जनता व्याप्त गन्दगी से परेशान है तथा सफाई कर्मचारियों में भी दिन पर दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है तथा पूरे प्रदेश में सफाई मजदूर हड़ताल व आन्दोलन की सम्भावना है।

सफाई मजदूरों का शोषण उत्पीड़न समाप्त करने तथा शासनादेशों जैसे सं0-377/11-7-90 -33 एल/90, नगर विकास अनुभाग-7, दिनांक 19 फरवरी, 1990 आदि का पालन कराने हेतु "अविलम्बनीय लोक महत्त्व" के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए सफाई मजदूरों की जायज मांगों पर कार्यवाही रोककर तत्काल चर्चा करायी जावे।)

जनपद मेरठ में खाद्य विभाग द्वारा गेहूं कोटा अवमुक्त न कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि मेरठ को आवंटित किये गये दिसम्बर मास के कोटे से 20 हजार टन तथा जनवरी मास का पूरा कोटा 40 हजार टन गेहूं नहीं मिला है।

खाद्य निगम, मेरठ के गोदाम में एक बोरी भी गेहूं नहीं है जिसके कारण सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर 2 मास से एक भी दाना गेहूं का नहीं आया है।

खुले बाजार में आटा 5 रू0 प्रति किलो बिक रहा है। गरीब मजदूर तथा मध्यम वर्ग में त्राहि-त्राहि मच गयी है।

नोट:— (.) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्त्व के इस विषय पर सदन को संज्ञान में लाते हुये मेरठ की सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं उपलब्ध कराये जाने की शासन से मांग करता हूं।)

जनपद बांदा की नरैनी तहसील में अधूरी मसौनी लिफ्ट कैनाल को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा—**

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जनपद बांदा की तहसील–नरैनी में करीब 15 वर्ष पूर्व अधोनिर्मित मसौनी, लिफ्ट पम्प कैनाल को पूरा न कराये जाने से तहसील के किसानों में भीषण रोष एवं आक्रोश है। क्षेत्रीय किसानों की हजारों एकड़ भूमि जो अधिग्रहीत निर्माण के लिये की गयी है तथा कुछ में निर्माण भी हो चुका है इसका मोआवजा भी नहीं मिला है इस पम्प कैनाल के अधूरे निर्माण में शासन की करीब 15 लाख धनराशि भी खर्च हो चुकी है। यह पूरी तरह असिंचित क्षेत्र है, किसानों की मांग है कि अविलम्ब मसौनी, लिफ्ट पम्प कैनाल का निर्माण पूरा कराया जाये। इसके लिये किसानों द्वारा कई प्रदर्शन धरना एवं सभायें सहसील–स्तर में हो चुकी हैं। स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है।

अतः मांग करता हूं कि स्टेट सेक्टर से धनराशि आवंटित कर अधूरे मसौनी पम्प कैनाल को पूरा कराया जाये।)

जनपद जौनपुर के शाहगंज थाने के ग्राम सिंघायी में एक परिवार के नौ सदस्यों पर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** कुंवर सर्वराज सिंह—**

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि दिनांक 30.12.90 को ग्राम सिंघायी, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर के तेजबहादुर सिंह के परिवार के नौ लोगों पर प्राणघातक हमला किया गया फलस्वरूप तीन की मृत्यु हो गयी बाकी गम्भीर हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं घायलों में बच्चे, महिलायें भी शामिल हैं श्री सिंह के परिवार के ऊपर बम, कट्टा बन्दूकों से लैस होकर तेरह, चौदह बदमाशों ने हमला किया, पुलिस की साजिश एवं सांठ–गांठ, से उपरोक्त घटना घटी जिससे जौनपुर जनपद में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है आम जनता असुरक्षित है इसलिए इस लोकहित के प्रश्न पर अविलम्ब सरकार वक्तव्य दें।)

जनपद प्रतापगढ़ के थाना बाघराय की पुलिस द्वारा ग्राम बेघन गोपालपुर के हरिजन परिवार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री ऊदल—**

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि ता० 14.1.91 को 8 बजे रात गांव वेघन गोपालपुर, थाना बाघराय, जिला प्रतापगढ़ में बाघराय थाने के तीन सिपाही व एस० ओ० वी० के० सिंह देवतादीन पासी के घर गये।

नोटः— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन लोगों ने देवतादीन व उसके 9 रिश्तेदारों को जीप में बैठाकर ले गये। इसके अलावा तीन कुर्मियों को भी जीप में बैठाकर थाना कुंडा के गांव चौरा के पास कुंडा के एस0ओ0 व सिपाही तथा बाधराय के एस0ओ0 व सिपाहियों ने गोली से उड़ा दिया और पुलिस डाकू मुठभेड़ दिखा दिया। इस घटना के विरोध में प्रतापगढ़ कचहरी बंद रही। देवतादीन की स्त्री सुमेरा ने लिखित प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को दिया। पुलिस ने सभी लाशों को सई नदी में पोस्टमार्टम के बाद बहा दिया। पूरे प्रतापगढ़ में आतंक एवं शोक व्याप्त है। इस घटना के बारे में मा0 मुख्यमंत्री से ता0 22 व 23 को बात किया और ज्ञापन भी दिया। गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक को 22.1.91 को ज्ञापन दिया। इसलिये इस लोक महत्त्व के प्रश्न को उठाते हुये आई0जी0 पुलिस इलाहाबाद व एस0पी0 व डी0एम0 प्रतापगढ़ को निलम्बित करने के साथ-साथ थाना बाधराय व थाना कुंडा के एस0ओ0 एस0आई0 व पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर 302 का मुकदमा चलाया जाय। इस घटना की न्यायिक जांच व मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रूपये की सहायता देने की मांग करता हूं। मारे गये सुरेश, संजीवन, रामफेर, रमेश, शान्ता, पियारे, हरिशचन्द्र, प्रभू, जियालाल, देवतादीन, रामेश्वर व हीरालाल है। एक का पता नहीं है।)

जनपद फैजाबाद के जलालपुर क्षेत्र में जल प्लावन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लखन वर्मा—

(मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि आपकी निम्नलिखित लोक महत्त्व का मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।

फैजाबाद जनपद के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसाती टौंड़ी नदी, के जलप्लावन से 40 ग्राम सभाओं में तबाही व्याप्त है।

चकोरा, गुलरहा, मंदहा, मडरहा, हसनपुर, फुरीजाबाद, निमटिनी, दुलहूपुर, विलारी, पिंडोरिया, पाभीपुर आदि ग्राम सभाओं की 10 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर खरीफ व रबी की फसलें नहीं पैदा की जा पा रही हैं। फिर भी किसानों को लगान आदि देना पड़ता है।

कई वर्षों से इस नदी की खुदाई न होने से जल निकास नहीं हो पाता। जिससे किसान तबाह हो रहे हैं। हर वर्ष सैकड़ों मकान ध्वस्त हो जाते है।

उक्त तथ्य सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर टोड़ी नदी के खुदाई की मांग करता हूं जिससे लोग इस भयंकर तबाही से निजात पा सकें।)

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85†

लोक निर्माण, आबकारी एवं ससंदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट:— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
† छापा नहीं गया।

(जनता-दल के अनेक सदस्य इस मध्य अपने स्थान पर खड़े रहे।)

संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 3817/सत्रह सं0-1-90-94 सं/81, दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल की सुविधाएं) (तृतीय संशोधन) नियमावली. 1990 ††

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 3817/सत्रह-सं-1-90-94 सं/81, दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल की सुविधाएं) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1990 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

※ श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मेरी 301 की सूचना का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—

300 और 311 की सभी सूचनाएं निरस्त हो गई हैं और नियम 301 की सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिया गया है।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1991†

सचिव विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त (1) भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1991 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

मैंने नियम 300 की सूचना दी थी आपको और आपने ऐलान किया था कि उसको लिया जाएगा-हम आपकी सुनी, लेकिन आपने उसको लिया नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको और सभी को अस्वीकार कर दिया है।

---

† छापा नहीं गया।
†† छापी नहीं गयी।
※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश दशम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री प्रभूदयाल यादव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रतिनिहित विधायन समिति उत्तर प्रदेश दशम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश दशम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

※ श्री प्रभूदयाल यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रतिनिहित विधायन समिति उत्तर प्रदेश दशम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करत हूं।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 10 पुकारा गया)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड प कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा आदेश देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

कृषि मंत्री (चौधरी शंकर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रस्तुत कर लें फिर आपको सुन लेंगे।

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† छापा नहीं गया।

※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पैंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991†

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पैंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पैंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पैंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991†

कृषि मंत्री (चौधरी शंकर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चौधरी शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991†

कृषि मंत्री (चौधरी शंकर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन)

---

† दिनांक 29 जनवरी, 1991 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चौधरी शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

दिनांक 23 जनवरी, 1991 को सदन के स्थगन काल में श्री शारदा प्रताप शुक्ल स0वि0सभा के साथ श्री राजधारी स0वि0सभा द्वारा अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय शुक्ल जी, विशेषाधिकार की सूचना पर कहना चाहते हैं।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, कल 23 तारीख को जब यहां पर नेता प्रतिपक्ष के मामले पर नियम 311 में नियमों को निलंबित करके चर्चा कराने की मांग चल रही थी तो उस समय सदन एडजर्न्ड, स्थगित हुआ था और तमाम सदस्य वेल में चले गये थे। मैं भी वेल में चला गया था। माननीय सदस्य श्री राजधारी जो उस साइड पर बैठे थे वहां से उठकर वेल में मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे कहा कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, मैं तुम्हारी दाढ़ी उखाड़ लूंगा। मैंने कहा कि आपको ऐसे शब्द मुझसे नहीं कहने चाहिये आप अपनी भाषा को संयमित करें। मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, न कोई मजाक का रिश्ता है, आपको अपनी भाषा को कंट्रोल करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि अबकी जब वेल में आओगे तो मैं बताऊंगा और ठीक करूंगा। यह शब्द उन्होंने वेल में कहे। मान्यवर, यह स्थिति जब यहां पर सदन में हैं तो हम लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिये और चले जाना चाहिये। मेरी तरफ से कहीं कोई ऐसी बात हो तो आप जो कहें मैं मानने के लिये तैयार हूं। बाद में वह कुछ मित्रों से कहलाने लगे तो मैंने कहा कि आपसे मेरा मजाक का रिश्ता भी नहीं है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस मामले में आप विचार करें और जो व्यवस्था देना चाहें, निर्णय दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, सदन में यह दूसरी घटना है और पिछली बार जब ऐसी घटना हुयी थी तो मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में खेद प्रकट किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सदन के बाहर पहले ऐसी बातें पुलिस करती रही है और सदन में यह मामले आते रहे हैं लेकिन जब सदन के अंदर ऐसी घटनायें होंगी तो सदन चलना बड़ा मुश्किल काम हो जायेगा क्योंकि विधायी कार्य विधायकों को करने पड़ते हैं और उस संबंध में इस तरह का बर्ताव करना बहुत निंदनीय है। मैं चाहूंगा कि कम से कम आप लोगों को अनुशासित करें कि वह सदन को इस तरह का अखाड़ा न बनायें। यह अखाड़ा नहीं है। माननीय चन्द्रशेखर जी ने बताया कि एक मंत्री भी इस तरह की बात कह रहे थे। तो मंत्री पद पर और विधायक के

पद पर होते हुये ऐसा आचरण नहीं करना चाहिये। ऐसी घटनायें घटेंगी तो पता चलेगा कि विधान सभा के अंदर पिस्तौल लेकर आयेंगे, गोली चलेगी, बम चलेंगे। यह अखाड़े की जगह नहीं है। इसको नियंत्रित करना चाहिये। सदन की भावनाओं को देखते हुये, एक विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, आप खेद प्रकट करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में कल सभी नेताओं के सामने यह बात रखी गयी थी और माननीय शारदा प्रताप शुक्ल जी ने भी आपके समक्ष कही थी। उसी समय मैंने उनको आश्वस्त कर दिया था और जिन हमारे विधायक का नाम लिया उनसे मैंने कह दिया था कि इस प्रकार की घटनायें मैं पंसद नहीं करता हूं। यदि उनको कोई ठेस लगी हो, पार्टी के नेता को लगी हो, ऐसे कार्यों को यदि बढ़ावा मिलेगा तो वह सदन की मर्यादा के विपरीत है, चाहे मुझसे अफसोस कहलवा लीजिये, चाहे जो कहलवा लीजिये, सदन की मर्यादा रखिये, मेरी तरफ से, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, इस घटना के लिये, यदि सच है तो मुझे अफसोस है। लेकिन आप भी अपने लोगों को अनुशासित रखिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

हम लोग अनुशासित रहते ही हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

वैसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप भी अपने माननीय सदस्यों को अनुशासित रखिये। मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि उनको कार्यवाही में हिस्सा लेने में हमारे दल की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शुक्ला जी, ऐसे मैंने परीक्षण के लिये भेजने के आदेश किये थे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनको देखते हुए मैं उसे वापस कर लूंगा।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

ठीक है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री दयाशंकर—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 21 जनवरी, 1991 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से गांव की खुशहाली, शोषित, पीड़ित, दबे और पिछड़े लोगों की भलाई के लिए किये जाने वाले कामों को पूरी तरह बोध हो जाता है, जिससे समाज में असमानता को कम करने में सहायता मिलेगी और अपने प्रदेश में भाई-चारा का एक नया माहौल पैदा होगा। मान्यवर, हम सभी चाहते हैं कि हमारा प्रदेश प्रगति की ओर

---

† दिनांक 22 जनवरी, 1991 की कार्यवाही।

अग्रसर हो, हम सुख, समृद्धि और शांति के लक्ष्य को प्राप्त करें। मान्यवर, जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्ति की ओर देखते हैं, तो हमको एक संतोष की सुखद अनुभूति होती है कि हमारे पग प्रगति और सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रहे हैं।

हमें संतोष होता है कि हमें निर्बलों, दलितों, और कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक-सामाजिक विकास को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था परिवर्तन की डगर पर बढ़ रहे हैं। परन्तु श्रीमन् यह एक वास्तविकता है कि हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले आज के प्रचलित भावों पर 22.4 प्रतिशत कम है। आज भी हमारे प्रदेश की शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत 27.2 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 36.2 प्रतिशत है, मान्यवर, गरीबी की रेखा के नीचे प्रदेश की जनसंख्या 34.26 फीसदी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के नीचे रहने वालों की जनसंख्या 32.66 फीसदी है। श्रीमन् उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बैंक द्वारा पूंजी निवेश भी कम है। ऐसे गरीब प्रदेश की खुशहाली के लिए, सबको नौकरी, रोजगार, शिक्षा, दवाई और पढ़ाई की सुविधायें मुहैया कराने के लिए कठोर इच्छाशक्ति और असीम धैर्य तथा साहस की जरूरत है। श्रीमन् हमारी वर्तमान सरकार ने 1990-91 के बजट में प्रदेश के विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करते समय योजना संसाधनों का 50 प्रतिशत से भी अधिक मांग का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रखा। सामान्य जन को सत्ता से जोड़ने का प्रयास किया।

(इस समय 3 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए)

मान्यवर, गांधी के स्वदेशी और स्वावलम्बन के दर्शन के अनुरूप प्रदेश में नई औद्योगिक नीति घोषित हुई।

गरीबी और बेकारी दूर करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बीस हजार करोड़ रूपये के परिव्यय तथा 30 लाख लोगों के लिए रोजगार देने के लक्ष्य को नई औद्योगिक नीति का आधार बनवाया गया। रोजगार परक लघु उद्योग हमारी सरकार की नीति है। श्रीमन् कृषि की उन्नति और प्रदेश की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति बढ़े बिना उद्योगों की तरक्की नहीं हो सकती और उद्योगों से मजदूर का सीधा संबंध जुड़ा होता है। जब हम खेती की बात करते हैं, तो किसान और खेतिहर मजदूर का चेहरा मुर्झाया हुआ चेहरा हमें दिखाई पड़ने लगता है। मान्यवर, खेती की उन्नति के लिए हमारी सरकार ने किसानों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराई है। कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जहां कृषि उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाय। वहीं उर्वरक का मूल्य यथावत् बनाए रखने की कोशिश की गयी। सरकार ने बढ़े हुए मूल्य की भरपाई अनुदान के रूप में करने का फैसला किया, ताकि किसानों को पुरानी क़ीमत पर ही उर्वरक मिल सके। श्रीमन् विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के तीस जिलों में हमारी वर्तमान सरकार ने 176 करोड़ रू0 की लागत से प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना चलाये जाने का इन्तजाम किया है। सुखोन्मुख क्षेत्रों में स्प्रिंकलर आदि की खरीद के लिए 50 प्रतिशत अनुदान किसानों को दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, किसानों को मिलने वाले सहकारी ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 12,500 रूपये कर दी गयी है और इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रूपये का अल्पकालीन ऋण तथा 140 करोड़ रूपये का दीर्घकालीन ऋण बाटंने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को दैवी आपदा के बाद होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए "दैवी आपदा राहत निधि" की स्थापना की गयी है जिससे किसानों की फसलों का पचास प्रतिशत से अधिक होने वाले नुकसान पर उनको 300/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत मिल सके। श्रीमन्, गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ जाने से इस वर्ष गन्ना किसानों को 543 करोड़ रूपये अधिक मिला है यह गन्ने की बढ़ी हुई कीमत का मुख्य योगदान है। स्नेह रोड (बिजनौर) धुरियाबाद (गोरखपुर) चिलवारिया (बहराइच) रूपापुर (हरदोई) मैनपुरी, शाकम्भरी (सहारनपुर) तथा जेबर (बुलन्दशहर) में नई चीनी मिलें लगाई जा रही हैं। कालाकांकर (प्रतापगढ़) में बीआई0सी0 ग्रुप को निजी क्षेत्र में मिल लगाने की स्वीकृति सहित 9 और चीनी मिल लगाने की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। ये मिलें मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर तथा मेरठ जनपदों में लगाई जा रही है।

खेती किसानी के काम में सिंचाई सुविधाओं में 9 फीसदी की वृद्धि हुई है और नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है इसके साथ ही इसी 90-91 के बजट में नये नलकूप लगाये गये हैं और बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया है और जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनको हम इसी हिसाब से पूरा करने जा रहे हैं। जो परियोजनाएं साल दर साल पिछड़ती चली जा रही थी उनको भी पूरा करने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं गरीब किसानों, मजदूरों और दस्तकारों के ऋणों को जो 708.31 करोड़ था, हमारी राज्य सरकार ने माफ कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की सुविधा के लिए दो लाख ग्रामीण शौचालयों निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए वर्ष 1990-91 के बजट में 26.39 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, भूमि सेना का गठन हमारी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। भूमि सेना के गठन से बेकार पड़ी ऊसर बंजर जमीन को खेती लायक बनाया जायेगा वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। अध्यक्ष महोदय इसके लिए दो तरह की भूमि सेना बनायी गयी है एक तो वे जो गैर कृषक आबादी के हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है और दूसरे कृषक आबादी के वे हैं जिनके पास आवंटित ऊसर बीहड़ भूमि के अलावा कृषि योग्य भूमि भी है। यह योजना प्रदेश के 17 जिलों में लागू की गयी है तथा अक्टूबर, 1990 तक लगभग 52,000 से अधिक रोजगार के मानव दिवसों का सृजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, भूमि सेना के माध्यम से 12 जनपदों में ऊसर सुधार काम, 4 जनपदों में वर्गीकरण का काम तथा तीन जनपदों में तालाबों की खुदाई का काम किया जा रहा है। इससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा । अध्यक्ष महोदय जहां हमने किसानी के काम में और अन्य काम में इतनी उन्नति का काम किया है वहीं हम ऊर्जा की भी जरूरत महसूस करते हैं। आज सारे प्रदेश में विद्युत का संकट बना हुआ है इस संकट के बावजूद हमारी सरकार ने गांवों में 12 से 14 घंटे तक बिजली देने का काम किया है इसके अलावा विकासशील कामों को करने के लिए और भी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय आज हमारे देश की विडम्बना है कि हमारे प्रदेश का विद्युत परिषद 16-17 सौ करोड़ रूपये के घाटे में है।

हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व बकायों की वसूली की जाय और सही तरीके से इस प्रदेश के लोगों को, खास तौर से गांव के लोगों को 12 से 14 घंटे बिजली मिलती रहे। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण आवास आवंटन योजना के अन्तर्गत अक्टूबर, 1990 तक कुल 22,84,750 परिवारों को 2,79,76,599 हैक्टेयर आवास स्थल की भूमि आवंटित की गयी है जिसमें 22,68,679 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है। नगरों में लाखों लोग, गरीब और बेघर लोग रोटी की तलाश में आते हैं। उन्हें सड़कों और फुटपाथ पर रात काटनी पड़ती है। ऐसे भवनहीन लोगों के विश्राम के लिये सरकार ने रैन बसेरा बनाने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के सभी नगरों में यह काम किया जा रहा है। इसके लिये 39.38 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है। श्रीमन् प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये सड़कों और पुलों का निर्माण आवश्यक है। इसके लिये आवश्यक कदम उठाए गये हैं। वर्ष 1990-91 में इसके लिये 125.71 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं पचंवर्षीय योजना के अन्त तक 15 हजार से ज्यादा आबादी के गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम 95.5 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। मार्च, 90 तक 1000 से 1499 तक की आबादी के 50 फीसदी गांव को जोड़ने का लक्ष्य था जिसमें 57.2 परसेंट लक्ष्य पूरा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, सेतु निगम का काम बड़ा सराहनीय रहा है। वर्ष 89-90 में यह निगम प्रति वर्ष 80 पुल बनाने का काम करता था। पिछले साल पता चला है, सरकार की जानकारी में है कि औसतन 100 पुल बनाने का काम इस निगम ने किया है। विदेशों में भी इसका काम उल्लेखनीय है। यह निगम साढ़े तीन दिन में एक पुल बनाने का काम कर रहा है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा में भी सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया है।

दो रूपये का शुल्क अब एक रूपया प्रति रोगी कर दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में गरीबों को किसी भी अस्पताल मे दवा और जांच के लिये पैसा नहीं देना पड़ता है। जनरल वार्ड में हर रोगी को भोजन देने का इंतजाम सरकार ने किया है। श्रीमन् जहां हमने किसानी, खेती, मजदूरी, सिंचाई, बिजली, सड़क, हर चीज पर ध्यान देने का काम किया है, वहीं आप जानते हैं कि यह वर्ष अम्बेडकर जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इसी वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये इस जयन्ती वर्ष में 5 लाख रूपये की धनराशि से डा0 अम्बेडकर छात्र निधि की स्थापना की गयी है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कक्षा 10 और 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 100-100 छात्रों को क्रमशः 250/- रूपये तथा 350/- रूपये छात्रवृत्ति दी जायेगी। श्रीमन् इस साल जो सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये है डा0 अम्बेडकर के सम्मान में उत्तर प्रदेश में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है उसके लिये 110 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के खुलने से जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का सम्मान ऊंचा होगा, वहीं डा0 भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यलाय अग्रणी भूमिका निभाएगा। श्रीमन् वर्ष 1990-91 की स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये कल्याणकारी योजनाएं बनायी गयी हैं।

ग्रामीण तथा कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत 949 लाख अनुसूचित जातियों के कृषकों को लाभ दिलाने की योजना बनायी गयी है। इसी तरह से फल उत्पादन एवं संरक्षण, गन्ना विकास में लाभ पहुंचाने की बात है। ग्रामीण एकीकृत योजना के अन्तर्गत 1990-91 में आई0आर0डी0पी0 के अन्तर्गत 3408.41 लाख व्यय कर 2,72,673 अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वतः रोजगार कार्यक्रम उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस योजना पर वर्ष 1991-92 में 5145 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये कल्याणकारी योजनायें बनायी जा रही हैं। उनके कल्याण के लिये उनको स्वतः रोजगार देने के लिये दुकान निर्माण योजना, लघु सिंचाई के लिये निःशुल्क बोरिंग इत्यादि के कार्यक्रम बनाये गये हैं। अम्बेदकर ग्राम योजना के अन्तर्गत में तमाम योजनायें संचालित की जा रही हैं।

सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्ध विकास, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण, लघु एवं कुटीर उद्योग पेयजल आपूर्ति आदि सभी तरह की सुविधायें देने का इन्तजाम किया गया है। श्रीमन् क्षेत्रीय असामनता में कमी के उद्देश्य से देखा जाये तो सूबे में जो 42-43 सालों में जो विकास की गति चली उसमें जाने अनजाने कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी जिससे कि हमारे प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। बुंदेलखंड अलग पिछड़ गया है, पूर्वांचल अलग पिछड़ गया है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहली बार इस क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिये पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिये विशेष निधि की स्थापना का निर्णय लिया है। इस संबंध में पूर्वांचल के लिये 20 करोड़ रू0 और बुंदेलखंड के लिये 5 करोड़ रू0 का प्राविधान किया गया है। श्रीमन् सामाजिक न्याय की ओर बढ़ते हुए कदम, की दृष्टि से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों के संबंध में 27 फीसदी लोगों को आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है और उसके तहत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में भी हमारी सरकार ने आरक्षण करने का संकल्प लिया है। अध्यक्ष महोदय, आज ऊंची जाति के गरीब लोगों को और पहाड़ी क्षेत्र के गरीब लोगों को भी आरक्षण के लिये हमारी वर्तमान राज्य सरकार कृतसंकल्प है इसके लिये "कौशिक समिति" बनायी गयी है जो आरक्षण के मुद्दे पर अपना काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष नहीं अधिष्ठाता कहें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जो लिखकर लायें हैं, वही पढ़ रहे हैं।

श्री दयाशंकर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इंटर तक निशुल्क शिक्षा देने की दिशा में लड़कियों के लिये हमारी सरकार ने बुनियादी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। निशुल्क शिक्षा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में एक भी भवन विहीन स्कूल न रहे इसके लिये हमारी सरकार गंभीरता से प्रयासरत है। मान्यवर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1170 प्राइमरी स्कूल और 33 जूनियर हाईस्कूल खोले गये हैं और 100

विकास खण्डों में एक राजकीय बालिका विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा नीति के साथ-साथ आज इस सरकार की भाषा नीति भी स्पष्ट है।आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अंग्रेजी के प्रयोग को पूरी तरह से बन्द करने एवं हिन्दी के प्रयोग को अनिवार्य करने की घोषणा की है। मान्यवर, सरकार का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी के प्रयोग को हटाकर हिन्दी भाषा का प्रयोग होना चाहिये। हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में देशी भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाये हैं। आठ जनपद ऐसे हैं जिनमें इन देशी भाषाओं को सिखाने की व्यवस्था की गयी है। श्रीमन् श्रमिक कल्याण के लिये हमारी सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं। श्रमिकों की दशा को बेहतर बनाने के लिये अनेक कार्य किये हैं जैसे तम्बाकू उद्योग और चर्म उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के वेतन जो 1984 से पुनरीक्षित नहीं हुए थे, को पुनरीक्षित कर दिया है।

मान्यवर, अकुशल श्रमिकों को 299 के स्थान पर अप्रैल, 1990 से 676 रूपये प्रतिमाह या 26 रूपये प्रतिदिन वेतन देने का फैसला किया है। इसी तरह से अर्धकुशल श्रमिकों को 753 रूपये प्रतिमाह या 30 रूपये रोज देने का फैसला किया है। इसी तरह से कुशल श्रमिकों को 910 रूपया या 35 रूपये प्रतिदिन देने का फैसला किया गया है। इसी के साथ सरकार ने बहुत से ऐसे काम किये हैं, जैसा छोटे लोगों को कमजोर एवं गरीब लोगों के लिए रोजगार देने का कार्य किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पिछले महीनों में जो हुआ है, उससे प्रदेश की साम्प्रदायिक विरासत को झटका लगा है। हिन्दू और मुसलमान दोनों के लड़के गरीब हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन सबको नौकरी, रोजगार, शिक्षा, दवाएं इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त हो गयी हैं। आज हमारा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री दयाशंकर—

मान्यवर, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। मैं कह रहा था कि आज हमारे देश में साम्प्रदायिक सद्भाव में दरार आयी है। इस साम्प्रदायिक सद्भाव की विरासत को बनाये रखने के लिए जो जोखिम उत्तर प्रदेश के नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने उठाये हैं उस जोखिम को उठाना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव को कायम करने की कोशिश की है। आज मान्यवर, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो इसे तोड़ने में लगे हुए हैं और अलग हो गये हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिस तरह समुद्र में जब एक जहाज डूबने लगता है तो उस पर के सब चूहे भाग जाते हैं उसी तरह से यह भी कर रहे हैं। श्रीमन् आज साम्प्रदायिक सद्भाव का सवाल सबसे अहम् सवाल है और यह सवाल केवल प्रदेश का सवाल ही नहीं यह हमारे समाजवाद का सवाल बना हुआ है। आज लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसीलिए मान्यवर, हमारी यह कामना है कि साम्प्रदायिक सद्भाव, जो हमारी विरासत है इसको अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए हम उसका निर्वहन करें। अन्त में मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी की इन पंक्तियों के साथ, जो उन्होंने 15 जून, 1990 को इस विधान सभा में व्यक्त की थी, अपना भाषण समाप्त करना

चाहूंगा कि "सरकार कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए है। गरीबों और निर्बल वर्ग के लिए है। उन सभी के लिए है जिन्हें अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है।" मान्यवर, यह पंक्तियां सरकार की नीतियों एवं मन्शा की ओर साफ इशारा करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

श्री शिव कुमार बेरिया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य दयाशंकर जी द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारी सरकार जब सत्ता में आयी तो उसने नारा दिया, चलो गांव की ओर। यह केवल नारा ही नहीं दिया गया, बल्कि सरकार का लक्ष्य और इच्छा बिल्कुल स्पष्ट थी और उसने सोचा कि आजादी के 40–42 वर्ष बाद, जो पूंजी पहले हिन्दुस्तान की उत्तर प्रदेश में आती थी और उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर केवल शहरों पर खर्च कर दी जाती थी, उसका काफी बड़ा अंश गांव तक पहुंचे। पहले यह राशि गांव तक न पहुंच पाने के कारण हमारे गांव पिछड़ते चले गये। इसलिये हमारी सरकार ने यह नारा दिया और गांवों के विकास की ओर काफी काम किये। इस सरकार के आने के पहले जहां निर्बल वर्ग के लोगों का, गरीब लोगों का कोई पुरसाहाल नहीं था, ऐसे लोगों को, किसानों का 10 हजार तक का कर्जा माफ करने की घोषणा इस सरकार द्वारा की गयी और केवल घोषणा ही नहीं की गयी, बल्कि 10 हजार तक का कर्जा माफ करने का काम भी किया गया।

वर्ष 89–90 के लिये योजना आयोग से उत्तर प्रदेश के लिये मात्र 2970 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ था, इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने आखें टेढ़ी करके पहली बार 3383 करोड़ रूपया उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत कराया, जो पहले के मुकाबले 413 करोड़ रूपया ज्यादा है और इस पूंजी का 51–52 प्रतिशत पैसा देहातों पर खर्च किया गया। इसी तरह विधवाओं की पेंशन जो पहले मात्र 60 रूपये मिला करती थी, उसको इस सरकार ने बढ़ाकर 100 रूपये किया। इतना ही नहीं, इस सरकार द्वारा देहातों में हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिये शौचालय बनाने का काम किया गया, देहातों के अन्दर प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण की ओर भी इस सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है। पहले स्कूलों के नाम पर सारी पूंजी, शहर के बड़े–बड़े स्कूल बड़े–बड़े सेठों के स्कूलों के सौन्दर्यीकरण के नाम पर खर्च हो जाती थी। लेकिन हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में निवास करती है, ऐसी गरीब जनता के बेटी–बेटियों के लिये, शिक्षा हासिल कराने के लिये प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण इस सरकार द्वारा कराया गया। इस सरकार द्वारा अंग्रेजी को खत्म करने का नारा दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के अन्दर कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिसका कामकाज विदेशी जुबान में चलता हो। हमीं ऐसे अभागे लोग हैं, जिनकी सरकार का काम विदेशी जुबान में चलता था, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंग्रेजी को हटाकर सारा कामकाज हिन्दी में होगा।

जिस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, उस वक्त दिल्ली के अन्दर बैठे हुए सबसे बड़े नेता ने कहा कि आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत का आपस में झगड़ा करा देना चाहते हैं। दक्षिण के कुछ लोगों ने भी कहा

कि आप हम पर हिन्दी थोपना चाहते हैं इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हिन्दी थोपना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि दक्षिण भारत का कोई नागरिक हमसे जब बात करे चाहे वह कन्नड़ बोलने वाला हो, चाहे वह मलयालम बोलने वाला हो, चाहे तमिल बोलने वाला हो, तो वह हमसे हिन्दी में बात करे और हम उसको जब जवाब दें, तो मलयालम में दें, कन्नड़ में दें। जब हमारे मुख्यमंत्री दक्षिण भारत गये, तो वहां उनका भरपूर स्वागत हुआ, इससे पहले जब कोई नेता वहां जाता था, तो वह जब हिन्दी में कोई बात पूछता था, तो मार खाकर वापस आता था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया, जिससे उनका खूब स्वागत हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सारी चीजें जब चल रही थीं, तो हमारे देश के अन्दर कुछ पूंजीवादी ताकतों ने राम के नाम पर बड़ा हल्ला बोल दिया और पूरे प्रदेश को हिन्दू और मुसलमानों के दो खेमों में खड़ा करने की साजिश की। आज हम इतनी विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं कि आज रात 8 बजे कोई भी हिन्दू, मुसलमान के इलाके में नहीं जाता है और कोई भी मुसलमान, किसी हिन्दू इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अन्दर राजनीति करने वाले लोगों ने देश का बंटवारा कर दिया है, दो-दो वर्ग पैदा कर दिये हैं। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत थी, आज जो लोग राम के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं जैसे श्री अटल बिहारी बाजपेयी, लाल कृष्ण आडवानी एवं अन्य नेता, ये उस समय सत्ता में थे, उस समय उनको राम का नाम याद नहीं आया। उस समय कहते कि राम मन्दिर बनाइए या सरकार छोड़कर जाइए। 1977 की जनता पार्टी की सरकार दूसरे उसूलों पर टूटी थी। आज आप नेपथ्य में चले गये तो फिर राम का नाम लेने लगे। इन्होंने कहा कि 30 तारीख तक कार सेवा करेंगे, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि कार सेवा की तारीख बढ़ायेंगे, 2 तारीख को जब लोग पुलिस की गोलियों का शिकार हो गये तो सरकार को दोष दिया जाने लगा। इसके पीछे सोची समझी साजिश थी कि अभी लोग मरे नहीं हैं इसलिये सत्याग्रह वापस नहीं लिया लेकिन जैसे ही लोग मर गये, इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया।

पहले जिन्दा के नाम पर चन्दा खा रहे थे फिर मृतकों के नाम पर उनकी हड्डियों के नाम पर चन्दा खाने लगे। मरे हुए लोगों को सरकार ने एक-एक लाख रू0 दिया है लेकिन आप लोगों ने हड्डियों को बेचकर जो अरबों रूपया इकट्ठा किया था, वह कहां गया? उनके परिवारों तक भी कुछ पहुंचा देते तो हम समझते कि आपको राम के नाम से मुहब्बत है। प्रदेश संकट में है। मुझे याद आता है डा0 लोहिया ने एक बार कहा था उनसे पूछा गया कि हिन्दू मुसलमान एकता कैसे रह सकती है तो उन्होंने कहा था कि जब तक देश का एक-एक हिन्दू और एक-एक मुसलमान, गजनी गोरी बाबर को हमलावर नहीं मानेगा और शेरशाह, रसखान एवं रजिया को अपना पुरखा नहीं मानेगा तब तक एकता स्थापित नहीं हो सकती। जब तक कुछ राजनैतिक दल इन्सानी खून को गारे के रूप में इस्तेमाल करके अपने लिए राजसत्ता की तलाश करेंगे तब तक मुलायम सिंह जैसे लोग उसका जवाब देते रहेंगे।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बैठ जाइए, नियमावली के अनुसार ही कार्य किया जायेगा।

श्री शिवकरन सिंह—

मान्यवर, मैं जो श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन है, उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा आग्रह है कि उसे राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

सभी माननीय सदस्यों के जो संशोधन उपस्थित हुए हैं उन्हें.....

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर "सभी के जोड़ दिये जायं" इन्होंने यह नहीं कहा।

श्री शिवकरन सिंह—

दोहराता हूं कि सभी के संशोधन इसमें जोड़ दिये जायं।

मैं संशोधन पेश करते हुए इस प्रकार कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो भी कमियां हैं, उनमें वह सभी चीजें और जोड़ दी जाएं जो मैंने और हमारे समस्त साथियों ने दी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जितने भी माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उन सभी को पढ़ा हुआ मान लिया जाए* (प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ) (सभी को पढ़ा हुआ मान लिया गया)।

श्री शिवकरन सिंह—

जनता दल के माननीय वर्मा जी ने जो बात कही उसी पर मुझे एक शेर याद आ गया कि "लतीफ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी जुबां में है।"

इसीलिए मैंने माननीय वर्मा जी के लिए संशोधन को आगे बढ़ाते हुए कह दिया दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सदस्य के रूप में एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में देश की एकता और अखण्डता पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं जो व्यवहारिक भी है। मान्यवर मैं इस बारे में सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि देश की एकता और अखण्डता तभी मजबूत रह सकती है जब हम देश की हर चीज का और विशेष रूप से सदन के समय का सदुपयोग करें। यह हमारे जनता दल के साथी जो पहले सत्ता पक्ष में थे और अब अपने को विपक्ष का मानते हैं। लाखों गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के बल पर आज हम लोग यहां एयर कंडीशन में बैठे हैं और तीन दिन से बराबर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराई जा सकती है, जिस पर आज सभी लोगों को दुख है। आज मैं इन साथियों को धन्यवाद देता हूं कि वह संयम से बैठे हैं और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है और आगे भी हम लोग इसी बात की उम्मीद करते हैं तभी देश में एकता और अखण्डता मजबूत हो सकती है और प्रदेश का सर्वान्गीण

---

* सदस्यों के संशोधन के लिए देखिये नत्थी "घ" पृष्ठ संख्या 206 पर।

विकास हो सकता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि कल नेता, विरोधी दल अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, यह अच्छा मौका है कि हमारे प्रदेश को, हमारे सदन को नेता, विरोधी दल के रूप में एक अच्छा नेतृत्व मिला है, जिनकी हम सराहना करते हैं। अब मैं संक्षेप में कुछ बातें अपने संशोधन के संबंध में प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि हमारे दूसरे साथियों को भी पर्याप्त समय मिल जाए क्योंकि जितने भी माननीय सदस्य यहां अपने-अपने विचार रखेंगे, उतना ही लाभ इस प्रदेश को मिलेगा।

साथ ही आरम्भ में ही मेरा एक निवेदन है कि भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकारों को जो धन व योजनाएं देने की घोषणायें की थी, उनका कहीं भी जिक्र महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है, जिनमें से मैं एक-एक करके कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं (1) "राज्य के औद्योगीकरण को समुचित रूप से स्पष्ट न किये जाने के संबंध में "जैसा कि कुछ उद्योगों को ब्लाकों में लगाए जाने की घोषणा की गयी थी, इस ओर मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वह उद्योग किस तरह के होंगे और उससे किसानों को किस प्रकार का लाभ होगा या उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, उसमें गरीबों को सेवा का मौका मिलेगा या नहीं। इसके साथ ही मान्यवर मैं फिर अपने दल की ओर आना चाहता हूं कि हमारे दल को एक विशेष गौरव प्राप्त है, जिसमें आज यह निर्णय लिया गया है कि गुण और दोष के आधार पर हम हमेशा समर्थन देंगे। हर सदस्य सोंच ले कि गुण के साथ हमें समर्थन देना है और दोष के आधार पर विरोध करना है और हमें उनकी निन्दा करनी है। अगर अच्छी बात सदन में आती है तो हमारा दायित्व है कि हम उसका समर्थन करें और गलत बातों के लिये हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनको दूर किया जायेगा तभी प्रदेश का विकास हो पायेगा।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार सरकार ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि लोगों को 14 घण्टे बिजली दी जायेगी। इसके लिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि नेता सदन के रूप में इस समय सदन में मौजूद हैं कागज पर कलम का हल चलाकर स्याही की सिंचाई कर रहे हैं और आकंड़ो की फसल काटने की जो तैयारी की जा रही है इससे प्रदेश का विकास नहीं होगा। प्रदेश का विकास तो वास्तविक रूप से तभी होगा जबकि हर चीज की बिन्दुवार तैयारी करके एक समर्थन के नाम पर, बहुमत के नाम पर प्रस्ताव पास करके कार्य किया जाय। केवल जय-जयकार के नारे लगा करके या रैलियां करके यह समझा जाय कि विकास हो जायेगा तो इस तरह से प्रदेश का विकास होना असम्भव है। प्रदेश के विकास के लिये कठिन प्रयास करना पड़ेगा। किसानों को और गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिये मजदूरों की प्रगति के लिये कोई न कोई ठोस कार्य करना होगा तभी प्रदेश के गरीब मजदूरों का, गांवों का विकास सम्भव होगा।

इस संबंध में मुझे याद आ रहा है कि अभी दो दिन ही पहले महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे जनपद में गये थे जहां पर वे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित समारोह में आमंत्रित थे। तो वहां पर राज्यपाल महोदय कुल 40 मिनट रहे जिसमें से मात्र 10 मिनट समारोह में बिजली रही और शेष 30 मिनट राज्यपाल महोदय अंधेरे में ही बोलते रहे। यह सरकार की कैसी व्यवस्था है?

इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को यह देखना चाहिये कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से किसानों को मजदूरों को बिजली नहीं मिल पा रही है जबकि किसानों से मजदूरों से विद्युतीकरण के नाम पर बिजली के तार और खम्भों के नाम पर पैसा ले लिया जाता है कि विद्युतीकरण किया जायेगा लेकिन इसके बावजूद वहां पर विद्युतीकरण के नाम पर कोई कार्य न हो तो यह उचित नहीं है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस चीज पर ध्यान दे जबकि सभी चीजों का सारा खर्चा सरकार वहां की जनता से वसूल लेती है, गरीबों और किसानों से तार और खम्भे के नाम पर पैसा ले लेती है उसके बाद भी जो समस्या सामने आती है उसका कारण क्या है? मैं समझता हूं कि यह सरकार इन कमियों को दूर करेगी जिससे कि विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और किसानों और गरीबों को बिजली मिलेगी जिससे कि प्रदेश की तरक्की होगी।

कुटीर उद्योग में बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, कुछ गांव ऐसे हैं जैसे कि हमारे क्षेत्र काजीपुर में दो वर्ष से लगभग गांवों में लाईन खिंची हुई है लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं आयी है क्योंकि उसके लिये तार नहीं है। जिस गांव में तार खिंचवाने के लिये पैसा है उस गांव को भी लाईन नहीं दी गयी है। मात्र 5 खम्भों के कारण ऐसा हो रहा है। यदि बिजली होती तो गांव के लोगों का भी विकास होता।

इसी तरह से जफरपुर की बात है, जहां रिकार्ड में 31 मार्च 90 में वहां पर विद्युतीकरण हो चुका है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिजली के तार और खम्भे पड़े हुए हैं लेकिन वहां का आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मेरा आग्रह है कि इन कमियों को दूर करने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठाये और जो इसके लिये दोषी हैं उनको दण्डित किया जाय ताकि इस ओर कुछ सुधार हो सके अन्यथा इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा।

मान्यवर, समय कम है इसलिये संक्षेप में कह रहा हूं कि नगर क्षेत्र के कई निर्धन वर्गों के विकास के कार्यक्रमों एवं युवा वर्ग छात्रों और राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिये कोई ठोस योजना नहीं प्रस्तुत की जा रही है। मान्यवर, आप जानते हैं कि समता समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। कल उनकी बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें तमाम डीजल बरबाद हुआ और उन्होंने काम भी नहीं किया। अगर उनकी मांगों का समाधान कर दिया जाये, तो सारी दिक्कतें दूर हो जायेगी और वह अपने नियम के अनुसार ड्यूटी पर आवेंगे और जो उनमें असंतोष की भावना है, वह समाप्त होगी और प्रदेश विकास करेगा। हमारा तीसरा बिन्दु है, नगर क्षेत्र के कई निर्धन वर्गों के विकास के कार्यक्रमों एवं युवा वर्ग छात्रों और राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिये कोई ठोस योजना न प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में। नगर क्षेत्र के विकास की बात कही गयी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नगरों में दंगों के कारण कर्फ्यू लगा दिया जाता रहा है, जिससे सारे लोग परेशान हो जाते रहे हैं। आपने रिक्शा चालकों को रिक्शा दिया, लेकिन नगरों में चारों ओर से कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे वह रिक्शा नहीं चला पाये और वह रोटी के लिये मुहताज हो गये। इस पर आपने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आपने यह नहीं

सोचा कि उन्होंने खाना कैसे खाया होगा। इस पर आपको विचार करना होगा कि जो गरीब हैं और जो निर्धन हैं, कहां से खाना मिले। जब इस प्रकार की चीज सोचेंगे, तभी अच्छा वातावरण आ सकता है। हमारे यहां पर फुटपाथ पर तमाम लोग पड़े रहते हैं, जिनके पास रात काटने के लिये कोई कपड़ा नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र में कई लोगों को कम्बल दिये। आज भी बहुत से लोग भूसे और पयाल को बोरे में भर कर सीते हैं और उसको ओढते हैं, तब कहीं उनका जाड़ा पार होता है, तो इस प्रकार की स्थिति है, इसमें आपको सुधार करना होगा तभी कुछ हो सकता है। शिक्षा की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आपने शिक्षा निःशुल्क कर दी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब शिक्षा सत्र ही नहीं होगा, तो आपके निःशुल्क करने से क्या लाभ। जिन लोगों के पास पैसा है वह ट्यूशन करा कर बच्चे को पढ़ाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे फेल हो जाते हैं। या तो वह नकल करते हैं या फेल होते हैं। मान्यवर, अब मैं अपने दूसरे बिन्दु पर आता हूं। किसानों को गन्ने के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों जैसे तिलहन और दलहन के लिये उचित मूल्य दिलाने तथा किसान कल्याण एवं ग्राम्य विकास की ठोस योजना का अभाव होने के सम्बन्ध में है। मान्यवर, पिछले वर्ष तेल का मूल्य क्या था और इस साल क्या है। जब तक किसानों के पास सरसों रहा और अरहर रही तब तक उनका दाम नहीं बढ़ा और ज्यों ही वह व्यापारियों के हाथ में पहुंची उनके मूल्य बढ़ गये। आप चावल और आटे की ही कीमतों को देख लें।

अगर सरकार मूल्यों पर नियंत्रण नहीं रखेगी, तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मूल्य पर आप नियंत्रण करें। इससे दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा। बजट में जिन चीजों का समावेश होना चाहिये था, उनका समावेश नहीं किया गया है। 3710 करोड़ की जो योजना पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत घोषित की गयी है, उसका समावेश नहीं किया गया है, किसी प्रकार से उसका जिक्र नहीं किया गया है। किस प्रकार से सरकार योजनाओं को लागू करेगी, इसका भी जिक्र नहीं किया गया है, जिससे किसानों और गरीबों को लाभ मिल सके। मेरा आग्रह है कि मेरे बिन्दुओं को राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव में जोड़ा जाय जिससे लोगों को लाभ मिल सके। वर्तमान सत्र शून्य रहा है। खेद की बात है कि साम्प्रदायिकता का वातावरण बना रहा और इस कारण हर मां बच्चे को स्कूल भेजते डरती रही और यह महसूस करती रही कि अगर वह स्कूल जायेगा तो वह घर वापस आयेगा या नहीं आयेगा। डर से घबराकर या सरकार की ओर से घोषणा के कारण स्कूलों को बंद कर दिये जाने से शिक्षा सत्र शून्य हो गया है। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इसके लिये अतिरिक्त क्लासेज चलाकर छात्रों के समय को बरबाद होने से बचायें और परीक्षा समय पर करायें जिससे छात्रों का वर्ष खराब न हो। साथ ही साथ ऐसी छूट की घोषणा करें जिससे तमाम गरीब परिवार से जो बच्चे आये हैं उनको किसी प्रकार की हानि न हो।

डा0 दिनेश जौहरी—

कितना समय दिया है?

श्री अधिष्ठाता—

अभी समय है उनको बोलने दें।

श्री शिवकरन सिंह—

एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात जो हुई वह यह है कि सरस्वती के जो मंदिर हैं उनको जेल में परिवर्तित कर दिया गया यह बहुत ही निन्दनीय बात है। मैं मांग करूंगा कि भविष्य में विद्यालयों को जो सरस्वती के मंदिर हैं उनको जेल में बदलने का प्रयास न किया जाय। जब विद्या के मंदिर जेल में बदल जायेंगे तो ज्ञान के भंडार कारागार में बन्द रहेंगे तो शिक्षा का क्या होगा।

सातवां बिन्दु बहुत महत्त्वपूर्ण है जिससे प्रदेश का बजट और सारा प्रदेश प्रभावित हुआ है। प्रदेश में जो सांप्रदायिकता का उन्माद उभरा है उसके निराकरण की व्यवस्था होनी चाहिये उसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वह अपनी वाणी में सुधार लायें। उनकी भाषा का उनकी वाणी का लाभ कुछ लोग जो देशद्रोही हैं उन्होंने उठाया है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता भड़की है। जैसे माननीय नेता विरोधी दल जब सदन में बोलते हैं तो महसूस होता है कि अमृत की वर्षा हो रही है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह उनके पदचिन्हों पर चलेंगे तो प्रदेश में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण पैदा होगा और जो प्रदेश में (* *) बैठे हैं। उनके मन्सूबे पूरे नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रकार की बात न कहें।

श्री शिवकरन सिंह—

मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी दल का नाम नहीं लिया मैं भी अगर इस प्रकार की बात करूंगा तो मैं भी उसी श्रेणी में आऊंगा (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

(* *) कहना असंसदीय है।

श्री शिवकरन सिंह—

मैंने गोली खाई है, दीवाल से कूद कर जैसे लोग लड़खड़ा कर चलते हैं मैं नहीं चलता हूं (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश का वातावरण न बिगड़े (व्यवधान) यहां पर चन्द मिनट पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता ने कोई संशोधन नहीं रखा सदस्य ने जो रखा है उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये हैं तो संविधान में कहीं ऐसा प्राविधान नहीं है कि उनके पास जाकर उनको सलाम कर उनसे आग्रह करता उनके सामने हस्ताक्षर करता और यहां प्रस्तुत करता। (व्यवधान) मैंने स्वयं हस्ताक्षर कर संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात कहें।

श्री शिवकरन सिंह—-

मुझे देश सेवा का मौका मिला है, मैं एक सैनिक रहा हूं मैं कोई भी देशद्रोह की बात नहीं करूंगा। जनता दल की बात यहां पर कही जाती है तो जनता दल तो उसी दिन मर गया था जिस दिन अडवानी जी को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन माननीय चन्द्रशेखर जी ने उससे अपने को अलग कर लिया था।

नोट:- (* *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, जनता दल के लिए मैं कामना करूंगा कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और देश की एकता, अखण्डता और विकास के लिये वह काम करेंगे तथा सदन के बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं करेंगे चूंकि यह सदन जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से चलता है शेष मेरे संशोधन पर कल नेता प्रतिपक्ष अपना विचार रखेंगे। साथ ही मैं अपनी बात को बल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन पर विचार करेगी और श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव में सभी बिन्दुओं को इसलिए जोड़ेंगे चूंकि महत्त्वपूर्ण सुझाव हैं जिससे प्रदेश की प्रगति होगी।

*** श्री किशोरी श्याम—**

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, इसके पहले जो जनता दल की ओर से दो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनकी कहानी मैं बताना चाहता हूं कि यहां सदन में झूठ का अंबार लगा रखा था और कह रहे थे कि हम शौचालय बनवायेंगे तो मेरे क्षेत्र में एक भी शौचालय नहीं बना है। न मेरे क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों की मरम्मत ही हुयी है और न निर्माण ही कराया गया है, तथा न जूनियर हाईस्कूलों की मरम्मत ही हुई है।

मान्यवर, छाता तहसील में सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल कमजोर है। ढाई करोड़ का बम्बों और नाले की मरम्मत के लिये इस्टीमेट भेजा गया था लेकिन उसको अभी तक पास करके वापस नहीं भेजा गया है।

मान्यवर, बिजली के संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि हम चौदह घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे साथ चलें और हमारे क्षेत्र में आंखों से देखकर आयें कि वहां बिजली का नामोनिशान नहीं है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय। वहां के लोगों ने एस0 डी0 ओ0 के गले में जूतों की माला तक डाली है इसलिये वहां बहुत खराब स्थिति है। मान्यवर, हमारे यहां कोसी कला फैक्टरी एरिया है और वहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सारी फैक्टरियां बंद हो गयी हैं। जिंदल फैक्टरी वालों से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि सरकार का दिवाला निकल गया है जिससे हमारा फैक्टरी की पाइप सरकार नहीं खरीद रही है। वहां सारी फैक्टरियां बंद पड़ी हैं। किसानों की जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है इसलिए उस पर न खेती होती है और न फैक्टरी ही चल रही है। इसके लिए मुकदमे में कोई सुनवाई नहीं है और न कोई न्याय है। प्रिसीजन फैक्टरी चल रही थी जिसमें 125 लड़के काम कर रहे थे लेकिन फैक्टरी बंद हो जाने से बेकारी बढ़ गयी है। नौकरी के लिए हमारे पास दिन भर लोग आते हैं जिनकी चिंता से मैं परेशान रहता हूं इसलिए मुझे हार्ट अटैक भी हो चुका है उनको नौकरी कहां से दी जाये जबकि सरकार झूठ बोल रही है कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं लेकिन आज किसी को नौकरी नहीं मिल रही है प्रिसीजन फैक्टरी वालों ने सात करोड़ सरकार से कर्जा लिया था लेकिन अब वह उसको नौ करोड़ में बेच रहे हैं। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाये।

मान्यवर, प्रदेश के विकास का सारा धन सरकार ने राम जन्म भूमि में हम लोगों को मारने के लिए लगा दिया है और जनता के धन से वहां मोटे-मोटे गर्डर नल लगाकर खड़े कर दिये गये हैं इस तरह से चारों तरफ घेराबंदी राम जन्म भूमि की कर दी गयी है। सारा धन प्रदेश का उसी में लगा दिया गया है तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास कहां से होगा।

मान्यवर, हमारी तहसील में कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है बल्कि इटावा जनपद में कर्ज माफ हुआ होगा जिसका मुझे पता नहीं है। हमारी तहसील में न तो वृद्धों और न विधवाओं तथा न विकलांगों को ही पेंशन मिल रही है। इस प्रकार बिना बात के झूठों के अम्बार लगा रखे हैं।

मान्यवर, जहां मुसलमान ज्यादा हैं झगड़े वहां हुये हैं और जहां थोड़े मुसलमान हैं वहां कोई झगड़े नहीं हुये हैं। श्री सुलेमान ने जो आज हिन्दी के डा0 राम कुमार वर्मा और श्री चतुर्वेदी जो हिंदी के महान विद्वान तथा प्रकाण्ड पंडित थे उनके संबंध में जो उन्होंने श्रद्धांजलि दिया था उनके लिये माननीय सदस्य ने यह कहा कि वे अच्छे आदमी थे जबकि उन्हें प्रकाण्ड पंडित कहना चाहिए था। इस प्रकार यहां भी साम्प्रदायिकता की बात दिखाई दे रही है कि उनके मुंह से हिन्दी शब्द नहीं निकला है।

मान्यवर, आप मुख्य मंत्री जी को समझायें, वह अभी तो बैठे थे लेकिन पता नहीं कहां चले गये, जिससे उनकी बुद्धि ठिकाने पर आये जिससे सदन ठीक से चले। कांग्रेस वालों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि या तो समर्थन दो या वापस ले लो किंतु दुविधा की स्थिति से देश, प्रदेश का नुकसान हो रहा है। मंत्री लोग आज कह रहे हैं कि सचिवालय में उनकी बात कोई नहीं मान रहा है, सचिव तक उनकी बात नहीं मान रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये, इस तरह नहीं।

श्री किशोरी श्याम--

इस स्थिति में मैं जो कह रहा हूं, बिल्कुल सही है। आज अनिश्चितता की सब जगह स्थिति है, यह आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सदन को नियम से और ठीक से आप चलाइये। आप सदन को ठीक से चलाओ नहीं तो बन्द करो।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, कृपापूर्वक बैठिये। अब कल चर्चा में भाग लीजिएगा। अब पांच बज रहे हैं, बिल अब लिया जा रहा है, (व्यवधान) अब आप लोग बैठिये। (घोर व्यवधान) आप लोग बैठिये, अब चर्चा इस समय नहीं होगी, कल होगी।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

(* * *)

श्री अधिष्ठाता--

आप व्यवस्था पर बोलिये, क्या व्यवस्था है?

नोट:- (* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

(* * *)

श्री अधिष्ठाता—

यह कुछ कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, जो यह बिना इजाजत रोकने पर भी बोल रहे हैं। व्यवस्था पर कुछ नहीं कहा है।

(बी0एस0पी0 के तमाम सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहते रहे।) (जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता—

आप सभी माननीय सदस्यों को मालूम हो कि यह पांच बजे तक का चर्चा का समय था...

एक सदस्य—

इसे सिस्टमैटिक ढंग से चलाइये।

श्री अधिष्ठाता—

जब कल चर्चा होगी, तो इसका ध्यान रखा जायेगा। 5 बजे के बाद आज बिल की बात है, अब इस पर ध्यान दें। आप लोग बैठिये आपके नेता लोगों ने ही यह कार्यक्रम तय किया है। माननीय खाद्य मंत्री जी।

उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाए।

मान्यवर, ईंट का वितरण और यथोचित मूल्य पर उसकी बिक्री करने के लिए पहले एक आर्डर था, "डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स 1971" के नियम-114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ब्रिक्स कंट्रोल आर्डर, 1971 जारी किया गया था। आर्डर खत्म हो गया उसके बाद यह देखने में आया कि भट्ठे मालिक मनमानी तौर पर ईंटों के दाम में वृद्धि करते जा रहे हैं, जो रचना का काम सरकारी और गैर सरकारी था, सारे निर्माण कार्यों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। सब तरफ से शिकायतें हुई। मजबूर होकर इस पर विचार करना पड़ा कि इस पर नियंत्रण के लिये कोई प्रयास किया जाए। तदोपरान्त प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ईंट पर नियंत्रण आदेश बनाने की पेशकश की परन्तु भारत सरकार ने कह दिया कि आवश्यक वस्तु कौन सी है उसको हम घोषित करेंगे, और ईंटों को आवश्यक वस्तु घोषित करने से मना कर दिया। तब यह विधेयक लाना पड़ा, इसे विधान परिषद् ने पास कर दिया है और यहां भी कोई संशोधन नहीं

नोट:- (* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आया है। सब वर्ग के लोग इस आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं कि अनियंत्रित रूप से ईटों के दाम बढ़ रहे हैं इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से, इस सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको पारित कर दें।

*** श्री धर्मपाल (बहराइच)—**

मान्यवर, ईटों के साथ ईटों की समस्या जुड़ी है। मानव सभ्यता का प्रथम चरण ईटों से संबंधित है जहां तक ईटों के मूल्य का प्रश्न है सीधी बात यह है कि आपकी गलत नीतियों के कारण तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा डीजल पर मूल्य वृद्धि अन्धा-धुन्ध करने के कारण डीजल के दाम बढ़े। पूरब में तीन रूपये 68 पैसे में जो डीजल मिलता था वह साढ़े पांच में अब देते हैं। झरिया से लखनऊ कोयला लाने पर साढ़े चार सौ फी ट्रक पड़ता था वह अब 800 पड़ता है। जो नया लेबर एक्ट बनाया है उसके कारण मजदूरी के रेट बढ़े हैं। कोयले के दाम केन्द्र सरकार ने बढ़ाए। डीजल भारत सरकार का उत्पाद है उसके दाम भी बढ़े। उसके ऊपर लगने वाला कर कम्पाउन्ड टैक्स में दस प्रतिशत वृद्धि की जाती थी उस पर 75 प्रतिशत वृद्धि कर दी गयी। ईट के दाम दो-तीन जनपदों में बढ़ गये हैं। एक दो जनपदों के कारण पूरे उद्योग के ऊपर तलवार लटका दी जाय यह उचित नहीं है। आप इसमें टैक्निकल डिपार्टमेंट रूड़की से राय मांगे, भारत सरकार के कोल वितरण विभाग से जानकारी ले लें और उसके अनुसार दाम तय करें कि कितनी लागत ईटों की आती है। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो ईट सबसे बड़ी इन्डस्ट्री है।

इस उद्योग को नष्ट करने की एक नापाक साजिश सरकार कर रही है। मेरा निवेदन है कि सिर्फ 2-3 जनपदों में दाम बढ़े हैं जबकि आपका कहना है कि यूनीवर्सली दाम बढ़े हैं, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप श्रम विभाग के अधिकारियों को बैठा लें, भारत सरकार के कोल इंडिया के, आदमियों को बैठा लें और डीजल की रिपोर्ट के संबंध में एक्सपर्ट्स बैठा लें तथा रूड़की इंजीनियरिंग कालेज की रिपोर्ट लें और उससे जो रिपोर्ट निकले, जो दाम तय हों उसको व्यापारी मानने के लिये तैयार हैं। तब तक के लिये अपना यह निर्णय रोक दें और इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये ताकि यह उद्योग ठप्प न किया जा सके।

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, ईटों के संबंध में पिछली बार बात आयी थी और भट्ठा एसोसियेशन से और सरकार से बात हुयी थी। उसमें एक मेमोरंडम बनाकर दिया गया था कि सरकार रेलवे से कोयला देती रहेगी और उसके दाम 700 रूपये होंगे। जब यह तय हो गया था तो उसके बाद सरकार ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की कि रेलवे से कोयला मिलेगा और यह भाव होंगे। मैंने भी भट्ठा मालिकों से बात की थी, एक रिटेन कापी मुझे मिली थी। उनका कहना है कि हमारी जो सरकार से बात हुयी थी कि रेलवे से कोयला मिलेगा और हम इस भाव पर ईट बेचेंगे इस संबंध में सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। रेलवे से कोयला नहीं मिला जिससे उनको ट्रक से कोयला मंगाना पड़ रहा है, जो बहुत महंगा पड़ता है। भट्ठा एसोसिशन ने जो पत्र दिया था उस पर सरकार ने कोई तवज्जह नहीं दी और न कोई जांच की। यदि उनसे रेलवे से कोयला देने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एग्रीमेंट किया गया था तो वह व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ताकि उचित मूल्य पर ईंटें मिलती। सरकार ने हर वस्तु की मंहगाई क्यों होने दी। सरकार ने मजदूरी क्यों बढ़ाई। इन पर विचार होने के पश्चात ही मान्यवर विधेयक पास किया जाय।

(श्री मोबीन अहमद आजमी के खड़े होने पर)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी)—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस पर कोई संशोधन है नहीं, अगर कोई संशोधन होता तो इस पर बहस चलती।

श्री अधिष्ठाता—

संक्षेप में विचार देने में कोई कठिनाई नहीं है।

※ श्री मोबीन अहमद आजमी—

मान्यवर, मैने अभिभाषण पर जब एक संशोधन का प्रस्ताव रखा था तो मेरे बगल में मेरे लायक दोस्त कह गये कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि यह ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक है। अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, ईंट और साप्रंदायिकता का बहुत गहरा रिश्ता है इसलिए बोलने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपको ईंट के बारे में बोलना है तो बोलिये।

श्री मोबीन अहमद आजमी—

मान्यवर, कोयले के रेट हमारे आजमगढ़ में साढ़े 1600 पर पहुंच गये। जिस रेट पर कोयला मिलता है उसके हाफ रेट पर ईंट के भाव निर्धारित होते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी इस पर बता चुके हैं, आप बैठिये।

※ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी प्रस्ताव लाये हैं कंट्रोल के लिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी दो-तीन सालों से भट्ठा संघ ने और गवर्नमेंट ने एक कंट्रैक्ट किया था, जिसमें एक मुश्त बिक्रीकर लागू करने की बात आई थी और दो-तीन साल से यह बात तय हुई थी कि एक मुश्त बिक्रीकर बढ़ाया जायेगा अभी जो हमारी मुलायम सिंह की सरकार ने उस कंट्रैक्ट को न मानकर 40 और

※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

75 प्रतिशत तक बिक्री कर बढ़ा देने की बात कही। ऐसी स्थिति में सरकार का यह कहना कि ईटों का दाम नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल गलत बात है। जब आप उनकी कठिनाईयों पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से ईटों के दाम बढ़ेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले और जब तक ईट-भट्ठा व्यवसायी की समस्यायें न तय हो जायें और उनकी समस्याओं पर विधिवत विचार न हो जाये, तब तक इस विधेयक को आप न लावें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

क्या माननीय सदस्य के सुझाव माननीय मंत्री जी मानेंगे?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, पूरे विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं रखी गयी है, अगर कहीं पर दाम में बेतहाशा वृद्धि होगी, तो उस पर नियंत्रण लाने के लिए आदेश देने के लिए सरकार की शक्ति रहेगी। मैं यह नहीं समझता कि सदन का कोई भी सदस्य बेतहाशा दामों में वृद्धि चाहेगा। कोयले पर कितना दाम बढ़े हैं, कितना लेबर चार्जेज बढ़े हैं, जब हम आदेश निकालेंगे और जब हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तब यह कोई आपत्ति उठा सकते हैं। इसमें श्रीमन् मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, सारे सदन से कि इस विधेयक को पास कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ईट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड 2 से खण्ड 7, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश ईट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

लोक हित में, उचित मूल्य पर ईटों का साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से ईटों के सम्भरण को विनियमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ईट (सम्भरण का विनियमन) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 12 मई, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में,—

(क) "ईट" का तात्पर्य ऐसे किसी ज्यामितीय आकार के पकाये हुये मिट्टी के टुकड़े से है जो किसी भट्ठे में पकाया गया हो,

(ख) "भट्ठा" का तात्पर्य ईटों को आग में पकाने के लिए प्रयुक्त किसी संरचना से है, और

(ग) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो ईट का व्यापार करता हो या बिक्री के लिए ईटों का स्टाक रखता हो और उसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है।

ईटों के मूल्य, सम्भरण, वितरण या उपभोग को विनियमित करने की शक्ति

3-(1) जहां राज्य सरकार की राय हो कि ईटों के सम्भरण को बनाये रखने या उसमें वृद्धि करने या उनका साम्यिक वितरण करने और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह अधिसूचित आदेश द्वारा, उनके सम्भरण, वितरण, उपभोग और मूल्य को विनियमित करने के लिए व्यवस्था कर सकती है।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन दिये गये किसी आदेश में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था हो सकती है:—

(क) लाइसेंसों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा ईटों के संग्रहण, वितरण, परिवहन, अर्जन, सम्भरण, विनिर्माण या उपभोग को विनियमित करने के लिए;

(ख) उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए जिस पर ईंटों को खरीदा या बेचा जा सकता है;

(ग) साधारणतः बिक्री के लिए रखी गयी ईंटों को, बिक्री से रोके जाने को प्रतिषिद्ध करने के लिए;

(घ) किसी व्यापारी या भट्ठे के स्वामी से ईंटों के सम्बन्ध में ऐसे लेखे और अभिलेख रखने और उनको निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने और ऐसी सम्बन्धित सूचना देने की अपेक्षा करना जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय;

(ङ) किसी व्यापारी या भट्ठे के स्वामी से स्टाक में रखे गये या उसके द्वारा निर्मित या प्राप्त किये गये ईंटों के सम्पूर्ण या किसी विनिर्दिष्ट भाग को राज्य सरकार को या केन्द्र सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो बेचने की अपेक्षा करने के लिए;

(च) किन्हीं आनुषंगिक और अनुपूरक विषयों की व्यवस्था करने के लिये जिसके अन्तर्गत विशेषतः परिसरों और गाड़ियों में प्रवेश करना और उनकी तलाशी लेना, ईंटों का अभिग्रहण करना, लाइसेन्सों, अनुज्ञापत्रों और अन्य दस्तावेजों को देना या जारी करना और उनके लिए फीस लेना भी है।

शास्ति

4-(1) जो कोई धारा 3 के अधीन दिये गये किसी आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि आदेश में ऐसी व्यवस्था हो तो ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला कोई न्यायालय निदेश दे सकता है कि ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि आदेश का उल्लंघन किया गया है या उसका ऐसा भाग जिसे न्यायालय उचित समझे राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश द्वारा कोई कथन करने या कोई सूचना देने की अपेक्षा की जाय,—

(एक) ऐसा कोई कथन करता है या कोई सूचना देता है जिसकी तात्त्विक विशिष्टियां मिथ्या हों और जो उसकी जानकारी में मिथ्या हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हों कि वह मिथ्या हैं या जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो; या

(दो) किसी बही, लेखा, अभिलेख, घोषणा,

विवरणी या अन्य दस्तावेज में जिसे रखने या प्रस्तुत करने की किसी आदेश द्वारा उससे अपेक्षा की गयी हो, कोई ऐसा उपर्युक्त कथन करता है;

तो वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

5-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा:

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम भी हैं, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

6- राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम के या इसके अधीन किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

निरसन और अपवाद

7-(1) उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) अध्यादेश, 1990 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, सन् 1990) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से, खण्ड 7, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991

कृषि मंत्री (चौधरी शंकर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो संशोधन आया है, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार निवारण के लिए वचनबद्ध है, उसमें कभी-कभी कठिनाइयां आ जाती थीं, उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, राज्य के कार्य-कलापों में कभी-कभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया जाता था, तो उनके ऊपर अभियोजन का मुकदमा चलाने के लिए उनके नियुक्ति अधिकारी से आज्ञा लेनी आवश्यक होती थी।

मान्यवर, ऐसे मामलों में कभी-कभी बहुत विलम्ब हो जाया करता था और वह हमको आज्ञा समय से नहीं मिल पाती थी। कभी-कभी अभियोजन में इसलिए भी दिक्कत आती थी कि या तो देरी से मिलता था या मिलता ही नहीं था इसलिए यह संशोधन पेश किया गया है। अगर किसी अधिकारी को आज्ञा देने में देरी होती है तो राज्य सरकार उस अधिकारी को समयबद्ध कर सकती है कि इतने समय के अन्दर वह आज्ञा प्रदान कर दी जाय जिससे अभियोजन चलाया जा सके। दूसरी यह भी है कि अगर अधिकारी देरी करता है और एक सप्ताह के अन्दर नहीं देता है तो राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वह अभियोजन चला सकता है इससे जो भ्रष्टाचार पनप रहा है और देरी होती है वह दूर हो जायेगी। सीधी सी इसकी यही मंशा है इसलिए यह जो है इसे पास करें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं, जो प्रस्ताव किया गया है उसमें संशोधन पेश करता हूं जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनावश्यक देरी के लिए और जो आज्ञा सरकारी अधिकारियों द्वारा मिलनी है उसमें विलम्ब होने की वजह से अपराधियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेजी से शुरू नहीं हो पाती है और उनको दण्ड नहीं मिल पाता है परन्तु जो संशोधन इन्होंने इसमें पेश किया उसमें भी यह खामी है कि यदि निश्चित समय के अन्दर वह अधिकारी इसकी स्वीकृति नहीं देता है तो एक निर्दिष्ट अवधि के बाद यहां की राज्य सरकार को यह अधिकार होगा, उनसे भी देरी हो सकती है स्वीकृति देने में तो इसमें यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए था कि जिस प्रकार से उनके लिए अवधि विर्निदिष्ट की गयी है उस निश्चित अवधि के अन्दर वह अपनी स्वीकृति दें उन पर अभियोग चलाने की, तो राज्य सरकार की भी अवधि स्वीकृति हेतु निश्चित की जानी चाहिए। दूसरे जो अधिकारी स्वीकृति देने में अनावश्यक विलम्ब करते हैं उसके खिलाफ आपने किसी भी प्रकार की कोई दण्ड की व्यवस्था नहीं की है जैसे उसकी चरित्र पंजिका में इन्टरी कर दें उसको किसी भी प्रकार से इसमें दण्ड देने का प्राविधान नहीं किया तो इसकी भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, कानून की जो मान्यता व सिद्धान्त है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यानि देरी होने से कानून का अभिप्राय समाप्त हो जाता है तो इसको देखते हुए आपने जो इसमें संशोधन पेश किया है उससे देरी समाप्त नहीं हो रही है। मेरा अनुरोध है कि जिस मन्शा से, जिस भावना से इस संशोधन को पेश कर रहे हैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और प्रवर समिति इस पर एक माह के अन्दर गहन विचार करके इसमें अपनी राय दें तभी आप इस पर कुछ करें नहीं तो आपको बार-बार संशोधन करना पड़ेगा और आपकी मंशा हल नहीं हो पायेगी। मान्यवर, वापस लिया।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जो संशोधन विधेयक लाया गया है इसकी भावना तमाम बातों को परिलक्षित करती है पहली तो यह है कि सरकार या अधिकारी अपने में निहित करना चाहते हैं और बदले की भावना से किसी कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं।

यह मैं इसलिए कह रहा था कि जब विधान मण्डल से कोई कानून बनता है तो हमें यह मानकर विधायी कार्य करना चाहिये कि आज सत्ता दल में बैठे हैं, कल विपक्ष में भी जा सकते हैं। ये वास्तव में इस संशोधन के द्वारा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मूल विधेयक में नेगी जी ने स्पष्ट किया, राज्य सरकार, वे कर्मचारी, जिनके सेवायोजक इसी राज्य सरकार के अधिकारी हैं, ये अधिकारी उन अधिकारियों के बारे में जिनके सेवायोजक इनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, सरकार एक तो उस अधिकारी के विवेकपूर्ण निर्णय को निरस्त करने का अधिकार चाहती है और वह भी पूर्वगामी प्रभाव से। अगर किसी अधिकारी ने गुणदोष के आधार पर किसी कर्मचारी को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया और वह निर्णय दे चुका है तो सरकार उसके बारे में चाहती है कि फिर से निर्णय ले सके। खास तौर से जब उस अधिकारी ने गुणदोष के आधार पर निर्णय ले लिया तो फिर सरकार को ज्ञान कहां से हो जायेगा कि क्या गलत है और क्या सही है।

यह तभी सम्भव है जब किसी के विरूद्ध प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करनी

हो। जहां तक विलम्ब की बात है, इसके बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने अलग से खण्ड में भी संशोधन दिया है, एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि दोबारा न कहना पड़े, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार का दोषी है, कोई अधीनस्थ अधिकारी अनुमति नहीं देता है तो कार्यवाही उस कर्मचारी के खिलाफ नहीं उस अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान कर रहा है और किसी भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं प्रदान कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके जो अधिकारी अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं प्रदान कर रहे हैं, उस अधिकारी पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 राय जी आपने खण्डों में भी संशोधन दिया है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, समय बचाने के लिये अभी सारी बात कहे दे रहा हूं। खण्डों में विचार के समय भाषण नहीं करूंगा। सरकार को कोई न कोई प्राविधान ऐसा करना चाहिये कि छोटा कर्मचारी कम भ्रष्टाचार करता है और बड़ा अधिकारी बड़ा करता है, अगर बड़ा अधिकारी स्वच्छ होगा तो अधीनस्थ कर्मचारी भ्रष्टाचार का साहस नहीं कर सकेगा। ऊपर भ्रष्टाचार होगा तो छोटा कर्मचारी भी करेगा। आपने इस संशोधन के द्वारा स्वयं स्वीकार किया कि अधीनस्थ अधिकारी, वे कर्मचारी जिनका वह सेवायोजक है, उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार सिद्ध है और अधिकारी अनुमति नहीं देता है मुकदमा दायर करने की, इसलिये आप मुकदमा दायर नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को उस अधिकारी पर अंकुश लगाना चाहिये कि वह अनुमति दे दें। एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों का सेवायोजक है, वह अनुमति नहीं दे पा रहा है तो सरकार तो बहुत बड़ी है, वह तो और भी निर्णय नहीं ले पाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें ताकि वहां इस पर विस्तार के साथ विचार हो जाय और फिर एक ऐसा विधेयक लाया जाय जो वास्तव में भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सहायक हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी इनका सुझाव मान रहे हैं?

कृषि मंत्री (चौधरी शंकर सिंह)—

मान्यवर, इसे मानने का इसलिये कोई औचित्य नहीं है कि माननीय राय जी ने और माननीय नेगी जी ने जो यह संशोधन विधेयक है इसका समर्थन किया है और यह माना है कि इसकी आवश्यकता थी। जो उनकी थोड़ी सी शंका है उसका निवारण हो सके तो मैं समझता हूं कि शायद प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक तो विभागीय कार्यवाही उसमें जो आपके अधिकारी हैं समकक्ष हैं नियुक्ति वाले हैं, उनको सौंपा गया है वह देर करते हैं तो आज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, ऐसी कोई सरकार की मंशा नहीं है कि जो छोटे कर्मचारी हैं

छोटे अधिकारी हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिये बदले की भावना से कार्यवाही के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है, ऐसा नहीं है। अगर उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त कोई बड़े अधिकारी होंगे उनकी भी नियुक्ति करने वाला कोई होगा उसमें आज्ञा लेनी पड़ती है, इसके अन्तर्गत सभी आते हैं, केवल देर न हो, तत्परता से अभियोजन, मुकदमा उनके खिलाफ लाया जा सके इसलिये इसे लाया गया है। आपकी शंका बिल्कुल निर्मूल है। भ्रष्टाचार को दूर करना है। कर्मचारियों/अधिकारियों से बदले की भावना से कार्यवाही के लिये इसको लाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें केवल इतना ही है कि राज्य सरकार को इससे थोड़ी सी शक्ति दे दी गयी है, जिससे कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर नियंत्रण रह सके। कहीं पर बड़े अधिकारी होते हैं उनके विरूद्ध भी वही होगा जो छोटे अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों के विरूद्ध होता है। मेरा उनसे आग्रह है कि अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेगी जी अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री पंचानन राय—

माननीय नेगी जी वापस ले लें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, वापस लिया।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं खण्डशः विचार लेता हूं।

श्री पंचानन राय—

शुरू में मैंने कहा था कि इसको प्रस्तुत नहीं करूंगा।

खण्ड 2, 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 49 सन् 1988 की धारा 19 का संशोधन

2—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 19 में उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"(घ) खण्ड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्व मंजूरी देने की अपेक्षा कर सकती है और यदि उक्त प्राधिकारी ऐसी अवधि के भीतर पूर्व मंजूरी देने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा पूर्व मंजूरी दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये "प्राधिकारी" के अन्तर्गत कोई ऐसा प्राधिकारी नहीं है जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन हो।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिये, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में भी किया जा सकता है, जहां खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही पूर्व मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है।"

निरसन और अपवाद

3—(1) भ्रष्टाचार-निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1990) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

आपके सहयोग के लिये धन्यवाद माननीय नेगी जी और माननीय राय जी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चौधरी शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1991 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय को जलेसर रोड से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम-51 के अंतर्गत 10 माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की, दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की, तीसरी सूचना श्री शिवराम सिंह कुशवाहा की, चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम की, पांचवी सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की, छठी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी की, सातवीं सूचना श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह की, आठवीं सूचना डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी की, नौवीं सूचना श्री रविकान्त गर्ग की तथा दसवीं सूचना श्री मोहिन अहमद आजमी की है। इसमें श्री रघुबर दयाल वर्मा की सूचना जो जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय को जलेसर रोड से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की गयी है। शेष अस्वीकृत हुई।

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

24 जनवरी, 1991

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

दे (देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

अनुलग्नक एक

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1990–91 में मई 1990 तक जिन–जिन फर्मों को जिन–जिन वस्तुओं का जितनी धनराशि का सामान आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया गया उसका ब्यौरा

क्र0सं0	फर्म का नाम	वस्तुएं	धनराशि अप्रैल 1990	मई 1990
1–	रेशियन केबिल लि0 दिल्ली (बिल्टेक इंडिया)	ब्लेड	28,300.02	1,15,303.59
2–	बृज जूस हाउस मथुरा	जैम स्कवैस	52,839.09	—
3–	वी0पी0 ट्रेडर्स	होजरी	69,000.00	—
4–	बजाज इलेक्ट्रिकल्स	प्रेस/मिक्सी	13,49,743.10	—
5–	बंगाल इंटर प्राइजेज, लखनऊ	मेघदूत उत्पाद	62,811.73	—
6–	बंगाल केमिकल्स, कानपुर	फिनाइल/हेयर आयल	7,51,969.34	—
7–	डंकन एग्रो इन्डस्ट्रीज, दिल्ली	चाय	12,42,244.75	—
8–	ब्लो प्लास्ट, कानपुर	लगेज	90,000.00	19,56,000.00
9–	ग्लोब एजेन्सीज, लखनऊ	साईकिल	4,86,912.00	—
10–	इण्डियन सीविंग मशीन, लखनऊ	कैम्पे0 मशीन	4,08,662.90	—
11–	जय इंजीनियरिंग वर्क्स	ऊषा मशीन	2,37,550.11	—
12–	जैन डिस्ट्रीब्यूटर्स, लखनऊ	क्यूटीक्यूरा पाउडर। चेक साबुन	12,30,877.13	—

क्र0सं0	फर्म का नाम	वस्तुएं	धनराशि अप्रैल 1990	मई 1990
13–	कान्ती शान्ती डिस्ट्रीब्यूटर्स गाजियाबाद	के0एम0पी0 आंवला तेल/ नारियल तेल	6,64,372.00	—
14–	नवीन कारमेटिक्स गाजियाबाद	सिक्का पेस्ट	7,12,521.00	—
15–	नवयुग इंटर प्राइजेज गाजियाबाद	मिक्सी	4,29,562.00	—
16–	ऋषि एण्ड कम्पनी कानपुर	नील	83,212.09	—
17–	सरीन ट्रेडिंग एण्ड कं0 आगरा	विमल केक/पावडर	21,50,050.00	4,24,566.00
18–	यू0पी0 डिटर्जेंटल लि0 नैनीताल	दीवाल घड़ी	72,802.10	—
19–	यू0पी0 डिस्ट्रीब्यूटर्स लखनऊ	मिल्टनगुड्स	8,93,000.00	—
20–	यू0पी0 टायर्स एण्ड टयूब्स लि0 रायबरेली	टायर टयूब्स	6,29,513.00	—
21–	ऐरिस्ट्रोकेट मार्केटिंग लि0 कानपुर	लगेज	—	15,55,000.00
22–	किरन सोप एण्ड केमिकल्स वर्क्स लि0 लखनऊ	क्लीनिंग पाउडर/डिटर्जेन्ट पावडर	—	6,17,312.00
23–	मोदी इण्डस्ट्रीज लि0 मोदीनगर	बट्टा साबुन	—	2,87,619.00
24–	नारवेस्ट इलेक्ट्रिकल्स लखनऊ	रेडियो/ट्रांजिस्टर	—	4,31,912.10
25–	पवन सोप वर्क्स लखनऊ	बट्टा साबुन	—	5,13,920.00
26–	रेलीज इंडिया लि0 कानपुर	पंखा	—	55,612.10
27–	स्वाती केमिकल्स वर्क्स लखनऊ	वाशिंग पाउडर	—	3,52,811.72

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	फर्म का नाम	वस्तुएं	धनराशि अप्रैल 1990	मई 1990
28–	ए0एम0एम0 लि0 दिल्ली	बूस्ट	3,09,000.00	2,21,000.00
29–	गोदरेज सोप्स लि0	नहाने का साबुन	—	3,00,000.00
30–	टाटा आयल मिल्स कं0 लि0	नहाने का साबुन	—	3,90,000.00
31–	नेस्ले इंडिया लि0	रेक्टोजन/सेरेलक/काफी	—	4,15,000.00
32–	कालगेट पामोलिव इंडिया लि0	पेस्ट	—	12,00,000.00
33–	टाइटन वाचेज लि0	घड़ियां	8,00,000.00	—
34–	मेलवेयर इन्डस्ट्रीज	क्राकरी	—	1,61,932.00
35–	लक्मे लि0	क्रीम/पाउडर	—	2,06,000.00
36–	हैदराबाद एल्विन	घड़ी	—	2,00,000.00
37–	सिंघल ट्रेडर्स	मिल्क फूड	2,04,600.00	2,18,000.00
38–	यूनियन कर्बाइड	टार्च सेल	1,32,000.00	2,35,000.00
39–	पाण्ड्स इंडिया लि0	कोल्ड क्रीम/टेलकम/आयल	2,20,000.00	3,38,000.00
40–	डाबर इंडिया लि0	आंवला/चमेली तेल	—	3,30,000.00
41–	मे0 हिन्दुस्तान लि0	टायलेट सोप/सर्फ आदि	79,43,000.00	88,86,602.50
42–	मे0 बुक ब्राण्ड इण्डिया	चाय	14,28,367.05	12,24,602.10
43–	मे0 लिप्टन इं0 लि0	डालडा	72,75,000.00	73,30,000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	फर्म का नाम	वस्तुएं	धनराशि अप्रैल 1990	मई 1990
44–	मे0 अमृत वनस्पति कं0 लि0	गगन वनस्पति घी	42,57,312.11	45,38,113.79
45–	मे0 मोदी इन्डस्ट्रीज लि0	रूचि वनस्पति घी	66,24,344.42	39,10,135.17
46–	मे0 श्रीराम फूड एण्ड फर्टीलाइजर इं0	रथ वनस्पति घी	79,26,047.98	1,17,56,153.75
47–	मे0 सूर्या एग्रो आयल्स	सूर्या रिफाइन्ड तेल	11,739.00	4,84,397.40
48–	मे0 बिब्रटानिया इंडस्ट्रीज लि0	वाइटल रिफाइन्ड आयल	2,23,855,40	6,77,688.90
49–	मे0 राहुल ट्रेडर्स	हिमगिरी	86,706.00	1,83,235.51
50–	मे0 एच0 एम0 टी0	एच0 एम0 टी0 घड़ियां	15,00,000.00	—
51–	मे0 लिप्टन इं0 लि0	चाय	11,72,302.00	14,55,333.10
			5,17,60,216.32	5,09,71,242.73

अप्रैल	–	5,17,60,216.32
मई	–	5,09,71,242,73
		10,27,31,459.05

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिसम्बर, 1985 में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद हेतु चयनित 176 अभ्यर्थियों में से बचे हुए 99 अभ्यर्थियों के नाम एवं चयन सूची में उनकी स्थिति:-

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	लोक सेवा आयोग की चयन सूची का वरिष्ठता क्रमांक
	सर्वश्री	
1-	मनोज कुमार अग्रवाल	1
2-	नरेन्द्र कुमार यादव	3
3-	पवन कुमार पाठक	19
4-	विश्वनाथ प्रसाद	20
5-	भोला नाथ	23
6-	आलोक गोयल	24
7-	जयप्रकाश	28
8-	जुगुल प्रसाद तनेजा	32
9-	हीरा सिंह पांगती	38
10-	नीरज कुमार जायसवाल	40
11-	जयपाल सिंह	42
12-	जगमोहन लाल जायसवाल	43
13-	चेतन कुमार महेश्वरी	50
14-	बैजनाथ प्रसाद	51
15-	भुवनेश्वर राय	52
16-	मुरलीधर गुप्ता	53
17-	मुकेश कुमार पाण्डेय	58
18-	अजय कुमार श्रीवास्तव	62
19-	छविनाथ सिंह	63
20-	संजीव अग्रवाल	66
21-	आशुतोष	67
22-	अनिल शर्मा	69

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	लोक सेवा आयोग की चयन सूची का वरिष्ठता क्रमांक
	सर्वश्री–	
23–	राम प्रताप यादव	71
24–	संजीव रतन	72
25–	ज्योति प्रसाद चटर्जी	74
26–	चन्द्र शेखर आजाद	76
27–	जयपाल सिंह	78
28–	व्योम केश अमरेन्द्र कुमार	79
29–	यशवन्त सिंह	80
30–	अमरीक सिंह	81
31–	देवेन्द्र नाथ तिवारी	82
32–	संजय कुमार रस्तोगी	83
33–	विनोद कुमार मिश्र	84
34–	अखिलेश कुमार गौड़	85
35–	अरविन्द कुमार यादव	87
36–	विनोद बिहारी	88
37–	अजय मेहरोत्रा	89
38–	मलय कुमार गर्ग	90
39–	रवि कृष्ण	91
40–	ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी	92
41–	लक्ष्मी नारायण झाँ	93
42–	उस्मानुल हक	94
43–	गरीबुल्ला कादरी	95
44–	रघुनाथ प्रसाद	97
45–	फते बहादुर चौधरी	98
46–	वेदपाल सिंह	99
47–	दिनेश कुमार बाजपेयी	100
48–	अनिल कुमार अग्रवाल	101
49–	मृत्युन्जय कुमार केसरी	102

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	लोक सेवा आयोग की चयन सूची में वरिष्ठता क्रमांक
	सर्वश्री–	
50–	राजीव कुमार अग्रवाल	103
51–	रमेश कुमार मिश्र	104
52–	श्याम सुन्दर प्रसाद	105
53–	त्रयम्बक सिंह	106
54–	रणधीर सिंह	107
55–	तारकेश्वर नाथ सिंह	108
56–	मु0 ईसा	109
57–	पंकज कुमार	110
58–	अशोक कुमार पाण्डेय	111
59–	अनिल कुमार गुप्ता	113
60–	अजीत कुमार सिंह	116
61–	सत्य प्रकाश सिंह	117
62–	मनोज कुमार	118
63–	शिव कुमार शिवहरे	119
64–	राकेश कुमार शर्मा	120
65–	विजय पाल सिंह	121
66–	संजय कुशवाहा	122
67–	सवीउल हसन दीवाजी	123
68-	अनिल कुमार सिंह	124
69–	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	125
70–	महेन्द्र सिंह	126
71–	गिरिराज किशोर	127
72–	मो0 वसीम खां	128
73–	अजय कुमार	139
74–	रवीन्द्र चौधरी	131
75–	हमीदुल्ला	134
76–	लाल बहादुर मौर्य	135
77–	प्रेम प्रकाश प्रभाकर	136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	लोक सेवा आयोग की चयन सूची में वरिष्ठता क्रमांक
	सर्वश्री–	
78–	दिनेश कुमार सिंह	138
79–	राज औतार सिंह	141
80–	गुलाम नवी	142
81–	दिनेश कुमार यादव	143
82–	दीनानाथ विश्वकर्मा	144
83–	राजेन्द्र प्रसाद यादव	146
84–	विनोद यादव	147
85–	अवधेश कुमार	149
86–	राज कुमार गौड़	150
87–	सोहन राम	151
88–	हरि प्रकाश	153
89–	रामवृक्ष राम	155
90–	हरिशंकर प्रसाद	156
91–	महेन्द्र पाल सिंह	160
92–	जितेन्द्र कुमार	162
93–	बृजेश कुमार सिंह	163
94–	महेन्द्र प्रसाद	168
95–	लक्ष्मी नारायण	172
96–	दीवान सिंह हयांकी	173
97–	किशुन लाल	174
98–	सोमपाल	175
99–	कन्हैया लाल	176

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अ०ता०प्र० संख्या 161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 96 पर)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्हौर में खरीदे गये सामानों की सूची

क्रम सं०	वस्तु का नाम	मात्रा
1-	प्रिंसिपल आफीसर टेबिल लेमिनेटेड ग्लास टाप साइज 1520×910×760 एम०एम०	1
2-	आर्म्स आफिस चेयर, प्लास्टिक सीट एण्ड बैंक	18
3-	आफिस चेयर डनलप कुशन सीट एण्ड बैंक	1
4-	बैक रेस्ट सीट	1
5-	रिस्टेपिकल बेस्ट	4
6-	रिवार्लिंग स्टूल	4
7-	स्ट्रेचर एस०एस०टाप	4
8-	टेबिल इक्जामिनेशन	2
9-	कैनवस कैरियर	2
10-	ट्राली ड्रेसिंग	2
11-	ट्राली ड्रेसिंग फार ड्रम	1
12-	स्लाइन स्टैण्ड	10
13-	स्क्रीन बेड साइड	4
14-	स्टील स्टूल	4
15-	आपरेशन टेबिल	2
16-	स्पिटून स्टैण्ड	24
17-	डायनल एब्हामनल 100 एम०एम०	2
18-	मेजल एक्सपेटुलम	2
19-	आर०एल०हुक	2
20-	बोन दो टाइप सर्जिकल साविध वन ब्लेड	1
21-	कैरिंगो स्कोप मीडियम एउल्ट	1
22-	सर्जिकल ग्लब्स	20 पेयर
23-	ड्रेसिंग ड्रम 235×225	4

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्र0सं0	वस्तु का नाम	मात्रा
24–	सर्जिकल ड्रम एस0एस0 275×225 एम0एम0	4
25–	इलेक्ट्रिक्स स्टरलाइजर 20×8×6 इंच	2
26–	सर्जिकल ग्लब्स	40 पेयर
27–	बैक रेस्ट	2
28–	रिस्पेटिकल बेस्ट	4
29–	रिवालेविंग स्टूल एस0एस0	4
30–	स्ट्रेचर एस0एस0टाप	4
31–	इक्जामिनेशान टेबिल	2
32–	कैनवस कैरियर	2
33–	ट्राली ड्रेसिंग	2
34–	ट्राली ड्रेसिंग टू ड्रम	1
35–	स्लाइन स्टैण्ड	10
36–	स्क्रीन बेड साइड	4
37–	स्टील स्टूल	4
38–	कैबिनेट स्टूमेण्ट	1
39–	आपरेशान टेबिल	2
40–	स्पिटून स्टैण्ड	24
41–	तौलिया	36
42–	चादर सफेद	36
43–	पर्दा क्लाथ	50 मीटर
44–	मेट्रेस	24
45–	स्टूमेण्डट कैबिनेट	1
46–	फाउलर बेड	2
47–	टेबिल आबस्टेट्रिक लेबर एम0एस0स्टाफ	1
48–	ट्राली ड्रेसिंग ड्रम	2
49–	व्हील चेयर फोल्डिंग	1
50–	बेड स्ट्रीप	24
51–	बेड स्ट्रीप सीट	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं0	वस्तु का नाम	मात्रा
52-	बेड साइड लाकर	24
53-	टाइपराइटर	1
54-	वेसिन	20
55-	अम्बू बैग	1
56-	ई0आई0बेड पेन	5
57-	ई0आई0यूरनल मेल	5
58-	यूरनल फिमेल	5
59-	एगिमा केन	2
60-	किहनी ट्रे	4
61-	सर्जिकल ट्रे पिथ कवर	4
62-	एम्युनेशान नाइफ 18 सी0एम0	2
63-	बी0पी0 हैण्डिल नं0-4	6
64-	सीजर स्टेट शार्प	5
65-	सीजर कर्वड	5
66-	बैण्डेज सीजर लिस्टर	4
67-	सीजर वार्यों ,कर्वड	2
68-	आइडिल स्टेट सीजर	2
69-	वाससम कर्वड	2
70-	हैरिसन बाउल्ड	4
71-	चिटिल फार्सिथ	10
72-	एलिस फार्सिच	4
73-	बेव कार्य फार्मिंग	10
74-	ग्रे क्लिप ववेल	4
75-	स्पंज हैण्डिल फार्सिव	4
76-	स्टमक इन्टेस्टाइनल फार्सिव	2
77-	स्टमक इन्डेस्टाइनल फार्सिव	2
78-	कार्व इन्टेस्टाइनल फार्सिव	10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं0	वस्तु का नाम	मात्रा
79-	मासक्वीटिव फार्सिव स्टेट	10
80-	मासक्वीटिव एवं फार्सिव	10
81-	स्पैंसर टोल स्टेट फार्सिव	4
82-	मर्यो हैंगर निडिल होल्डर	5
83-	निडिल होल्डर	4
84-	बाउल	10
85-	बाल्टी प्लास्टिक	10
86-	बाल्टी ई0आई, स्टली	10
87-	सर्जिकल ट्रे	20
88-	टार्च	26
89-	यमप्लास्टिक	2
90-	बाल्टी प्लास्टिक	24
91-	मगप्लास्टिक	24
92-	साबुनदानी	24
93-	किडनी ट्रे	10
94-	सर्जिकल ट्रे	10
95-	तापमान चार्ट स्टली	30
96-	प्रयोगशाला बाउल	1
97-	प्रयोगशाला पर्दा	1
98-	बेडहेड टिकट	2000
99-	पैथोलाजी रिपोर्ट	2000
100-	ओ0पी0डी0 टिकट	2000
101-	एक्शास्ट पम्प	3
102-	हरिजन्टल पम्प	5
103-	एक्सरे बाक्स	4
104-	ड्रेसिंग सीजर	30
105-	चिमटी	30

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं0	वस्तु का नाम	मात्रा
106-	स्टरलाइजर	1
107-	2000/- के कागज आदि छपाई सहित	-
108-	सीरिंज	35
109-	नीडिल	35
110-	एक मेज बड़ी	1
111-	कुर्सी	18
112-	आफीसर कुर्सी	1
113-	रोगी परीक्षण टेबिल	10
114-	आपरेशन टेबिल	2
115-	ट्राली ड्रेसिंग	4
116-	राउन्ड स्टूल	4
117-	स्क्रीन बेड साइड	1
118-	स्ट्रेचर	1
119-	कैनवस कर्टेन	1
120-	ट्राली ड्रेसिंग	3
121-	स्लाइन स्टैण्ड	2
122-	रिवालविंग स्टूल	2
123-	तौलिया	36
124-	चादर	36
125-	पर्दा क्लाथ	50 मीटर
126-	गद्दे	24
127-	बड बाउलर विथ सीट	2
128-	टेबिल आप्ट्रिक लेबर	1
129-	ट्राली ड्रेसिंग ड्रक्म	1
130-	व्हील चेयर फोल्डिंग	1
131-	बेड स्टैण्ड स्ट्रिप	1
132-	बेड स्टैण्ड सीट	1
133-	बड़े साइज लाकर	24

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-सं0	वस्तु का नाम	मात्रा
134-	वेसिन	20
135-	अम्बो बैग	1
136-	सर्जिकल ट्रे	1
137-	यूरिनल पाट	5
138-	यूरिनल पाट फिमेल	5
	बड़े पाट विग साइज	5

विधान सभा प्रदेश

नत्थी (घ)

(देखिये मा0 सदस्यों के अभिभाषण पृष्ठ 172 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री शिवकरन	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:- 1-राज्य के औद्योगीकरण को समुचित रूप से स्पष्ट न किये जाने के संबंध में। 2-राज्य की ऊर्जा नीति का उल्लेख न होने के संबंध में। 3-नगर क्षेत्र के कई निर्धन वर्गों के विकास के कार्यक्रमों एवं युवा वर्ग छात्रों और राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई ठोस योजना न प्रस्तुत किये जाने के संबंध में। 4-किसानों को गन्ने के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों जैसे तिलहन और दलहन के लिए उचित मूल्य दिलाने तथा किसान कल्याण एवं ग्राम्य विकास की ठोस योजना का अभाव होने के संबंध में। 5-अभिभाषण में बजट का जो उल्लेख होना चाहिए था उसका समावेश न होने के संबंध में। 6-वर्तमान शिक्षा सत्र करीब शून्य सत्र रहा इसका उल्लेख न होने के संबंध में। 7-प्रदेश में व्यापक साम्प्रदायिक उन्माद के निराकरण का उल्लेख न होने के संबंध में।"
2	कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रघुबर दयाल वर्मा तथा श्री चन्द्रशेखर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:- (1) प्रदेश में धार्मिक उन्माद से उत्पन्न साम्प्रदायिक हिंसा और जनजीवन की हुई सैकड़ो मौतों से उत्पन्न वातावरण से जनजीवन में सरकार के प्रति उपजे आक्रोश और अविश्वास के सम्बन्ध में। (2) प्रदेश का जन जीवन भय और दहशत से ग्रस्त होने के सम्बन्ध में। (3) मूल्य वृद्धि, जमाखोरी, जखीरेबाजी से जनजीवन त्रस्त होने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(4) कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
		(5) प्रदेश के काश्तकारों के निजी नलकूपों से वर्षा काल का न्यूनतम बिल वसूलने से किसानों में आक्रोश होने के सम्बन्ध में।
		(6) प्रदेश में काश्तकारों से बकाया बैंक ऋण और बकाया विद्युत बिलों की वसूली व्यय माफ नहीं करने पर काश्तकारों में सरकार के प्रति घोर असन्तोष एवं आक्रोश होने के सम्बन्ध में।
		(7) सरकार की घोषणा के बाद भी 2 अक्टूबर, 1989 तक के 10,000 रूपया तक के बकायादार काश्तकारों के ऋण माफ नहीं होने के संबंध में।
		(8) प्रदेश के विभिन्न विभागों में अंग्रेजी का चलन आज भी जारी होने के संबंध में।
		(9) कृषि उपजों और कल कारखानों की उपजों के मूल्यों में सन्तुलन नही कायम किये जाने के सम्बन्ध में।
		(10) वेतन और दैनिक महंगाई भत्ते मूल्य सूचकांक से नहीं जुड़े होने के सम्बन्ध में।
		(11) कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किये जाते समय उसे भी बढ़ते मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाने के सम्बन्ध में।
		(12) सरकार की दोषपूर्ण विद्युत नीति के कारण कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में रिकार्ड तोड़ उत्पादन में गिरावट होने के सम्बन्ध में।
		(13) प्रदेश में सिंचन क्षमता में वृद्धि के लिए कोई कारगर एवं ठोस उपाय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
		(14) सिंचाई दरों में कमी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
		(15) नगरीय और ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल के संकट के हल के लिए कारगर कदम नहीं उठाये जाने के सम्बन्ध में।
		(16) खारी एवं अशुद्ध पेयजल संकट से प्रदेश के तीन चौथाई ग्राम पीड़ित और बुरी तरह से ग्रसित होने और बूंद-बूंद पानी को तड़फते अनेक मौतें होने के सम्बन्ध में।
		(17) सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में प्रबन्ध में श्रमिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई तथा पुलिस

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जुल्म और नागरिक उत्पीड़न के अपराधों में वृद्धि सुरसा के मुंह के समान होने के सम्बन्ध में। (18) प्रदेश में शान्ति व्यवस्था के नाम पर पुलिस ने गोली चलाकर निरीह निर्दोषों को गोली से भूना लेकिन पुलिस प्रशासन के विरूद्ध न्यायिक जांच नहीं करायी जाने के सम्बन्ध में। (19) प्रदेश में कांच एवं चूड़ी के कारखानों में सेवारत बाल श्रमिकों के कल्याण एवं उनके उत्थान के लिए काम नहीं होने और बाल श्रमिकों के लिए तथा अन्य कांच एवं चूड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय नहीं होने के संबंध में। (20) प्रदेश में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं होने के सम्बन्ध में। (21) समान शिक्षा पद्धति समान पाठ्यक्रम और एक विद्यालय की शिक्षा नीति का परिपालन नहीं होने के संबंध में।"
3	श्री कल्यान सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया गया है:- (1) प्रदेश में जातिवाद, सम्प्रदायवाद, अल्पसंख्यकवाद, अलगाववाद और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उपाय के संबंध में। (2) किसानों को लागत-व्यय के हिसाब से कृषि उपज के पर्याप्त लाभकारी मूल्य की घोषणा के सम्बन्ध में। (3) कृषि-लागत व्यय को कम करने के लिए खाद, बीज, बिजली, पानी, कीटनाशक दवाओं और कृषि उपकरणों की दरों में कमी करने की घोषणा के सम्बन्ध में। (4) मजदूरों को सुविधापूर्वक जीवन यापन करने लायक न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में। (5) बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारन्टी के सम्बन्ध में। (6) महिलाओं के उत्थान की सुनिश्चित नीति एवं नियोजन की घोषणा के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(7) प्रदेश में हो रहे भीषण दंगों को रोकने के उपाय और कारगर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
		(8) बिक्री-कर को समाप्त करके राजस्व के वैकल्पिक स्त्रोतों की व्यवस्था और सम्पूर्ण कर-ढांचे का सरलीकरण के सम्बन्ध में।
		(9) 30 अक्टूबर 1990 तथा 2 नवम्बर, 1990 को अयोध्या में निहत्थे एवं शान्तिप्रिय कारसेवकों पर बर्बर लाठीचार्ज और निशंस गोली वर्षा से नर-संहार और उसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में।
		(10) मण्डल कमीशन के अनुसार आरक्षण के कोटा को पूरा करने के लिए सक्षम कानून बनाने के सम्बन्ध में।
		(11) प्रदेश की प्रति-व्यक्ति आय की बढ़ोत्तरी के उपाय और विकास-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना के सम्बन्ध में।
		(12) प्रदेश में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन की समाप्ति के सम्बन्ध में।
		(13) सचरित्र और शान्तिप्रिय नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिये आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स देने की सरल प्रक्रिया के सम्बन्ध में।
		(14) मंत्रिमण्डल के सदस्यों और प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के उपाय के सम्बन्ध में।
		(15) समान कार्य के लिए समान वेतन नीति के सम्बन्ध में।
		(16) चोरी, डकैती, हत्या, लूट, आगजनी और अपहरणों की बढ़ती वारदातों को रोकने के उपाय और निर्बल वर्गों को सुरक्षा की गारन्टी के सम्बन्ध में।
		(17) प्रदेश की पूरी तरह ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने तथा अराजकता और आंतक को समाप्त करने का संकल्प और उपाय के सम्बन्ध में।
		(18) जन-जीवन को त्रस्त करने वाली कमरतोड़ विकराल महंगाई पर नियंत्रण लाने के उपाय के सम्बन्ध में।"

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:-
4	श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री ऊदल	(1) पुलिस को जन विरोधी गतिविधियों, फर्जी इनकाउन्टरों तथा पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के संबंध में।
		(2) गरीब खेत मजदूर व पिछड़ी तथा हरिजन जातियों के नर संहार के बारे में।
		(3) वाराणसी में सिगरा थाने की पुलिस तथा थाना सेहनियां की पुलिस द्वारा हरिजनों की हत्या और फर्जी इनकाउन्टर दिखाने के सम्बन्ध में।
		(4) पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश में फर्जी इनकाउन्टरों को रोकने के बारे में कोई कारगर कदम न उठाने के संबंध में।
		(5) विद्युत व्यवस्था को सुधारने तथा उसमें आई अनियमितता के बारे में।
		(6) ट्रांसफारमरों, खम्भें, तारों, क्लैपो की कमी के बारे में सिर्फ वाराणसी में 500 ट्रांसफार्मरों की कमी तथा तार खम्भे न होने के सम्बन्ध में।
		(7) प्रदेश के हजारों नलकूप मोटर जल जाने, विद्युत की गड़बड़ी तथा टेक्निकल खराबियों से वर्षों से बन्द पड़े हैं उनको व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में। राजकीय नलकूपों की नालियां क्षतिग्रस्त होने तथा किसानों को पानी सिंचाई हेतु न मिल पाने के बारे में।
		(8) वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा इसमें भ्रष्टाचार, ब्लैक करने, तथा चोर बाजारी को रोकने के बारे में।
		(9) आवश्यक वस्तुओं जैसे डालडा, कड़ुवा तेल, मिट्टी का तेल, सीमेंट, लोहा आदि जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। तथा दाम गिराने के सम्बन्ध में।
		(10) औद्योगिक सामानों तथा कृषि से पैदा सामानों में तालमेल न होने के सम्बन्ध में तथा दाम बांधों के बारे में।
		(11) शिक्षा विभाग के सभी प्राइवेट इण्टर तथा हाई स्कूलों में अध्यापकों की रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में तथा जहां-जहां साइंस कक्ष नहीं है उनको बनाने हेतु अनुदान देने के सम्बन्ध में और छात्रों के अनुपात से टीचरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(12) प्राइमरी स्कूलों की जर्जर इमारतों को बनाने छात्रों के अनुपात में टीचरों की नियुक्ति तथा प्रत्येक बड़े गांवो में नये स्कूल खोलने के सम्बन्ध में।
		(13) साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने तथा उत्तेजना पैदा करने वाले कैसेटों को रोकने के सम्बन्ध में।
		(14) वाराणसी जिले के ब्लाक बड़ागांव में जूनियर हाईस्कूल कुवार की इमारत तथा प्रा0पा0 नरायनपुर ब्लाक चिरई गांव की जर्जर इमारत को न बनवाने के सम्बध में।
		(15) इसी तरह से गांव जाठी, मगांतीपुर, राजपुर ब्लाक पिड्डरा में प्रा0पा0 की इमारत व गांव, ताड़ी, प्रा0पा0 बाड़ा गांव प्रा0पा0 बसनी, ब्लाक बड़ागांव वाराणसी की इमारत बनाने के सम्बन्ध में।
		(16) गांव गैरहां, बारा, रग्घूपुर ब्लाक सेवापुरी व गांव कुम्मापुर, बेलवां, कोइलार, साईपुर, कावांडाड़, लक्ष्मीपुर पूरा रघुनाथपुर, महिमापुर ब्लाक बड़ागांव तथा पिंडरा पूर्वी, पिंडरा पश्चिमी अमौत पश्चिमी, चितावतपुर राजपुर नैपुरा पूर्वी, मटबंधा कनकपुर रोह उत्तरी ब्लाक पिंडरा वाराणसी में राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में।
		(17) मच्छा लाल ब्लाक बड़ागांव वाराणसी में जल निकासी हेतु बीच ताल से ड्रेन की खोदाई तथा सभी ड्रेनों की खोदाई के सम्बन्ध में।
		(18) कठिरांव से नेवादा अनेई मार्ग तथा कठिरांव से फतेहपुर मार्ग जौनपुर के सरहद तक व पूरा रघुनाथपुर से झंझोर मार्ग ब्लाक बड़ागांव व पिडरा से ओदार गरथ्मय मार्ग व, सिघोरा से वतसूपुरा मार्ग व बढौना से ऊदपुर मार्ग तथा देवराई से बरवी मार्ग ब्लाक पिंडरा वाराणसी के निर्माण के सम्बन्ध में।
		(19) नाद नदी पर सराय के पास पुल ब्लाक पिंडरा वाराणसी तथा नाद नदी पर पुल थाना रामपुर मार्ग पर मुसौली के पास बनाने के सम्बन्ध में।
		(20) राज्य सेक्टर में स्वीकृत मंगारी से सिंधौरा मार्ग ब्लाक पिंडरा तथा बड़ा गांव नथईपुर रामपुर व अनेई कुवार कटीरांव मार्ग को धन आवंटित करने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(21) गरीबों हरिजनों को आवंटित जमीनों पर कब्जा दिलाने व सीलिंग की जमीनों को बांटने के सम्बन्ध में तथा हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के सम्बन्ध में। और उनके सामाजिक उत्पीड़न को खत्म करने हेतु कारगर कदम उठाने के सम्बन्ध में एवं सभी विभागों में रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति करने के सम्बन्ध में। (22) औद्योगिक तथा सरकारी कर्मचारियों को उनकी जायज मांग दिलाने तथा उनका उत्पीड़न खत्म करने के संबंध में। उत्तराखण्ड के 9 जिलों को अलग से राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में। प्रदेश में बिगड़ती हुई शान्त व्यवस्था को सुधारने तथा पुलिस व पी0ए0सी0 के लिये आज के युग के मुताबिक पाठ्यक्रम व उसमें आमूल परिवर्तन के सम्बन्ध में। तथा व्याप्त भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को रोकने के सम्बन्ध में तथा प्रशासन को ऊपर से नीचे तक सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में। सर्तकता अधिष्ठान को एवं सी0आई0डी0 को मजबूत करने के सम्बन्ध में।
5	श्री राजकिशोर सिंह तथा श्री अकबर हुसैन बाबर ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया है:- (1) वर्तमान भूमि सुधार व हदबन्दी कानून में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने और अतिरिक्त कृषि भूमि को भूमिहीनों व गरीब किसानों में वितरित करने तथा जोत हदबंदी सीमा की अतिरिक्त भूमि गरीबों में बांटने, ग्राम समाज की बंजर परती जमीनें बांटने के सम्बन्ध में। (2) खेत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का कानून बनाने तथा उनके काम के सुधार के बारे में कानून बनाने के सम्बन्ध में। (3) जंगल व सिंचाई विभाग की फालतू जमीनें बड़े-2 भू-स्वामियों को पट्टा न देकर क्षेत्र के भूमिहीनों, हरिजनों व आदिवासियों को पट्टा देने के सम्बन्ध में। (4) किसानों की उपज के लाभकारी मूल्य देने हेतु गेहूं, चावल, आलू, गन्ना आदि का उचित मूल्य निर्धारण करने तथा उचित समय पर किसानों को लूट से बचाने के लिए अधिक से अधिक क्रय-केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में। (5) सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था के लिए नहरों की सीपेज रोकने, अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने, नयी

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		नहरों का निर्माण करने नलकूप क्षेत्रों में असिंचित जमीनों के लिए नये नलकूप लगाने नलकूपों की ध्वस्त नालियों की मरम्मत करने नहरों की सीपेज रोकने तथा नलकूपों को बन्द होने से बचाने के लिए सिंचाई विभाग के स्टोरों पर स्पेयर-पार्ट्स की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।
		(6) सस्ते दामों पर किसानों को उर्वरक, बिजली, डीजल आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
		(7) 14 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।
		(8) व्यक्तिगत नलकूपों को शीघ्र कनेक्शन देने, ग्राम में विद्युतीकरण की व्यवस्था करने के लिए राज्य विद्युत परिषद् के हर जिला केन्द्रों पर पर्याप्त तार खम्भें ट्रांसफार्मर आदि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।
		(9) दस हजार तक के कर्ज माफी में पात्र-व्यक्तियों के कर्जे माफ नहीं हुए अतएव अलाभकर जोत के किसानों व बुनकर दस्तकारों के समस्त कर्जे माफ करने तथा सस्ते ब्याज पर ऋण देने के सम्बन्ध में।
		(10) सरकारी देयों की वसूली में किसानों के खेतों की नीलामी न करने के सम्बन्ध में।
		(11) बटाईदारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में।
		(12) अनुसूचित एवं जनजातियों व कमजोर वर्गों की महिलाओं पर होने वाली सामन्ती पुलिस व सामाजिक उत्पीड़न समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने के सम्बन्ध में।
		(13) निर्बल आवास व शौचालयों के निर्माण की खानापुरी के बजाय इन्हें टिकाऊ बनाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
		(14) महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने, मुनाफाखोरी, जमाखोरी रोकने, सार्वजनिनक वितरण प्रणाली का विस्तार करके दुकानों में सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।
		(15) फसल बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में।
		(16) सूखा-बाढ़ के नियंत्रण के लिए स्थायी योजना

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		बनाने के सम्बन्ध में।
		(17) शुद्ध पेयजल की सभी नागरिकों को व्यवस्था करने के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में।
		(18) हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।
		(19) नगरों में सभी नागरिक सुविधायें पानी, रोशनी, सड़क आदि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।
		(20) मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान की सूची पर लाने के सम्बन्ध में।
		(21) अधिक से अधिक नये प्राइमरी विद्यालय खोलने हर न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल बालिका विद्यालय खोलने, हर ब्लाक में माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में।
		(22) शहरों और ग्रामों में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों के लिए स्थायी व्यवस्था करने, तथा रोजगार न देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में।
		(23) शिक्षा व नौकरियों में मण्डल आयोग की सिफारिश लागू करने के सम्बन्ध में।
		(24) हर प्रकार के साम्प्रदायिक जातिवादी, विघटनवादी, आन्दोलनों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के संबंध में।
		(25) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संविधान में काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को संस्तुति करने के सम्बन्ध में।
		(26) विकलांगो, विधवाओं आदि के लिए काम की व्यवस्था के सम्बन्ध में।
		(27) धर्म के आधार पर साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाली कार्यवाहियों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।
		(28) दंगो के दौरान अपराधी तत्वों को दण्डित करने की कड़ी व्यवस्था करने, पुलिस, पी0ए0सी0 व सुरक्षा बलों द्वारा दंगो के दौरान पक्षपात पूर्ण रवैया रोकने के संबंध में।
		(29) सभी धर्मावलंबियों व वर्गों के लोगों से बने सुरक्षा दलों का दंगा रोकने के लिए गठन करने के संबंध में।
		(30) हर न्याय पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र की स्थापना करने तथा प्रत्येक ब्लाक में

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		कम से कम 50 शैय्याओं के अस्पताल की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
		(31) नौकरियों में नयी भर्ती पर लगे प्रतिबन्धों को तत्काल समाप्त करने के संबंध में।
		(32) आरक्षित स्थानों को उपयुक्त पात्रों से भरे जाने के संबंध में।
		(33) तदर्थ व अशंकालिक अध्यापकों, आयुर्वेदिक व यूनानी डाक्टरों की नौकरियों को विनियमित करने के संबंध में।
		(34) अशंकालिक नलकूप चालकों को पूरा वेतन देने के संबंध में।
		(35) व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूंजीपतियों और सामन्तों के कब्जों के उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में।
		(36) मजदूरों की प्रबन्ध में साझेदारी के संबंध में।
		(37) मजदूर व सेवायोजकों के विवादों में मजदूरों के हितों के संरक्षण करने के संबंध में।
		(38) कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन तय करने के संबंध में।
		(39) बन्द कारखानों को खोलने के संबंध में।
		(40) ट्रेड यूनियन अधिकारों के रक्षा करने, हड़तालों पर पाबन्दी लगाने, को रोकने के संबंध में।
		(41) तालाबन्दी व छटनी पर पाबन्दी लगाने के संबंध में।
		(42) श्रम कानूनों को संशोधित करने के संबंध में।
		(43) प्रत्येक उद्योग में सेवारत मजदूरों के वेतन में समानता कायम करने के संबंध में।
		(44) सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों को बन्द करने या उसे व्यक्तिगत हाथों में सौंपने की नीति को समाप्त करने के संबंध में।
		(45) घाटे में चल रहे सार्वजनिक निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार, कामचोरी, रोककर उन्हें मुनाफे का कारोबार बनाने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(46) उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के संबंध में।
		(47) विभिन्न उद्योगों में वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को अस्थायी व आकस्मिक मानने की प्रथा को समाप्त करने के संबंध में।
		(48) वाराणसी में वरूणा नदी के कोरऊत व सतनपुर घाट पर पुल निर्माण करने के संबंध में।
		(49) वाराणसी में पंचकोसी मार्ग पर स्थित तीर्थ स्थान रामेश्वर को पर्यटन केन्द्र बनाने के संबंध में।
		(50) वाराणसी में विकास प्राधिकरण द्वारा अमीरों को मकान देने व लाभ कमाने के लिए शहर के इर्द-गिर्द के किसानों की जमीन न लिए जाने के संबंध में।
		(51) सुल्तानपुर जनपद में सुरापुर-दोस्तपुर रोड को उसी रोड पर स्थित पलिया देवापुर से लिंक रोड द्वारा चिरानी पट्टी ग्राम की हरिजन बस्ती को बाया ग्राम सुखऊपुर से जोड़ने के संबंध में।
		(52) प्रदेश के जंगलों में स्थित वृक्ष विहीन पहाड़ियों से पत्थर, खनन पर लगी पाबन्दी हटाकर आदिवासियों, अनुसूचित जातियों व भूमिहीनों को जीविकोपार्जन के लिए खनन की सुविधा देने के संबंध में।
		(53) पूर्वी जिलों को गरीबी व पिछड़ापन दूर करने के लिए व्यापक रूप से औद्योगिक विकास करने के संबंध में।"
6	श्री राम स्वरूप वर्मा	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किये:-
		(1) प्रदेश में आठवीं तक अनिवार्य शिक्षा लागू करना और सारी शिक्षा मुफ्त तथा राष्ट्रीयकृत करना और शिक्षा पाठ्यक्रम में असमानताकारक बातों को निकालकर मानववादी पाठ्यक्रम रखने के सम्बन्ध में।
		(2) प्रदेश की सरकारी सेवाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा राजकीय निगमों में प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुसार उनको आरक्षण देना और तत्सम्बन्धी चयन समितियों का ऐसा निर्माण करना कि जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसी के अनुपात में सदस्यगण नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3–प्रदेश के किसानों को गरीबी से मुक्त करके सम्पन्न बनाने के लिए जो अनुपात कृषि उत्पादित वस्तुओं में और मिल उत्पादित वस्तुओं के बीच सन् 1967 में चौधरी चरण सिंह के जमाने में था वही अनुपात कृषि और मिल उत्पादित वस्तुओं में रखना और कृषि में प्रयुक्त होने वाले साधनों पर कोई सरकारी टैक्स न लेने के सम्बन्ध में।
		4–भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर के सारे साहित्य को प्रकाशित कराकर प्रदेश के हरिजन छात्रावासों, हरिजन पुस्तकालयों, सरकारी अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों, में अनिवार्य रूप से अविलम्ब रखने एवं हरिजन शब्द का प्रयोग सरकारी कार्यों में दलित वर्ग के लिए न करने के सम्बन्ध में।
		5–80% गांवों में रहने वाली महिलाओं की आंखों को धुंये से बचाने के लिए धुंवा सोख चूल्हे का निर्माण कराना और उनके सुरक्षित प्रसव के हेतु जच्चा–बच्चा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।
		6–पेट्रोल और कपास का विकल्प तैयार करने और गन्ना महंगा और शक्कर सस्ती करने के लिए चीनी संस्थान (शुगर कम्पलेक्स) लगाने के सम्बन्ध में।
		7–सरकारी उपक्रमों में घाटे को समाप्त करने के लिए समाजीकरण का सिद्धान्त लागू करने के सम्बन्ध में।
		8–पांच साल में प्रदेश के सारे अछूतों प्रजाजनों एवं गिरिजनों को जिससे वे स्वावलम्बी न जाति विहीन बन सके। ऐसी इन्सानी बस्ती में बसाने के सम्बन्ध में।
		9–प्रदेश की सारी सिंचन योग्य असिंचित भूमि को 7 साल में योजनाबद्ध तरीके से सिंचित करने के संबंध में।
		10–प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए सार्वजनिक भूमि पर किसी पूजा स्थल का निर्माण न होने देने के सम्बन्ध में।
		11–शासन और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लेने के सम्बन्ध में।"
7	श्री मोती लाल देहलवी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया:–
		1–अल्पमत सरकार को बर्खास्त न करने के कारण

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		का उल्लेख न करने।
		2–साम्प्रदायिक दंगो और पुलिस की गोली वर्षा से हुई अगणित मौतों व आर्थिक क्षति के बावजूद अभी तक दंगो और मौतों तथा कर्फ्यू से छुटकारा न दिलाने के संबंध में।
		3–जनपद कानपुर देहात और मुख्यतः निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर में पड़ने वाली नदियों और नहरों व सम्पूर्ण बम्बों व सम्पूर्ण रजबहों तथा सम्पूर्ण माइनरों की पटरी–कटान व खांदी ने बचाने हेतु और उनके किनारे बसे हुए सैकड़ों गांवों की जनता को परिवहन के साधन की सुलभता के लिए उनकी पटरी को पक्का (डामर रोड) बनाने के संबंध में।
		4–प्रत्येक गांव का आवागमन की सुविधा हेतु परिवहन की सुविधा लायक मुख्य रोड से सीधा अथवा मुख्य रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड बनाने के संबंध में।
		5–जनता पार्टी के शासनकाल में प्रारम्भ की गयी अधूरी पड़ी हुई सभी सड़कों पर तुरन्त कार्य प्रारम्भ करने और एक वर्ष के अन्दर उन्हें डामर रोड बना देने के सम्बन्ध में।
		6–वर्ष 1989 के आम निर्वाचन के पूर्व व मतदान तक शासक दल द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार कृषि और औद्योगिक सभी तरह के 10 हजार रूपये तक के कर्जों की माफी का लाभ किसी शर्त सभी ग्रामीणों को देने के संबंध में।
		7–500 की आबादी वाले सम्पूर्ण गांवों में सभी लोगों के लाभार्थ बिना किसी शर्त के विद्युतीकरण किया जाने तथा जिन गांवों में बिजली के खम्भे गड़े हैं या पड़े हे, उन गांवों में 6 माह के अन्दर ही बिजली पहुंचा देने के संबंध में।
		8–सभी गांवो व मजरों में 20 व्यक्तियों के हिसाब से सम्पूर्ण आबादी के लिए पीने के पानी की सुविधा के लिये इंडिया मार्क–II के एक–एक हैण्ड पाइप लगाने के संबंध में।
		9–फसलों को आग से बचाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में एक फायर ब्रिगेड की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
		10–प्रत्येक गांव के प्रत्येक किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–फसल की सिंचाई हेतु आवश्यक रूप से दिन में लगातार 12 घन्टे बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में।
		12–उपज के हित में पानी भराव की विकास की व्यवस्था करने के संबंध में।
		13–प्रत्येक विकास खण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन तथा जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
		14–प्रत्येक विकास खण्ड के स्वास्थ्य केन्द्र पर 24 घन्टे डाक्टर के अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
		15–थानों व तहसीलों पर दलाली करने वालों की सूची निष्पक्षता से लगाने के सम्बन्ध में।
		16–किसी व्यक्ति के विरूद्ध गम्भीर अपराध की धारा में लिखी गयी रिपोर्ट के आधार पर भेजी गयी चार्जशीट वाले व्यक्ति को अपराधिक व असामाजिक व्यक्ति की संज्ञा देने तथा थानों में उसकी सूची लगाने और उसकी हिस्ट्री शीट खोलने के संबंध में।
		17–अपराधिक एवं असामाजिक व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक संरक्षण देना निषिद्ध करने के सम्बन्ध में।
		18–भले लोगों की भलमनसाहत की सुरक्षा हेतु गुप्तचर विभाग द्वारा आतंकवादी तत्वों की पहचान करने और उनके विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही करके उन्हें नियंत्रित रखने के संबंध में।
		19–प्रत्येक तहसील केन्द्र पर एक सरकारी डिग्री कालेज की तथा प्रत्येक विकास खण्ड पर एक–एक सरकारी हाईस्कूल की स्थापना करने के संबंध में।
		20–गांवों के प्रत्येक मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज को रोजगारपरक शिक्षा योग्य बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
		21–प्रत्येक जरूरतमंद किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिट्टी का तेल, डीजल व चीनी के सुव्यवस्थित वितरण हेतु वितरण कार्ड बनाने के संबंध में।
		22–जनता पार्टी के शासनकाल की भांति उसी दर पर खाद व बीज तथा चीनी और मिट्टी के तेल के दामों का निर्धारण कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
		23–खेती हेतु कीटनाशक दवाओं का निःशुल्क

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		वितरण कराने के संबंध में।
		24–गांवो की दुःखद समस्याग्रस्त स्थानों पर पुल/पुलियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
		25–निर्धन किसान परिवार के आश्रित युवक को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने के संबंध में।
		26–मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को तुरन्त लागू करने के सम्बन्ध में।
		27–ग्रामीण अंचलों में स्थित आई0 टी0 आई0 में प्रवेश की क्षमता बढ़ाने के संबंध में।
		28–सुदूरवर्ती ग्रामों में कुटीर उद्योगों की स्थापना की व्यवस्था करने के संबंध में।
		29–जनता पार्टी के शासनकाल व उससे पूर्व बनी हुई ग्रामीण अंचलों की सभी लम्बी सड़कों पर परिवहन निगम की बसें चलाने के सम्बन्ध में।
		30–किसानों की उपज का उनके जीवन लायक मूल्य दिलाने के संबंध में।
		31–अच्छे चरित्रवान और ईमानदार सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को हर प्रकार की विशेष सुविधायें देकर प्रोत्साहित करने और भ्रष्ट कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हर क्षेत्र में हतोत्साहित करने के सम्बन्ध में।
		32–पुलिस थानों में निःशुल्क और रिपोर्ट लिखे जाने की अनिवार्यता का बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में।
		33–जीवन हेतु सभी आवश्यक वस्तुओं की महंगाई रोकने और उन्हें जीने लायक सस्ता व सुलभ बनाने के संबंध में।
		34–ग्रामों के सभी शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी दिलाने अथवा उसके अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में।
		35–प्रत्येक तहसील केन्द्र पर पूर्ण सुरक्षायुक्त धर्मशाला स्थापना करने के संबंध में।
		36–प्रत्येक तहसील केन्द्र पर एक बड़ा उद्योग लगाने के संबंध में।
		37–सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे रोकने और

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		उन्हें हटाने के संबंध में।
		38–किसानों का शोषण बचाने के लिए तहसील स्तर पर कम से कम तीन सरकारी शीतगृहों की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
		39–राजनैतिक आड़ से अर्जित की गयी सम्पत्ति की जांच अवकाश प्राप्त जजों के आयोग द्वारा कराने के संबंध में।"
8	श्री हरिवंश सहाय	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–
		1–पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अल्प–संख्यक जातियों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किये जाने तथा तब तक इसे जारी रखने के संबंध में जब तक प्रतिशत पूरा न हो जाय के संबंध में।
		2–पिछड़ी जाति के छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्र-वृत्ति देने के संबंध में।
		3–बेरोजगारों को काम या बेकारी का भत्ता देने के संबंध में।
		4–पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आयोग गठन करने के संबंध में।
		5–सभी माध्यमिक तथा पूर्व माध्यमिक गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के संबंध में।
		6–शिक्षा का राष्ट्रीकरण किये जाने तथा दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त करने के संबंध में।
		7–दस–बीघे तक के जोत के काश्तकारों को सभी प्रकार के ऋण माफ करने के संबंध में।
		8–60 वर्ष के सभी वृद्ध व्यक्तियों को निश्चित रूप से पेंशन देने के संबंध में।
		9–कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में।
		10–आर्थिक आधार पर सवर्णों को 5–10 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में।
		11–महंगाई पर रोक लगाने के लिए दाम बांधों नीति अपनायी जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

12–अंशकालिक नलकूप चालकों को पूर्ण वेतनमान देने के संबंध में।

13–लोक निर्माण विभाग एवं जिला परिषद् में कार्यरत सड़कों पर मजदूर, बेलदार व मेटों को स्थायी करने के संबंध में।

14–फसल का बीमा योजना लागू करने के संबंध में।

15–सूखा एवं बाढ़ से निपटने के लिए स्थायी योजना बनाने के संबंध में।

16–खराब नलकूपों को ठीक करने एवं नालियों को बनवाने के संबंध में।

17–छोटे किसानों को सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती खाद तथा कीटनाशक दवा देने के संबंध में।

18–हरिजन एवं कमजोर वर्गों के लिए भवन निर्माण हेतु जमीन तथा बिना ब्याज के कर्ज दिलाने के संबंध में।

19–महिलाओं व हरिजनों आदि पर हो रहे अत्याचारों को रोके जाने के संबंध में।

20–कृषि उपजों के लाभकारी मूल्य देने और फसल तैयार होते ही खरीद शुरू करने हेतु हर ब्लाक में अधिक से अधिक क्रय केन्द्र खोलने के संबंध में।

21–सार्वजनिक वितरण–प्रणाली को चुस्त व दुरूस्त करने के संबंध में।

22–महंगाई व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कार्यवाहियों के संबंध में।

23– देविरया जनपद में:–

(क) कृषि–विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में,
(ख) भाटपार रानी को तहसील बनाने के संबंध में,
(ग) भाटपार रानी में पेपर मिल खोलने के संबंध में,
(घ) भटनी में नई चीनी मिल के निर्माण को तत्काल चालू करने के संबंध में,
(ड.) भाटपार रानी, बनकटा तथा भटनी ब्लाकों में बालिका हाईस्कूल खोलने के संबंध में,
(च) बनकटा में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के संबंध में,

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(छ) भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में फल संरक्षण केन्द्र तथा मधुमक्खी पालन केन्द्र खोलने के संबंध में।

24–जिला देवरिया तहसील सलेमपुर के सोहनपुर बाजार, रामपुर बाजार, भिंगारी बाजार, बंगरा बाजार तथा घांटी बाजार को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में।

25–देवरिया जनपद में छोटी गंडक नदी के चनुकी घाट, बनकटा शिव घाट, बड़का गांव तथा छठियांव घाट पर पक्का पुल निर्माण करने के संबंध में।

26–देवरिया जिले के तहसील के ब्लाक भटनी में स्थित खनुआ नदी पर खैराट व बलुआ अफगान में पक्का पुल बनाने के संबंध में तथा झरही नाले पर बंकुल में पक्का पुल बनाने के संबंध में।

27–जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी के लोक निर्माण विभाग दवारा निम्न अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के संबंध में:–

(क) भटनी से भाटपार रानी
(ख) प्रतापपुर से भवानीछापर
(ग) बिहार सीमा दूगपुरा से अकटही–टीकमपार होते हुए खामपार
(घ) गजहरवा से नवादा होते हुए पिपरा बघेल
(ड.) नूनखार से भटनी
(च) साहोपार से खुखुन्दु
(छ) पिपरा दीक्षित से बनकटा शिव–अहरौली–पिपरा शुक्ल से सिसई रेल ढाला
(ज) पकड़ी बाबू से नन्दपुर बिहार सीमा
(झ) नूनखार से बैकुन्ठपुर होते हुए अहिरौली।

28–देवरिया जिले के बनकटा ब्लाक में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में।

29–देवरिया जनपद के नूनखार, छठियांव, डुमरी भिंगारी बाजार, खामपार, प्रतापपुर व सोहनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पक्का भवन बनाने के संबंध में।

30–राज्य विद्युत परिषद् दवारा देवरिया जिले में ट्रांसफार्मर खम्बे, कण्डक्टर आदि कमी को दूर करने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31–देवरिया जिले के भटनी, भाटपार व सलेमपुर में पेयजल योजना के अधूरे निर्माण को पूरा कर चालू करने के संबंध में।
		32–जंगल पार्टी की समस्या की समाप्ति हेतु देवरिया जनपद में उ0 प्र0 व बिहार सीमा के बीच पक्की सड़कों का निर्माण तथा बिजली लगाने की घोषणा करने के संबंध में।
		33–देवरिया जनपद में प्राइमरी स्कूलों तथा माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के वृद्धि को देखते हुए तत्काल अध्यापकों की भर्ती करने के संबंध में।
		34–भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पालिटेक्निक स्कूल खोलने के संबंध में।
		35–देवरिया जनपद के सभी नदियों को गहरा किया जाय तथा उसे पक्की नहरीकरण योजना में बदलने के संबंध में।
		36–देवरिया जनपद के ब्लाक भटनी में खनुवा नदी पर ग्राम बिन्दवलिया तथा धर्मखोरइवे तथा छोटी गंडक नदी पर ग्राम भरहेचौरा एवं सठियांव में ठोकर बनाने के संबंध में।
		37–देवरिया जनपद के बनकटा, भाटपार रानी एवं भटनी ब्लाक के गांवों में प्राथमिकता के आधार पर नलकूप तथा बिजली लगाने के संबंध में।"
श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–
		1–यह कि 30 अक्टूबर और दो नवम्बर 1990 को अयोध्या में गोली वर्षा की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान कार्यरत न्यायाधीशों से कराने की घोषणा करने के संबंध में।
		2–यह कि इस दौरान प्रदेश भर में अंधाधुन्ध गिरफ्तारी तथा पत्रकारों के उत्पीड़न के कारणों की जांच कराने की घोषणा करने के संबंध में।
		3–प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के अनुरूप स्थापित करने के सम्बन्ध में

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		नहीं लिखा है, के सम्बन्ध में। 4–बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के वादों का निस्तारण हेतु लखनऊ खण्डपीठ से सम्बद्ध करने के संबंध में घोषणा नहीं किए जाने के सम्बन्ध में। 5–बेरोजगार युवकों को नौकरी हेतु साक्षात्कार में जाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा नहीं किए जाने के संबंध में। 6–प्रदेश के सब काश्तकारों, श्रमिकों, कारीगरों एवं छोटे दुकानदारों के दस हजार तक के कर्जे बिना किसी शर्तों के माफ नहीं किए जाने के संबंध में। 7–बिक्री कर को न एक सूत्रीय किया गया और न उसकी प्रक्रिया को सरल ही किए जाने के सम्बन्ध में। 8–दुकानदारों पर विभिन्न विभागों के हो रहे उत्पीड़न को रोकने की कोई व्यवस्था किए जाने के संबंध में। 9–बदायूं जनपद में कछला गंगा में हो रहे प्रदूषण को रोकने तथा उसके जल को शुद्ध करने की घोषणा किए जाने के संबंध में। 10–बदायूं से कछला तक मार्ग चौड़ा करने की घोषणा नहीं किए जाने के संबंध में। 11–बदायूं जनपद में कछला पर सड़क पुल बनवाने की घोषणा नहीं किए जाने के सम्बन्ध में। 12–बदायूं जनपद में और चीनी मिल खोलने तथा वितरोई की विनको फैक्ट्री में वनस्पति तेल बनाने के लिए केन्द्र सरकार से आशय पत्र लेने के लिए किसी प्रयास की घोषणा नहीं किए जाने के संबंध में।"
10	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया:– जनगणना अवधि के दौरान अर्थात् 30 जून, 1991 तक कोई नई प्रशासकीय इकाई का गठन नहीं होगा फिर भी सरकार ने देवरिया जिले को दो हिस्सों में बांटते हुए पडरौना को एक नया जिला घोषित कर दिया। प्रशासकीय दृष्टिकोण से उचित नहीं होने से कुशीनगर (कसया) जो महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण भूमि के आसपास की

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जनता में घोर असंतोष एवं स्थानीय जनता की सुविधा और प्रशासन की व्यवहारिकता को देखते हुए कुशीनगर (कसया) में जिले का हेडक्वार्टर बनाए जाने के संबंध में।"
11	श्री अमरमणि त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:-

(1) नेपाल से निकलने वाले तमाम बरसाती नदी, नालों में नेपाल में बरसात होते ही बाढ़ आ जाती है जिसके कारण हमारे क्षेत्र की लगभग दो लाख जनता पूर्णरूपेण प्रभावित होती है। जिसमें बघेला नदी, महाव नदी, डांडा नदी, प्यास नदी, रोहिन नदी, डूडीनीला प्रमुख है। जिन पर तटबन्ध बनवाए जाने के संबंध में।

(2) रोहिन नदी के किनारे पर बसा हुआ ग्राम सभा दशरथपुर, रजापुर, मठियाइदू, रघुनाथपुर, रानीपुर, खालीगढ़ ग्राम सभा की धन जन सुरक्षा हेतु ठोकर बनवाए जाने के संबंध में।

(3) डांडा नदी पर नौतनवा-खनूवा मार्ग पर तत्काल पुल बनवाए जाने के संबंध में।

(4) बरगदवा गनेशपुर मार्ग के बीच सुनिया नाला पर स्थायी पुल के संबंध में।

(5) रोहिन नदी पुरन्दरपुर खालीगढ़ मार्ग से तत्काल पुल बनवाए जाने के संबंध में।

(6) डांडा हैड से नहर की पटरी पर ग्राम सभा बनवाटारी (टेल) तक तत्काल खड़न्जा कराए जाने के संबंध में।

(7) रोहिन हैड से निकलने वाली नहरों पर तत्काल खड़न्जा के संबंध में।

(8) वन टांगिया मजदूरों को पूर्ण नागरिक सुविधा (अधिकार) एवं स्थायी रूप से बसाने की व्यवस्था के संबंध में।

(9) नौतनवां से जनपद महराजगंज को सीधा मार्ग अविलम्ब बनवाए जाने के संबंध में।

(10) लक्ष्मीपुर बाजार, सुनोली बाजार, कोल्हई बाजार, अड्डा बाजार, बरगदवा बाजार, खुरिया बाजार को अविलम्ब टाउन एरिया घोषित किए जाने के संबंध में।

(11) देवदह की खुदाई कर देवदह प्रमाणित किए जाने के संबंध में।

(12) नौतनवां बाजार लक्ष्मीपुर बाजार और

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		कोल्हुई बाजार में सरकारी पालीटेक्निक स्कूल या आई0 टी0 आई0 की अविलम्ब स्थापना के संबंध में।
		(13) ग्राम सभा रत्नपुर मिसरौलिया–ग्राम सभा सेखूवानी या ग्राम सभा मुडली में प्रस्तावित चीनी मिल को प्रस्तावित गांव सभा मिश्ररौलिया से खुआनी या मुड़ली में ही स्थापित कराया जाय जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके, के संबंध में।
		(14) आइजडताल से पानी निकासी के लिए तत्काल व्यवस्था कराई जाने के संबंध में।
		(15) ग्राम सभा रानीपुर, रघुनाथपुर, गौहरपुर, रिसालपुर, भूतहा, मठियाद, बरगदवा भगवानपुर, मलहनी फूलवरिया, लक्ष्मीपुर कैथोवलिया, सोनी, सोहट, विलासपुर, टेड़ीघाट, दशरथपुर, कजरी, धोतियरबाग, सिंहपुर कलां, अजगरहा, सेमराहना, चकदह, बेलभर, शीशमहल, हरलालगढ़, पिचरत्रांस, भूदरवा, महदेइया, महरीघौडवहा, पिपरहिया, देवघटी, भगतपुरा, हरकपुरा, हरकुरपाठक, अमावहां, दुगहारा, विष्णुपुरा, असुरैना, शीशगढ़ डगरूपुर, सिहाबाद, राजावादी, पिपरा, बरगदवा, खैरावादुबे, झिमटीपरौली, भभनी, शिवपुरी शिवतरा, मरजातपुर, शिवतरी, बिछरोफ, रोहरा, भगवानपुर, हनुमान गढ़िया, अहरौली, निपनिया, श्यामपाट, नौनिया, परसाश्रीमाली, सम्पतिहा, लक्ष्मी नगर, जगरनाथपुर, पुरैनिया, जारा, त्रिलोकपुर, घौरारह, गनबरिया, बरंगदही, खनुआ, इरदीडाली, आदि गावों में अविलम्ब किसानों की भूमि को सिंचाई के लिए उक्त गांवों के विद्युतीकरण के लिए अविलम्ब व्यवस्था किए जाने के संबंध में।
		(16) समस्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाय।
		(17) ग्रामसभा बरगदवा बाजार से खुआनी बाजार, भगवानपुर अड्डा बाजार, खौरिया बाजार, सुनौली बाजार, कोल्हुई आजार, मुरली चौराहा, समरधीरा चौराह में तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में।
		(18) ग्राम सभा त्रिलोकपुर स्थित जूड़ी नाले पर अविलम्ब पुल बनवाए जाने के संबंध में।
		(19) महदइया चकदह मार्ग नौतनवा खुरिया मार्ग, टेढ़ीघाट अड्डा बाजार मार्ग सम्पतिया अड्डा बाजार मार्ग, अड्डा बाजार खोरिया मार्ग, इकसडवा, जंगल

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		गुलरिया मार्ग, कमरिया नेचुर्ल मार्ग, बभनी, हिरौली मार्ग, परमिश्रापुर अहरौली मार्ग, पैसियाललनिमदरइना मार्ग, इकराभोतहा मार्ग, पानीगढ़ चौक मार्ग समरधीरा रिसालपुर मार्ग को तत्काल पक्का मार्ग बनाये जाने के संबंध में।
		(20) नौतनवा नगर पालिका में रोशनी सड़क, पेयजल, सुलभ शौचालय, पानी निकासी, विद्युत आपूर्ति की अवलिम्ब उचित व्यवस्था के संबंध में।
		(21) नौतनवां नगरपालिका के महत्व को देखते हुए अविलम्ब अतिरिक्त सरकारी अनुदान दिए जाने के संबंध में।
		(22) नौतनवां बाजार, कुल्वी बाजार एवं लक्ष्मीपुर बाजार में उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए अविलम्ब डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में।
		(23) नौतनवां तहसील में सिलिंग की अतिरिक्त भूमि ग्राम सभा हरपुर पाठक, ग्राम सभा शिवतरी, ग्राम सभा महरीगोउवह, शीशगढ़ रोहरा, मनकापुर, हरदीडाली, सुखरौली गजरही, भैसहिया, बकैनिया पाठक, की भूमि निकाल कर पात्र व्यक्तियों में अविलम्ब वितरित किये जाने के संबंध में।
		(24) गत दिनों हुए साम्प्रदायिक दंगों में जान-माल का उचित मुआवजा दिये जाने के संबंध में।
		(25) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौतनवां को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में।
		(26) जन स्वास्थ्य रक्षकों को नियमित नौकरी प्रदान किये जाने के संबंध में।
		(27) होमगार्ड के जवानों को सिविल पुलिस की भांति वेतन एवं सुविधा दिये जाने के संबंध में।
12	श्री श्याम नारायण तिवारी	" किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:-
		1-पी0 ए0 सी0 में माइनारिटी को भी जनसंख्या के अनुपात में भरती करके उसे सही मायने में दंगा विरोधी बल को रूप दिए जाने के संबंध में।
		2-फरेंदा क्षेत्र के सभी गांवों में सरकारी नलकूप लगाने के संबंध में।
		3-फरेंदा क्षेत्र के सभी गांव का विद्युतीकरण कराया जाये तथा पीने के पानी के लिए जल निगम के नल लगाने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4–फरेन्दा क्षेत्र में जहां हर वर्ष भयंकर बाढ़ की तबाही होती है, चित्तापुर घोघी, नगवा, लेहरा, बन्देइया और रोहिन बन्धों बनाये जायें तथा बन्धों के अधूरे कामों को पूरा करने के सम्बन्ध में।
		5–वैसार, लेहरा, सुरमपुर सोनाबंदी से रायपुर लोटन मार्ग को पिच करने के सम्बन्ध में।
		6–धानी बाजार राप्ती नदी पर स्वीकृत पीपे का पुल तुरन्त बनवाकर मेहंदावल तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।
		7–आनन्द नगर को नगर पालिका घोषित किया जाय।
		8–आनन्द नगर में कन्या डिग्री कालेज तथा पालीटेक्निक स्कूल खोलने के सम्बन्ध में।
		9–लक्ष्मीपुर के दक्षिण के गांव फरेन्दा तहसील में तथा लोल्हुई के उत्तर के गांव को नौतनवा तहसील में रखा जाय और उसी आधार पर ब्लाकों का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में।
		10–सीलिंग कानून को प्रभावी बनाकर जमीन चोरों से जमीन निकालकर गरीबों में बांटने के सम्बन्ध में।
		11–जंगल में टांगिया किसानों को जहां रह रहे हैं जमीन उनके नाम किया जाय उन्हें मकान दिया जाय तथा उसे रेवन्यू गांव तुरन्त मानने के सम्बन्ध में।
		12–वन कर्मचारी ठूठ लिपिकों वन निगम व समाज वानिकों के मालिकों तथा कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में।
		13–स्वास्थ्य रक्षकों (सी0 एस0 जी0) आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं, अस्पताल में कार्यरत दाइयों तथा सभी होमगार्डों को स्थाई करने के सम्बन्ध में।
		14–मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों को अनुदान सूंची में रखने के सम्बन्ध में।
		15–ब्रिजमनगंज मोहनगढ़ में सहजनवा बाबू, मोहनापुर से राजधानी, मनिकौरा से रोहिन नदी तथा घघवा से कूडी तक की सड़कों को पक्का करने के सम्बन्ध में।
		16– कव्लदह से लालपुर तक की सड़क को पक्का कराकर नाले पर लकड़ी का पुल तुरन्त बनाने के सम्बन्ध में।

अवैतनिक प्रति

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17–फरेंदा, धानी और बिज़मनगंज के अस्पतालों का उच्चीकरण कराया जाय और महदेवा दुबे, भइया फरेंदा, लेहडा, सहजनवां बाबू, ताल्ही, मोहनापुर, कोल्हुई और हरपुर में सरकारी अस्पताल खुलवाने के संबंध में।
		18–उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा दिए जाने तथा उर्दू मदरसों को सरकारी अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में।"
13	श्री महेन्द्र सिंह भाटी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–
		(1) सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में, ट्रेनेज व्यवस्था, श्रमिकों की आवासीय कालोनी तथा अस्पताल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
		(2) दादरी तहसील जिसमें नौएडा फेज सेकेण्ड, नैएडा फेज तृतीय सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र एन0 टी0 पी0 सी0 के होते हुए भी कोई प्रशिक्षण संस्थान न होने के सम्बन्ध में।
		(3) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा गाजियाबाद, बुलन्दशहर में अर्जित की जाने वाली भूमि का प्रतिकर (मुआवजा) अत्यन्त निम्न दरों पर होने के सम्बन्ध में।
		(4) नोएडा एवं अन्य अर्जन निकायों द्वारा अर्जित की जा रही भूमि को बढ़ती आबादी को देखेते हुए आबादी योग्य भूमि न छोड़े जाने के सम्बन्ध में।
		(5) निर्माणाधीन एन0 टी0 पी0 सी0 दादारी में रेल साइडिंग की ली जा रही भूमि का अधिग्रहण फैसला किसी नियम व सिद्धान्त पर आधारित न होने के सम्बन्ध में।
		(6) जनपद गाजियाबाद में नई प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री सत्य प्रकाश विकल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–
		(1) 30 अक्टूबर तथा 2 नवम्बर को अयोध्या

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		में हुई गोली वर्षा तथा निहत्थे व अहिंसक कारसेवकों की हत्या की जांच के लिए अलग से आयोग गठित करने और जो आयोग गठित किया गया है उसमें उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों को शामिल किये जाने का उल्लेख करने के सम्बन्ध में।
		(2) अयोध्या कांड से सम्बन्धित जांच आयोग के दायरे में साम्प्रदायिक सद्भावना के नाम पर की गई रैलियों की जांच कराये जाने का उल्लेख नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
		(3) राजनैतिक विद्वेष तथा बदले की भावना से रासुका तथा अन्य गम्भीर धाराओं में राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में।
		(4) प्रदेश की बद से बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था तथा बढ़ते जा रहे लूट, डकैती, बलात्कार व हत्याकांडों की आपराधिक स्थिति को रोकने में सरकार की विफलता को देखते हुए इसमें प्रभावी सुधार किये जाने की किसी परिणामकारी योजना का उल्लेख के सम्बन्ध में।
		(5) प्रदेश में निरंकुश नौकरशाही की मनमानी तथा हर स्तर पर भयंकर रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख के सम्बन्ध में।
		(6) चुंगी समाप्ति के बाद प्रदेश के स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाये जाने के लिए किसी ठोस नीति की घोषणा के सम्बन्ध में।
		(7) प्रदेश के उद्योग तथा व्यापार को अन्य प्रदेशों की प्रतिस्पर्द्धा में खड़े रहने योग्य बनाने के लिए बिक्री कर की समाप्ति अथवा उसकी अत्याधिक बढ़ी हुई दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में।
		(8) बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा उन्हें बेकारी का भत्ता दिये जाने की सरकार की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में।
		(9) सरकारी निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिवर्ष होने वाले अरबों रूपये के घाटे तथा सरकार की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए किये जाने वाले ठोस उपायों के सम्बन्ध में।
		(10) प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने के लिए स्पष्ट रूप से लिखे जाने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(11) ताजमहल के नाम पर प्रदूषण के कारण उद्योगों की दृष्टि से पिछड़े हुए आगरा जनपद में किसी भारी उद्योग अथवा प्रदूषण विहीन उद्योगों का केन्द्र बनाकर वहां ऐसे उद्योग स्थापित किये जाने की शासन की किसी नीति के सम्बन्ध में। (12) पर्यटन की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक नगर आगरा के सौन्दर्यीकरण तथा उसके चतुर्मुखी विकास किये जाने के सम्बन्ध में।"
15	श्री विमल प्रसाद तिवारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:- 1-प्रदेश में हाल में हुये साम्प्रदायिक दंगो में न्यायिक जांच कराने का प्रारूप तथा जांच आयोग की आख्या प्राप्त होने की अवधि के सम्बन्ध में। 2-दिनांक 30 अक्टूबर एवं 2 नवम्बर, 1990 को अयोध्या में हुई घटनाओं के न्यायिक जांच की रूपरेखा के सम्बन्ध में। 3-वृद्धावस्था, विकलांग एवं निराश्रित विधवाओं के लिए पेंशन में जिलेवार सीमा निर्धारित है जिसके फलस्वरूप इन श्रेणियों के समस्त पात्र व्यक्ति यह सुविधा नहीं पा रहे है के सम्बन्ध में। 4-ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की कमी के कारण बिजली आपूर्ति सिंचाई हेतु बहुत आवश्यक है। परन्तु ग्रामीण अंचलो में यह आपूर्ति 14 घंटे प्रतिदिन नहीं हो रही है। यह भी नही कहा गया है कि वांछित राहत के लिए 11 के0 वी0 लाईने कब तक डलवा दी जायेगी के सम्बन्ध में। 5-अम्बेडकर शताब्दी वर्ष में प्रत्येक जिले में 5 ग्रामों को सर्वांगीण विकास हेतु चुना जायेगा। परन्तु सर्वांगीण विकास के कार्य का उल्लेख नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। 6-आलू उत्पादक किसानों को प्रत्येक वर्ष होने वाली हानि को देखते हुए फर्रूखाबाद में आलू पर आधारित उद्योग लगाए जाने की योजना और उस पर कार्य प्रारम्भ होने की तिथि के सम्बन्ध में। 7-फर्रूखाबाद का छपाई उद्योग जो लगभग 10 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष अर्जित करता है के लिए पृथक से विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति की कोई योजना के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8–कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल उपलब्ध होने में भारी कठिनाई एवं डीजल में हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई रूपरेखा के सम्बन्ध में।
		9–आवारा पशुओं द्वारा प्रदेश के अनेक भागों में करोड़ो रूपए की फसल की प्रतिवर्ष क्षति की रोकथाम हेतु योजना के सम्बन्ध में।
		10–शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को प्रति यूनिट बराबर शक्कर वितरित करने की कोई रूपरेखा के सम्बन्ध में।
		11–प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के तेल के वितरण में भारी कालाबाजारी रोकने की रूपरेखा के संबंध में।
		12–शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक उच्चतर कन्या विद्यालयों को निःशुल्क शिक्षा क्षतिपूर्ण अनुदान के सम्बन्ध में।
		13–बचत की भूमि जिनके पट्टे अनुसूचित जाति के लोगों को दिए गए हैं उन पर इनका कब्जा कराने के संबंध में।"
16	श्री बदन सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–
		1–प्रदेश में एकता, अखण्डता एवं स्थायी साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए प्रभावी घोषणा अपने अभिभाषण में न किए जाने के संबंध में।
		2–प्रदेश में कानून व व्यवस्था की स्थिति मजबूत बनाये रखने के लिए पुलिस संगठन में आमूल परिवर्तन लाने के लिए कोई प्रयास न किए जाने के संबंध में।
		3–प्रदेश में महंगाई को रोकने और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई सुझाव न दिए जाने के संबंध में।
		4–प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई, कृषि, राजकीय नलकूप एवं विद्युत विभाग के पारस्परिक समन्वय पर जोर न दिए जाने के संबंध में।
		5–प्रदेश के गिरते हुए भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रदेश की छोटी–छोटी नदियों को लघु बांध बनाकर रोकने की घोषणा न किए जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–प्रदेश में व्याप्त विद्युत अव्यवस्था को सुधारने के लिए तथा प्रदेश के समस्याग्रस्त ग्रामों के विद्युतीकरण करने पर जोर दिए जाने के सम्बन्ध में।
		7–प्रदेश के अधिकांश जनपदों विशेष रूप से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, उन्नाव आदि जनपदों में खारे पानी के बढ़ते हुए क्षेत्र को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में।
		8–प्रदेश की बड़ी–बड़ी नदियों गंगा यमुना आदि के जल प्रदूषण एवं प्रदेश के वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम न सुझाये जाने के सम्बन्ध में।
		9–आगरा शहर की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए कोई प्रभावी कदम न उठाये जाने के सम्बन्ध में।
		10–आगरा कैनाल के पुनरोद्धार में समयबद्ध शीघ्रता व सुधार लाने की कोई चर्चा न किए जाने के सम्बन्ध में।
		11–जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी व जगनेर के कठिन व पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी राजकीय नलकूप लगाने पर बुन्देलखण्ड की भांति सुविधा देने की घोषणा न किये जाने और वहां के कृषकों द्वारा किये सफल पहाड़ी बोरिंगो पर 50 प्रतिशत आर्थिक अनुदान की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में।
		12–आगरा जनपद में स्थित पर्यटन स्थलों का सर्वांगीण विकास करने पर जोर न दिए जाने के सम्बन्ध में।
		13–जनपद आगरा में स्थित सूर सरोवर के सौन्दर्यीकरण करने पर कोई प्रकाश न डाले जाने के सम्बन्ध में।
		14–आगरा जनपद की चम्बल डाल परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर उसको सम्पन्न कराने की शीघ्रता लाने के लिए कोई जोर न डाले जाने के सम्बन्ध में।
		15–जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए और अधिक ग्राम समूह पेय–जल योजनाओं को विरचित करने तथा अधिक हैण्डपम्प लगाने की कोई घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में।"

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
17	श्री पंचानन राय	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:- 1-शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्तिगत् प्रबंधकीय व्यवस्था को समाप्त कर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किये जाने के संबंध में। 2-गैर सरकारी माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्त सभी श्रेणी के समस्त तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किये जाने के संबंध में। 3-सभी गैर सरकारी माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाना तथा वित्त विहीन मान्यता की व्यवस्था को समाप्त किया जाना उप शिक्षकों तथा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में 4-वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अवशेष देयों का तत्काल भुगतान किये जाने के संबंध में। 5-सभी बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था किये जाने के संबंध में। 6-दोहरी शिक्षा प्रणाली की तत्काल समाप्ति तथा मातृभाषा को अनिवार्य रूप से शिक्षण माध्यम बनाये जाने के संबंध में। 7-माध्यमिक शिक्षा परिषद् का चुनाव कराये जाने के संबंध में। 8-शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में। 9-प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगो की रोक थाम के प्रभावी उपाय किए जाने के संबंध में। 10-प्रदेश की गिरती हुई कानून व्यवस्था में सुधार के प्रयास के संबंध में। 11-सभी वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन तथा सभी विधवाओं को भरण पोषण सहायक अनुदान दिए जाने के संबंध में। 12-प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली जन–धन की हानि तथा घाघरा नदी के कटान को रोकने के उपाय किये जाने के संबंध में।
		14–आजमगढ़ जनपद को नया मण्डल बनाए जाने के संबंध में।
		15–प्रदेश के सभी गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने के संबंध में।
		16–गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के संबंध में।
		17–बेतहाशा बढ़ती महंगाई को रोकने के उपाय के संबंध में।
		18–सभी बेरोजगार नवयुवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था किए जाने के संबंध में
18	श्री रविदास मेहरोत्रा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है:–
		1–अल्पमत प्रदेश सरकार को बर्खास्त न करने के कारण का उल्लेख न करने के संबंध में।
		2–प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों और पुलिस की गोलियों से हुई सैकड़ों मौतों एवं नरसंहार तथा कर्फ्यू से छुटकारा के संबंध में।
		3–सभी मृतक के परिवारों एवं घायलों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में।
		4–हिंसा के दौरान जली दुकानों एवं मकानों का मुआवजा देने के संबंध में।
		5–प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई मौतों की जांच वर्तमान न्यायाधीश से कराने के संबंध में।
		6–मण्डल आयोग की रिपोर्ट तुरन्त लागू करने के संबंध में।
		7–बेरोजगारों को रोजगार या बेकारी भत्ता देने के संबंध में।
		8–आवश्यक वस्तुओं की बढ़ते मूल्यों पर अंकुश लगानें के संबंध में।
		9–मलिन एवं निर्धन बस्तियों में रहने वालों को

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		वही प्लाट दिये जाने के संबंध में।
		10–लखनऊ की मलिन एवं निर्धन बस्तियों में प्रकाश पानी, एवं सफाई व्यवस्था करने के संबंध में।
		11–हर नागरिक को पर्याप्त पीने का पानी तथा बस्तियों, मोहल्लों में मार्क II हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में।
		12–लखनऊ शहर की सभी टूटी सड़कों एवं गलियों को बनवाने के संबंध में।
		13–लखनऊ शहर के सभी मोहल्लों में सीवर लाइन डलवाने के संबंध में।
		14–राज्य विद्युत परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में।
		15–विद्युत उत्पादन बढ़ाने के संबंध में।
		16–विद्युत परिषद में चल रहे निरन्तर घाटे को दूर करने के संबंध में।
		17–राजनेताओं द्वारा की गयी अवैध कमाई की जांच करने के संबंध में।
		18–सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित चल व अचल सम्पत्ति की जांच करने के सम्बन्ध में।
		19–सरकारी वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के संबंध में।
		20–डीजल तथा पेट्रोल की कमी को देखते हुए सरकारी वाहनों का उपयोग कम से कम किये जाने के संबंध में।
		21–सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलित संयत्रों को बन्द कराये जाने के संबंध में।
		22–किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने के संबंध में।
		23–लखनऊ नगर में दिन में भी अकारण, जलने वाली बिजली को बन्द कराने के संबंध में।
		24–गलियों एवं मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने के संबंध में।
		25–लखनऊ शहर के फुटपाथ दुकानदारों को आसान किश्तों पर दुकानें उपलब्ध कराने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26–लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गरीब किसानों से ली गयी भूमि को प्राइवेट कालोनाइजरों को न दिये जाने के संबंध में।
		27–लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि का किसानों को बाजार भाव से तुरन्त मुआवजा दिये जाने के संबंध में।
		28–प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों की ली गयी भूमि का पूर्ण मुआवजे का तुरन्त भुगतान किये जाने के संबंध में।
		29–गन्ना किसानों को बकाये का पूर्ण भुगतान किये जाने के संबंध में।
		30–सभी निराश्रित विधवाओं, विकलागों एवं वृद्धों को पेंशन दिये जाने के संबंध में।
		31–गरीब बेसहारा लोगों के रहने के लिए रैन बसेरों तथा कुटियों के निर्माण करने के संबंध में।
		32–बिक्रीकर समाप्त किये जाने के संबंध में।
		33–सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं को न्यूनतम एक हजार रूपया वेतन देने के संबंध में।
		34–प्रदेश में कानून व्यवस्था को दूरस्त करने के संबंध में।
		35–पुलिस की नादिरशाही एवं जुल्म को समाप्त करने के संबंध में।
		36–लखनऊ शहर में व्याप्त तनाव को रोकने के संबंध में।
		37–सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लालफीताशाही को समाप्त करने के संबंध में।
		38–प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिए जाने के संबंध में।
		39–अश्लील एवं नग्न साहित्य एवं चित्रों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के संबंध में।
		40–सार्वजनिक निगमों के घाटों को रोकने के संबंध में।
		41–हार्टिको चलचित्र निगम एवं आटो ट्रैक्टर लि0 के कर्मचारियों को खपाये जाने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		42–राज्याधीन सेवाओं में समान वेतन नीति लागू किये जाने के संबंध में।
		43–समाचार पत्रों एवं पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के संबंध में।
19	श्री यदुनाथ सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–

(1) 31 अक्टूबर, 2 नवम्बर, 90 को अयोध्या में नर संहार की न्यायिक जांच सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान पीठ से कराये जाने के संबंध में।

(2) अम्बेडकर ग्रामों को तहसील स्तर पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) भ्रष्टाचार, महंगाई की रोकथाम के समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में।

(4) व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अभी तक लक्ष्य से बहुत दूर सरकारी कार्यक्रमों के होने के सम्बन्ध में।

(5) सामाजिक न्याय के संघर्ष में लगे सी0 एम0 पी0 एम0, मण्डल से लगे एस0 पी0–डी0 एम0 का उल्लेख के सम्बन्ध में।

(6) चुनार में आल्हा ऊदल के नाम मिनी स्टेडियम खोले जाने के संबंध में।

(7) चुनार में राजकीय महाविद्यालय इसी वित्तीय सत्र में खोले जाने के संबंध में।

(8) चुनार में गंगा नदी पर बने हुए पीपे के पुल को रामनगर वाराणसी की तरफ पथकर से मुक्त करने के संबंध में।

(9) चुनार के पत्थर के ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए उस पर बिक्रीकर न लगाने के बारे में।

(10) पूरे प्रदेश में न्याय पंचायत स्तर पर वृहत्तर चकबन्दी योजना लागू करने के संबंध में।

(11) अवांछित भूमि पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के निश्चित रूप से कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) मंदिर मस्जिद मठों की जमीन पर अरबन

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		एवं ग्रामीण सीलिंग लागू किए जाने के सम्बन्ध में। (13) प्रदेश के सभी बालिग युवा युवतियों को रोजगार गारन्टी देने के संबंध में। (14) पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आरक्षित कोटा विभिन्न विभागों में निश्चित समय में भरे जाने के सम्बन्ध में। (15) सवा 6 एकड़ के किसानों को बिना मुनाफे की खेतीबारी घोषित करके उनको सभी प्रकार की लगान, तकाबी, बिजली दर से मुक्त करने के संबंध में। (16) सीमेन्ट कारपोरेशन उ0 प्र0 को चुस्त-दुरूस्त करके उनको टेक्निकल सी0 एम0 डी0 की देख-रेख में रखा जाय उसको किसी निजी प्रबन्धतंत्र में न दिया जाय के संबंध में। (17) चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री में सीमेन्ट उत्पादन के गिरते हुए स्तर को देखते हुए तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। (18) प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में इण्टरमीडिएट तक एक तरह का पाठ्यक्रम लगू किये जाने, व्यवसायिक शिक्षा लागू किये जाने तथा क्वालिटी शिक्षा के नाम पर धन उगाही रोके जाने के संबंध में। (19) सोनभद्र जनपद का मुख्यालय वहां के आदिवासियों की स्थिति के अनुसार राबर्ट्सगंज घोषित करने के संबंध में। (20) चुनार के किला में भर्तहरि की समाधि को पर्यटक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने तथा उस स्थली पर रह रही पी0 ए0 सी0 को हटाये जाने के सम्बन्ध में। (21) चुनार क्षेत्र में गंगा नदी, जरगो नदी, गरई नदी एवं मोकानाला एवं बड़ौरा ताल पर आवागमन के लिए पुल बनवाये जाने के संबंध में। (22) प्रदेश में सम्पर्क मार्गों को पिच कराकर अम्बेडकर ग्राम की तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर मार्ग घोषित किया जाय।"
20	श्री सुन्दर लाल दीक्षित	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया:- 1-बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		पर डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में।
		2–तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, बाराबंकी राजकीय उद्योग धन्धों की चीनी मिल की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।
		3–कादीपुर से चकराता पलौली ब्रजपुरा होते भेड़िया तक जनसम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
		4–दतौली से थलवार टीकाराम करवाला होते हुए सुबेहा तक मार्ग का निर्माण तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में।
		5–दहिला पोखरा 20 किलोमीटर तक पक्का मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
		6–त्रिवेदीगंज से ठाकुरपुर हाकोलहदा होते हुए बडवल तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
		7–टीकरूवा शुकुलपुर मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
		8–लाही से पोखरा तक का मार्ग निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
		9–असकरा से टिकनया तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।
		10–सिंचाई विभाग के द्वारा जल भराव समाप्त करने के लिए पेचरूवा किरसिया पलिया इन्हौना, गोमियाताल, सोनिकपुर, चिलूला रायपुर, फिरोजाबाद शिवगढ़ शिवनाम बहुता हैदरगढ़ आदि ड्रेनों का निर्माण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।
		11–विकास खंड हैदरगढ़ के सरायगोवी न्याय पंचायत, पलिया सुबेहा अन्सारी कमेला बरावां चौकीसी समस्त न्याय पंचायतों के प्रत्येक ग्राम सभा स्तर तथा विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के न्याय पंचायत खैरावानाकू शिवनाम रामनगर मितवल, दहिला द्विववेदीगंज बहुता समस्त न्याय पंचायतों के प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर हरिजन बस्तियों तथा किसानों की कृषि कार्य हेतु विद्युतीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
		12–हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के फतेहगंज बाबा टीकराम बहुता शिवनाम भिलवन, लाही, चौबीसी, पूरे देवीदास कोलवा राजकीय चिकित्सालयों की स्थापना किये जाने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–असिंचित क्षेत्रों कृषि कार्य क्षमता बनने के लिये मारूपपुर, कोलवा मदनापुर, खेरवा, सन्तोषापुर, सालपुर, बैरिहा सरायनिराहू भल्हनपुरवा गढ़ी गोतियामऊ आलपुर, हुसेनाबाद इच्छापुरवा राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में।
		14–बाराबंकी जनपद से कमेला चौबीसी लाही पोखरा त्रिवेदीगंज भिलवल शिखनाम खैराकनकू, लखनऊ से सुबेहा चौबीसी जारमऊ तक राजकीय बस चलाये जाने के संबंध में।
		15–शिक्षा का पिछड़ापन दूर करने के लिए सुबेहा चौबीसी इस्मालपुर जारमऊ कूमेला, पोखरा, रामनगर, शिवनाम भिवल दहिला आदि स्थानों पर राजकीय हाईस्कूल तथा इण्टर तक विद्यालयों की तत्काल स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।
		16–जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ टाउन एरिया को नगरपालिका बनाने की घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में।
		17–जनपद बाराबंकी मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।
		18–हैदरगढ़ बाराबंकी तहसील मुख्यालय स्तर पर फायर ब्रिगेड सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
		19–हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर राजकीय टेक्नीकल विद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
		20–गोमती नदी के किनारे जौरास से लेकर चकौरा तक बांध बनाकर गोमती जल से बढ़ रहे गांवो का कटान रोके जाने के सम्बन्ध में।
		21–हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत असन्दरा सुबेहा चौबीसी हैदरगढ़ राजकीय स्टेट बैंक की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
		22–औसिश्वर घाट तथा बाबा टीकराम प्रमुख स्थानों पर पर्यटन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।
		23–शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने तथा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।
		24–बाजपुरा भेड़िया भिटोरा सालपुर ज्योधी शिवराजपुर कृषिया, बनकोट, लाही, टिकरा, बहुता, गोलवा, सुजारा महिमापुर, किरूला मनीपुर, मृदना बुखारीपुर, बढ़नापुर, बल्हवा उपर रौली चिलूला, नरौली, गोरवा उसम्मानपुर, गौरी मनोधरपुर मल्लहन

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		पुरवा सालपुर, वैरिया, अलापुर, मुस्तफाबाद रूहेरा, पैंथी, सहरी स्लामपुर बदीपुर सुबेहा रामपुर नैनपुरा शरीफाबाद इच्छाका, पुरवा हुसैनाबाद रौली बडभित्ती इश्वरीगंज टुम्बईखेर कान्हूपुर फतेजमरावा भोला का पुरवा फिरोजाबाद राभी ठाकुरपुर कोल्हदा आदि ग्रामों व सदुल्लापुर वको ग्रामों के पेयजल संकट दूर करने के लिए राजकीय हैण्ड पम्पों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।"
2।	श्री रमापति शास्त्री	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:-

(।) जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में घाघरा-सरयू के कटान व बाढ़ से लगभग 100 गांव तबाह रहते हैं। उनके बचाव और कटान रोकने के विषय में।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई नवाबगंज गोण्डा के पुराने मालिकों द्वारा किसानों एवं श्रमिकों के पुराने बकाये को दिलाने के विषय में।

(3) तहसील तरबगंज के सभी गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के विषय में।

(4) तहसील तरबंगज गोण्डा के सभी गांवों में बिजली पहुंचाये जाने के विषय में।

(5) कृषि प्रधान क्षेत्र के कारण सभी खेतों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था कराये जाने के विषय में।

(6) सरकारी की घोषणाओं के अनुसार सभी किसानों का ऋण बिना शर्त माफ किये जाने के विषय में।

(7) आर्थिक आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण के स्थान पर संरक्षण प्रदान किये जाने के विषय में।

(8) नगरपालिका नवाबगंज गोण्डा के विकास के विषय में।

(9) नवाबगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण किये जाने के विषय में।"

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
22	डा0 दिनेश जौहरी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया:-

(1) बरेली में मेडिकल कालेज या 500 बिस्तर के आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाये जाने के विषाय में।

(2) बरेली में इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने के विषाय में।

(3) बरेली में एक और डिग्री कालेज खोले जाने के विषाय में।

(4) बरेली में 2 नये इण्टर कालेज खोले जाने के विषाय में।

(5) बरेली में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने के विषाय में।

(6) बरेली में लखनऊ, दिल्ली रोड पर बाई पास बनाये जाने के विषाय में।

(7) बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में चीनी मिल बनाये जाने के विषाय में।

(8) रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता दिलाये जाने के विषय में।

(9) बरेली कालेज, बरेली में एल0 एल0 एम0 एवं एम0 एड0 की कक्षायें खोले जाने के विषाय में।

(10) प्रदेश से सेल्स टैक्स के समाप्त या सरलीकरण के संबंध में।

(11) प्रदेश में दिनोदिन बढ़ रही मंहगाई व बेरोजगारी के विषाय में।

(12) बरेली के जूता उद्योग को पुनरजीवित करने के विषाय में।

(13) बरेली में कपड़े धोने के लिए धोबी घाट बनाये जाने के विषाय में।

(14) बरेली नगर में आवश्यकतानुसार 10 रिक्शा स्टैण्ड बनाये जाने के विषाय में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(15) 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक बरेली के जेलों में बन्द कारसेवकों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के विषय में।
		(16) डबल रोटी पर से सेल्स टैक्स समाप्त किये जाने के विषय में।
		(17) बरेली को काष्ठ नगरी घोषित किये जाने के विषय में।
		(18) बरेली महानगर में जंक्शन से एयर फोर्स गेट नगरिया परीक्षित तक सिटी बस सेवा प्रारम्भ किये जाने के विषय में।
		(19) बरेली महानगर की अनिधकृत निर्मित कालोनियां, संजय नगर, इन्द्रानगर, शास्त्री आदि 25 कालोनियों के नागरिकों को जन सुविधायें न मिलने के कारण नियमित किये जाने के विषय में।
		(20) बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रियदर्शनी नगर आदि कालोनियों को महापालिका को सौंपे जाने के विषय में।
		(21) बरेली महानगर के सम्पूर्ण बाकी क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाने के विषय में।"
23	श्री हरद्वार दुबे	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का कोई उल्लेख नहीं किया है:-
		(1) जसवन्त सिंह आयोग की रपट के अनुसार आगरा में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ खोले जाने के विषय में।
		(2) आगरा महानगर में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में डिग्री कालेज छात्र व छात्राओं हेतु खोले जाने के संबंध में।
		(3) आगरा महानगर में पांच नये इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।
		(4) आगरा महानगर में चमड़े के जूता उद्योग को बढ़ावा देने तथा एक अनुसंधान केन्द्र खोले जाने के संबंध में।
		(5) आगरा महानगर में एक दूसरा नया बाई पास बनाने के संबंध में।

विधान परिषद सचिवालय

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(6) प्रदेश में सेल्स टैक्स समाप्त करने या उसके सरलीकरण करने के संबंध में।
		(7) आगरा महानगर में इलेक्ट्रानिक उद्योग लगाने के संबंध में।
		(8) आगरा महानगर में पेयजल की सुविधा जनता को मुहैया कराने के संबंध में।
		(9) आगरा महानगर में बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुविधा तथा पर्यटक एवं होटल उद्योग से जुड़े लोगों पर से टैक्स समाप्त करने के संबंध में।
		(10) प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदत्त कराने के विषय में।
		(11) आगरा महानगर की जनता को यातायात का साधन सस्ता सुलभ ढंग से मिलने के विषय में।
		(12) डिफेन्स स्टेट सहित अनेकों कालोनियों को आगरा विकास प्राधिकरण से महापालिका को स्थानान्तरण करने के विषय में।
		(13) आगरा महानगर में नये ढंग में सीवर लाइन डलवाने के विषय में।
		(14) आगरा महानगर के नाई की मण्डी, नामनेर, बालूगंज में पेयजल सुलभ कराने हेतु ओवर हैड टैंक निर्माण के विषय में।
		(15) आगरा महानगर के महात्मागांधी मार्ग पर रावली के पास उमण्ड पुल के दोनों तरफ अस्थाई बनी हुई सड़क को स्थाई करने के विषय में।
		(16) आगरा महानगर के होटल व्यवसाय के विकास के विषय में।
		(17) आगरा में मलिन बस्तियों के विकास की जाने वाली कार्यवाही के विषय में।
		(18) आगरा महानगर में करीब 20 रिक्शा स्टैण्ड बनाये जाने के संबंध में।
		(19) आगरा महानगर के बिन्दु कटरा क्षेत्र के गन्दे पानी के निकास हेतु नाले के निर्माण के विषय में।
		(20) आगरा की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक हजार इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइप लगाये जानें के विषय में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(21) डबल रोटी एवं जूता से टैक्स समाप्त करने के विषय में।
		(22) आगरा महानगर की अविकसित कालोनियों के विकास एवं जन सुविधायें उपलब्ध कराने के विषय में।
		(23) आगरा के विचपुरी में कृषि विश्वविद्यालय खोलने जाने के विषय में।
		(24) आगरा महानगर में सड़कों एवं नालियों के मरम्मत एवं विकास के विषय में।
		(25) आगरा महानगर में 30 सुलभ शौचालय निर्माण कराने के विषय में।
24	श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:-
		(1) उन शक्तियों की निन्दा नहीं की जिन्होंने 13 माह पूर्व जिन नीतियों एवं व्यवस्थाओं के परिवर्तन हेतु जनता ने आकांक्षा व्यक्त की थी उन्हीं नीतियों एव व्यवस्थाओं को मान्यता देने वाली शक्तियों के साथ गठजोड़ कर जनता की आकांक्षाओं का गला घोटने के संबंध में।
		(2) जहां सिंचाई सुविधाओं को कृषकों के असिंचित क्षेत्रों तक उपलब्ध कराने की बात कही गयी वहीं राजकीय नलकूपों की गूलों एवं नालियों की अत्याधिक जीर्ण अवस्था में होने का उल्लेख नहीं किया गया और न ही उनकी मरम्मत हेतु विशेष योजना की घोषणा की गयी जिससे नलकूपों की उपयोगिता में वृद्धि होने के संबंध में।
		(3) जहां ऊर्जा की उत्पादन क्षमता तथा विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने की बात कही गयी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु सामानों की उपलब्धता की बात नहीं की गयी जिसके कारण आज भी तमाम गांव विद्युत के लाभ से वंचित है और बस्ती तथा सिद्धार्थनगर जनपद के आज भी पांच हजार से ऊपर गांव इस सुविधा से वंचित है। गांव में खम्बे खड़े हैं परन्तु कन्डक्टर, ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने से सरकार की खोखली एवं थोथी नीति के उजागर करने के संबंध में।
		(4) जहां गन्ने के मूल्य में वृद्धि की बात कही गयी वहीं पर यह नहीं कहा गया कि क्रय केन्द्रों पर ढुलाई की कटौती भी बढ़ा दी गयी जबकि किसानों को भी

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		अपना गन्ना ट्रालियों से ढुलाई करने में अधिक धन का व्यय करना पड़ रहा है परन्तु उसको नजरअन्दाज कर के केवल चीनी मिल मालिकों के हितों का ही ध्यान रखा गया और मूल्य में वृद्धि भी केवल दो रू0 प्रति कु0 किया गया जबकि भारत सरकार ने स्टेट्यूरीकेन प्राइज में ही बढ़ोत्तरी कर दिया है। सरकार द्वारा वास्तव में चीनी मिलों के हितों का विशेष ध्यान देकर गन्ना किसानों के हितों का मिथ्या प्रचार करने के संबंध में। (5) जहां किसानों एव निर्बल वर्ग के लोगों को दस हजार रू0 ऋण से राहत देने की बात कही गयी वहीं वर्ष 1985-86 में उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा विकास खण्ड सांथा जनपद बस्ती (नया जनपद सिद्धार्थनगर) के बुनकरों को हथकरघा तथा सूत के लिए दिए ऋण की जोरों से वसूली करने और गरीब बुनकरों को ऋण माफी के लिए उ0 प्र0 वित्तीय निगम की गोरखपुर शाखा के अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान करने के संबंध में। (6) जहां जनता वस्त्र उत्पादन में अनुमन्य सहायता वृद्धि कर के बुनकरों को राहत देने की बात कही गयी वहीं जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड सांथा तथा खेसरहा के बुनकरों को अनुमन्य वृद्धि मिलने को कौन कहे तीन-तीन चार-चार महीने तक उनसे खरीदे गये जनता वस्त्र का मूल्य भुगतान ही न किए जाने से उनके करघे बन्द होने की कोई चर्चा न करने के संबंध में। (7) जहां एक ओर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए मार्गों और पुलों के निर्माण को समुचित महत्त्व होने और तीन सौ करोड़ परिव्यय किए जाने की बात कही गयी वहीं जनपद बस्ती में रूधौली-बखिरा-सहजनवां मार्ग पर आमी नदी पर छपिया घाट का पुल जो वर्ष 1984-85 में स्वीकृत होने के बाद भी आज भी अधूरा पड़ा है, को शीघ्र पूर्ण कराने जनपद सिद्धार्थनगर का मुशहरा गांव जो दो हजार से अधिक आबादी का है आज भी किसी मार्ग से नहीं जुड़ा है को तुरन्त पक्के मार्ग तथा पुल से जोड़ने के संबंध में।"
25	श्री शारदा प्रताप शुक्ल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया:- 1-लखनऊ जनपद की छोटी नदियों और नालों का सर्वेक्षण कराकर उनके आवागमन के रास्तों पर आम जनता

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		की सुविधा हेतु लघु सेतु योजना बनाकर पुलों का निर्माण इसी पंचवर्षीय योजना में करा दिये जाने के संबंध में।
		2—लखनऊ जनपद के बख्शी का तालाब एवं चिनहट विकास खण्डों को मिलाकर एक नई तहसील का सृजन इसी वित्तीय वर्ष में करा दिये जाने के संबंध में।
		3—प्रदेश की यातायात की सुविधा का निराकरण करने हेतु नहर की पटरियों को लेपन स्तर तक इसी पंचवर्षीय योजना में निर्माण कराने हेतु बजट का प्राविधान कराये जाने के सम्बन्ध में।
		4—लखनऊ तहसील एवं मोहनलालगंज तहसील में शारदा नहर एवं उसकी रजबहों की टेल पर पानी न पहुंचने की समस्या का निदान करने हेतु शारदा नहर एवं उसकी रजबहों का नवीनीकरण (रिमांडलिंग) हेतु इसी वित्तीय वर्ष में धन का प्राविधान न कराये जाने के संबंध में।
		5—विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के तीन विकास खण्डों सरोजनी नगर, मोहनलालगंज, काकोरी, जहां पानी की सुविधा नहीं है वहां विश्व बैंक परियोजना से गहरी बोरिंग के 25 नलकूपों के कलस्टर लगाने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में प्राविधान कराये जाने के संबंध में।
		6—राजकीय सैनिक हायर सेकेन्ड्री विद्यालय सरोजनी नगर, लखनऊ को वहां के बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए, इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा का प्राविधान इसी वित्तीय वर्ष में कराये जाने के संबंध में।
		7—लखनऊ जनपद के सिसैंडी दीक्षा विद्यालय जो समाप्त कर दिया गया है वहां की बच्चों की शिक्षा की सुविधा को देखते हुए उसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर खोले जाने के संबंध में।
		8—विधान सभा क्षेत्र, सरोजनी नगर, के विकास खण्ड सरोजनी नगर, काकोरी एवं मोहनलालगंज के गांवों की लड़कियों को शिक्षा देने हेतु वहां पर लड़कियों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर खोले जाने के सम्बन्ध में।
		9—लखनऊ जनपद के जो 82 गांव सभायें 5 फरवरी, 1987 को नगर महापालिका में शामिल की गई थी, उनमें वहां के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं जैसे: सीवर, पानी की टंकी, सुलभ शौचालय, पक्की सड़कें, मोहय्या कराने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में प्राविधान कराये

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जाने के सम्बन्ध में।
		10–लखनऊ जनपद की बन्थरा की मण्डी के कार्य स्थल को भूमि का अधिग्रहण कर इसी वित्तीय वर्ष में उसके निर्माण का प्राविधान कराये जाने के संबंध में।
		11–लखनऊ नगर की सीमा से 10 कि0मी0 की दूरी पर बसे गांवों को नगर बस सेवा से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
		12–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री मुईद अहमद	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है:–
		(1) प्रदेश की तथाकथित विकास की गति के संबंध में पिछली सरकार द्वारा की गयी प्रगति के अनुपात में इस वर्ष विकास कार्यों में की गयी तथाकथित प्रगति व विकास कार्यों की वस्तु स्थिति के संबंध में।
		(2) प्रदेश की अनेक ऐसी स्वीकृत योजनाओं को वर्तमान सरकार द्वारा धन आदि न आवंटित करने से रूकी पड़ी है तथा जिन योजनाओं पर पूर्व सरकार के कार्य काल में कार्य किया जा रहा था उनकी धन आवंटित न कर रोका गया है। ऐसी योजनाओं पर अब तक किये गये धन व्यय से जन साधारण को मिलने वाला लाभ हानि में परिवर्तित हो गया है। तथा विकास कार्य रूकते गये हैं। इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है के संबंध में।
		(3) ऐसी किसी भी योजना या नीति का उल्लेख जिससे स्वयं को असुरक्षित महसूस करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को यह विश्वास हो सके कि उनकी सुरक्षा बहुसंख्यकों द्वारा ही की जायेगी, के संबंध में।
		(4) अयोध्या में हुए नरसंहार व प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों में अनेक लोगों की मृत्यु हुई है। उस संबंध में वर्तमान सरकार द्वारा घोषित व गठित जांच आयोग में किसी कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का न होना व उसके कार्य को समय की परिधि में न बांधने के संबंध में।
		(5) सिंचाई विभाग की नहर की कुछ ऐसी आवश्यक सड़कों जिनके अलावा जन साधारण को यातायात के लिये कोई अन्य सड़क उपलब्ध नहीं है को पक्का बनाने की किसी योजना के संबंध में।
		(6) सिंचाई हेतु सरकारी नलकूपों के और अधिक निर्माण व प्रसार हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रेषित तृतीय फेज

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		के अंतर्गत राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।
		(7) प्रदेश की ऐसी नहरों जिनसे सीपेज की गम्भीर समस्यायें है के निदान के संबंध में।
		(8) प्रदेश में महामारी की तरह उग्ररूप से बढ़ती महंगाई की मार से जनसाधारण को बचाने की किसी योजना के संबंध में।
		(9) प्रदेश में उच्च स्तर से लेकर नीचे तक व्याप्त घोर भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किसी प्रभावी योजना या उठाये गये, कदमों के संबंध में।
		(10) आवश्यक वस्तुओं की भीषण कमी से उत्पन्न कठिनाईयों से निपटने के लिए किसी प्रभावी नियन्त्रण के संबंध में।
		(11) वर्तमान फसल की आवश्यकता के अनुरूप काश्तकारों को डीजल की समुचित आपूर्ति की किसी योजना के संबंध में।
		(12) वर्तमान में उपलब्ध डीजल में मिट्टी का तेल व खाद्य सामग्री में जो मिलावट की जा रही है। उसके प्रभावी नियंत्रण की किसी योजना के संबंध में।
		(13) जनपद सुल्तानपुर में बन रही प्लाई ओवर जो कि रेलवे क्रासिंग पर है के रूके निर्माण कार्य को पूरा कराने के संबंध में।
		(14) जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुडवार में स्वीकृत विद्युत उप केन्द्र के निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में।
		(15) जनपद सुल्तानपुर में भादा ड्रेन से उत्पन्न जल भराव की समस्या के निदान हेतु रेल की लाइन पर पुलिया के निर्माण की किसी योजना के संबंध में।"
27	श्री नजमउद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:-
		(1) पी0 ए0 सी0 के स्वरूप को बदले जाने तथा पी0 ए0 सी0 में अल्पसंख्यक को भी जनसंख्या के अनुपात में भरती करके उसे सही मामले में दंगा विरोधी बल का रूप दिए संबंध में।
		(2) उत्तर प्रदेश के थानों पर हवालातों से मूत्राशय, शौचालय हटवाने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(3) उत्तर प्रदेश के थानों पर के चौकीदारों को वतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानकर उनके बराबर वेतन दिये जाने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाय।
		(4) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी व कस्बातीयों में सरकारी चीनी वितरण की प्रणाली में जो फर्क किया गया है उसे समाप्त करने के संबंध में।
		(5) उत्तर प्रदेश की पी0 ए0 सी0 एवं पुलिस में अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति एवं पिछड़े वर्ग/आर्थिक सुधार पर पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों की आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाने के संबंध में।
		(6) उ0 प्र0 में वर्तमान में जो निःशुल्क बोरिंग की जा रही है उसमें बोरिंग से पानी निकालने हेतु पम्पसेट की व्यवस्था कृषक को स्वयं करनी पड़ती है जो कि कृषक की सीमा से बाहर होता है अतः निःशुल्क बोरिंग पर स्थापित किये जाने वाले पम्पसेट की निःशुल्क व्यवस्था करायी जाने के सम्बन्ध में।
		(7) अम्बेदकर योजना में उन ग्रामों को भी सम्मिलित किया जाय जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25% हो, के संबंध में।
		(8) विधान सभा क्षेत्र लालगंज, इलाहाबाद के अंतर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक कन्या हाईस्कूल से इण्टर कालेज खोलने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
		(9) विकास खण्ड होलागढ़ व कौड़िहार व मऊआइमा व सोराव में जो इन्टर कालेज है उन कालेजों में डिग्री कालेज खोलने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के संबंध में।
		10-विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड होलागढ़ में एक तकनीकी विद्यालय खोलने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के संबंध में।
		11-विकास खण्ड मऊआइमा के जोगीपुर ग्राम सभा में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के संबंध में।
		12-विकास खण्ड सोरांव के समरनपुर ग्राम में होलागढ़ के कल्यानपुर ग्राम में व मऊ आईमा के हरखपुर ग्राम में व कौंड़िहार के सुल्तानपुर ग्राम में उच्चीकृत चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज इलाहाबाद के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर दस शैय्या चिकित्सालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के संबंध में।
		14–विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में इलाहाबाद से उन्नाव मार्ग पर ग्राम कौड़िहार में एक लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण गृह स्थापित करने के संबंध में।
		15–विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद में:–
		(1) सोरांव से रायगढ़ सम्पर्क मार्ग वाया बलई मई व खरगापुर लम्बाई 12,00 किमी0 के निर्माण के संबंध में।
		(2) हथगहां से कल्याणपुर सम्पर्क मार्ग वाया सहाबपुर–दहियावां–पूरबनादा–मुकान्दपुर लम्बाई 20.00 कि0मी0 के निर्माण के संबंध में।
		(3) रामगढ़ से कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग वाया उमदियासारी लम्बाई 8.00 किमी0 के निर्माण के संबंध में।
		(4) गढ़यानी से सोलागढ़ सम्पर्क मार्ग वाया सतनापुर जंगलीपुर लम्बाई 8.00 किमी0 के निर्माण के संबंध में।
		(5) होलागढ़ से जूड़ापुर करनाई वाया कमईपुर मसनी लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण के सम्बन्ध में।
		(6) होलागढ़ से पंचदेवरा सम्पर्क मार्ग वाया सराय हरीराम–कमईपुर लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण के संबंध में।
		(7) नवाबगंज से जूड़ापुर बीहड़ सम्पर्क मार्ग लम्बाई 7.00 कि0मी0 के निर्माण के संबंध में।
		(8) हदगहा से चफरी सम्पर्क मार्ग वाया गंगागंज फतूपुर लम्बाई 6.00 किमी0 के निर्माण के सम्बन्ध में।
		(9) कौडिहार से कुडेभर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 7.00 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में।
		(10) रेरूआ से सिंधापुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 6.00 कि0मी0 के निर्माण के संबंध में।

उत्तर प्रदेश राजपत्र

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(11) हरिसेनगंज से हरखपुर सम्पर्क मार्ग वाया जमजमपुरी–महरौडा लम्बाई 6.00 किमी0 के निर्माण के संबंध में।
		(12) आनापुर से दहियावां सम्पर्क मार्ग वाया नसीमपुर दरगाही लम्बाई 7.00 किमी0 के निर्माण के संबंध में।
		(13) सिसवां मदारी सम्पर्क मार्ग लम्बाई 4.5 कि0मी0 के निर्माण के संबंध में।
		(14) बालाडीह से बांका जलालपुर सम्पर्क मार्ग वाया नरायनगंज लम्बाई 10.00 किमी0 के निर्माण के संबंध में।
		(15) हरखपुर से जोगीपुर सम्पर्क मार्ग वाया सेमरापार मानपुर लम्बाई 4.500 किमी0 की निर्माण कराने के संबंध में।
		(16) विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज इलाहाबाद मे जल निकासी हेतु बसना ड्रेन–मेरी रैया ड्रेन कल्यापुर ड्रेन ओगीपुर ड्रेन कराने के सम्बन्ध में।
		(17) विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घर में विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के संबंध में।
		(18) विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज–इलाहाबाद के गंगा नदी के कछारी क्षेत्र विकास खण्ड कौड़िहार के अन्तर्गत सिंचाई हेतु टयूबवेल लगवाने के लिए अतिरिक्त धन कलस्टर नलकूप योजना में आवंटित कराने के संबंध में।
		(19) विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज–इलाहाबाद के अंतर्गत पड़ने वाली नहरों महिडयाहूं ब्रांच के किमी0 15–810 पर साईफन किमी0 18.00 पर क्रास रेगुलेटर एवं दोनों तरफ पक्की लिंक ड्रेन का उसर रीच पर तली एवं स्लोप को पक्का निर्माण तथा सोरांव रजबहा व रायपुर रजबहा व मऊ आईमा रजबहा एवं संबंधित माइनरों पर पुल एवं साईफन का निर्माण तथा टेल तक पानी पहुंचाने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के संबंध में।"
28	श्री मिठाई लाल शास्त्री	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सम्पत्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा आवासों के आवंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच के आदेशों की अवहेलना करने की

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जांच कराने के सम्बन्ध में आदेशों का उल्लेख नहीं किया है।"
29	श्री शेख सुलेमान	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:- 1-दंगा निरोधक फोर्स के सम्बन्ध में। 2-प्रदेश के हजारों गरीब व बेसहारा लोग फुटपाथ व झुग्गी झोपड़ियों में जानवरों से बत्तर जिन्दगी जी रहे हैं उनके लिए नये सिरे से भवन बनाकर देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में। 3-किसानों की फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में। 4-किसानों, बुनकरों व दस्तकारों के दस हजार रूपये तक के ऋण माफी की घोषणा के संबंध में। आज भी प्रदेश के किसान, बुनकर, दस्तकार असमजंजस में हैं कि कर्ज माफी की परिधि में किन-किन लोगों को लिया गया है के संबंध में। 5-प्रबन्ध में श्रमिकों की बराबर को भागीदारी देने के सम्बन्ध में। 6-पश्चिम उ0 प्र0 के अन्दर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की सिफारिश करने के संबंध में। 7-सरकार ने प्रदेश के किसानों को 14 घण्टे विद्युत सप्लाई दिए जाने की बात कही है हालांकि प्रदेश के किसानों को 14 घण्टे की विद्युत सप्लाई नहीं दी जा रही है। प्रदेश के किसानों को 14 घण्टे के स्थान पर 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में। 8-अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षण का कोटा पूरा करने के संबंध में। 9-प्रदेश के अंदर कमरतोड़ महंगाई को रोकने के लिए तथा जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं के संबंध में। 10-अल्पसंख्यकों की शासन प्रशासन व्यवस्था में बराबर की भागीदारी अमुक समयावधि के अंदर पूरी करने के संबंध में।"

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
30	सुरेन्द्र कुमार "मुन्नी"	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:- 1-गाजियाबाद नगर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए कम से कम छः (6) राजकीय इण्टर कालेज अतिशीघ्र खुलवाने के संबंध में। 2-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अभी ही हाल में जो भूमि अर्जन की गई है उसका मुआवजा तीन सौ रूपये प्रति गज बढ़ाने के संबंध में। 3-उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा गाजियाबाद में अर्जन की जाने वाली भूमि का प्रतिकर बढ़ाने के संबंध में। 4-गाजियाबाद श्रमिक बस्ती में रहने वाले मजदूरों को मालिकाना हक दिलवाने के संबंध में। 5-गाजियाबाद में सफाई कर्मचारियों के जिन भवनों में वह रह रहे हैं उन्हीं भवनों का मालिकाना हक अति शीघ्र दिये जाने के संबंध में। 6-ग्राम रहीसपुर ब्लाक रजापुर तहसील गाजियाबाद में एक बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में। 7-गाजियाबाद नगर के अंतर्गत लगभग 25000 (पच्चीस हजार) स्थायी झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को अति शीघ्र राशन कार्ड बनवाकर दिलवाने के संबंध में। 8-गाजियाबाद नगर में बढ़ती जल परेशानी को देखते हुए एक जल संस्थान की स्थापना करने के संबंध में।"
31	श्री श्याम देव राय चौधरी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का कोई उल्लेख नहीं है:- 1-वाराणसी सहित अनेक नगरों में पेयजल की कमी को दूर करने तथा प्रदूषित जलापूर्ति तथा जलकर में चौगुनी वृद्धि को कम करने के सम्बन्ध में। 2-30 अक्टूबर तथा 2 नवम्बर को अयोध्या में हुए नर संहार के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधनन का रूप
		3–पंचकोशी तथा चौदहकोशी परिक्रमा हेतु अयोध्या में आने से लोगों को जबरदस्ती रोके जाने और सम्पूर्ण प्रदेश को जेल में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।
		4–अयोध्या में शिलान्यास स्थल पर लगी छतरी को काटना तथा वहां से मूर्ति को अवैधानिक रूप से हटाने के सम्बन्ध में।
		5–वाराणसी सहित अन्य नगरों में इस जाड़े में ही व्याप्त बिजली संकट को दूर करने के सम्बन्ध में।
		6–चुंगी समाप्ति से स्थानीय महापालिकाओं को होने वाले घाटों की समुचित पूर्ति न करने से विकास का अपेक्षित कार्यों के ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में।
		7–वाराणसी सहित अन्य नगरों में स्कूल तथा कालेजों में छात्र–छात्राओं के प्रवेश की भयंकर समस्या तथा लम्बे समय से शिक्षकों के रिक्त स्थानों पर नई नियुक्ति के संबंध में।
		8–वाराणसी सहित अन्य नगरों में बढ़ रहे पुलिस की निरंकुशता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में।
		9–सांस्कृतिक राजधानी काशी के गंगा घाटों में प्रकाश का अभाव, आकर्षक रूप से सज्जित किये जाने तथा स्वच्छ किये जाने के संबंध में।
		10–राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के खस्ताहाली को दूर करने तथा व्याप्त भयंकर गंदगी तथा मांग के अनुसार सभी मार्गों पर चलाये जाने के सम्बन्ध में।
		11–शिक्षित बेरोजगारों के साक्षात्कार हेतु आने–जाने की निःशुल्क व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
		12–नियंत्रित मूल्य की राशन की दुकानों में मिट्टी के तेल की घोर कमी तथा ब्लैक के सम्बन्ध में।
		13–अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर तबकों पर ज्यादती रोकने तथा उनकी सुनवाई हेतु कोई विशेष अदालत गठित करने के सम्बन्ध में।
		14–वाराणसी के पक्के महालों में हैण्ड पम्पों का लगाये जाने के सम्बन्ध में।
		15–वाराणसी में राजकीय अस्पतालों में दवाओं की कमी, भयंकर गंदगी और मरीजों की घोर उपेक्षा के संबंध में।"

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
32	श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:- (1) पहाड़ी क्षेत्रों में दैनिक वेतन पर 10 वर्षों से काम कर रहे चिकित्साधिकारियों (आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) को नियमित न किये जाने की समस्या के संबंध में। (2) प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों में वर्ष 1976 से रिक्त पड़े प्राध्यापकों/प्रवक्ताओं के लगभग 1000 पदों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में। (3) महापालिकाओं में मेयर के अधिकारों में वृद्धि कर अधिक उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में। (4) मेरठ में 6 से 7 फुट गहरे गड्ढे में रह रहे हजारों निवासियों (लक्ष्मणपुरी, गौतम नगर, गणेशपुरी, भगवतपुरा, नेहरूनगर, फूलबाग) की जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में। (5) मेरठ में पीने के पानी के कम दबाव तथा काफी बड़े इलाके में पाइप लाइन न बिछवाने के संबंध में। (6) राशन हेतु अपनी दुकान स्वयं चुनिये से जनता को घोर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रक्रिया को व्यवहारिक करने के संबंध में। (7) पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के संबंध में। (8) मेरठ महानगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में। (9) मेरठ में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के संबंध में। (10) मेरठ महानगर में दिसम्बर तथा जनवरी मास में सन्देहजनक परिस्थितियों में दुकानों में लगी आग तथा 80 लाख से ऊपर हुए नुकसान के संबंध में।"

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
33	श्री कुंवर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है:-

1-पर्वतीय क्षेत्र के काश्तकारों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाया जाने हेतु किसी ठोस एवं कारगर योजना के सम्बन्ध में।

2-सभी नकदी फसलों के समर्थन मूल्य दिलाये जाने, उनके विपणन को सुदृढ़ वैज्ञानिक व्यवस्था करने तथा आलू एवं अन्य नकदी फसलों के ढुलान पर सेव की भांति ट्रान्सपोर्ट सबसीडी दिए जाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में। उल्लेख नहीं।

3-जड़ी-बूटियों की खेती को प्रोत्साहित करने का भी कोई ठोस कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

4-उद्योग विहीन जनपद चमोली के औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में।

5-जनपद चमोली के स्थान कर्ण प्रयाग में फल विधायन संयत्र की स्थापना, जोशी मठ में आलू चिप्स फैक्ट्री की स्थापना, उत्तराखण्ड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक फार्मेसी के विस्तार, विकास खण्ड अगस्त मुनि के भढवाड़ी सैग स्थित औद्योगिक संस्थान में इलेक्ट्रानिक उद्योग लगाये जाने, भीमतल्ला विकास खण्ड दशोली में ऊन उद्योग की स्थापना, जनपद में सोयाबीन तथा चीड़ के पत्तों से गित्ता बनाने की फैक्ट्री की स्थापना किए जाने सम्बन्धी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में।

6-जनपद चमोली की महत्वाकांक्षी विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना को योजना आयोग द्वारा प्राथमिकता प्रदान कराकर पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर इसका निर्माण कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

7-जनपद चमोली की खस्ता विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु किसी ठोस एवं कारगर योजना के संबंध में।

8-पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं दुर्गमता को देखते हुए प्रशासनिक इकाइयों को छोटी करने तथा उनके पुनर्गठन करने तथा सत्ता नियोजन का विकेन्द्रीयकरण करने के सम्बन्ध में जनपद चमोली के स्थान पोखरी एवं गैरसेण में तहसील खोलने, आदि बद्री एवं अलकनन्दा विकास खण्डों का सृजन करने देवाल तथा नरायण वगड़ स्थानों में उपकोषागार खोलने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्यक्रम तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किसी ठोस योजना के सम्बन्ध में।
		10–किसानों एवं दस्तकारों के दस हजार रूपये तक के कर्जों को वास्तविक रूप से माफ कर उन्हें राहत दिए जाने के बारे में।
		11–प्रदेश में निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने हेतु किसी ठोस एवं कारगर योजना के संबंध में।
		12–दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ता राशन एवं मिट्टी के तेल के प्रचुर मात्रा एवं नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस व्यवस्था तथा इसके ढुलाई पर शत प्रतिशत ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक दी जाने के संबंध में।
		13–निरन्तर बिगड़ती कानून और शान्ति व्यवस्था में सुधार हेतु ठोस एवं कारगर कदमों के सम्बन्ध में।
		14–पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के बारे में।
		15–पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने तथा गढ़वाल एवं कुमायूं जल संस्थानों द्वारा नगर क्षेत्रों में भवनों के वार्षिक मूल्यांकन के 12.5 प्रतिशत के दर से वसूले जा रहे जल कर को जनभावनाओं के अनुरूप व्यापक हित में कम करने के सम्बन्ध में।
		16–पर्वतीय क्षेत्र के अन्य जनपदों की भांति जनपद चमोली में भी जलागम योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में।
		17–बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु ठोस एक कारगर कार्यक्रम के सम्बन्ध में।
		18–पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय सेवाओं के सुचारू रूप एवं नियमित रूप से निष्पादन हेतु पृथक पर्वतीय संवर्ग (हिल कैडर) को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा पर्वतीय क्षेत्र में सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्त कराने के सम्बन्ध में।
		19–पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान वन नीति में आमूल चूल परिवर्तन कर उसे जनोपयोगी एवं विकासोन्मुख बनाने के बारे में।
		20–पन्तनगर विश्वविद्यालय के पर्वतीय परिसर रानी चौरी टिहरी गढ़वाल में उद्यान एवं वानिकी

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		विश्वविद्यालय की स्थापना करने जोशीमठ जिला–चमोली में आलू विकास एवं शोध संस्थान की स्थापना करने उत्तराखण्ड विद्यापीठ जिला चमोली में आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने तथा तलवाड़ी जनपद चमोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में। 21–पर्वतीय क्षेत्र में सस्ती एवं अच्छी परिवहन व्यवस्था बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
34	श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है:– 1–विधान सभा क्षेत्र 161–गोण्डा जिला मुख्यालय गोण्डा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने के संबंध में। 2–विकास खण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा में जनहित में बालिका इण्टर कालेज खोलने के संबंध में। 3–विधान सभा क्षेत्र 161–गोण्डा जनपद गोण्डा में दो बड़े उद्योग एवं आठ छोटे उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में।"
35	श्री राम प्रसाद सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:– 1–जनपद बांदा की तहसील कर्वी के उपाधीक्षक पुलिस व उपाधीक्षक मऊ द्वारा डाकुओं से सांठ–गांठ करके पुलिस को डकैतों के साथ भेजकर डकैती डलवाना, सामूहिक बलात्कार कराना आए दिन का काम है उसी आड़ में बेगुनाह लोगों खास कर कुर्मी जाति के लोगों को थाने में अनुचित बन्दी, पैसा लेकर छोड़ना तथा फर्जी मुकदमें कायम करने के संबंध में। कर्वी सम्भाग के ग्राम रैपुरा निवासी इन्द्रपाल, नर्वदा, नत्थू कल्ला के कली के लड़का, वरकारा से ग्राम तथा निवासी संगम कुर्मी तथा हनुमान प्रसाद एवं इटरौल भीषमपुर आदि के अपहरण की घटनाओं में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने के परिणाम के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		नवम्बर, 90 के अन्तिम सप्ताह अर्थात 24-11-90 के बाद कर्वी सम्भाग के पुलिस थानों कर्वी, रैपुरा, मऊ पहाड़ी राजापुर, मानिकपुर, वहिलपुरवा आदि द्वारा अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से सांठगांठ कर उन्हीं के इशारे पर एक जाति विशेष कुर्मियों पर फर्जी व झूठे मुकदमें कायम कर उत्पीड़न शुरू किया तथा एक जाति विशेष के लोगों के वाहनों ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटर साइकिल के सही कागजातों के बावजूद झूठा चालान, अदालतों के आदेश के बाद अवहेलना एवं अराजकता के वातावरण के संबंध में।
		कर्वी/मऊ तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले थानों की पुलिस ने माफिया गिरोहों के असर में आकर उन्हें जुआ व शराब के अड्डे खुला चलाने की छूट दी तथा अपराधी माफिया गिरोहों से पुलिस ने सांठगांठ करके राजनैतिक दल (भा0 क0 पार्टी) के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तथा नेताओं विधायक, सांसद के कत्ल कराने की निकृष्ट साजिशों व षड़यन्त्रों के संबंध में।
		2-बुन्देलखण्ड (बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर) के साथ इटावा का दक्षिणी व जमुना का दक्षिणी हिस्सा, इलाहाबाद, मिर्जापुर की बीहड़ अनउपजाऊपन को देखते हुए प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की उर्वरा को देखते हुए डेढ़ान का मानक धारा 337 ज0 वि0 ऐक्ट में दिया है इसी को दृष्टि में रखकर लघु एवं सीमान्त कृषकों के प्रदेश के मानक को देखते हुए बुन्देलखण्ड एवं जमुना के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के लघु सीमान्त भूमि के मानक में डेढ़ान करके लाभान्वित करने के संबंध में।
		3-जनपद बांदा की सिंचाई योजनाओं जैसे पैयस्वनी बांध रसिन बांध, ग्रेटर जगऊ बांध के निर्माण के संबंध में।
		4-जनपद बांदा के तहसील कर्वी के पाठा क्षेत्र के संसाधनों के अनुरूप उद्योगों की स्थापना के संबंध में।
		5-जनपद बांदा के कर्वी सम्भाग में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में।
		6-जनपद बांदा के ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट (कर्वी) मुख्यालय में 100 शैय्याओं के अस्पताल के विस्तार के संबंध में।
		7-कर्वी जनपद बांदा में गोस्वामी तुलसी राजकीय डिग्री कालेज के विस्तार के संबंध में।
		8-कर्वी को जिला का दर्जा दिए जाने की घोषणा के सम्बन्ध में।
		9-कर्वी सम्भाग में कर्वी-राजापुर सड़क के निर्माण कराए जाने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–कर्वी जनपद बांदा के राजापुर के पास अन्तर जिला आवागमन सुविधा हेतु जमुना में पुल निर्माण के संबंध में।
		11–कर्वी जनपद बांदा में पहाड़ी रघुवंशीपुर कलकरा बरेठी, औदहा लोहदा सुरसेन, वदद्वारा खोया सड़क निर्माण के संबंध में।
		12–कर्वी जनपद बांदा के ग्राम ओरा सकरौली कौहारी सम्पर्क मार्ग के संबंध में।
		13–कर्वी जनपद बांदा के ग्राम मैसाधा इटावरी वारागाफी, गढ़ीघाट साईपुर सड़क निर्माण के संबंध में।
		14–कर्वी जनपद बांदा के पयस्वनी नदी में कहेटा के पास पुल निर्माण के संबंध में।
		15–कर्वी जनपद बांदा के वार्ग नदी में साइपुर के पास पहाड़ी बांदा सड़क में पुल निर्माण के संबंध में।
		16–जनपद बांदा के तहसील कर्वी में वार्ग नदी में पहड़िया बुजुर्ग सामी व गढ़ीघाट में लिफ्ट योजना बनाने के संबंध में।
		17–कर्वी जनपद बांदा अंतर्गत घालभीको नदी में देवकली, सुरकिहा के पास लिफ्ट सिंचाई योजना के संबंध में।
		18–जनपद बांदा के सम्भाग कर्वी में गुन्तर नदी में रैपुरा के पास लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण के संबंध में।
		19–जनपद बांदा के सम्भाग कर्वी में सरधुना धुरेपुर, मैसोधा, परसौजा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में।
		20–जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 18-1-91 की रात साढ़े आठ बजे पुलिस ने कुण्डा कोतवाली के चोरा गांव में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर सुरेश, सजीवन, रामफेर, रमेश, सत्तन, पिआरे, हरिश्चन्द्र, प्रभू, जियालाल, देवतादीन, रामेश्वर पटेल, हीरालाल आदि 13 लोगों की हत्या कर दी यह लोग निरपराध है इस फर्जी इनकाउन्टर के संबंध में पुलिस के खिलाफ 302 ता0 हिन्द का मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलम्बित कर मुकदमा चलाने के संबंध में।"

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
36	श्री अमरपाल सिंह	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:-

1-ऊर्जा क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया गया है वह पूर्णतया गलत है ग्रामीण विकास एवं औद्योगिक विकास की जरूरतों को बिजली आपूर्ति कराने के लिये सरकार पूर्णतया असफल रही है जिसके कारण प्रदेश का विकास अवरूद्ध हुआ है और भविष्य में कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन की दरें भी गिरेगी। इस सरकार के शासनकाल में बिजली आपूर्ति के कारण बहुत बड़ी संख्या में उद्योग बीमार हो गये हैं अथवा बन्द हो गये उन इकाइयों के पुनर्वासन की कोई नीति नहीं बनाई गई है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष में लगभग पचास हजार इकाइयां लगाने तथा इसमें से 50 प्रतिशत पहले ही बिजली के अभाव में बीमार हो जाने के संबंध में।

2-जहां तक सरकार का कृषि उपज के मूल्य का संबंध है सरकार ने गन्ने का मूल्य 41 रूपये एवं 44 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है लेकिन बाह्य क्रय केन्द्रों पर किसान का गन्ना कम तौलकर किसान को लगातार लूटा जा रहा है और जो सरकारी मशीनरी सरकार की तरफ से किसान के हित में गन्ने की उचित तौल के लिये नियुक्त है वह सामूहिक रूप से समस्त लूट के लिये जिम्मेदार है क्योंकि वह समस्त मशीनरी भी इस लूट में भागीदार है तथा मेरे जनपद मेरठ की शुगल मिल दौराला बगवाना क्षेत्रीय कृषकों के गन्ने की पिराई न करके सहारनपुर जनपद के गन्ने की पिराई करने के फलस्वरूप मेरे जिले के कृषकों के गन्ने की पैदावार भविष्य में गिर जाने के सम्बन्ध में।

जहां तक किसान को गेहूं का लाभकारी मूल्य देने का सम्बन्ध में जब किसान के घर अन्न पैदा हुआ था और किसान ने उसको बाजार में तथा सरकारी क्रय-केन्द्रों पर विक्रय किया था उस समय गेंहू का भाव 215 रू0 प्रति क्विंटल था जबकि आज किसान के घर में गेहूं नहीं है तब आज गेहूं का बाजार भाग 380 रू प्रति क्विंटल हो जाने के सम्बन्ध में।

3-जहां तक सरकार द्वारा किसान का दस हजार रूपये तक का कर्ज माफी की नीति है उससे कोई लाभ आम व गरीब किसान तक नहीं पहुंच पाया वह सिर्फ फाइलों

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		तक ही सीमित रह जाने के सम्बन्ध में। 4–परिवहन जैसी महत्वपूर्ण जनसेवा का कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं है इससे शहर व देहात दोनों ही प्रभावित है। परिवहन निगम राष्ट्रीय कृत मार्गों पर पर्याप्त संख्या में बसों को चलाने में असमर्थ है निगम की सेवायें क्षेत्रीय लोगों को सन्तोषजनक सेवायें नहीं दे पा रही है यहां तक मेरे जनपद मेरठ में कुछ मार्गों पर बसों की छत पर यात्रियों को बैठना पड़ रहा है, कि राष्ट्रीय कृत मार्गों पर शीघ्र ही समुचित बस उपलब्ध कराना यदि सम्भव नहीं है तो राष्ट्रीय कृत मार्गों को प्राइवेट बसों के लिये खोलने के सम्बन्ध में। 5–जहां तक सरकार की यह नीति है कि उसने 50% धनराशि देहात में खर्च किया है यह निराधार है आंगनवाड़ी पुष्टाहार व जनता वस्त्र वितरण योजना केवल कागजों तक सीमित होने तथा उसका कोई क्रियान्वयन न होने के संबंध में।"
37	श्री दयाराम भाष्कर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:– 1–वर्तमान सरकार साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने की घटनाओं के तहत पुलिस, पी0 ए0 सी0, असामाजिक तत्वों द्वारा की गई लूट–मार, हत्यायें तथा आगजनी की कब तक रोकथाम की व्यवस्था करेगी और उसकी रूपरेखा के संबंध में। 2–ऊसर बंजर भूमि सुधार के लिए भूमि सेना के गठन की रूपरेखा के संबंध में। 3–कृषकों को ऋण की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण की बात कही गई है परन्तु वर्तमान व्यवस्था में कृषकों को सही कीमत पर कृषि उपकरण पम्प सेट नहीं उपलब्ध होता बल्कि छूट की धनराशि बैंक मैनेजर, सप्लायर तिकड़म करके दाम बढ़ाकर छीन लेते है और कहीं–कहीं कागजात पूरा कराते समय फील्ड आफिसर सादे कागजों पर ऋणी से हस्ताक्षर करा कर बाद में उसी हस्ताक्षर शुदा कागज पर संतुष्टि पत्र लिखकर ऋण की पूरी धनराशि हड़प लेते है। सामान नहीं देते है जिससे ऋणी काफी परेशान है, की रोकथाम तथा तत्काल कोई ठोस व्यवस्था करने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4–सरकार चीनी मिलों की स्थापना कर रही है परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र सरायमीर के अन्तर्गत लघु चीनी मिल महुजा नेवादा दस वर्ष से बन्द है उसको पुनः चालू करने की व्यवस्था के संबंध में।
		5–किसानों और अन्य निर्बल वर्ग को राहत के उद्देश्य से ऋण माफी की दस हजार रूपये की घोषणा की गई है परन्तु जो बड़े काश्तकार धनीमानी है दबंगई बश कोई किश्त जमा नहीं किए उनका तो ऋण माफ हुआ उसी के विपरीत छोटे काश्तकार, निर्बल वर्ग, दस्तकार और अन्य कारोबार के लिए जो ऋण लिए थे और उसका कुछ अंश जमा किया था उनका ऋण माफ नहीं किया जा रहा है क्या सरकार अपनी ऋण माफी की घोषणा और उसके पूर्व चुनावी घोषणा में दस हजार ऋण माफी करने के वायदे के तहत सभी प्रकार के छोटे कृषकों एवं निर्बल वर्ग की तत्काल ऋण माफी के संबंध में।
		6–अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति के उन गांवों का सर्वांगीण विकास जिनकी जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है के चयन की क्या रूपरेखा के संबंध में।
		7–अल्प संख्यकों की आर्थिक समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा, शासन प्रशासन में भागीदारी का जिक्र किया गया है उसकी रूपरेखा तथा व्यवस्था की समयावधि के सम्बन्ध में।
		8–अभिभाषण में विकलांगो, वृद्धों, विधवाओं एवं दुर्बलों को पेंशन उपलब्ध कराने की बात कही गई है उसकी रूपरेखा तथा काफी पात्र लोग पेंशन पाने से वंचित होने के संबंध में।
		9–चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की बात कही गई है परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र सरायमीर आजमगढ़ अन्तर्गत चिकित्सालयों के स्थापना का कोई जिक्र नहीं है चिकित्सालयों के अभाव में अनेकों मौतें हो चुकी है। चिकित्सालयों की व्यवस्था के संबंध में।
		10–कमजोर वर्ग के आवासीय व्यवस्था की चर्चा अभिभाषण में कही गई है परन्तु हजारों निर्बल वर्ग मजदूर झुग्गी–झोपड़ी में रह रहे है उनको भवन बनवाकर देने का कोई जिक्र नहीं है झुग्गी झोपड़ी वाले निर्बल वर्गों को भवन बनाकर देने की व्यवस्था के संबंध में।
		11–प्रदेश में औद्योगिक इकाई कुटीर उद्योग की चर्चा अभिभाषण में की गई है परन्तु जनपद आजमगढ़

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		उद्योग शून्य है तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र सरायमीर में काफी मात्रा में भूमिहीन निर्बल वर्ग और शिक्षित बेरोजगार है जिसके समाधान के लिए चीनी मिल, कागज का कारखाना तथा कुटीर उद्योग जैसे कालीन बुनाई, कपड़ा बुनाई चर्म उद्योग आदि की स्थापना के संबंध में।
		12–अभिभाषण में सड़कों के बारे में चर्चा है परन्तु सरायमीर विधान सभा अंतर्गत बड़गहन से जम्हुआई, महुजा नेवादा से सरायमोहन, मार्टीनगंज से खेता सराय, पल्पी से शाहगंज, संजरपुर से बेलऊं, मार्टीनगंज से कमालपुर होकर बरौना रसूलपुर, ईमाम अली से कमालपुर चौराहा तक, मार्टीनगंज से नगदावा होकर गोठाव तक सड़क निर्माण के संबंध में।
		13–मण्डल कमीशन के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण सामाजिक न्याय के आधार पर पिछड़े वर्ग को देने की बात कही गई है परन्तु मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू करने की व्यवस्था के संबंध में।
		14–उत्तर प्रदेश की राज्याधीन अन्य सेवाओं में अनु0 जाति/आ0 जन जाति का आरक्षण कोटा सीधी भर्ती करके पूरा करने के संबंध में।
38	श्री नरेन्द्र सिंह भाटी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–
		1–विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में दनकोर कस्बे से होकर हरियाणा, उ0 प्र0 के मार्ग को जोड़ने के लिए उ0 प्र0 शासन द्वारा सर्वेक्षण किये जाने के उपरान्त भी पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के संबंध में।
		2–अकेले सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के 49 गांव जिनकी आबादी 1000 से अधिक है प्राइमरी पाठशालायें न होने के संबंध में।
		3–सिकन्दराबाद नगर पालिका में पेयजल आपूर्ति हेतु पेय जल की कोई योजना न होने के संबंध में।
		4–यमुना खादर में सुरक्षा हेतु पुलिस के अपर्याप्त साधन के संबंध में।
		5–सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज की अपर्याप्त व्यवस्था के संबंध में।"

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
39	श्री मोबीन अहमद आजमी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया:- प्रदेश में जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगा जो इधर 20 अक्टूबर सन् 1990 से हो रहे है खासकर अलीगढ़, कानपुर, बिजनौर और आगरा में अल्पसंख्यकों का जान-माली नुकसान हुआ है सरकार उसको रोकने की कोई अब तक सुरक्षा सेना की व्यवस्था नहीं की है और अगर पी0 ए0 सी0 की व्यवस्था से रोकने के सम्बन्ध में। 2-जनता की भावनाओं को देखते हुए इस वक्त डीजल तथा पेट्रोल की अभाव में किसानों की फसल की आबपासी तथा गन्ना ट्रेक्टर ट्राली के चीनी मिलों तक नहीं पहुंच पा रहा है इसलिए डीजल तथा पेट्रोल की पूर्ति तत्काल करने के सम्बन्ध में। 3-वर्तमान सरकार ने रोजमर्रा की जरूरियत जिन्दगी के सामानों का दाम बढ़ता चला जा रहा है। महंगाई चर्म सीमा पर पहुंच गयी है, महंगाई पर तत्काल रोक लगाए जाने के सम्बन्ध में। 4-झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों, गरीबों मजदूरों को निवास भवन का निर्माण करके उन लोगों को आवंटित करने के सम्बन्ध में। 5-हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है इसका भी जिक्र नहीं है इसलिए तत्काल विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। 6-प्रान्त में 95 प्रतिशत सरकारी टयूबवेल खराब पड़े है उन्हें बनवाने या नया टयूबवेल लगाने के संबंध में। 7-नलकूप विभाग में सम्पूर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी या नलकूप चालक बैठकर वेतन ले रहे हैं। 8-उ0 प्र0 के चिकित्सालयों में जो दवायें भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारी बेच देते है और रोगियों को कोई दवा सरकारी चिकित्सालयों से प्राप्त नहीं होती उस पर सरकार ने कोई नयी नीति निर्धारित नहीं कर रही है। जिससे गरीब लाचार बेसहारा लोग चिकित्सालयों में दवाओं के अभाव में दम तोड़ दे रहे है इस पर सरकार द्वारा तत्काल नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–किसानों को सही ढंग से 12 घण्टा बिजली सरकार द्वारा किसानों को दिये जाने के संबंध में।
		10–किसान अपना निजी नलकूप लगाने के लिए पूरे स्टीमेट का रूपया जमा कर देते हैं लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी उनको लाइन खींचकर बिजली नहीं देते है इसलिए नये नलकूप निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार द्वारा तत्काल खम्भा तार की व्यवस्था करके नये नलकूपों का निर्माण करवाने पर अधिक ध्यान देने के सम्बन्ध में।
		11–बिजली की बिल जो कम्पयूटर प्रणाली से दी जाती है उससे जैसे 120 की जगह 1200 रू0 लिखकर आ जाता है बिल में उत्पन्न दोषों को ठीक करने के सम्बन्ध में।
		12–उ0 प्र0 में गरीब बुनकर इस समय बिजली के अभाव में तथा बिजली विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण एवं गलत बिलों के आने से भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए बुनकरों की समस्या को देखते हुए उनको बिजली अधिक से अधिक देने पर विचार करना चाहिए और जैसे किसानों के नलकूप का प्रति हार्ष पावर निर्धारित रूपये की बिल फिक्स है उसी प्रकार बुनकरों को प्रति पावरलूम 35 रू0 दर से प्रतिमाह निर्धारित किये जाने के संबंध में।
		13–उ0 प्र0 में नगर पालिकायें व महानगर पालिकायें टाउन एरिया ने चेयरमैन तथा अधिशासी अधिकारी के भ्रष्टाचार से जनता काफी त्रस्त है। उन नगरपालिका एवं टाउन एरिया का फिर से जिलाधिकारी ही न कोई जिम्मेदारी लेता है और न चेयरमैन ही लेता है। इसलिए नगरपालिका एवं टाउन एरिया न बिजली न सफाई एवं न पानी ही मिल पाता हैं इसलिए नगरों एवं कस्बों की जनता काफी त्रस्त है। जिससे बीमारी फैलती है इस पर सरकार को नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में।
		14–उ0 प्र0 को पुलिस विभाग के थाना व कोतवालियों में शोषित पीड़ित जनता जब एफ0 आई0 आर0 कराने जाती है तो एफ0 आई0 आर0 नहीं लिया जाता है और जनता से रूपया मांगा जाता है उसके यहां डकैती पड़ जाती है और मर्डर हो जाता है। उससे भी रूपया लेकर एफ0 आई0 आर0 लिखते है। गुण्डों एवं बदमाशों को पुलिस द्वारा राह दिया जाता है और शरीफ लोगों को परेशान किया जाता है इस पर सरकार द्वारा नीति निर्धारित करने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
40	श्री मोहम्मद उल्ला खां	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:-

1-दंगाग्रस्त क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए एक एन्टी राइट फोर्स का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

2-पी0 ए0 सी0 तथा पुलिस के जिन कर्मचारियों के खिलाफ दंगो के दौरान गम्भीर आरोप पाये जायेंगे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में।

3-उर्दू भाषा के लिए विकास कार्य किए जाने के सम्बन्ध में।

4-तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में बाढ़ का प्रकोप रहता है। वहां पर बाढ़ रोकने के स्थायी प्रबंध किये जाने के संबंध में।

5-ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद की बिजली व्यवस्था बहुत खराब है वहां पर पेयजल संकट को देखते हुए 24 घण्टे बिजली दिए जाने के संबंध में।

6-तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में नदी नाले अधिक होने के कारण सम्पर्क मार्ग तथा पुलों के निर्माण करने के संबंध में।

7-ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के करीब जितनी फैक्ट्रियां लग रही है उसमें ठाकुरद्वारा के बेरोजगार नौजवानों को प्राथमिकता के हिसाब से रोजगार दिलवाये जाने के संबंध में।

8-तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में डिग्री कालेज एवं दो कन्या विद्यालय खोले जाने के संबंध में।

9-बहेड़ी बुडग्राम, जनपद मुरादाबाद में जो शुगर फैक्ट्री थी वह खोले जाने के संबंध में।

10-तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में एक सरकारी कताई मिल खोले जाने के संबंध में।

11-हैण्डलूम कारपोरेशन के द्वारा बुनकरों का भुगतान अधिक से अधिक दो हफ्ते के दौरान किए जाने के संबंध में।"

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
41	श्री चैन सुख भारती	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में उल्लेख नहीं किया:- 1-दंगा रोकथाम के लिए पुलिस और पी0 ए0 सी0 की नौकरी में सभी वर्गों के लिए अनुपालिक साझेदारी के संबंध में। 2-बेरोजगारों को रोजगार का अवसर सृजित की बात कहने तथा ग्रामीण और शहरी मजदूरों की प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी 30 रूपये निर्धारित करने के संबंध में। 3-जालौन में यमुना नदी का शेरगढ़ पुल पहुजनदी का नदी गांव पुल 1991 तक पूरा होने का प्रस्ताव था लेकिन इन पुलों का समय पर पूर्ण होने का कोई जिक्र न किए जाने के संबंध में। 4-बुन्देलखण्ड में जालौन कृषि प्रधान जनपद है लेकिन असिंचित भूमि को सिंचाई साधन बढ़ाने का कोई विशेष प्राविधान न रखे जाने के संबंध में। 5-शिक्षा के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने पर जोर नहीं दिया जाता है। प्रत्येक गांव में प्रा0 पाठशाला की प्राथमिकता होती तथा प्राइवेट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों/कालेजों के चलने से जो जनता का शोषण होता है। सर्वसाधारण को लाभ नहीं मिल पाता है। इसके विकल्प का कोई जिक्र न किए जाने तथा सरकारी स्कूलों की संख्या छात्र व छात्राओं की अनुमानित संख्या के आधार पर बढ़ाने की बात रखी होती। पाठ्यक्रम में अन्धविश्वास पनपाने वाले पाठों को भी पाठ्य पुस्तकों से हटाने का जिक्र तथा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चयन आयोग का प्रमाणीकरण न किए जाने के संबंध में। 6-प्रदेशों की मिलों में एवं विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में तथा विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/मजदूरों की रोजी रोटी की गारन्टी के संबंध में। 7-प्रदेश में आई0 आर0 डी0 पी0 आदि के अंतर्गत जो जनता को कर्ज दिया जाता है इससे संबंधित अधिकारी रिश्वत (परसेन्टेज) लेते हैं। और परेशान करते हैं इसके रोकथाम की कोई सशक्त बात नहीं करने के संबंध में। 8-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की नौकरियों

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		में आरक्षण कोटा पूरा करने और नौकरियों में प्रोन्नति का आरक्षण कोटा को पूरा करने का प्रभावी कदम उठाने का जिक्र के संबंध में।
		9–मादक वस्तुओं के प्रतिबन्ध पर कोई जिक्र नहीं करने के संबंध में।"
42	श्री फौजदार प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–
		1–सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त कर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज की रचना करने के संबंध में
		2–राजनीति की आड़ में धार्मिक बढ़ावा देने एवं साम्प्रदायिकता समाप्त करने के प्रयासों का उल्लेख न किए जाने के संबंध में।
		3–सामाजिक परिवर्तन के बिना व्यवस्था परिवर्तन की शर्त पूर्ण करने के संबंध में।
		4–कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 21 सूत्रीय कार्यक्रमों में कमजोर वर्गों को समुचित विकास के लिए स्वीकृत धनराशि को और बढ़ाया जाय, ताकि शौचालय, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि का सभी को लाभ मिल सकने के संबंध में।
		5–आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा मात्र कागजों में ही मौके पर नहीं कब्जा दिलाया अभियान अंकित न किए जाने के संबंध में।
		6–विधवा, वृद्धा, विकलांग सभी को पेंशन दिलाने की कोई स्पष्ट बात न अंकित किए जाने के संबंध में।
		7–पी0 ए0 सी0 अत्याचार हत्या लूट कराने में विशेष भूमिका अदा करती है। ऐसी परिस्थिति शान्ति सेना के गठन में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्प संख्यकों की समान भागीदारी के संबंध में।
		8–दलितों, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए बन्दूक का लाइसेंस देने के संबंध में कोई बात स्पष्ट नहीं किया गया है। पिछड़ी जातियों, दलितों एवं मुसलमानों की सुरक्षा पुलिस करने में असफल है। इस बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए बन्दुकों के लाइसेन्स देने की कोई बात अंकित न किए जाने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–प्रदेश में कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनकी काश्तकार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के बाद भी खत्म नहीं हुई हैं ऐसे काश्तकारों की कोई सूची प्रस्तुत करने की बात करने के संबंध में।
		10–अनुसूचित जाति के जनजाति के आरक्षित कोटे को हर विभाग में पूरा करने के संबंध में।
		11–अनुसूचित जातियों की बस्तियों में विद्युतीकरण करने के संबंध में।
		12–सरकार द्वारा घोषित 10000 रू0. ऋण माफी में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एंव पिछड़ी जातियों को लाभ नहीं मिल सका इस घोषणा में उक्त सवर्ण काश्तकारों को ही लाभ मिल सका। बाकी किश्तों की पूर्ण माफी नहीं होने के संबंध में।
		13–ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करने के संबंध में।
		14–चौकीदार, बेलदार, अंशकालिक ट्यूबवेल आपरेटरों को स्थायी कर नियमित करने के संबंध में।
		15–बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने की गारन्टी के संबंध में।
		16–मण्डल कमीशन के अनुसार आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए सक्षम कानून बनाने के संबंध में।
		17–बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता एवं रोजगार दिलाने की गारन्टी के संबंध में।
		18–श्रमिकों के श्रम के अनुसार मजदूरी की गारन्टी के संबंध में।
		19–मुहम्मदाबाद मोहना बन्दी घाट टैक्स नहीं पर पुल बनाने के संबंध में तथा मुहम्मदाबाद मात्र डेढ़ ब्लाक की तहसील को बढ़ाने व पुराने ब्लाकों को जोड़कर मुहम्मदाबाद चार तहसील बनाने के संबंध में।
		20–मुहम्मदाबाद तहसील की समस्त सड़कों को करहां से पलिया, ढोलना से बन्दीघाट तक बलिया पुर से हाफिजपुर टेकई मुहम्मदाबाद से इब्राहिमपुर सड़क निर्माण के संबंध में।
		21–ब्लाक रानीपुर मुहम्मदाबाद गोहना में पेयजल

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		की पूर्ति हेतु हैण्ड पाइपों को लगाने के संबंध में तथा पंचायत भवन, डाकबंगला, नलकूप ड्रेन, हास्पिटल आदि के निर्माण के संबंध में। 22–फर्जी इनकाउन्टरों को रोकने हत्यारों पर मुकदमा दर्ज करने तथा बलात्कार, चोरी, डकैती रोके जाने के संबंध में। 23–वर्तमान भूमि सुधार व हद बन्दी कानून में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने व अतिरिक्त कृषि भूमि को भूमिहीन अनुसूचित जातियों, जनजातियों को जमीन बांटने व ग्राम समाज की बंजर, ऊसर, परती भूमि को भूमिहीनों को आवंटित करने के संबंध में। 24–अधीया बटाई की भूमि पर कृषि करने वालों को भू–स्वामी बनाने के संबंध में। डा0 अम्बेदकर के नामों से संचालित समस्त स्कूल में जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता देकर स्थायी एवं नियमित करने के संबंध में तथा अम्बेदकर विश्वविद्यालय को शीघ्र पूरा कराकर चालू कराने के संबंध में।"
43	श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी	प्रस्ताव अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:– 1–सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में। 2–तहसील मुख्यालय डुमरियागंज टाउन एरिया बनाने के संबंध में। 3–तहसील मुख्यालय डुमरियागंज टाउन फीडर में जल जमाव और निकासी के सम्बन्ध में। 4–तहसील मुख्यालय डुमरियागंज पेयजल की समस्या दूर करने के सम्बन्ध में। 5–चन्द्र दीप घाट पर पुल बनाने के संबंध में। 6–शाहपुर से सिगार जोत बांध बनाने के सम्बन्ध में। 7–चोरघटा घाट पर पायल ब्रज बनाने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8–डुमरियागंज से सिद्धार्थनगर रोडवेज की बस चलाने के सम्बन्ध में। 9–पटखौली भेसीरतनपुर, उवारे, इजरहवा, सिकौथा से विस्कोर मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में। 10–डुमरियागंज टाउन फीडर में सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में। 11–रामवृक्ष मार्ग से जोरो घाट पर मार्ग बनाने के सम्बन्ध में। 12–बुनरेठीहा से डोमसरा गोपिया असन्हरा घाट तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। 13–समरा से परसाकुटुब, नरखोरिया मार्ग निर्माण के संम्बन्ध में। 14–सिगार जोत पर राप्ती नदी पर पैटून पुल बनवाने के सम्बन्ध में। 15–बढ़नी चाफा मार्ग निर्माण और राजकीय बस चलाने के सम्बन्ध में। 16–राजकीय महिला डिग्री कालेज डुमरियागंज मुख्यालय पर बनाये जाने के संबंध में। 71–भवानीगंज, डोमसरा, कुर्थिया, मल्हावार, नावडीह, शीतलभीटा, मछलीगांव, बढ़नीचापा, जहदा, कठरिया , गोपिया, राउडीला, अन्डुवा, तेन्हुई, बिबरिया, पेडरिया जीत, देवरिया चमन, वीरपुर, एहतमाली, भैसीरतनपुर, कुवारे, उजैनिया, गौरी पाठक, भज्जेमार, जमुनी, डिढई, पिकोरा, बनगवा, सिरलिया चाफा, वरघाट, गोढटुटूवा, धर्मपुर, भैहिया, हिसामदियापुर, लुगरेडीहा, जूडी कुईया, बेलवा, बिजौरा, गागापुर, इन ग्रामों में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में।"
44	श्री सुरेश कुमार खन्ना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया:– 1–उन लोगों की आलोचना नहीं की जिन्होंने जनादेश की अवहेलना करके ऐसे लोगों से गठ जोड़ किया जिनके विरूद्ध प्रचार करके सत्ता प्राप्त की, के सम्बन्ध में। 2–इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने अथवा शाहजहांपुर जनपद को लखनऊ बेन्च से जोड़ने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3–लखनऊ बरेली रोड पर शाहजहांपुर में बाई पास बनाने के सम्बन्ध में।
		4–शाहजहांपुर नगर की सड़कें ठीक कराने के सम्बन्ध में।
		5–शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में समस्त ग्रामों में जू0हा0 स्कूल खोलने एवं विद्युतीकरण करने तथा पक्की सड़कें बनवाने के सम्बन्ध में।
		6–शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में एक इण्टर कालेज व नगर में एक और डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में।
		7–शाहजहांपुर नगर की समस्त रोडों को पक्का करने के सम्बन्ध में।
		8–प्रदेश में बिक्रीकर समाप्त करने के सम्बन्ध में।
		9–प्रदेश में बेरोजगारी को समूल रूप से दूर करने अथवा बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।
		10–शाहजहांपुर में कोलाघाट व रामगंगा नदी पर पुल व कठवा नदी पर कुचई व कुन्डी घाट पर पुल बनवाने तथा गौहापुर (जैतीपुर) में रामगंगा पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में।
		11–शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे करने के सम्बन्ध में।
		12–शाहजहांपुर में रौजा रजबाहा लोधीपुर माइनर, सिमरई माइनर में पानी न आने के संबंध में।
		13–शाहजहांपुर में एक अन्य डिग्री कालेज व कानून की कक्षाएं खोले जाने के सम्बन्ध में।
		14–कालीन उद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में।
		15–शाहजहांपुर जनपद में अपराधों की संख्या को कम करने के सम्बन्ध में।
		16–शाहजहांपुर में नगर बस सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।
		17–शाहजहांपुर नगर में सभी मार्गों पर सीवर लाइन पड़ने के संबंध में।
		18–प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों को समाप्त किया

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जाय यह अभी तक रोजगार दिलाने में साधक नहीं बल्कि बाधक सिद्ध हुए है के संबंध में।"
45	श्री मंजूर अहमद	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:- 1-पी0 ए0 सी0 ने जो दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में अल्प संख्यकों पर जुल्म किये हैं उन पर रोक तथा पी0 ए0 सी0 में मुसलमानों की भर्ती के संबंध में। 2-उर्दू भाषा के विकास तथा उर्दू टीचर रखने के संबंध में। 3-बहेड़ी जनपद बरेली में कन्या विद्यालय खोलने के संबंध में। 4-बहेड़ी जनपद बरेली के गांवों को सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ने के संबंध में। 5-ग्राम अलसिथा मोड़ा विकास खण्ड रिघ, जनपद बरेली में चिकित्सालय खोलने के संबंध में। 6-शेखपुर विकास खण्ड रिघ जनपद बरेली में सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप का बोरिंग न करने के संबंध में। 7-पेट्रोल एवं डीजल की कमी होने के संबंध में।"
46	श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:- 1-जनपद इलाहाबाद के 279 मंझनपुर क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को देखते हुए एक चीनी मिल लगाने के संबंध में। 2-इलाहाबाद के मंझनपुर क्षेत्र में नलकूप की शून्यता को देखते हुए विश्व बैंक कलेस्टर नलकूप की प्रगति बढ़ाने के विषय में। 3-इलाहाबाद मंझनपुर दुवाबा क्षेत्र में किसनुपुर नहर के खराब हालात व मरम्मत हेतु धन आवंटित करने के संबंध में। 4-कृषकों को मंझनपुर क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपलब्ध

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		होने मे भारी कठिनाईयों एवं डीजल में हो रही कालाबाजारी को रोकने के संबंध में। 5–मंझानपुर क्षेत्र में कोस्वापी ब्लाक में कौसाम्बिक पर्यटन क्षेत्र घोषित होने के बाद प्रगति रूकने के संबंध में। 6–इलाहाबाद मंझानपुर क्षेत्र में सरसुवा ब्लाक में पवीसा के पहाड़ी एवं अलवारा झील के सौन्दर्यीकरण के संबंध में। 7–मंझानपुर क्षेत्र के सरसुआ ब्लाक में विद्युत सब स्टेशन की प्रगति के संबंध में। 8–जनपद इलाहाबाद मंझानपुर दुवाबा क्षेत्र के विकास के लिए कौसाबी नाम से एक नया जिला बनाने के संबंध में। 9–मंझानपुर क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सभा में प्रत्येक ग्राम सभा में सम्पर्क मार्ग एवं विद्युतीकरण के संबंध में।"
47	श्री रवि कान्त गर्ग	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:– 1–बिक्रीकर को समाप्त करके उत्पादन कर लगाये जाने के संदर्भ में। 2–प्रदेश के प्रत्येक नौजवान को रोजगार के अवसर अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में। 3–किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिये जाने के साथ ही गन्ना क्रय नीति में संशोधन करके जितना गन्ना उतनी पर्ची सिद्धांत को लागू किये जाने के संबंध में। 4–गेहूं तथा अन्य खाद्य सामग्री पर बेतहाशा हुई मूल्य वृद्धियों को रोके जाने हेतु सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से पर्याप्त मात्रा में गेहूं तथा अन्य खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। 5–अयोध्या में हुये नरसंहार के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। 6–श्री राम जन्म भूमि आन्दोलन के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा अवैधानिक रूप से आवागमन के साधनों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। 7–शासन द्वारा रामभक्तों का उत्पीड़न तथा

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		मथुरा के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रामभक्तों पर किए गए अत्याचार, लाठी-गोली वर्षा एवं पिटाई के संबंध में।
		8-मथुरा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिनांक 27 नवम्बर को भाजपा के शान्ति प्रिय प्रदर्शन पर की गई अमानुषिक गोली वर्षा तथा विधायक रविकान्त गर्ग सहित 700 व्यक्तियों के विरूद्ध फर्जी रिपोर्ट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।
		9-मथुरा-वृन्दावन जैसे धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में शासकीय मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
		10-वृन्दावन-मांट पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
		11-मथुरा विकास खण्ड में लघु औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
		12-मथुरा वृन्दावन नगरों में पवित्र यमुना नदी में गिरने वाले नालों को अविलम्ब रोके जाने के सम्बन्ध में।
		13-श्री यमुना नदी के प्रदूषण को समाप्त किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में।
		14-मथुरा के आर0 सी0 ए0 गर्ल्स डिग्री कालेज तथा किशोरी रमण गर्ल्स महाविद्यालय को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृह विज्ञान इत्यादि में स्नातकोत्तर मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
		15-मथुरा विकास खण्ड के ग्राम राल एवं जैत में नवीन महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।
		16-राल ग्राम सभा के समीप चीनी मिल खोले जाने के सम्बन्ध में।
		17-मथुरा में धान के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए, चावल मिल की स्थापना किये जाने के संबंध में।
		18-मथुरा-वृन्दावन के पौराणिक स्वरूप की रक्षा हेतु प्राचीन स्थलों के संरक्षण एवं सरस्वती कुण्ड, महाविद्या कुण्ड, कंकाली कुण्ड, शिवताल, गरूड़ गोविन्द कुण्ड इत्यादि स्थलों के जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने के सन्दर्भ में।
		19-मथुरा-वृन्दावन मार्ग स्थित वन-चेतना केन्द्र के विस्तार किए जाने के संबंध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

20–मथुरा–वृन्दावन के पर्यटन विकास हेतु महायोजना तैयार किये जाने के संबंध में।

21–मथुरा–वृन्दावन की पेयजल समस्या के स्थायी निराकरण के संबंध में।

22–मथुरा–वृन्दावन की जीर्ण–शीर्ण सड़कों के निर्माण हेतु पर्याप्त अनुदान दिए जाने के संबंध में।

23–वृन्दावन स्थित राजकीय हैजा अस्पताल, जच्चा–बच्चा केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में।

24–वृन्दावन में 50 शैय्या का राजकीय अस्पताल खोले जाने के संदर्भ में।

25–बृज–भाषा अकादमी की स्थापना किये जाने के संबंध में।

26–बृज संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार–प्रसार एवं उत्थान हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

27–मथुरा एवं वृन्दावन जल संस्थानों को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में।

28–मथुरा जनपद में एस0 एस0 पी0 पद सृजित किये जाने के संबंध में।

29–समूचे बृज प्रदेश में नील गायों से होने वाली फसलों की बरबादी को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के संबंध में।

30–ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र की सीमा को घटाये जाने के सम्बन्ध में।

31–कोसी में बढ़ते हुए औद्योगिक विकास को देखते हुए 132 के0 वी0 ए0 सब स्टेशन की शीघ्र स्थापना किए जाने के संबंध में।

32–मथुरा विकास खण्ड के ग्राम राल, जैत, छटीकरा, बाटी एवं औरंगाबाद में किसान नगरों की स्थापना किये जाने के संबंध में।

33–मथुरा एवं वृन्दावन में प्रेक्षा गृह की स्थापना किये जाने के संबंध में।

34–महिला एवं बच्चों की शारीरिक विकास हेतु मथुरा तथा वृन्दावन में महिला बच्चों के पार्क निर्माण किये जाने तथा खेलकूद के आधुनिक साधन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।"

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
48	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:- 1-अनुसूचित जातियों/जनजातियों/पिछड़े वर्गों में सुरक्षा की भावना का विश्वास दिलाने एवं उनके सामाजिक तथा आर्थिक विकास की रूपरेखा तय करने के संबंध में। 2-प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी को हल करने, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देने के संबंध में। 3-ग्राम सभाओं, विकास खण्डों, जिला परिषदों, नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया जैसी ग्रामीण व नगरीय लोक संस्थाओं को मजबूत बनाने, अनुसूचित व शोषित लोगों के लिए कारगर कार्य करने के संबंध में। 4-कानून तथा शान्ति व्यवस्था के उत्तरोत्तर बिगड़ते स्तर को प्रभावशाली बनाने गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने के संबंध में। 5-राजनैतिक विरोधी दलों विशेषत: विपक्षी दलों के सदस्यों को विधान सभा के अन्दर सम्मान रखने तथा बाहर सम्मान शिष्टता के व्यवहार को कायम रखने के संबंध में। 6-अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की हत्या, बलात्कार, उत्पीड़न, शोषण और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए किये जाने वाले कार्यों के संबंध में। 7-प्रदेश के किसानों को सस्ती, बिजली, सस्ता पानी, सस्ती खाद, सस्ती कीटनाशक दवायें तथा सस्ते कृषि यंत्र दिलाने के संबंध में। 8-प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में। 9-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई, नशाखोरी तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के संबंध में। 10-प्रदेश के अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को वित्तीय सहायता देने एवं उन्हें स्थायी मान्यता देने के संबंध में। 11-गाजीपुर जनपद में 1990 में हुई भंयकर तबाही से जखनिया रामपुर बलभद्र कृतसिंहपुर, मनिहारी यूसुफपुर गुरैनी रामसिंहपुर, छपरी खिडी चैरना खोजापुर,

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		धामपुर, मठुकपुर जबरापार, बसेवां परेवां आदि सैकड़ों गांवों में हुई भयंकर तबाही के संबंध में।
		12–गाजीपुर में जखनिया पुल्लहपुर, शादियाबाद, झोटना में कन्या हाईस्कूल खुलवाने के संबंध में।
		13–बहरियाबाद बधाई, जखनिया बसेवां पुल्लहपुर में कोई बड़ा उद्योग लगाने के संबंध में।
		14–विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग सहायता जू0 हा0 स्कूलों के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्र-वृत्ति अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को देने वाली राजकीय छात्रवृत्ति , शस्त्रों के लाइसेंस देने में दबाव व गुटबंदी को दूर करने के संबंध में।
		15–गाजीपुर जनपद में चकबन्दी विभाग द्वारा की जा रही शिकायतों एवं इसी जनपद के जखनिया, मनिहारी सादात विरनों में की गयी गड़बड़ियों तथा पक्षपात पूर्ण चकों को निस्तारण व निर्धारण को ठीक करने के संबंध में।
		16–छोटी जाति के किसानों, बुनकरों, दस्तकारों एवं शिक्षित बेरोजगारों द्वारा लिए गये दस हजार रूपये तक के ऋण को सामूहिक रूप से माफ करने के सम्बन्ध में।
		17–गाजीपुर जनपद में मगई, बेसी व उदन्ती नदियों पर पुल बनाकर मजई दुल्लपुर मार्ग को वाराणसी, आजमगढ़ मार्ग से जोड़कर उत्तरी गाजीपुर के विकास के संबंध में।
		18–गाजीपुर में फतेउल्लापुर मार्ग, शहरपुर, यूसुफपुर मार्ग, बुटहन गोलाधरी, हंसराजपुर मार्ग तथा चौकड़िया घाट पर पुल के निर्माण के संबंध में।
		19–गाजीपुर जनपद के मनिहारी जखनियां, बिरनो, दवेकली और सैदपुर ब्लाक में जौनपुर के जलालपुर तथा केराकत ब्लाक में व वाराणसी के आराजी लाइन तथा काशी विद्यापीठ व नियमताबाद ब्लाक में क्रमशः मगई बेसे, उदत्ती, गंगा, गोमती, गांगी, सई नदियों की बाढ़ व गर्मी में सूखे से होती भारी ताबाही से निपटने के सम्बन्ध में।
		20–प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन केन्द्र गाजीपुर के नन्दगंज और देवकली में खोया, मक्खन, घी, मिल्क पाउडर आदि जैसे उद्योगों तथा डेयरी कार्यों के लिए नयी योजना तैयार करने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21–गाजीपुर में शादियाबाद, दुल्हपुर, लहुरामपुर, कोड़री व हथियाराम में बीस–बीस बेड का आधुनिक साज सज्जा से युक्त अस्पताल बनाने के संबंध में।
		22–काशी विद्यापीठ वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, रीडरों, प्रोफेसरों लेक्चरों की भर्ती में अनुसूचित जातियों को आरक्षित स्थान देने तथा बकाया कोटा पूरा करने के संबंध में।
		23–गाजीपुर जनपद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बसेवां, गोदसइयां सुल्तानीपुर चौरा ओड़राई में अनुसूचित जाति के छात्रों की क्षतिपूर्ति देने तथा इन ग्रामीण विद्यालयों को आवश्यक वित्तीय सहायता दिलाने के संबंध में।"
49	श्रीमती रामेश्वरी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया:–
		1–हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के विवाह में जो देने का प्राविधान अनुदान राशि है उसे 25000 हजार रुपये तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।–
		2–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की हत्या एवं मारपीट तथा दुर्घटना में जो देने का प्राविधान अनुदान राशि है उसके एक लाख रुपये बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
		3–अनुसूचित जन जाति को जो भूमि आवंटित की गयी है उसे कृषि लायक बनाने के लिए अनुदान राशि दिये जाने के सम्बन्ध में।
		4–अनुसूचित जनजाति को जो भूमि गांव समाज की आज भी पट्टे पर नहीं दी गयी उसे वर्ष 91–92 तक पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में।
		5–अनुसूचित जनजाति की जो भूमि पट्टा पर दी गयी है उसे पट्टेदारों को कब्जा दिलाकर सरकारी खर्च से फसल की उपज कराने के सम्बन्ध में।
		6–ग्राम इस्लामाबाद विकास खण्ड कोतवाली व

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		कन्या हाईस्कूल इण्टर कालेज खोलवाने हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
		7–ग्राम इस्लामाबाद विकास खण्ड कोतवाली में उच्चीकृत स्थापित करने हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
		8–ग्राम कालाखेड़ी भूरापुर सम्पर्क करने वाली मार्ग जिसकी लम्बाई 7.00 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में।
		9–जनपद बिजनौर की नगीना क्षेत्र के अन्तर्गत बुन्दकी में गन्ना मिल खोले जाने के सम्बन्ध में।
		10–नगीना जिला बिजनौर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।
		11–अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के 1990 तक के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने या रोजगार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।
		12–बुनकरों के कर्जे माफ के लिए तत्काल राजाज्ञा निर्गत करने के सम्बन्ध में।
		13–बिजली की अव्यवस्थित व्यवस्था ठीक कराने के सम्बन्ध में।
		14–वृद्धावस्था व विधवा सेवा विकलांग पेंशन पास होने पर अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में।
		15–महिलाओं का नौकरियों में आरक्षण करने के सम्बन्ध में।
		16–आरक्षण कोटा पूरा होने तक सामान्य नियुक्तियों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।
		17–जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि का उपयोग सरकारी देख–रेख में की जावें तथा पूर्व दी गई धनराशि के व्यय की विधिवत जांच कराकर दोषी प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
		18–प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को रोकने हेतु आवश्यक कानून बनाकर दण्ड का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।
		19–प्रदेश में व्याप्त डीजल व मिट्टी के तेल की समस्या का स्थायी निदान निकाले जाने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20–प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में। 21–दंगे में तथा शोषण में मरने वालों को मिलने वाली सहायता धनराशि समान करने के सम्बन्ध में। 22–दहेज से प्रभावित मरने वाली महिलाओं के पति को दूसरी शादी न करने हेतु कानून बनाये जाने के संबंध में। 23–किसानों की फसल का मूल्य सरकारी फार्मों से पैदा किए गये खाद्यान्न के बराबर किये जाने के सम्बन्ध में। 24–मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 50 रू0 मासिक करने के सम्बन्ध में। 25–छोटे बच्चों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।"
50	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:– 1–प्रदेश में जातिवाद, अल्पसंख्यक वाद, साम्प्रदायक हिंसा, अलगाववाद और राजनैतिक अपराधीकरण को रोकने के संबंध में। 2–किसानों को उनकी उपज का लागत व्यय के हिसाब से पर्याप्त लाभकारी मूल्यों की घोषणा के संबंध में। 3–प्रदेश के नागरिकों को अपने सुरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स देने के संबंध में। 4–प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार की गारन्टी देने के संबंध में। 5–जनपद ललितपुर में जाखलौन पम्प कैनाल को अतिशीघ्र पूरा कराके सिंचाई सुविधा दिलाने के संबंध में। 6–जनपद ललितपुर के विकास खंडों, विरधा, बार, मडावरा में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु देवगढ़ पम्प कैनाल तथा लखंजर बांध निर्माण कराने के संबंध में। 7–जनपद ललितपुर में सरकारी नलकूप लगाने हेतु

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		मानक में ढील देने तथा तुरन्त स्थापित करने के संबंध में।
		8—जनपद ललितपुर में सभी विकास खण्डों में डी0पी0ए0पी0 योजना शुरू करने के सम्बन्ध में।
		9—ललितपुर के राजघाट गंध परियोजना के डूब क्षेत्र के किसानों को पुनर्वास कराने के सम्बन्ध में।
		10—ललितपुर जनपद के प्रत्येक गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने तथा अधूरे मार्गों को वर्ष के अन्त तक पूरा कराने के संबंध में।
		11—जनपद ललितपुर में इमारती पत्थर खदानों को नीलाम न करके पुरानी लीज पद्धति पर ही देने के संबंध में।
		12—जनपद ललितपुर को डकैत प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सड़कें बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा डकैत प्रभावित क्षेत्रों को मिलने वाली धनराशि देने के संबंध में।
		13—ललितपुर जनपद में वर्षों से निर्मित हो रहे अस्पताल को पूरी राशि उपलब्ध कराके वर्षों के अन्त तक जनता को समर्पित करने के संबंध में।
		14—जनपद ललितपुर के टीकमगढ़ राजघाट सड़क को स्टेट हाईवे घोषित करने के संबंध में।
		15—ललितपुर जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में महिलाओं के जच्चा बच्चा केन्द्र खोले जाने के संबंध में।
		16—जनपद ललितपुर में विद्युत वोल्टेज की कमी को दूर करने हेतु महरौनी तथा विरधा में 33 के0वी0 विद्युत स्टेशन तुरन्त स्थापित करने के संबध में।
		17—ललितपुर जनपद के प्रत्येक विकास खंड पर बालिका हाई स्कूल एवं बार ब्लाक के बानपुर ग्राम में बालक हाईस्कूल स्थापित करने के संबंध में।
		18—ललितपुर जनपद के प्रत्येक गांव की विद्युतीकरण करने के संबंध में।
		19—जनपद ललितपुर देवगढ़ तथा मउनपुर पर्यटन स्थल एवं जनपद को राज्य परिवहन से जोड़ने के सम्बन्ध में।
		20—जनपद ललितपुर की पुरातत्व की धरोहर की सुरक्षा के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21–जनपद ललितपुर की जामनी, शहजाद नदी, सजनाम, रोहनी, जयडार, बन्डई, घसान नदी, बेतवा नदी के किनारे–किनारे विद्युत लाइने डालकर सिंचाई हेतु जल के उपयोग के सम्बन्ध में।
		22–जनपद ललितपुर में जनता को स्वस्थ पेयजल हेतु पानी पाइप लाइने तथा हैण्ड पम्प स्थापित करने के सम्बन्ध में।
		23–जनपद ललितपुर में सौरई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले राक फास्फेट पर आधारित खाद कारखाने को जनपद में ही स्थापित करने के सम्बन्ध में।
		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
51	श्री शैलेन्द्र कुमार	"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:–
		1–किशुनपुर पम्प नहर का टेल चायल तहसील में पड़ता है। जिसमें पानी नहीं आ पाता है। तिल्हपुर सैदपुर के बीच लिफ्ट योजना बनाकर टेल में पानी पहुंचाने की व्यवस्था के संबंध में।
		2–किशुनपुर पम्प नहर के पटरी सड़क को लेपन स्तर तक किया जाएं खास कर तहसील करने के संबंध में।
		3–चायल तहसील में विश्व बैंक व सरकारी नलकूप की व्यवस्था हर गांव तथा पुरवों में किये जाने के संबंध में।
		4–चायल तहसील में 3 ब्लाक आते हैं। यहां तीनों ब्लाकों में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।
		5–चायल, नेवादा, मूरतगंज में गन्ने की पैदावार अत्यधिक होती है इन तीनों ब्लाक के बीच एक चीनी मिल लगायी जाने के संबंध में।
		6–चायल ब्लाक के मुख्यालय पर तहसील व एक परगनाधिकारी की बैठक व्यवस्था हो तहसील का एक ब्रांच आफिस खोले जाने के संबंध में।
		7–चायल तहसील के 3 ब्लाकों में 200 शैय्या वाले अस्पताल खोले जाने के संबध में।
		8–तहसील चायल औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा है यहां औद्योगिक शून्य क्षेत्र घोषित करते हुए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–चायल, नैवादा व मूरतगंज के तीनो ब्लाकों में मिनी स्टेडियम बनाये जाने के संबंध में।
		10–चायल, नेवादा, मूरतगंज के तीनो ब्लाकों में एक–एक टाउन एरिया है जिनका नाम चायल, सरायअकिल व मरवारी है। यहां टाउन एरिया को 25–25 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने के संबंध में।
		11–चायल, नेवादा व मूरतगंज के सभी ग्रामों में बनी सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ कर लेपन स्तर की सड़क बनाये जाने के संबंध में।"
52	श्री अकबर अली	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया:–
		1–साम्प्रदायिक दंगो को रोकने में पुलिस/पी0 ए0 सी0 द्वारा रवैया नकारात्मक होने के सम्बन्ध में।
		2–अल्प संख्यक आयोग को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में।
		3–अल्प संख्यको की शासन/प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।
		4–दस्तकारों व गरीब दुकानदारों को आई0 आर0 डी0 स्कीम में दिए गए ऋण माफ किये जाने के संबंध में।
		5–डीजल, पेट्रोल की किल्लत और उस पर चलने वाली ब्लैक की स्थिति से निपटने के संबंध में।
		6–उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति में बी0 टी0 सी0 की योग्यता के साथ–साथ यू0 टी0 सी0 या समकक्ष योग्यता वाले उर्दू विद्वानों को पात्र बनाए जाने के संबंध में।
		7–जिला जालौन में बालिका महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।
		8–जिला जालौन के मुख्यालय उरई के औद्योगीकरण करने के संबंध में।
		9–जालौन नगर परिवहन व्यवस्था के सुधार के संबंध में।
		10–कृषि प्रधान जनपद जालौन में बन्द पड़े ट्यबबेलों की समस्या के संबंध में।
		11–उरई विधान सभा क्षेत्र की बस्तियों का

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		विद्युतीकरण किए जाने के संबंध में। 12–प्रदेश के असमान विकास के कारण के संबंध में।"
53	श्री अमर नाथ यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं किया:– 1–वाराणसी में सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से जलापूर्ति के सम्बन्ध में। 2–वाराणसी महानगर के ढेलवरिया, नक्खीघाट, कोनिया, राजा बाजार, सरैया एवं चौका घाट, जलालीपुरा एवं अन्य क्षेत्रों में सीवर बैठाने के सम्बन्ध में। 3–वाराणसी शहर में संक्रमण रोग अस्पताल को 500 शैय्या वाला अस्पताल में बदलने के सम्बन्ध में। 4–वाराणसी शहर में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज चौकाघाट क्षेत्र में खोलने के सम्बन्ध में। 5–वाराणसी महानगर में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में। 6–वाराणसी महानगर के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग खोलने के सम्बन्ध में। 7–वाराणसी महानगर की समस्त टूटी–फूटी सड़कों एवं गलियों के मरम्मत के सम्बन्ध में। 8–वाराणसी महानगर में भीषण एवं भयंकर जल–जमाव से बचाव के सम्बन्ध में। 9–वाराणसी शहर में एक मिनी स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में। 10–वाराणसी महानगर में घातक एवं अनियंत्रित यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में। 11–वाराणसी महानगर के प्रत्येक बालक एवं बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु प्राथमिक पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में। 12–उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के जनक के रूप में वित्त विहीन मान्यता को आगे न देने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–प्राप्त वित्त विहीन मान्यताओं को सवित्त करने के सम्बन्ध में।
		14–उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालय एवं इण्टर कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।
		15–वाराणसी महानगर में वरूणा नदी पर नक्खी घाट के पास एक नया पुल बनाने के सम्बन्ध में।
		16–उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में रूके पद सृजन को खोलने के सम्बन्ध में।
		17–वाराणसी महानगर में हाई स्कूल व इण्टर कालेजों में समस्त बालकों एवं बालिकाओं के प्रवेश के सम्बन्ध में।
		18–वाराणसी महानगर में खुले आम मांस बेचने से रोकने के सम्बन्ध में।
		19–वाराणसी महानगर में सार्वजनिक स्थान, विद्यालयों, मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों के पास खुले शराब के दुकानों को हटवाने के सम्बन्ध में।
		20–वाराणसी महानगर के राजा बाजार, नदेसर, धौखाबाद, चौकाघाट, पिपरिया दोखरी, ढेलवरिया, नक्खी घाट, कोनिया आदि मलिन बस्तियों में गली, सड़क, नाली बिजली, सफाई, सीवर आदि के सुधार के सम्बन्ध में।
		21–वाराणसी के 243 उत्तरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 नये नलकूप स्थापित करने के सम्बन्ध में।
		22–वाराणसी महानगर में बरसाती मेंढक की तरह खोले जा रहे नर्सरी विद्यालयों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में।
		23–वाराणसी महानगर में बढ़ रही हत्या, डकैती, चोरी, लूटपाट, राहजनी, आदि को रोकने के सम्बन्ध में।
		24–वाराणसी महानगर में बढ़ रहे पुलिस आंतक एवं दमनकारी रवैये को समाप्त करने के सम्बन्ध में।
		25–वाराणसी महानगर में चेतगंज कोतवाली जैतपुरा, आदमपुरा आदि थानों में दंगो के समय अथवा

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		अन्य अवसरों पर निर्दोष बन्द किये गये राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें उठाने के सम्बन्ध में।"
54	शिवराम सिंह कुशवाहा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:- 1-प्रदेश की सरकारी सेवाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा राजकीय निगमों में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने के संबंध में। 2-शिक्षा तथा नौकरियों में मण्डल आयोग की सिफारिश लागू किये जाने के संबंध में। 3-आरक्षित स्थानों को उपयुक्त पात्रों से भरे जाने के संबंध में। 4-बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के सारे साहित्य को प्रकाशित कराकर उसे प्रदेश के हरिजन छात्रावासों, पुस्तकालयों व सरकारी अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से रखे जाने के संबंध में। 5-हरिजन शब्द का प्रयोग सरकारी कार्य में दलित वर्ग के लिए न किए जाने के विषय में। 6-किसानों की फसल बीमा योजना के संबंध में। 7-छोटे किसानों को सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती खाद तथा कीटनाशक दवायें देने के संबंध में। 8-खराब नलकूपों को ठीक कराने व नालियों को बनवाने के संबंध में। 9-अनुसूचित जाति व कमजोर वर्गों के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि तथा बिना ब्याज के कर्ज दिलाने के विषय में। 10-महिलाओं, पिछड़ों तथा अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोके जाने के संबंध में। 11-दंगो के दौरान पुलिस व पी0 ए0 सी0 द्वारा जनता का उत्पीड़न करने पर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में। 12-पिछड़ी जाति के छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिए जाने के संबंध में। 13-जिला जालौन के गौहन कस्बे में तहसील

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		स्थापित करने के विषय में।
		14-जिला जालौन के गोहन कस्बे में डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में।
		15-गन्ना उत्पादक माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गोहन कस्बे में गन्ना मिल खोले जाने के संबंध में।
		16-अनुसूचित जाति के लोगों को उत्पीड़न के मामलों में देय एक हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर पांच हजार रुपये किए जाने के संबंध में।
		17-पिछड़ी जाति के लोगों को उपरोक्तानुसार सहायता राशि दिए जाने के संबंध में।
		18-जिला जालौन के बीहड़ क्षेत्र को एक वर्ष के अन्दर समतल में परिणित किए जाने के संबंध में।
		19-पूरे प्रदेश में अनियमित विद्युत आपूर्ति में सुधार किए जाने के संबंध में।
		20-जिला जालौन के बीहड़ स्थित ग्रामों का अनिवार्यत: विद्युतीकरण कराने तथा वहां सड़कों का जाल फैलाने के संबंध में।
		21-जिला जालौन के बीहड़ क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु बहुउद्देशीय नलकूप लगवाने के संबंध में।
		22-वर्ष 90 तक पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के संबंध में।
		23-धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के विषय में।
		24-बाबा साहब डा0 अम्बेडकर की विचारधारा को एम0 ए0 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के संबंध में।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0-2 विधान सभा-25.4.91-(258)-572-(आफसेट)।